Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या 14

शनिवार,
दिनांक 24 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्री मूलचन्द डागा, माधवसिंह व रामनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, झोटवाड़ा में सीटू श्रमिक यूनियन द्वारा गत 19 सितम्बर को करवाई गई हड़ताल से उत्पन्न हुई स्थिति के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने जानकारी प्राप्त की जा रही है एवं जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

अब गृह मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

चित्तौड़गढ़ में 16 सितम्बर, 1977 को हुई अशांति व पुलिस द्वारा लाठी चार्ज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय के वक्तव्य देने से पहले मैं आपसे और सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस प्रकार का मसला है जिसको हाउस में चर्चा करने से यह सम्भव है कि जिस शान्ति को हम बनाये रखना चाहते हैं, जिसको बनाये रखने की विरोधी पक्ष की नीयत भी है, वह शान्ति भंग हो सकती है। मैं आपको और विरोधी पक्ष के नेता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस पर हम आपस में बैठकर चर्चा कर सकते हैं सदन के बाहर, उनके सुझावों से भी सरकार लाभान्वित होगी, लेकिन यहां पर चर्चा करने से बात बढ़ सकती है। वैसे वक्तव्य देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर ज्यादा चर्चा हुई तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की दुर्भावना समाज में फैल सकती है? मैं सदन को सरकारी पक्ष की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार इसमें निष्पक्ष होकर कार्यवाही कर रही है और इसमें किसी प्रकार का किसी के साथ

Page No 2

(2)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पक्षपात नहीं किया जायगा । विरोधी पक्ष के सुझाव भी मैं आमन्त्रित करूंगा, लेकिन अच्छा होगा, सदन के बाहर इस पर चर्चा कर ली जाय ।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : श्रीमन्, एक निवेदन और कर दूं, कल एकादशी का मेला था । सदन को यह जानकर खुशी होगी कि सात हजार मुसलमानों ने भी इसमें हिस्सा लिया है और स्थिति बिलकुल शान्त है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कहां ?

श्री केदारनाथ : चित्तौड़गढ़ में...

श्री मूलचन्द डागा : स्टेटमेन्ट देने का आज का बिजनेस है ।

श्री केदारनाथ : आपने बात सुनी नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी एवं विरोधी पक्ष के नेता महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने जो सुझाव रखा है, आप लोग देर से पधारें । उस सुझाव के बारे में आप जानकारी करलें फिर अपने विचार रखें ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ भी सुझाव या जो कुछ भी प्रस्ताव रखा है, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती, विरोधी पक्ष भी राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना चाहता है । सरकार और विरोधी पक्ष दोनों इस पर एकमत हैं । लेकिन जब एक प्रकरण आपने आज के बिजनेस में रख दिया है, उसके संबंध में मुख्य मंत्रीजी को बात करनी थी तो पहले करते, आपस में बात कर लेते तो निश्चित तौर से यह बिजनेस में नहीं आता । बिजनेस में आने के बाद यह हाउस की प्रोपर्टी है । हम से गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी आपस में बैठ कर बात कर सकते थे, वह बात तो नहीं की। आज जब यह प्रश्न बिजनेस में आ गया और गृह मंत्रीजी को वक्तव्य देना है तब मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इस पर चर्चा न हो ताकि किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं फैले । मैं उनकी बात की कद्र करता हूं। लेकिन बिजनेस में आने के बाद सदन में जो बोलेंगे, वे सभी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वे मर्यादा और सीमा में बोलेंगे, इस पर कुछ सुझाव भी देंगे जिससे वातावरण अच्छा रहे, कम्युनल टेन्शन नहीं हो, साम्प्रदायिक एकता बनी रहे । इसके बावजूद मुख्य मंत्रीजी का जो प्रस्ताव है उस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे निवेदन करना है कि मैं कल से अस्वस्थ हूं । इस प्रकार की चर्चा से कोई और बात नहीं हो, हम इस बुराई को समाप्त करना चाहते हैं, कहीं ऐसी स्थिति नहीं बन जाय जिसके कारण मनमुटाव हो, इसलिए यह मेरा सुझाव है । यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : आपत्ति नहीं है । मुख्य मंत्रीजी अस्वस्थ हैं, उतना ही मैं भी अस्वस्थ हूं । मैं इसलिए आया था कि मुख्य मंत्रीजी के विचार सुनूं । हम भी कम्युनल हार्मोनी को बनाये रखना चाहते हैं । बाहर बैठकर बात की जा सकती है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): वक्तव्य देने के बजाय हम भी यही चाहतें

(श्री दयोपल सिंह मकासर)

हैं कि बात कर लें । इस प्रकार का प्रस्ताव ठीक है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मुख्य मंत्रीजी ने सुझाव दिया है,

श्री परसराम मदेरणा : मर्यादा के अन्दर...

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने मुख्य मंत्रीजी का सुझाव स्वीकार कर लिया है, यह उचित ही है और यह अच्छी परम्परा रहेगी । कम्यूनल हारमोनी राजस्थान में बनी रहे, मुख्य मंत्रीजी भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं । आपस में बैठकर बात कर लें । राजस्थान अब तक इस बुराई से बचा हुआ है, बदकिस्मती से यह पहली घटना हुई है । मुख्य मंत्रीजी तारीख व समय निश्चित कर लें जिससे आपस में बैठकर बात हो जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : सबसे बड़ी बात तो यह है कि घटना का जिक्र सब पत्रों में आ गया, उसके कई दिन बाद आज गृह मंत्रीजी स्टेटमेन्ट देने आये हैं । यह उनका फर्ज होना चाहिए, जो सरकार चलाते हैं, ऐसे मामले में पहले स्टेटमेन्ट दें या खुद वहां पर जायं । न तो गृह मंत्रीजी वहां पर गये और न मुख्य मंत्रीजी गये । सब अखबारों में यह बात फैल गई उसके बाद यह कह रहे हैं कि आपस में बात कर लें । विरोधी दल के नेता ने कह दिया इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन यह सारी घटना हो चुकी, सारे अखबारों में इसकी चर्चा फैल गई फिर भी गृह मंत्री स्वतः ही मौके पर नहीं गये, मुख्य मंत्रीजी भी नहीं गये । मैं पांच दिन से कह रहा हूं कि आप स्टेटमेन्ट दीजिये । जो आप कहते हैं उस पर श्रीमन्, कोई शक नहीं करना चाहता, हम भी हारमोनी बनाये रखना चाहते हैं, और सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन सहयोग की भावना का सवाल नहीं है क्योंकि 6 दिन से मैं कह रहा हूं काल अटेन्शन नोटिस दिया, एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया । अब हमें कहते हैं संयम रखें । हमारा तो शरीर ही ऐसा नहीं बना कि संयम नहीं रखें । हम तो संयम रखते हैं ।

श्री भूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ वाली घटना पर मुख्य मन्त्री और विरोधी दल के नेता ने आपस में बातचीत करने को कहा है ताकि अशांति न फैले । अल्पसंख्यकों के साथ जो घटना घटी अगर उस पर बहस न करके बातचीत की जा सकती है तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूं कि यह छोटी घटना नहीं है । ये आपके अच्छे विचार हैं कि ऐसे मामले में बैठकर बात करें ताकि साम्प्रदायिक झगड़े नहीं बढ़ें । हम आशा करते हैं कि ऐसे झगड़ों की रोकथाम के आपके प्रयास रहेंगे और अल्पसंख्यकों के साथ भविष्य में ऐसा न हो, उनके बचाव के लिए आप प्रयास करेंगे ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : मैंने सदन में दरख्वास्त की है उसका जवाब दे रहे हैं या डागा साहब का जवाब दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री उत्तर दे रहे हैं उनको उत्तर देने दें ।

श्री शेरसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यदि इस पर गृह मन्त्री वक्तव्य देंगे तो उस वक्तव्य को शायद हम स्वीकार न करें क्योंकि वह वन साइडेड स्टेटमेन्ट होगा । इसलिये स्टेटमेन्ट मत दिलवाइए ।

Page No 4

(4)

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेन्ट नहीं दे रहे

श्री खेत सिंह राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, यह पहला मौका है, राजस्थान का आपका भी 25 साल का तजुर्बा है और मुझे भी 20 साल का है। एक बार स्थगन प्रस्ताव आने के बाद आज तक कोई भी ऐसा मौका नहीं हुआ जिसमें विरोधी दल के नेता और सदन के नेता एक साथ बीमार पड़ जायं और दोनों की ओर से तय हो जाए कि अपन चलकर चेम्बर में बात करें, फैसला करें। अगर आप दोनों की यह मर्जी है तो हम नेता के नीचे रह गए, क्या करें, मजबूरी है लेकिन आपसे कह देते हैं कि स्थगन प्रस्ताव आने के बाद नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : आज की कार्य सूची में वक्तव्य देने के लिए है...

श्री खेत सिंह राठौड़ : तो फिर वक्तव्य मत दिलवाइए। हारमोनी को कायम रहने दें। बाकी इस घटना को आप अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी घटना नहीं घटी है, यह राजस्थान के लिए शोभा की बात नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी ओर मेरे दल की ओर से भी इस घटना के बारे में इब्तदाई तकरीर में संकेत दे दिए थे खास तौर से जनता सरकार से अपील करते हुए कि आप राज में आए हैं, कानून व्यवस्था कायम रखने में शायद कमजोर पड़ेंगे। इमरजेन्सी के हालात खत्म होने के बाद असामाजिक तत्व फिर सक्रिय हो रहे हैं। मैंने पहली तकरीर में ही खास तौर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। मैं जानता हूं कि इन्सान पहले हैवान होता है, फिर सभ्यता सीखता है फिर इन्सान बनता है और हैवानियत के तत्व उसमें रहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में।

श्री अब्दुल अजीज : हालांकि जो बयान घटना पर आया है, वह मुझे गृह मन्त्री ने दिखा भी दिया, मैं उससे असंतुष्ट हूं। मैं उसे पढ़ चुका हूं। मैंने कुछ सवालात उनके सामने रखे हैं जो इस सदन में नहीं रखना चाहता लेकिन इतनी जानकारी अवश्य लेना चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : अगर सवालात पूछे जायेंगे तो फिर चर्चा का विषय बन जायगा।

श्री अब्दुल अजीज : तो किस तारीख को इस सदन में इत्तला दे रहे हैं ताकि मैं भी उस दिन हाजिर रहूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके नेता महोदय और मुख्य मन्त्री बैठकर बात करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं और सदन के नेता दोनों ही नहीं और भी विरोधी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वे सब बैठकर इस संबंध में बात करेंगे। बात करने के बाद अगर कोई भी ऐसा मुद्दा रहता है जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं है तो निश्चित तौर से हमारा यह राइट होगा कि हम आपसे निवेदन करें कि यहां पर सरकार अपना वक्तव्य दे। आज ही बातचीत कर लेंगे और बातचीत करने के बाद अगर मामला रिजाल्व हो जाता है और कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहता है जिस पर सहमति न हो तो

(श्री परसराम मदेरणा)

फिर वक्तव्य देने का प्रश्न नहीं रहेगा । लेकिन अगर रहता है तो उसके बाद सरकार को सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री अब्दुल अजीज : गृह मन्त्री या मुख्य मंत्री वहां गए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता ने जो सुझाव दिया है, मुझे आशा है, उसको स्वीकार करने में सदन के नेता को आपत्ति नहीं होगी । जो सुझाव रखा गया है उसको देखते हुए इस प्रश्न पर कोई अन्य विचार करने की आवश्यकता नहीं रही है । कार्य सूची पर जो नेक्स्ट आइटम है...

औचित्य प्रश्न

कामा व भरतपुर में बाढ़

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमान्, आज मैं 5 दिन से बराबर निवेदन कर रहा हूं कि आज कामा भरतपुर इलाके में जो हालत हो रही है उस के संबंध में मुझे जानकारी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है ? आज की राजस्थान पत्रिका में सारी जानकारी तो सिंचाई मन्त्री महोदय ने देदी लेकिन सूचना सदन में न देकर सदन की उपेक्षा क्यों की गई ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सुरेश कुमार : जब मैं 127 व 131 धारा के तहत अपना प्रस्ताव दे चुका हूं, फिर वह प्रस्ताव किस कारण से यहां नहीं आया ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो आज प्रस्ताव भेजे हैं उन पर अपने हस्ताक्षर करना ही भूल गए ।

श्री सुरेश कुमार : 127 वाले पर तो दस्तखत किए हैं और 131 वाले पर हस्ताक्षर करना मैं भूल गया । यह तो उचित है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्षजी, भरतपुर की बाढ़ की स्थिति पर माननीय सदस्य सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । यह मानवीय समस्या है, इसका उत्तर नहीं आया है, यह सरकार की निष्क्रियता मालूम पड़ती है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार में बैठने वाले तो भरतपुर को बरबाद करने पर तुले हुए हैं ।

श्री सुरेश कुमार : मैं तो सिर्फ जानकारी चाहता हूं । मुझे मालूम है, सरकार बहुत कुछ कर रही है । उसने बहुत कुछ किया है । लेकिन हमारी सरकार चुप क्यों बैठी है इतना करते हुए भी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यदि आप इजाजत दें तो मैं वक्तव्य देने को तैयार हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : दे दीजिए ।

शासकीय वक्तव्य

भरतपुर जिले में बाढ़

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है इस वर्ष अत्यधिक वर्षा से राज्य के कुछ हिस्सों में पहले बाढ़ आई थी और सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये हर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यथासंभव प्रयत्न किये थे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन सहायता देने के लिये इस वर्ष 31.40 लाख रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं।

भरतपुर जिले में अब भी कुछ स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण हरियाणा का बाढ़ का पानी इधर से ही होकर निकलता है। इसके लिए पहले एक अन्तर्राज्य बाढ़ नियंत्रण योजना बनी थी जिसके तहत बाढ़ का पानी उजीना नाले से होकर कामां पहाड़ी क्षेत्र में गुजरता हुआ गोवर्धन नाले में छोड़ा जाता है। हरियाणा के एक विस्तृत भू-भाग में पानी फैल जाने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों ने उजीना नाले को कुछ स्थानों से काट दिया जिसके फलस्वरूप कामां पहाड़ी क्षेत्र में नाले का हिस्सा भी कई जगह से टूट गया। सिंचाई विभाग ने विशेष प्रयत्न कर 22 सितम्बर की रात को हमारे क्षेत्र में कटे हुए सारे हिस्से बंद कर दिये। इन असामाजिक तत्वों ने अब उजीना झील के पानी निकास के दरवाजे को तोड़ दिया है जिससे उजीना झील में से पानी अनियंत्रित रूप से राजस्थान की तरफ आने के समाचार मिले हैं। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये सेना की सहायता मांगी गई है। आर० ए० सी० की दो कम्पनियां भी सहायता के लिये भेज दी गई हैं तथा नावें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिकित्सा के लिये डाक्टरों की टीम भेजी जा रही है। तत्कालीन सहायता के लिये जिलाधीश को 5 लाख रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है। जिला प्रशासन को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जो भी सहायता बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को दी जा सके वह उपलब्ध करा दी जाय। यदि इस कार्य में और राशि की आवश्यकता हो तो वह भी उपलब्ध कराई जायेगी। राहत कार्यों का समन्वय करने के लिये एक समन्वय अधिकारी को यहां से भरतपुर भेजा जा रहा है।

बाढ़ स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मैंने स्वयं प्रधान मंत्रीजी, केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री से विचार-विमर्श किया है। प्रधान मंत्रीजी ने एक बैठक भी कुछ समय पूर्व दिल्ली में इस संबंध में बुलाई थी जिसके फलस्वरूप एक समिति का गठन हुआ है जो बाढ़ नियंत्रण की दीर्घकालीन योजना के बारे में जांच कर अपनी राय देगी। वर्तमान स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये भी राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार तथा हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सरकारों से सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं। राज्य के सिंचाई आयुक्त व मुख्य अभियन्ता, सिंचाई को मौके की स्थिति की जानकारी लेने के लिये भेज दिया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेन्ट में कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उस नहर के रेग्यूलेटर को तोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की शंका हमको कई दिनों से थी। जैसी कि शंका थी उसके आधार पर अगर तत्काल कार्यवाही कर दी जाती तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना नहीं घटती और जो नुकसान आज भरतपुर के लोगों को हुआ है वह नहीं होता। मेरा मुख्य मन्त्री जी से यह भी निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिये राज्य सरकार अब आगे क्या कदम बढ़ाने जा रही है?

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बाढ़ कोई पहली बार ही आयी हो, यह बात नहीं है। यह सन् 1968 में भी आयी थी, 1969 में आयी और बाद में भी आयी। वहां पर जो गोवर्धन नाला है और उजीना में जो रेग्यूलेटर है इन दोनों जगहों पर ही प्रायः ऐसा किया जाता है कि उस रेग्यूलेटर को निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगर हमारी सरकार इसके शुरू में ही प्रिकाशन ले लेती तो मैं समझता हूं कि हम इस भयंकर स्थिति से बच सकते थे। अब इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं, कौन से अधिकारियों की निष्क्रियता से यह हुआ है उनके खिलाफ तो राज्य सरकार ही कार्यवाही कर सकती है। राज्य सरकार ऐसे कदम उठाये जिससे कि आगे भरतपुर जिले में बाढ़ नहीं आये और लोगों को नुकसान न हो। इस तरह इसका खतरा बढ़ते बढ़ते धौलपुर को भी खतरा हो सकता है हालांकि धौलपुर में बाढ़ नहीं आयी है फिर भी खतरे से रक्षा हो सके, इसकी कार्यवाही की जानी चाहिये। इसका तो हमेशा के लिये ही कोई समाधान खोजने की जरूरत है। ऐसा समाधान अभी से ही खोज लेना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह उजीना का रेग्यूलेटर जो है वह राजस्थान में नहीं है। यह उजीना लेक हरियाणा में है जो कि यहां से यानी हमारी राजस्थान की सीमा से दूर है। राजस्थान का सान और तालुका दो जगह रेग्यूलेटर है पर यह रेग्युलेटर तोडने की कार्यवाही हरियाणा के इलाके में हुई है। अब सावधानी के लिये राजस्थान की आर० ए० सी० की बटालियन कम्पनी वहां पर लगा दी गयी है। इधर हरियाणा और भारत सरकार से भी इस बात की शिकायत की गयी है। अब ऐसा मालूम हुआ है कि हरियाणा सरकार ने वहां पर पुलिस लगा दी है। जो घटना हुई है उसके संबंध में है। जानकारी कोई अधिकृत रूप से तो मेरे पास नहीं आयी है पर मुझे ऐसी सूचना मिली है कि वहां के कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस को ओवर पावर करके उस रेग्यूलेटर को तोड़ दिया। वह कौन थे, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता है। भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिये मैंने बातचीत की है केन्द्रीय सरकार से। तीनों राज्य सरकार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मन्त्री और उनके साथ में तीनों स्टेट के चीफ इन्जीनियर भी जायेंगे। वहां पर स्थिति का अध्ययन करके इस पर विचार किया जायेगा कि किस प्रकार से भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस पर निर्णय लिया जायेगा। यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गोवर्धन नाला जो है उसमें अभी 1 हजार 40 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है जिसमें से 400 क्यूसेक हरियाणा में जाता है और 640 क्यूसेक राजस्थान में आता है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया कि अभी हम जरा संकट में हैं भरतपुर में भयंकर बाढ़ आयी हुई है आप जरा हमारी मदद कीजिये। उन्होंने कहा कि गोवर्धन नाले में जो 1 हजार 40 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है उसको बढ़ाकर 1,800 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश दे दिये हैं। अब मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह कह सकता हूं, उनको यह जान कर खुशी होगी कि अब उत्तर प्रदेश के गोवर्धन नाले में 1,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जायेगा। मैं

Page No 8

(8)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस स्थिति को बहुत ही गंभीर मानती है और इसे राज्य सरकार गंभीरता पूर्वक ले रही है । साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से भी इस बारे में बातचीत कर रही है । अब जहां कि बाढ़ अधिक आयी हुई है वहां पर नावो का इन्तजाम कर दिया गया है, कुछ नावें जयपुर से, अलवर से और धौलपुर से भेजी जा रही हैं । राज्य सरकार इसके लिये समुचित व्यवस्था करने की हर कोशिश कर रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं सरकार इस संबंध में जो कुछ भी कर सकेगी वह जरूर करेगी । इसमें कोई भी कमी नहीं रखी जावेगी ।

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से और विधि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा के लोगों ने जो गैर कानूनी ढंग से उचीना रेग्युलेटर को तोड़ दिया जिससे कि भरतपुर में भयंकर बाढ़ आयी है और लोग तबाह हो गये हैं । राज्य सरकार क्या उसके कम्पन्सेशन के लिये हरियाणा सरकार पर हाई कोर्ट में दावा करने का विचार रखती है, जिससे कि अदालत से उचित मुआवजा मिल सके ?

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो महत्वपूर्ण बातें निवेदन करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लोगों की इस तरह से रेग्यूलेटर तोड़ देने वगैरह का जो काम है यह हमारे लिये एक पेरामाउन्ट प्राब्लम है । उसके कारण राजस्थान में हरियाणा का पानी आता है और उसको हम रोकने में असमर्थ रहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है । यह पता नहीं है कि वह इसका समाधान कब करेंगे ? इसका नतीजा यह होता है कि हमारे यहां जो कल्टीवेटर्स भरतपुर जिले के हैं उन्हें बहुत भारी नुकसान होता है । वह लोग उस पानी को निकालने में ही रह जाते हैं जिससे वह लोग खेत समय पर जोत नहीं सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई आज की घटना हो यह बात नहीं है, यह तो ब्रिटिश इन्डिया के जमाने में भी होता आया है ।अगर वह ऐसा नहीं करें तो काश्त नहीं कर सकते हैं । इसमें न केवल असामाजिक तत्व ही हैं परन्तु जो लोग उस एरिया में हैं वह लोग इतने प्रेशर वाले हैं कि वहां की सरकार के बड़े मन्त्रियों से प्रेशर डलवा कर इस मामले को दबा देते हैं । राज्य सरकार की भी इसमें सांठ गांठ रहती है इस कारण वह लोग ऐसा करने में सफल हो जाते हैं । इससे दो समस्यायें पैदा होती हैं, पहले तो बाढ़ आती है उससे नुकसान होता है । दूसरा नुकसान यह होता है कि भरतपुर की जो फसलें हैं वह मुख्यतः सरसों, तिलहन और गेहूं, चने की फसलें हैं उन फसलों के लिये लोग खेत जोत नहीं सकते हैं । इन फसलों के करीब दो महीने तक बीज बोते हैं । जब वहां का काश्तकार जोत का काम ही नहीं कर सकता है तो वहां पर खेती कैसे हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि जब इस प्रकार की बाढ़ आयी है तो क्या राज्य सरकार उन लोगों को, जो बाढ़ पीड़ित हो गये हैं और खेत जोत नहीं सके हैं, किसी प्रकार कम्पन्सेशन हरियाणा सरकार से या अपनी सरकार की तरफ से दिलाने का विचार रखती है ? उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के लोगों की इस प्रकार की कार्यवाही करने के कारण भरतपुर जिले

(श्री शिवचरण सिंह)
के काश्तकार बरबाद हो गये हैं। उनकी तो रोटी-रोजी ही चली गयी है। तो इसके लिये मुख्य मन्त्री जी क्या करना चाहते हैं? कामां, डीग, भरतपुर के जो इलाके हैं उन इलाकों में तो एक फसल होती है सरसों की...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें। रिपीटीशन नहीं हो।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। बहुत ही अहम मसला है।

यह सरसों की फसल सावन से क्वार के बीच होती है। अगर दो महीनों तक जोत का काम नहीं होता है तो फिर फसल कैसे पैदा हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस पानी से एक खराबी और हो जाती है। इससे गेहूं में एक बीमारी, जो रोली कहलाती है, लग जाती है उस पानी से एक तरह का इनफैक्शन होता है। दूसरा जो इनफैक्शन है उससे सरसों में चैपा लग जाता है। तो पहले तो फसल बोई नहीं जाती है और बोई जाती है तो उसमें रोली और चेपा की बीमारियां लग जाती हैं तो इस प्रकार की बीमारियों के लिये भी हमें इन्तजाम करने को तैयार रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप वही फसल की बात दोहरा रहे हैं?

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दे रहा हूं कि बीमारियां लग जाती हैं चेपा सरसों में और रोली गेहूं में तो...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप स्थान ग्रहण करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से मैं सदन में बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने दिये हैं जो महत्वपूर्ण एडजोर्नमेन्ट मोशन मैंने दिये हैं तथा जो जनहित के महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दिये हैं वह, हुकम, आ नहीं रहे हैं। अगर मेरे प्रश्न आ भी जाते हैं तो वह सदन में पूछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें अन्त में रख दिया जाता है। अगर बोलते हैं तो आप हमें बैठने को कह देते हैं। आप ही हैं जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, आप ही हमारे साथ न्याय कर सकते हैं। भगवान जानता है, क्या बात है कि हमारे प्रश्न ही पीछे रखे जाते हैं। इस कारण पूछे नहीं जा सकते हैं। अब हम किसको कहें? आपके सिवाय हमारे साथ न्याय कौन करेगा? हमें जानकारी तक मिलती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डागाजी, आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह जानकारी तो मैंने आपको दे दी है। सवाल यह है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन की भी जानकारी नहीं मिली, तो उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त कराने का प्रयत्न कर रहा हूं। वह जानकारी आते ही आपको अवगत करा दूंगा।

Page No 10

(19)

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आज 17 दिन हो गये हैं कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। श्रम मंत्रीजी कह रहे हैं कि तुम आपस में निपट लो। अब भगवान जानता है कि आपस में कैसे निपट लें ? वहां तो हड़ताल चल रही है श्रम मंत्रीजी मौन हैं। हमें जानकारी मिलती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एडजोर्नमेन्ट मोशन साढ़े दस बजे दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : हुकम, मैंने कल दिया था, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर हड़ताल चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कल दिया है मैंने उसको पढ़ा है। उसके बारे में जानकारी चाही है। आप चिन्ता नहीं करें, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। यह तो कह रहे हैं आपस में निपट लें, आपस में लड़ो। पर फैसला नहीं करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, यह कहना कहां तक उचित है। आज 17 दिन से वेक्सीनेटर्स की हड़ताल चल रही है और श्रम मन्त्री जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सभी जगह हड़तालें हो रही हैं। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर हड़ताल हो रही है, अब बतायें हम किसको निवेदन करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के बारे में आपने पता नहीं कि मख्य मंत्री जी बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, 17 अगस्त से जो मैंने प्रश्न दिये हैं वह आज तक सदन में नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण है ? मंत्री महोदय से कहा जाय कि मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैंने 16 अगस्त से जो प्रश्न दिये आज तक उनका कोई पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको चेम्बर में जानकारी दे दी थी।

श्री रतनलाल वर्मा : राजस्व के मामले में 27 तारीख को मसला आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपकी मदद की। आपको जानकारी दे दी गयी है।

श्री रतनलाल वर्मा : लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार रिपोर्ट नहीं दे रही है। कांग्रेस वालों ने अत्याचार करवाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : अमर सर्कस के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था। अमर सर्कस को मनोरंजन कर में छूट दी गयी थी उससे जनता को राहत मिलनी चाहिये थी। लेकिन उसने जनता से वही चार्ज कर जयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ किया। अब तक इस संबंध में सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से आ जानी चाहिये थी ।

श्री सूरजपालसिंह : जयपुर से गवर्नमेन्ट का रिप्लाई आने में भी यदि 10 दिन लग जायं तो फिर जिलों से कैसे रिप्लाई आ सकेगा । 30 तारीख तक सेशन चलेगा । उसके बाद नहीं । इसलिये आप गवर्नमेन्ट से इत्तला मंगायें ।

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र ही मंगाऊंगा।

श्री बृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : एक एडजोर्नमेन्ट मोशन और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने 15 अगस्त को रात्रि को 8.30 बजे...

श्री उपाध्यक्ष : जो जानकारी थी मुझे वह मैं आपको बता चुका हूं ।

श्री बृद्धिचन्द्र जैन : 30 तारीख को सेशन एडजोर्न हो रहा है । 30 तारीख के पहले पहले जवाब आ जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आशा रखिये, जल्दी आवेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेडिकल कौन्सिल ने मना कर दिया कि स्टूडेन्ट्स की संख्या न बढ़ायें फिर भी बढ़ायी । पांच मेडिकल कालेज के लड़कों ने भी कहा कि संख्या न बढ़ायी जाय । उस पर स्टेटमेन्ट दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री महोदय से स्टेटमेन्ट आवेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जोधपुर कालेज में मेडिकल के छात्र मारपीट को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं...

कई माननीय सदस्य : भूख हड़ताल खत्म हो गयी ।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : भूख हड़ताल खत्म हो गयी । डिमांड वापस ले ली ।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण प्रश्नों की सरकार जानकारी दे देगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं । सीजन आ रहा है, कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : जब चर्चा चलाने का तय किया तो विरोधी दल के नेता ने सुझाव दिया था ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गवर्नमेन्ट ने कुछ कहा नहीं । न रिप्लाई आया । विकट समस्या है सीमेन्ट की ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने समस्या जाहिर नहीं की इसलिये समस्या नहीं रही होगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : समस्या है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानकारी प्राप्त करूंगा ।

औचित्य प्रश्न

मण्डल व आयोग आदि के प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा : इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट हर साल परम्परा से सदन के अन्दर जाती है । डिमांड पेश हो गयी और पास हो गयी लेकिन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट पेश नहीं हुई न उस पर

Page No 12

(12)

(श्री मूलचन्द डागा)

चर्चा हुई । सेशन 30 तारीख को एडजोर्न हो जायेगा । हर साल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट सदन के अन्दर पेश होती है उस पर सदन में डिस्कशन होता है । इसको नेता महोदय जरूर मानेंगे । तो सदन का समय बढ़ाइयेगा या रिपोर्ट पेश करवाइयेगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बिजली की डिमांड के समय रिपोर्ट डिस्कशन में आयी नहीं । क्योंकि रिपोर्ट पेश नहीं की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हाउस एडजोर्न होने से पहले ।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तक रिपोर्ट पेश ही नहीं की ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आज राजस्थान में बिजली विभाग को लेकर भयंकर असंतोष व्याप्त है । उसकी रिपोर्ट न आये, सदन में चर्चा न हो यह अजीब हालत है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमेशा से परम्परा रही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट, सतर्कता आयोग की रिपोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन में पेश होती रही हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी जब विरोधी दल में बिराजते थे तो इन्सिस्ट किया करते थे कि सरकार रिपोर्ट पेश नहीं करती अब तो वे मुख्य मन्त्री बन गये । इन रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है । सदन 30 तारीख को खत्म हो जावेगा । 1 मार्च से पहले आप बुलाने वाले नहीं हैं । हम आपकी शरण में हैं, हमारी आप ही मदद कीजियेगा और इनको ताड़ना दीजियेगा कि जल्दी रिपोर्ट पेश करें ।

श्री अब्दुल अजीज : चार-चार, पांच-पांच हजार रुपया एडीशनल सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने के लिये बिजली बोर्ड द्वारा नोटिस दिये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महादय, माननीय श्री खेतसिंहजी ने जिन जिन रिपोर्ट्स के बारे में उल्लेख किया है, वैसे पिछले बजट सेशन में आपकी सरकार की ओर से वे रिपोर्ट्स पेश हो जानी चाहिये थी, क्यों पेश नहीं हुई, यह जानकारी मैं करके बता दूंगा कि ये रिपोर्ट्स कब कब पेश हुई और कब कब पेश होने वाली थीं । सारी जानकारी करके मैं बता दूंगा । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में भी मैं जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री परसराम मदेरणा : वह रिपोर्ट तो पेश हो जायगी । शायद तैयार नहीं हुई है । लेकिन विद्युत मंत्रीजी से भी मैंने निवेदन किया था कि कम से कम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट इस सदन में जरूर पेश होनी चाहिये । वे प्रयास कर रहे थे । अब तक प्रिन्ट नहीं हुई है तो उसको रातों रात प्रिन्ट करवा कर वितरित करायें । सदस्यों का अधिकार है कि उस पर चर्चा हो, इस सदन में चर्चा हो, निश्चित रूप से वह रिपोर्ट पेश हो जानी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

विशेषाधिकार भंग प्रश्न

मुख्य मंत्री द्वारा 13 सितम्बर, 1977 को प्रयुक्त शब्द

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, एक अहम सवाल है। 13 तारीख को सदन के नेता के खिलाफ कन्टेम्प्ट ओफ हाउस का नोटिस दिया था। दस दिन हो गये। मुख्य मंत्री ने सदन की सारी शालीनता, सौम्यता खत्म कर दी। मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दे दिया...

श्री उपाध्यक्ष : आप से अब चेम्बर में चर्चा हुई है, मैंने आपको बता दिया। आप उससे संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट नहीं हैं तो...

श्री खेतसिंह राठौड़ : संतुष्ट कहां ? वे तो रोजाना काम्पोज लेकर आते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मंत्री ने कहा, हमारी नींद हराम हो जावेगी। सदन में काम ही नहीं कर सकेंगे। यह क्या हुआ ? यह भी कहा कि नाक से निकालूंगा। नाक से निकालो या पेट से निकालो हम विरोध में बैठने वाले हैं, हमारी नींद हराम हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डागाजी के सम्मान के लिये इतना कह दूं कि सदन का और माननीय सदस्यों का अपमान करने की कोई बात नहीं कही। इतना ही पर्याप्त होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कभी कभी जोश में कहा।

श्री रतनलाल वर्मा : इनके तो संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। आप तो संतुष्ट हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जो माननीय सदस्य भिनाय से आये हैं, उन्होंने ओफिशियल बैन्चेज जहां ओफिसर्स बैठते हैं, की ओर इशारा करके एक बात और शब्द कहा। कल यह कट गये कि यह लोग इतने भ्रष्ट हैं और कपड़े बूट पहिन कर आये हैं। उसी समय मैंने पोइन्ट ओफ ओर्डर उठा करके माननीय सदस्य महोदय से इस प्रकार से इशारा करके न बोलने के लिये कहा। उस पर आपका निर्णय होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पर आज ही व्यवस्था दे दूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : मैंने अपनी जिन्दगी में कभी इशारा ही नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, इशारा तो यह आज भी करते हैं इस उम्र में।

श्री उपाध्यक्ष : आप कभी कभी भूल जाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। अब याचिकाओं का उपस्थापन होगा।

श्री भैरवलाल काला बादल।

याचिका का उपस्थापन

मनोहर थाना एवं खानपुर पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण

श्री भैरवलाल काला बादल (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच नागरिकों

Page No 14

(14)

(श्री भैरवलाल काला बादल)

द्वारा हस्ताक्षरित मनोहर थाना एवं खानपुर पंचायत समिति, जिला झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करवाने संबंधी एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकृत। याचिका का उपस्थापन किया गया।

अनुदानों की मांगें
मांग संख्या 33, अकाल सहायता एवं मांग संख्या 9 फारेस्ट की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। निम्नांकित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :—

1. मांग संख्या 33 — अकाल सहायता
2. मांग संख्या 9 — फारेस्ट

माननीय मंत्री महोदय मांगें प्रस्तुत करेंगे।

श्री रूपसाराम (अकाल सहायता **मंत्री**) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33—अकाल सहायता के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,23,15,000 रु० तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री त्रिलोक चन्द जैन (वन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9 फारेस्ट के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,27,67,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 33 व 9 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल, जयपुर) :

1. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्षा से हुई व्यापक हानि की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त राहत देने पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्षा से आमेर में मावठे के पानी के ओवर फ्लो होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अतिवृष्टि में आने वाले अमानिशाह के नले के जल निकास हेतु इस नाले को पक्का बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फारेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के वैज्ञानिक विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

6. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों को आवश्यकता से कम भोजन दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जयपुर चिड़ियाघर (जू) को मौजूदा स्थान से हटाकर झालाना के पास ले जाकर नवीनीकरण करने पर चर्चा के लिये]।

8. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (फॉरेस्ट विभाग में आवश्यक सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

9. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (निर्वाचन क्षेत्र, जयपुर ग्रामीण में गत वर्षों से हुई क्षति-पूर्ति हेतु अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (गत वर्षा से जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में जिन खेतों में मिट्टी आ गई उससे उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [निर्वाचन क्षेत्र, जयपुर (ग्रामीण क्षेत्र) के गांवों के जिन कुओं में गत वर्षा से मिट्टी भर गई उसे निकलवाने हेतु चर्चा के लिये]।

12. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में बन्ध की ढाणी से आमेर तक की सड़क जो वर्षा ऋतु में खराब हो गई उसे अकाल राहत कार्य में ठीक कराने हेतु चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत क्षेत्र घोषित करने हेतु सरकार की वर्तमान प्रणाली में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के व्यापक प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की क्षेत्रीय विकास की योजनाओं में लगे धन के अनुपात का उचित लाभ प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घाटी स्थलों के उचित सर्वेक्षण के अभाव पर चर्चा के लिये)।

Page No 16

(16)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

17. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक--फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के चिड़ियाघरों में अच्छी किस्मों के जानवरों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक--फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों में वृक्षारोपण के कार्यों को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप ढालने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

19. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक--अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में जो राहत अकाल की स्थिति में नहीं दे सके पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक--फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक--फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि और जल संरक्षण के बारे में ठोस योजना के अभाव पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक--फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि संरक्षण और क्षेत्रीय विकास के लिये ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

23. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक--अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के काफी हिस्से में अकाल की स्थिति पैदा हो रही है जिस पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक--अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सन् 74-75 के अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत पी० डब्ल्यू० डी० एवं सिंचाई विभाग में कार्यरत कुछ मजदूरों की मजदूरी बकाया है जिन्हें अदा करने में राज्य सरकार द्वारा ढिलमिल एवं उदासीन नीति अपनाने के कारण मजदूरों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक--अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने अकाल के स्थायी हल के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया इस समस्या पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक--फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में कई चारागाहों के विकास हेतु वन विभाग ने लिये, परन्तु उन पर पशु चराने की रोटेशनल ग्रेजिंग के तरीके से सुविधा प्रदान न की जाने के कारण किसानों में व्याप्त घोर असंतोष पर चर्चा के लिये)।

Page No 17

(17)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

27. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फारेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में गढ़रा रोड़ (शिव तहसील) से जैसलमेर जिले के क्षेत्र में एरिड जोन में लाखों रुपया व्यय करने के उपरांत भी वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं बेईमानी बरतने के कारण उचित फल न निकलने के विषय पर चर्चा के लिये]।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

29. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिसका बाड़मेर में अकाल राहत कार्य खोलने एवं राजस्व वसूलियां स्थगित करने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में बाढ़ एवं आगजनी से नुकसान एवं सरकार द्वारा राहत पहुचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से खरीफ फसल नष्ट हो जाने से एवं अकाल की स्थिति के बारे में चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में घास विकास योजनाए एवं फीडर बैंक कायम करने में सरकार की घोर उपेक्षा की एवं जिला जालौर में घास एन्क्लोजर्स की समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में वन विकास योजनाए एवं उनकी क्रियान्विति के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

34. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के जो कार्य होते हैं वे उत्पादन को नहीं बढ़ाते हैं इस पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवर्तित परिस्थिति में फैमिन कोड के अन्तर्गत दी जाने वाली अकाल सहायता में वृद्धि हेतु चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली की मानपुरा की सारी पहाड़ी पर जंगल लगाने की

(श्री मूलचन्द डागा)
योजना के कारण गांव मानपुरा के लोगों को तकलीफ होने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

37. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृक्ष लगाओ आंदोलन को तेजी से न बढ़ाने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के निरन्तर विनाश को रोकने में, विभाग की असफलता को रोकने में विभाग की सफलता पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय । (वन विभाग द्वारा संचालित कोल डिपो में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कोल विक्रय में किये जाने वाली मनमानी पर चर्चा के लिये) ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

40. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा भीलपुर उप-जिले की सेपऊ उप-तहसील में बाढ़ से पीड़ितों को समुचित सहायता न जुटा पाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

41. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल की स्थिति के निराकरण हेतु कोई व्यापक योजना विभाग द्वारा नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

42. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलों के लगाने पर करोड़ों रुपयों का अपव्यय व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) :

43. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र को अकाल पीड़ित घोषित कराने की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये) ।

44. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के लिये सामान की खरीद में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

45. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अकाल राहत कार्यों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

46. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

(श्री कौशल किशोर जैन)

47. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर डिविजन में जंगलात की जमीन के अतिक्रमण को रोकने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरजपाल सिंह (भीनमाल) :

48. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अकाल की स्थिति एवं राहत कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीनमाल क्षेत्र में उत्पन्न अकाल की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले में फोरेस्ट के विकास हेतु चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

51. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले सिरोही के विधान सभा क्षेत्र में अकाल की स्थिति एवं राहत कार्य प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

52. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिक वर्षा के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की अवैज्ञानिक ढंग से की गई व वन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

54. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति को दृष्टिगत रख कर राहत कार्य शीघ्र चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जीवन निर्वाह हेतु वनों की सूखी लकड़ियों को चुनने की छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ ऐरिया के नया गांव, प्रतापपुरा, अनावड़ा, घोंसड़ा, डूंगी, ध्यरेड, नयागांव बारा का आदि गांवों के पशुओं को गेम्स सेन्चुरी के पास के ऐरिया को चराने के लिये निर्धारित करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं) :

57. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला

Page No 20

(20)

(श्री एच. एन. शर्मा)

ग्रामीण आंचलों में ही अकाल सहायता हेतु कार्य किये जाने पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के द्वारा पशुपालकों के साथ किये जाने वाले अन्याय की चर्चा के लिये)।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

59. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के स्थायी हल हेतु ठोस योजना बनाने एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विहीन क्षेत्रों के वन विकास को प्राथमिकता देने तथा विभाग द्वारा कृषकों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :

61. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राहत कार्य के अन्तर्गत पीपलदा—खातोली सड़क के निर्माण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पशुओं को चरने की सुविधा नहीं देने तथा वन विभाग के कर्मचारियों की मनमानी करने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नायब-तहसील, इन्द्रगढ़ के गांवों में किसानों की जमीनों से सम्बन्धित विवादों का निपटारा वन विभाग द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) :

64. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में लिप्त भूतपूर्व मंत्रियों की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन नीति का पुनः निर्धारण एवं समस्त पंचायत स्तर पर ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

66. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन को फिर से आबाद करने के लिये गांव में ऐंडोमेन्ट लगाने के लिये तथा गांवाई जंगल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

कम कर दिया जाय (बिजोलिया क्षेत्र में बसे लगभग 100 गांवों के लिये चरागाह तथा वन के विकास हेतु चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडलगढ़ क्षेत्र में घने जंगल थे पर बर्बाद हो गये हैं अतः फिर से पेडोक्स लगाने तथा मांडलगढ़ किले को इसी पेडोक्स में लेने व रमणीक बनाने की चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर गांव के लिये जहां भी सम्भव हो गांवाई फोरेस्ट लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

70. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत के लिये झुन्झुनूं जिले में कुए निर्माण एवं सड़क निर्माण के कार्य प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में पड़े अकाल के कारण पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले को अकाल ग्रस्त घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राहत कार्यों के अंतर्गत कातरे की दवा का झुन्झुनूं जिले में समय पर उपयोग न करने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में अकाल की वजह से तकाबी रोकने पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले के बढ़ते हुये रेगिस्तान की रोकथाम के लिये वन विकास पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में वनों की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रणीराम आर्य (तारानगर) :

77. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में अकाल राहत कार्यों में हुये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्य जहां कहीं भी प्रारम्भ किये

(श्री मणीराम आर्य)

जावें व इस बात को दृष्टि में रख कर किये जावें कि फिर उस प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सदैव के लिये निराकरण हो सके इस पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तारानगर, जिला चूरू के क्षेत्र में गत अकाल राहत कार्यों में हुए धन के दुरुपयोग की जांच कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदोरा):

80. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बांसवाड़ा जिला में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से फसलें (खरीफ) नष्ट हो जाने से भयंकर भूखमरी के कारण आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों में तबाही होने पर भी राहत कार्य प्रारम्भ नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये]।

81. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में वन विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कृषकों की तबाही हो रही है इस पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में वनों की सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री हरीपाल सिंह मकासर (हनुमानगढ़):

83. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल की विभिषिका का स्थाई हल निकालने पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओलावृष्टि व आग से बर्बाद हुए किसानों को मुआवजा देने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओलावृष्टि, अतिवृष्टि व अग्नि से तबाह किसानों को मुआवजा दिया जाने व सब प्रकार का लगान माफ करने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों व रेल्वे लाइनों व रास्ते के किनारों पर पेड़ लगाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय):

88. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अनावृष्टि से या अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हो गई हैं वहां राहत कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री रतनलाल वर्मा)

89. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिनाय निर्वाचन क्षेत्र जहां वर्षा नहीं हुई है वहां के गरीब किसान, मजदूर एवं गरीब लोग राहत कार्य चालू कराके रोजगार उपलब्ध कराया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के स्टांक में निरन्तर वृद्धि और 70 प्रतिशत जंगल क्षेत्र वृद्धि रहित कर दिया गया एवं गलत कागजो आकडों से जंगल का विकास करने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोचर भूमि प्रदर्शन के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया गया किन्तु कोई विकास नहीं हुआ वह भूमि की जमीनें ग्राम पंचायतों को वन लगाने एवं पशु चराने हेतु दी जावें इस पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काबिज काश्त भूमियों को जो कि किसानों के कब्जे में थीं और जिन पर काश्त होती थी वन विभाग में ले ली क्योंकि वह रेकार्ड में सरकारी दर्ज हो रही थीं और मौके पर किसान खेती कर रहे थे, किसानों को मुकदमें चला-चला कर कब्जों से हटाया गया है जो अन्याय था इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

93. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिकराय क्षेत्र में बाढ़ से हुई हानि पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेरे क्षेत्र में अनावृष्टि से व बाढ़ से हुई हानि को ध्यान में रखते हुए लगान माफ करने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेरे क्षेत्र में हुई अनावृष्टि से हानि के लिए तकावी वितरण करने हेतु चर्चा के लिए)।

96. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ सहायता अनुदान के रूप में मेरे क्षेत्र की ओर बजट प्रावधान के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

97. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेरे विधान सभा क्षेत्र में खरीफ फसलें बिल्कुल नष्ट हो जाने के फलस्वरूप तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से

Page No 24

(24)

(श्री करतार सिंह)

100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में तालाबों को ठीक करने व छोटी-छोटी लिंक रोड बनवाने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा प्रत्येक गांव में चरागाह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चरागाहों को वर्षा के बाद भी काफी लम्बे अर्से तक पशु चराई हेतु न खोलने से पशुपालकों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

102. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अतिवृष्टि एवं बाढ़ से ग्रसित अलवर जिले की क्षति के क्रम में चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के वनों की दुर्दशा के क्रम में चर्चा के लिये)।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

104. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी सड़कों व जोहड़ों पर होने वाले व्यय के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री लालशंकर (सागवाड़ा) :

105. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सागवाड़ा क्षेत्र, जिला डूंगरपुर में अतिवृष्टि से फसल नष्ट होने पर सहायता कार्य खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सागवाड़ा में अतिवृष्टि से मक्का फसल नष्ट हो गई किसान परेशान, ठंडा अकाल होने से राहत कार्य तिखली क्षेत्र, गलियाकोट क्षेत्र, कुआं, औवरी क्षेत्र कार्य प्रारम्भ कराने पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सागवाड़ा क्षेत्र, जिला डूंगरपुर में आदिवासी जन-जाति के क्षेत्र में जंगलों के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फारेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [काढ़ल जंगल (सागवाड़ा क्षेत्र, जिला वाड़ा) डाहाला डूंगर-शरण शिखोद, अम्बग जंगल का विसर्जन व कृषक के स्वयं निजी खाता भूमि में पेड़ लगाकर पेड़ व अनुदान दिया जाने पर चर्चा के लिये]।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

109. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में

Page No 25

(25)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां में बाढ़ द्वारा बार-बार क्षति पहुंचाने व बाढ़ नियंत्रण के संबंध में चर्चा के लिये) ।

110. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई एवं विभाग के कार्यकलापों में सतर्कता न बरतने के विषय में चर्चा के लिये) ।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

111. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल का प्रभाव और सहायता के कार्यों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने हेतु ठोस कार्यक्रम अपनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

112. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अमूल वन सम्पदा को उचित संरक्षण नहीं देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

113. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर टाईगर प्रोजेक्ट में नियुक्त भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को तत्काल हटाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

114. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर टाईगर प्रोजेक्ट में नियुक्त भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को तत्काल हटाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री कुन्जीलाल (वामनवास) :

115. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर टाईगर प्रोजेक्ट में नियुक्त भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को तत्काल हटाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

116. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टाईगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर के अधिकारियों द्वारा किसानों को दी जाने वाली यातनाओं से छुटकारा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

117. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

118. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नादौती तहसील के ग्राम दलपुरा के पहाड़ी वन की सुरक्षा हेतु चर्चा के लिये) ।

Page No 26

(26)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

119. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में गबन व भ्रष्टाचार व्याप्त है इस पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता विभाग में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार, अपव्यय, अव्यवस्था एवं मनमाने पन पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फोरेस्ट विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं):

122. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में अकाल की भयंकर स्थिति पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रदेश के अधिकतर जिलों में अकाल की स्थिति होने पर भी अकाल सहायता के कार्यों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कीमतों के कारण पशुओं को जीवित रखना मुश्किल हो रहा है, सरकार सस्ता चारा उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में अविलम्ब अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों के चरागाह जो बिल्कुल ऊसर बन गये हैं उनमें नये तरह-तरह के घास लगाये जाकर उन्हें विकसित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तेंदू पत्ता राष्ट्रीयकरण के बाद राज्य की आय में होने वाले ह्रास पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [वन विभाग छापर (चूरू) के कर्मचारियों द्वारा बालरी, हरिजन व एक स्वर्णकार की निर्मम पिटाई पर चर्चा के लिये]।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल):

129. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No 27

(27)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(अकाल राहत में किये गये सड़कों, पुलों के निर्माण कार्यों में हुए घोटालों के लिये दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों व जन-प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान के स्थान पर ही सस्ते अनाज, घास आदि की भी व्यवस्था करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राहत कार्यों के अन्तर्गत 1969-70 में भीलवाड़ा जिलों में जिन 29 एक्सप्लोजिव ठेकेदारों की 1.11 लाख रुपयों का अधिक भुगतान जाली बिलों के आधार पर किया गया, उस राशि को वसूल करने और संबंधित पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत की स्थायी योजना बनाने और स्थायी निर्माण कार्यों पर व्यय को प्राथमिकता प्रदान करने संबंधी चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत घोटाला कान्ड में लिप्त भूतपूर्व मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध फौजदारी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने संबंधी चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिला में 1969-70 के अकाल राहत कार्यक्रम के अंतर्गत अनधिकृत तरीकों से लाखों रुपयों मूल्य के औजार को क्रय करने और स्टोर का वार्षिक भौतिक संस्थापन न करने संबंधी चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल राहत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 1969-70 के अकाल राहत कार्यक्रम में दोषी एवं भ्रष्ट इंजीनियरों को जांच समिति ने दोषी पाया किन्तु उनमें से किसी के भी विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 1969-70 में भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यक्रम में तिरपालों की खरीद के घोटालों संबंधी चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिकों को नियुक्त करने की अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिला में 1969 और 1970 में 19

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सहायक अभियन्ताओं द्वारा ठेकेदारों को 1.78 लाख रुपयों का अधिक भुगतान करने और भुगतान हेतु जाली बिल बनाने संबंधी चर्चा के लिये) ।

139. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत के अंतर्गत अधूरे कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता प्रदान करने संबंधी चर्चा के लिये) ।

140. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यक्रमों का राजनैतिक व चुनावी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग किये जाने संबंधी चर्चा के लिये) ।

141. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यक्रमों के संबंध में कार्य संचालन व भुगतान की एजेन्सियां अलग अलग रखने बाबत चर्चा के लिये) ।

142. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन सम्पदा को प्रोत्साहन देने के लिये उन वृक्षों को लगाया जाय जिनसे उपयोग या उत्पादन के लिये सामग्री उपलब्ध हो सके इस पर चर्चा के लिये) ।

143. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर फल-वृक्ष लगाने का अधिकार प्रदान करने बाबत चर्चा के लिये) ।

144. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से वनों को होने वाले नुकसान को रोकने की व्यवस्था करने संबंधी चर्चा के लिये) ।

145. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा काश्तकारों पर की जाने वाली ज्यादतियों और वर्षों से चले आ रहे कृषि भूमि के कब्जों को समाप्त करने की कार्यवाही को रोकने व समाप्त करने संबंधी चर्चा के लिये) ।

146. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल तहसील के मेजा बांध के घाटी स्थलों का सर्वे कराकर भूमि व जल संरक्षण की व्यापक योजना तैयार करने संबंधी चर्चा के लिये) ।

147. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल क्षेत्र में वन विकास की व्याप्त संभावनाओं का पूरा पूरा उपयोग करने संबंधी चर्चा के लिये) ।

148. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फॉरेस्ट के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत धाणा, पंचायत समिति, मांडल में नये वन के विकास पर किये गये व्यय की जांच करने संबंधी चर्चा के लिये) ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

149. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री बिरदमल सिंघवी)

(अकाल की विभिषिका को करने हेतु कोई स्थायी योजना बना कर अपव्यय को रोका जाये व पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) :

150. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर व झुन्झुनूं जिलों को अकाल ग्रस्त घोषित कर राहत कार्य चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यक्रम के तहत पूर्व में बनी अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने हेतु प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों में पेड़ों की अवैज्ञानिक ढंग से की गई कटाई पर चर्चा के लिये)।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

153. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायता कार्यों के अंतर्गत स्थायी निर्माण कार्य कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

154. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अतिवृष्टि के कारण अकाल की स्थिति बनी हुई है उन पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घास बिड़ों को समय पर मवेशी चरने के लिये खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रिद्धमलसिंह (सीकर) :

156. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अन्तर्गत 4000 कुएं सीकर जिले में खोदे गये उनको पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिला में ग्राम पलसाना के जंगलों में मवेशी चरने की सुविधा दिलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नूरा (मसूदा) :

158. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत के तहत बनी अधूरी सड़कों आदि के निर्माण कार्यों को पूरा कराने बाबत चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न संस्थाओं और कृषकों को अकाल राहत के लिये ऋणों व सहायता देने के मामलों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) :

160. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारी वर्षा व बाढ़ के कारण जयपुर जिले में मकानों, फसलों, कुओं आदि के हुए भारी नुकसान की पूर्ति हेतु अनुदान दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

Page No 30

(30)

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

161. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्षा से चौमू क्षेत्र मे उदयपुरिया नला, टाकरडा का नला, अमरपुरा व फतेहगढ़ बांध, चौमू का नया बांध के ध्वस्त हो जाने व इनकी मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू क्षेत्र में वनों की सुरक्षा की अव्यवस्था व समुचित विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर):

163. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की सुरक्षा पर वन विभाग द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर):

164. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र के विकास के नाम पर पशुओं की चराई रोक देने से आस-पास के गाँवों के निवासियों के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों और बढ़ते असंतोष और सूखी लकड़ियाँ चुनने वालों पर निषेध आज्ञा लागू कर देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद):

165. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल व कालीसिंध के कारण मेरे क्षेत्र में दरड़े बनते जा रहे हैं व तेज गति से भू-क्षरण के कारण अनेक ग्राम नष्ट होने की संभावना है विभाग द्वारा भू-संरक्षण हेतु कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल (डूंगरपुर):

166. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में वनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर के वनों की सुरक्षा हेतु एवं जंगल के आस-पास की खाली भूमि को काश्त में शुमार कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री माणकलाल (नैनवा):

168. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अधिकारियों के दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा):

169. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फोरेस्ट विश्राम गृह द्वारा रास्ते बन्द किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

Page No 31

(31)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) :

170. मांग संख्या 9, मुख्य, शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में गजनेर फोरेस्ट सेन्चूरी बनाकर काबिल काश्त जमीनें व खान क्षेत्र से वंचित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) :

171. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नसीराबाद क्षेत्र में महकमा जंगलात द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

173. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सभी क्षेत्रों में ऊंट और बकरी की चराई एक जैसी होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिला, भीम और रायपुर तहसील के जंगलों का बिस्वेदारी उन्मूलन पर मुआवजा नहीं दिया गया उसकी चर्चा के लिये)।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

175. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा फोरेस्ट की पैदावार पर आधारित लघु उद्योग लगाने हेतु कार्यक्रम नहीं बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा रिजर्व फोरेस्ट में मवेशियों को गैर कानूनी तौर पर चराने देने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लकड़ी के कोयले के व्यापार में होने वाली धांधली पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन रिजर्व फोरेस्ट में पेड़ नहीं हैं उन्हें कृषि भूमि में परिवर्तित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फोरेस्टर्स की सीधी भर्ती हेतु चर्चा के लिये)।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

180. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में हो रहे वन सम्पदा की अवैध कटाई व इसकी जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना)

181. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूखे क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएं चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील डेगाना, जिला नागौर व इसी प्रकार की अन्य तहसीलों को अकाल क्षेत्र घोषित करने की चर्चा के के लिये)।

183. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को कुओं से पानी निकालने का परिव्यय दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनमाने तरीके से हो रही वनों की कटाई रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

185. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर अकाल की स्थिति बन गई है वहाँ राहत कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री . रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

186. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर के ग्राम कोमता तथा रेवदर के ग्रामों-रोहुआ में नदी के कटाव को रोकने में विभाग द्वारा ढील होने से जनजीवन को हो रही हानि पर चर्चा के लिये)

187. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर से उम्मेदाबाद, सायला, बाधोडा, मोरसीम आदि गांवों में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाने हेतु चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भकडी से कोमता तक बाढ़ नियंत्रण के अभाव में डूब रहा है उसे बचाने की चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (बाढ़ों से नष्ट हो रहे सियाणा चांदणा की रक्षा हेतु चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों में बनी अधूरी सड़कों के कार्य को अकाल सहायता में पूरी करवाने पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No 33

(33)

(श्री रघुनन्दन व्यास)
(अकाल सहायता के जना धन के दुरुपयोग के मामले जो दबे हुए हैं उसकी जांच हेतु चर्चा के लिये) ।

192. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू पर्वत एवं सूदा से वृक्षों की कटाई हो रही है, नए वृक्ष नहीं लग रहे हैं । जंगल वृक्षों रहित हो गए हैं उसको रोकने हेतु चर्चा के लिये) ।

193. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की कटाई रोकने, आबू को बंजर बनाने से रोकने तथा माउन्ट आबू के गुरु शिखर पर वृक्षारोपण के लिए चर्चा के लिये) ।

194. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन श्रमिकों के साथ हो रहे अत्याचार वनों के राजकीय व्यापार में घोटाले तथा बिना योजना से कोयला बनाने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़):

195. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति पर एवं अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

196. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विरा I, घास विकास एवं फीडर बैंक के बारे में चर्चा के लिये) ।

197. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सम्भावित वन नीति के परिवर्तन पर चर्चा के लिये) ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

198. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झुन्झुनुं में अकाल की भयंकर स्थिति एवं अकाल राहत खोलने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

199. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत के अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

200. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल का सामना करने हेतु, स्थायी हल हेतु, साधन अपनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

201. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी में अकाल राहत कार्य अधूरा पड़ा हुआ है उसको पूरा किया जाय, इस पर चर्चा के लिये) ।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

202. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले के संपूर्ण जंगलों को काट देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री ताराचन्द (रूपवास) :

203. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाणगंगा नदी पर आई हुई बाढ़ से बासूनी गांव में पानी भर जाने से हुई क्षति पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्षा के कारण भरतपुर से बयाना व रूपवास सड़कें टूट जाने व उन पर डामर की व्यवस्था कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवराजसिंह (बस्सी) :

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

205. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस्सी व बांदीकुई चुनाव क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य चालू करने व अधूरे अकाल राहत कार्य पूर्ण करने पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

206. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के सार्वजनिक एवं सरकारी धन के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन सम्पति की बढोतरी एवं उसके द्वारा मरुस्थल की रोकथाम पर चर्चा के लिये)।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

208. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब-तहसील टपूकड़ा में व सब-तहसील कोटकासिम में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

209. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों में राहत कार्य खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के विकास हेतु व्यवसायिक नीति अपनाने एवं ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भैरूलाल (शाहपुरा) :

211. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहपुरा क्षेत्र में भारी वर्षा से फसल नष्ट हो गई है, इस कारण अकाल राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दया जाय (शाहपुरा

Page No 35

(३५)

(श्री मेरूलाल)
क्षेत्र में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लये)।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) :

213. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दांतारामगढ़ क्षेत्र को अतिवृष्टि होने के कारण अकाल ग्रस्त घोषित करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) :

214. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में अतिवृष्टि से फसलों के खराब हो जाने से अकाल की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के रायपुर, सोजत, जैतारण में अतिवृष्टि से पड़े अकाल राहत कार्य खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के वनों में सुअरों के उत्पात को रोकने हेतु चर्चा के लिए)।

217. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के वनों में कट रही लकड़ी को रेन्जरों द्वारा चोरी से बेचने की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

218. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्षों के भीषण अकाल के कटु अनुभव होते हुए भी पश्चिमी जिलों को अकाल से बचाने की कोई पुख्ता योजना नहीं बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश में वनों के नीचे भूमि के अनुपात में बहुत ही कम जनसंख्या को आजीविका के साधन उपलब्ध हैं इस विषय पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की वन सम्बन्धी अस्पष्ट नीति से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

221. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुम्हेर क्षेत्र में से पानी निकालने तथा बाढ़ से बचाने के उपाय पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुम्हेर क्षेत्र में बाढ ग्रस्त क्षेत्र में पुल एवं सड़क बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

223. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में अतिवृष्टि का जो पानी राजामल के तालाब में एकत्रित हो जाता है उसे पक्का नाला बनाकर निकालने हेतु चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाहरगढ़ पहाड़ के अतिवृष्टि के जल निकास हेतु पहाड़ी तलहटी में एक बड़ा पक्का नाला बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों से हुई हानि पर प्रकाश डालने व उसकी जांच करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री कुंजीलाल (बामनवास):

226. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेरे क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पूर्णतः लगान माफ करने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (थानागाजी):

227. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील थानागाजी में अतिवृष्टि के कारण हुई कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में तथा चारा व अन्न प्राप्त कराने हेतु चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील थानागाजी में फोरेस्ट के कारण उत्पन्न दैनिक कठिनाइयों के निराकरण वास्ते चर्चा के लिये)।

श्री जिथिंग (कुशलगढ़):

229. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण अकाल ग्रस्त घोषित कराने व अकाल सहायता कार्य प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा):

230. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलवा बांध, उनियारा जिला टोंक की चादर चलने से कस्बे उनियारा के परकोटे का कोट गिर जाने से वहां पर आबादी को खतरा उत्पन्न हो गया है उसको अविलम्ब ठीक कराने बाबत चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा एक स्थाई हल निकाले जाने पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कोष में दान-दाताओं को आयकर से छूट दिलवाये जाने के लिए सरकार केन्द्र को सिफारिश करे ताकि दान प्राप्त होने में सुविधा हो सके उस पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से

(श्री दिग्विजयसिंह)
100 रुपया कम कर दया जाय (राज्य में अनावृष्टि और अतिवृष्टि के लिए एक अलग से निगम बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक में खरीफ की फसल अतिवृष्टि से जहां बोई गई थी वह नष्ट हो चुकी है और कहीं पर तो बोई भी नहीं गई है जिससे काश्तकारों को बड़ी हानि हुई है, इसलिये इस फसल के लिये राहत दिलवाने पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक में खरीफ की फसल पूर्णतया अतिवृष्टि से नष्ट हो चुकी है और अब फसल होने की आशा नहीं है इसलिए इस फसल का लगान माफ किये जाने की ओर सरकार द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वन-संपदा को धीरे धीरे नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वन-जीवन संरक्षण बोर्ड का पुनर्गठन करने पर चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन की रक्षा के लिये जो वनपाल लगे हुए हैं वह इतने कम हैं कि एक एक वनपाल को करीब 10 मील का क्षेत्र देखना पड़ता है जो उसके लिए क्षमता से बाहर है इसलिए वनपालों की संख्या बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में निजी फोरेस्ट स्कीम लागू किए जाने पर चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नगर के तालाब जिला टोंक में इस समय करीब 40 मगरमच्छ हैं और उन्हें बचाया नहीं गया तो यह नस्ल लुप्त होती जा रही है इसलिए इस तालाब को वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया जाकर इसे क्रोकोडायल सेन्चूरी बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सचिवालय में उप शासन सचिव पद पर एक वरिष्ठ वन-संरक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वन विभाग के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सही जानकारी रहे और कार्य में भी तेजी आ सकती है उस पर चर्चा के लिये)।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली) :

242. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता सम्बन्ध में गत सरकार द्वारा किए गए व्यय की जांच हेतु आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

243. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिक वर्षा के कारण गांवों के सम्पूर्ण फसल के नष्ट हो जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा जानवरों के चरने के लिये केवल 11 महीने की ही रसीद काटना तथा बलाज में पैसे लेकर (घूस खाकर) जानवर चरने देना, लकड़ी काटकर ले जाना आदि पर चर्चा के लिये)।

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा) :

245. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अतिवर्षा के कारण हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त निर्वाह हेतु अकाल सहायता कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों में वृक्षारोपण कर वृद्धि करने एवं वन विभाग की कृषि योग्य भूमि को राजस्व विभाग के सुपुर्द करने हेतु चर्चा के लिये)।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

247. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर निर्वाचन क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर क्षेत्र में गत महिनों में हुई भारी वर्षा से खेतों में भरे पानी को निकालने हेतु राहत कार्य खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर क्षेत्र के वनों की सीमाबन्धी कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आमेर क्षेत्र में स्थित जंगलों में मवेशियों की चराई रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

251. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अतिवर्षा से मारबल माइन्स में भरे हुए पानी को युद्ध स्तर पर निकलवाने तथा राहत कार्य चालू करने पर चर्चा के लिये)।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) :

252. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता की राशि से कच्ची सड़कों के साथ साथ स्थाई सड़क, पुल, बांध बनाने, वृक्षारोपण आदि कार्य कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) :

253. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता में बनी सड़कों को योजना में शामिल कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल शर्मा (डूंगरगढ़) :

254. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में राहत कार्यों में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात विभाग द्वारा वन विकास के लिये घेरी गई भूमि के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर):

256. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को वास्तविक सहायता नहीं देने व इस प्रयोजन हेतु आवण्टित राशि का दुरुपयोग कर अव्यवस्था फैलाने पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के हो रहे विनाश और वन सम्पदा के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) :

258. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्य जन सेवा हेतु प्रारम्भ नहीं करने अपितु राजनैतिक दुकान चलाने हेतु खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र किशनगंज शाहबाद को अकाल ग्रस्त घोषित कर राहत कार्य सड़क, बांध, एनीकट वर्क, मेढ़ बन्धी, हैन्ड पम्प, कुओं की गहराई करवाने बाबत, गोबर गैस प्लान्ट, स्कूल, हास्पिटल बिल्डिंग आदि कार्य प्रारम्भ करवाने बाबत चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फोरेस्ट की सम्पदा को अनियमित प्रयोग एवं जंगली लकड़ी की अन्धाधुन्ध कटाई पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन सम्पदा गोन्द, इमारती लकड़ी, चिरोंजी, शहद, जड़ी बूटी, कोयला, ईंट भट्टा, फल, घास आदि का जनहित के लिये उपयोग कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री संगारसिंह चौधरी (सारथी) :

262. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-अकाल सहायता के अन्तर्गत में से 100

(40)

(श्री श्रृंगार सिंह चौधरी)

रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के खारची पंचायत समिति में अतिवृष्टि से उत्पन्न अकाल की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा वनों की सीमा बन्दी नहीं करने से वन्य प्राणियों द्वारा कृषि भूमि पर नुकसान करने से कृषकों की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबड़ा) :

264. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में अकाल की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में फोरेस्ट की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :

266. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां के जलमग्न क्षेत्र में तत्काल और राहत सामग्री पहुंचाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :

267. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक—अकाल सहायता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात विभाग में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :

269. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की निरन्तर कटाई रोकने, वनों की दशा सुधारने एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) एवं श्री अजीतसिंह (टोंक) :

270. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तेंदू पत्ता नीलामी में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

271. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [दौसा (जयपुर) के पहाड़ के समीप स्थित वन सम्पदा के चारों ओर तार लगवाने के बारे में चर्चा के लिये]।

272. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में युद्धस्तर पर वनों का विकास करने के बारे में चर्चा के लिये)।

(श्री प्रजीतसिंह)

273. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा वनों की कटाई को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तेन्दू पत्ते के व्यापार में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) :

275. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तेन्दू पत्ता राष्ट्रीयकरण में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है, व्यापारियों से हजारों रुपया घूस ली गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) :

276. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ताल छापर, जिला चूरू के फोरेस्ट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

277. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा के ग्राम पीपलिया में आम, करमद के पेड़ों की कटाई व जंगलात विभाग की उपेक्षा की चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पि ावा तहसील में वनों की अन्धाधुन्ध कटाई व विनाश की चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

279. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [चौहटन तहसील (जिला बाड़मेर) में अच्छे और कीमती वृक्षों की सुरक्षा के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

280 मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के उचित विकास की आवश्यकता के साथ ही जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता एवं पशुओं की चराई की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

281. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर खण्डार के वन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर वन विभाग में जंगली जानवरों की अधिकता के कारण खेती को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

श्री गणेशलाल (हिण्डौली) :

283. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक-फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री गणेशलाल)
कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे तथा पशुओं की चराई से व्याप्त कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंज मण्डी):

284. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा किसानों पर अत्याचार करने तथा कोई सुविधा नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

285. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ताल छापर, जिला चूरू में वन भूमि पर अतिक्रमण करने तथा उसके दुरुपयोग को रोकने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर):

286. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक–फोरेस्ट के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33 व 9 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: अब कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज जो कटौती प्रस्ताव पेश हुए हैं और जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेंगे उनकी संख्या काफी है। 102 माननीय सदस्य हैं जो चर्चा में भाग लेने के इच्छुक हैं। यह लिस्ट मैंने देखी है। मुझे ऐसा अहसास होता है कि बहुत से माननीय सदस्य, जिनके क्षेत्र में फोरेस्ट है या नहीं है, भी बहुत चिन्तित हैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में। मैं सभी माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह चर्चा में भाग लें तो कृपया समय की परिधि को देखते हुए संक्षेप में ही और मिनिमम टाइम के अन्दर विचार प्रस्तुत करें।

माननीय सदस्य दोनों ही मांगों के संबंध में अपने विचार साथ ही रख देंगे, इससे समय की भी बचत हो जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव!

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले वन विभाग की मांग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वनों की दशा अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत दयनीय है। राजस्थान में 22 पृथक वन क्षेत्र होने चाहिएं लेकिन केवल 7 पृथक वन क्षेत्र पिछली सरकार की गलती के कारण से हैं। यह पेड़ वह हैं जिनकी ओर यदि कोई अंगुली भी उठाता था तो अपराध माना जाता था। उन पेड़ों को भी काट दिया गया। अब मैं अर्ज करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि गांवों के पास पेड़ लगाये जाने की सरकार योजना बनाये। पिछली बार भी राजस्थान की सरकार को 30 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार ने दिये थे। इस साल सबसे बड़ी खुशी की बात है और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसके प्रयास से 60 लाख रुपये भारत सरकार ने इस वर्ष गांवों के पास पेड़ लगाने के लिए दिये हैं। इस 60 लाख रुपये का उपयोग होगा।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

प्रति वर्ष केन्द्र सरकार ने 60 लाख रुपये देने का वायदा भी किया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस योजना से वनों की प्रगति होगी और राजस्थान एक हरा-भरा प्रदेश हो जायेगा।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि विलेज फोरेस्ट की एक योजना राज्य सरकार ने बनाई है। विलेज फोरेस्ट की योजना, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने ऐसी बनाई है कि जो गांव होगा उसके आसपास चरागाह होंगे, उसमें ही वन लगाये जायेंगे और ऐसे वन लगाये जायेंगे जिनसे या तो लकड़ी प्राप्त होती हो या चारा प्राप्त होता हो। उसमें 75 रुपये भारत सरकार और 25 रुपये राज्य सरकार अनुदान के आधार पर देगी। इस तरह से ऐसी योजना बनाई जायेगी कि पूरा का पूरा गांव एक विलेज फोरेस्ट योजना के अन्तर्गत हरा-भरा हो जायेगा। इससे गांव के लोगों को लकड़ी मिल जायेगी, चारा भी मिल जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र है।

तीसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि भारत सरकार ने एक योजना बनाई। उस योजना के अन्तर्गत एक जिले को लेकर हरा-भरा करेगी। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार सघन वृक्षारोपण के नाते जयपुर जिले को सबसे पहले ले। मेरा यह भी निवेदन है कि भारत सरकार ने 40 लाख रुपये की योजना बनाई है और 8 राज्यों में से राजस्थान को ही सर्व प्रथम चुना है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। 40 लाख रुपये की योजना से जयपुर जिला सबसे पहले हरा-भरा हो जायेगा। इस तरफ राज्य सरकार को और भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि जयपुर जिले के लोग आपको धन्यवाद दें।

पिछली सरकार ने वन नीति स्पष्ट नहीं की थी। आप सबसे पहले अपनी वन नीति स्पष्ट करें। कभी तेन्दू के पत्ते, कभी औषधियों के बारे में उसने अलग-अलग टुकड़ों में अपनी नीति घोषित की। वन आधारित उद्योग क्या होंगे, इस ओर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसलिये वन की स्पष्ट नीति क्या होगी, राज्य सरकार इसकी भी घोषणा करे।

इसके बाद मार्केटिंग, व्यापार और उत्पादन—इन सब को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भी राज्य सरकार ने आज तक किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। इस सब को चलाने के लिए राजस्थान में एक निगम की स्थापना हो जाय तो मैं समझता हूं कि सब प्रकार का काम सुव्यवस्थित रूप से चलेगा।

इसी प्रकार से चिड़ियाओं के संरक्षण के बारे में आज तक किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया कि उन्हें किस प्रकार से रखा जाय। जयपुर शहर में रामनिवास बाग में जीव-जन्तुओं का स्थान है। यह जयपुर के अन्दर राजा-महाराजा के वक्त में बना था। आज जीव-जन्तुओं को किस प्रकार से रखा जाय इसके लिए भी कोई सुव्यवस्था नहीं है। उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है। प्रजनन की भी व्यवस्था नही है। यहा पर स्थान की कमी के कारण झालाना के पास जू चला जायेगा, चिड़िया घर वहां चला जायेगा। राजस्थान में मैं समझता हूं कि यह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
समस्या कई जगह है। आपकी सेन्चुरीज बनी हुई हैं उनमें भी कुछ जीव-जन्तु ज्यादा हो गए हैं। कहीं सूअर ज्यादा हो गये हैं, कहीं पर नील गाय ज्यादा हो गयी हैं और कभी शेर ज्यादा होकर बाहर निकल गये। आपने उनके रखने की व्यवस्था नहीं की तो कुछ डर भी पैदा हो सकता है। इसलिए आप उनको भली प्रकार से रखें। इसके बारे में भी एक योजना बनाई जाय। मेरा निवेदन यह है कि जिन जीव-जन्तुओं को आपने पिंजरों में डाल रखा है उनको जो कष्ट होता है वह बता नहीं सकते। लेकिन मुझे जो जीव-जन्तुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है, वहां के अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जू के बारे में भी राजस्थान सरकार एक मास्टर प्लान निश्चित रूप से बनायें.......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह शेरों के बहुत ज्यादा होने की बात करते हैं लेकिन वह तो कम हो रहे हैं। शेरों से जो हमें फोरिन करेन्सी मिलती थी वह भी अब बन्द हो गयी।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो जयपुर के शेरों की बात कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको जानकारी इसलिये नहीं है क्योंकि नाहरी का नाका मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है। मुझे शेरों के बारे में माननीय उमरावसिंह जी से ज्यादा जानकारी है और मेरी जानकारी बिल्कुल सत्य है। वह चाहें तो राज्य सरकार के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर लें।

वनों की कटाई के बारे में एक निवेदन करूंगा कि वनों की अनधिकृत कटाई के बारे में मजिस्ट्रेट सजा देता है। मेरा सुझाव यह है कि वन अधिकारियों को ही मजिस्ट्रेट की पावर्स दे दी जायें। यदि इस प्रकार का प्रावधान कर दिया जाता है तो वनों की कटाई नहीं होगी और अनधिकृत कटाई में रुकावट आ जायगी। वरना मजिस्ट्रेट वाले चक्कर में कम जुर्माना होता है और लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। लोग वनों की कटाई कर रहे हैं।

इसके बाद वृक्षारोपण के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पिछले मंत्री वृक्षारोपण तो कर आये परन्तु उन पेड़ों की सम्भाल नहीं हुई। मुख्य मंत्री, श्री हरिदेव जोशी फलां तारीख को वृक्षारोपण कर आये, मदेरणा साहब फलां तारीख को वृक्षारोपण कर आये, लेकिन पेड़ों की सम्भाल नहीं हुई। आज देखें तो खाली जंगला है पेड़ गायब हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में एक योजना विभाग अलग से बना दे। जहां मर्जी आये वहां पेड़ लगा दिये, बंगलों में पेड़ लगा दिये, वहां वृक्षारोपण हो रहा है। इस संबध में.......

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने पेड़ तो लगाये थे, आपने कुछ भी नहीं किया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस संबंध में योजना बनाई जानी चाहिये।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग भूमि को आबादी में कन्वर्ट करने के लिये देता है। वह दे किन्तु वहां पर जो वन खड़े हुए हैं उनको काटने का एक तरीका बना दें। वन विभाग को पूछे बिना ही लोग हरे-भरे पेड़ों को काटकर इधर उधर कर देते हैं। लकड़ी का दुरुपयोग

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
होता है, इस ओर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नियुक्तियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि नियुक्तियां अनाप-शनाप होती हैं । इसके लिये कोई ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिये । कौन फोरेस्टर होगा, कौन रेन्जर होगा, यह ट्रेनिंग के आधार पर तय होना चाहिये । इसलिये एक ट्रेनिंग स्कूल राजस्थान में खोला जाये ।

नाहरगढ़ की दिशा में, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सड़क तो बन गई । वहां पर वन विभाग के पेड़ काटे न जायें, उनको सुरक्षित रखा जाये । वहां पर हिरण, खरगोश छोड़े जायें, कुछ चिड़ियायें छोड़ दी जायें । हिरण के लिये बराबर स्थान सुरक्षित रखा जाये । नाहरगढ़ से जयगढ़ तक जो सड़क है उसके दोनों तरफ वन्य जीवों को छोड़ दिया जाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह एक बहुत बड़ा दर्शनीय स्थान हो जायेगा ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा यह तो बात सारी मैंने वन विभाग के बारे में की । अब मैं अकाल के बारे में निवेदन करूं । अकाल और कांग्रेस, चोली और दामन का साथ था । जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, भगवान ने सोचा, कांग्रेस का राज गया ....

श्री मूलचन्द डागा : यह आब्जेक्शनेबल है, काबिले एतराज है, किसी पार्टी का पूरा नाम लेना । कांग्रेस और अकाल का चोली और दामन का सम्बन्ध है । जयपुर में यही भाषा है या और भी भाषा है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना है, कांग्रेस और अकाल....

श्री शिवचरण सिंह : अकाल नहीं पर इसके लिये कोई योजना का सुझाव भी दें दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सूखे में अकाल पड़ा नहीं.....

कई माननीय सदस्य : अकाल ही अकाल है ।

श्री मूलचन्द डागा : मजदूरों की हड़ताल, विद्यार्थियों के अन्दोलन, महंगाई बढ़ गई, जन-जीवन ठप्प हो गया....

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अतिवृष्टि के कारण, अधिक वर्षा पड़ने के कारण...

श्री नूरा : आपने जयपुर में पानी देखा है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संशोधन करता हूं, कुछ जगह अकाल पड़ा है...

एक माननीय सदस्य : अकाल केवल सूखे में ही नहीं पड़ता ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो इसके ऊपर विचार करना चाहिये । राजस्थान में अकाल पड़ता है इसका स्थायी समाधान हो, इसकी योजना बनायी जानी चाहिये । 30 करोड़ रुपया खर्च हो गया, सड़कें बन गईं, डाक बंगले बन गये, लेकिन कोई स्थायी योजना नहीं बनायी । राजस्थान में अकाल का मुकाबला करने के लिये एक फेमिन कोड बनाने की मांग है । अकाल के नाम पर काम शुरू हो गये, अकाल समाप्त हो गया तो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
काम अधूरे के अधूरे रह गये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो काम प्रारम्भ किये गये थे उनमें से जो अधूरे पड़े हुए हैं, उन अधूरे कार्यों को सबसे पहले पूर्ण करें, प्राथमिकता के आधार पर इनको पूर्ण करें यह मेरा आपसे निवेदन है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त करूंगा ।

तीसरा निवेदन, जैसा मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दिया, भरतपुर में बार-बार बाढ़ आती है, उसको स्थायी तरीके से बन्द करने के बारे में विचार करना चाहिये । आपने बताया हरियाणा सरकार कितना पानी छोड़ेगी, उत्तर प्रदेश कितना पानी लेगा । लेकिन बीच में कामां है, उस कामां में होकर पानी जाता है । कामां में पानी भर जाता है । इसलिये इस समस्या का कोई स्थायी हल निकाला जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन के संबंध में कहना चाहूंगी, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है जिसमें लगभग 11 पर्सेंट पर वन लगाये जाते हैं । इस क्षेत्र का 1/3 भाग 12 हजार वर्ग किलोमीटर वनों से आच्छादित है । वन काटते वक्त वनों की कटाई सही नहीं की जाती है । मेरा निवेदन है कि वनों के विकास के लिये वनों की कटाई सही की जानी चाहिये ताकि इन वनों से अच्छी मात्रा में लकड़ियां निकलें । कत्था और तेन्दू के पत्ते से काफी राजस्व की उपलब्धि होती है । जो ठेकेदार उसमें अनियमिततायें करते हैं उनको दूर करना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले दिनों इन सब में जो अनियमिततायें हुईं, बीस सूत्री और पांच सूत्री कार्यक्रमों के अन्दर लाखों रुपयों की योजनायें बनायी गईं उनमें अनाप-शनाप पैसा खर्च किया गया लेकिन उनसे कोई उपलब्धि नहीं हुई । मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने भाषण में बतायें कि उसमें से कितने पेड़ बचे और कितने सूख गये और कितनी राशि इन सब पर व्यय की गई थी ? मैं निवेदन करना चाहूंगी जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई का इस तरह से अपव्यय किया गया । हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 23 भ्रष्टाचारी अधिकारियों के निलम्बन के आदेश दिये लेकिन जो आई० ए० एस० आफिसर्स शामिल थे, जो मंत्री शामिल थे, जिन्होंने फाइलें दबाईं उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वनों को सुरक्षित रखने के लिये नीति बनाई जानी चाहिये, सतर्कता आयोग कायम किया जाना चाहिये । वनों की नाजायज कटाई न हो इसके लिये फ्लाइंग स्क्वैड होना चाहिये ताकि समय पर पहुंच कर वनों की सुरक्षा कर सकें ।

मंत्री महोदय बतायें कि जो बीज भण्डार थे उनको विश्राम गृहों में कैसे तब्दील कर दिया गया है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नियमों के तहत बीज भण्डारों को विश्राम गृहों में परिवर्तित किया गया ? यह भी बतायें कि खातीपुरा का बीज भण्डार था क्या पिछले दिनों उसको जेल बनाकर उसमें मीसा बन्दियों को रखा गया, हमारे मुख्य मंत्री आदि सब लोगों को वहां रखा गया ? यह किस तरह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
से हुआ ? इस प्रकार बीज भण्डारों का दुरुपयोग किया गया। इसी प्रकार बीज भण्डार न बना कर आलीशान मकान बनाये गये पिछली सरकार के द्वारा, मुझे मंत्री महोदय बतायें कि क्या उनका उपयोग होगा या फिर दुरुपयोग किया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दुरुपयोग को रोका जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी तरह मैं पूछना चाहूंगी कि हमारा जो अभयारण्य सिरस्का है उसका जो विश्राम गृह है उसको दूसरे विभाग को दे दिया। यह किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया है, यह बताने का कष्ट करें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी..........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस मंहगाई के जमाने में जो मजदूरी करते हैं और जो नर्सरी को सुरक्षित रखने के लिये मजदूर लगे हुये हैं उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। आज की मंहगाई को देखते हुये वे लोग अपना पेट भर सकें, इस अनुपात में उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करें।

श्री नवनीत कुमार : इधर से उधर बैठ गये, अभी तक जी नहीं भरा क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अकाल राहत के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगी चाहे अतिवृष्टि से अकाल पड़े, चाहे अनावृष्टि से अकाल आम नागरिक के लिये अच्छा नहीं होता। अब की बार जो अतिवृष्टि हुई और बाढ़ आई उससे कितना विनाश हुआ प्रदेश में हुआ और मेरे क्षेत्र का हुआ यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी। मैंने मंत्री महोदय से पूछा था..........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका जो निर्धारित समय है वह हो चुका है। आप संक्षेप में कहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अकाल राहत कार्य के बारे में बताना चाहूंगी जिस समय मेरे क्षेत्र से सहदेव जी चुने हुये थे, उस समय उन्होंने जितना कार्य करवाया वह सब अधूरा पड़ा है। अकाल राहत के नाम पर अनाप-शनाप खर्चा किया और कार्यों को अधूरा छोड़ दिया। जो भी पिछली सरकार में काम हुआ है वह पूरा नहीं हुआ है और न कोई काम स्थायी रूप से हुआ है। उसके सम्बन्ध में..........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निवेदन करना चाहूंगी, उन सारे कामों की जांच करवाई जाय तथा वह पैसा कहां गया, यह भी बताया जावे।

सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहती हूं नायला से रूपारेल तक ऐसी सड़क पड़ी हुई है कि साइकिल वाले तक उस पर नहीं चल सकते हैं। बजरी-रोड़ी सारी जगह फैली हुई है। नटाटा में जो मेटीरियल डाला गया था उसको लोगों ने कच्चे रास्तों में काम में ले लिया है। इस तरह की अनियमितताओं के लिये कौन जिम्मेदार थे ? इसकी जिम्मेदारी मंत्रियों के ऊपर है। जो पिछले 10 वर्षों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
में फेमिन में पैसा दिया उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, मैं समझती हूं इसका लेखा-जोखा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इन बदली हुई परिस्थितियों में जो फेमिन कोड है, जो पुराना पड़ गया है उसको बदला जाना चाहिये, और उत्पादक काम होने चाहियें ताकि अकाल राहत कार्य वास्तव में राहत के कार्य हो सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराज जायं। दूसरे माननीय सदस्यों को भी इस पर बोलना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो अतिवृष्टि से आपदायें आती हैं उनसे मुक्ति पाई जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम करण सिंह।

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, अबके प्रकृति ने इस तरह का प्रकोप किया जिससे हमारे राज्य में ही नहीं सारे देश में अकाल की विषम स्थिति बन गई। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में काफी अवगत करा चुका हूं। इस समय फसल के समय पानी गांवों में भरा हुआ है विशेषकर हमारे नांगल पंडितपुरा में पानी इतना भरा हुआ है कि अगली फसल होना कतई सम्भव नहीं है, इस कारण न लोगों का जीवन निर्वाह हो सकता है, न पशु वहां रह सकते हैं और न कोई प्राणी मात्र वहां अपना गुजर-बसर कर सकता है। लेकिन आपका विभाग बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है। मैंने हर विभाग के हर व्यक्ति को व्यक्तिगत अप्रोच किया है, कलेक्टर के पास भी गया हूं। वे जाते हैं और जाकर देखकर आ जाते हैं जैसे उन्हें कोई डर लगता हो कि उन्हें वहां कोई पकड़ लेगा। न तो वे हां कहते हैं, और न ना कहते हैं। वहां चौबीसों घंटे पानी में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, इसका आप अन्दाज लगा सकते हैं। सारा का सारा एरिया पानी में डूबा हुआ है। उस पानी को निकालने में विभाग इतना फेल हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी प्रकार की कोई सुविधा देन की कोई योजना नहीं बना पाया। एक गांव से पानी निकालने की यह विभाग क्षमता नहीं रखता है तो पूरे प्रान्त के लिये क्या कर सकता है? यह विभाग बिल्कुल नाकामयाब हुआ है। एक गांव का पानी नहीं निकाल सकता तो और क्या कर सकता है। कोटपूतली के कम से कम 30–40 गांव हैं, वे इतने ज्यादा पानी से घिरे हुए हैं कि कोई आदमी आ जा नहीं सकता, पशुओं के लिये कोई स्थान नहीं बचा है। किसी के लिये कोई स्थान नहीं बचा है। किसी बीमार को ला नहीं सकते, किसी बीमार के लिये डाक्टर पहुंच नहीं सकता, मलेरिया विभाग के आदमी भी आ जा नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपका यह विभाग बिल्कुल सुषुप्त है और निकम्मा सिद्ध हुआ है। मैं चाहूंगा इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा को दूर करने में विभाग नाकामयाब हुआ है, बुरी तरह फेल हुआ है इसलिये सतर्कता के हिसाब से उसको सतर्क करके चलना चाहिये।

(श्री रामकरण सिंह)

माननीय मंत्री महोदय हुक्म दे देते हैं, यह बात सही है इनीसिएटिव लेते हैं लेकिन नीचे के अधिकारी कुछ नहीं करते हैं। इनके कारण माननीय मंत्री महोदय को इस तरह की बात सुननी पड़ती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा आप कोई न कोई समाधान निकालिये। जो गांवों के रहने वाले हैं वे किसी तरह की आपदा से घिरे हैं, तो उस आपदा को तत्काल दूर किया जाना चाहिये।

इसके अलावा वन के बारे में भी मैं अर्ज करूं। वन विभाग के ऊपर के अधिकारी हो सकता है, यह चाहते हों कि वन हरे-भरे रहें। लेकिन जो फोरेस्ट गार्ड हैं या रेंजर हैं उनकी करतूत ऐसी है कि एक हजार रुपये के पीछे सारी वन सम्पदा को तहस-नहस कर देते हैं। इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारी इस विभाग में रहते हैं जो वनों में गरीब लोग हैं जो सूखी मारोती लाते हैं बेचने के लिए जो पसीने से तर-बतर होते हैं उनको धूप में खड़ा कर देते हैं और नाजायज तरीके से जब तक 2, 4, 5 रुपये नहीं ले लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है? भिखारी से भी ज्यादा परेशान जो बेचारे आदमी और अबलायें होती हैं वे पसीने से तर-बतर होकर दिन भर कड़कड़ाती धूप में लकड़ियां चुन-चुन कर लाती हैं और अपने सिर पर ढो कर लाती हैं। जिनकी हालत अत्यन्त दयनीय होती है। उनसे दो, चार, पांच रुपये ले लेते हैं तब कहीं उनको जाने देते हैं। यह कितने दुःख और अफसोस की बात है लेकिन आपके ऊपर के अधिकारी कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं चाहूंगा जितने माननीय सदस्य हैं वे अपने-अपने क्षेत्र में सजगता लायें। यह मजदूरों की सबसे बड़ी तकलीफ है। वे मजदूरी के रूप में काम करते हैं, सुबह से शाम तक पहाड़ों से लकड़ियाँ चुन-चुन कर लाते हैं और बाहर निकल कर जब आते हैं तो उनसे दो, चार, पांच रुपया ले लेते हैं। अब बताइये, उनकी क्या हालत होगी? इसके अलावा मैं दो सुझाव और आपको देना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि आपका हाथ घण्टी की तरफ जा रहा है, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

सरकार वन लगा रही है, लेकिन सरकार इसमें अकेली कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार को चाहिये कि वनों का विकास करे। प्राइवेट सैक्टर द्वारा वनों का विकास करें। लोगों को उत्साहित करें कि जिनके पास जमीनों की बहुतायत है, वह अपने घोरों पर जमीन छोड़ कर पेड़ लगायें। प्राइवेट सैक्टर में भी जमीन पर वन लगाने के लिए लोगों को उत्साहित करें। किसी न किसी प्रकार से उनको वन लगाने के लिए उत्साहित करना चाहिए ताकि अच्छे ढंग से वन लगाने में वे भी सहयोग करें। वन लगाने से जब वर्षा होती है तब हमारी भूमि का कटाव रुकता है, क्लाइमेट पर भी वन का असर पड़ता है। वन ही ऐसी चीज है जिससे अच्छी हवा मिलती है, तरोताजा हवा मिलती है, वर्षा होती है। वनों के कारण अच्छी वर्षा होती है, और इसके साथ-साथ जमीन का बचाव होता है। पैदावार की दृष्टि से भी वन आवश्यक है। वन जमीन को उर्वरक और उपजाऊ बनाते हैं इस कारण वनों के महत्व को समझाकर, प्राइवेट सैक्टर को भी मेरी राय में उत्साहित करके लोगों को वन के कार्य में

(श्री रामकरणसिंह)
लगाना चाहिए। इस प्रकार के प्राइवेट वनों से जमीन का जो कटाव होता है उसको रोकने में भी सहायता मिलेगी.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय आपका नाजायज नहीं लूंगा। मैं बराबर समय में ही बोल रहा हूं। एक मिनट में समाप्त करता हूं।

यह जो भूमि का कटाव रोकने का काम है, आप बांसीकुई के पास जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार का काम होता है। भूमि का कटाव रोकने के नाम पर पैसा ले लिया मंजूर करवा कर लेकिन उस पैसे का न मालूम क्या होता है। सबसे बड़ा जो काम है जमीन को रोकने का वह कटाव का काम है। जमीन के कटाव की वजह से काफी जमीन, वन और जंगल कप आफ हो गए हैं, इसको रोकने के लिए इतना पैसा दिया, इतना बीज मंगाया लेकिन वह लगाया नहीं और कह दिया कि बीज मर गया, उगा नहीं। इस तरह से सारे पैसे का दुरुपयोग होता है। इसकी जांच का कोई मापदण्ड नहीं हो सकता, कोई आधार नहीं हो सकता, कोई छानबीन नहीं कर सकते। इससे तो वही कहावत चरितार्थ होती है अंधेर नगरी और चौपट राजा। जो चाहे जैसे खाए और मस्त रहे, किसी तरह की छानबीन नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि इस काम के लिए नैतिक, ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी वहां पर लगाये जायें। आज जो काम कर रहे हैं उनकी किसी प्रकार की छानबीन की जायेगी तो वन में और जंगल में आप भटक जायेंगे और आप किसी प्रकार की जांच नहीं कर पायेंगे। इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जो अधिकारी और कर्मचारी काम करने वाले हों उनको वहां पर इस काम में लगाया जाय..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो हमारा कार्य सफल हो सकता है, वरना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अकाल राहत और वन विभाग के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखे हैं। पहले मैं अकाल सहायता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा।

मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बाड़मेर जिले के अधिकांश गांवों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। पीने के पानी का संकट भी काफी घरों में इसके कारण पैदा हो गया है। इस वर्ष आखिरी वर्षा नहीं होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और डिटेल्ड रिपोर्ट मंगवा करके जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं, अकाल से प्रभावित क्षेत्र हैं उनको राहत पहुंचायें।

इस सम्बन्ध में पहला मेरा सुझाव यह है कि जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण जलप्रदाय योजना चलती है और जो ट्यूब-वैल फंक्शन कर रहे हैं उन ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं का जो पानी है वह गांवों में कभी हफ्ते में एक दफा मिलता है और कहीं-कहीं तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। इसलिए इस विभाग के कर्मचारियों को सक्रिय करके इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि गांवों में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
रेगुलरली हमेशा पानी पहुंचे । पानी का सबसे पहले प्रबन्ध किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ गांव हैं जिनमें टैंक्स के द्वारा हर साल पानी पहुंचाया जाता है । रेल्वे स्टेशन्स पर भी रेलों से पानी पहुंचाया जाता है । इस सम्बन्ध में भी जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त करके रेल्वे का सहयोग लेना चाहिए और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए ।

अब राजस्व वसूली का कार्य भी शुरू हो जाएगा । इसलिये यह आदेश दिये जाने चाहिए कि राजस्व की वसूली नहीं की जावे। जो गांव अकाल ग्रस्त की श्रेणी में आते हैं सस्पेंशन आफ प्रोसीडिंग्स एक्ट को लागू करके जल्दी से जल्दी किसानों को राहत पहुंचायी जानी चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां बराबर यह कहा जाता है कि अकाल राहत कार्यों में गड़बड़ी हुई, घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ । यह बात सही है । मैंने भी इस सम्बन्ध में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी प्रश्न उठाया था । कुछ राहत कार्यों की जांच हुई थी, चालान भी पेश हुए। अभी भी जो मुख्य मंत्री ने कदम उठाया है वह सराहनीय हैं । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को आप दो रुपया मजदूरी देते हैं और उनसे आप यह आशा करते हैं कि वे ठोस कार्य करेंगे । दो रुपये रोज में वे ठोस कार्य करेंगे यह उनसे आशा नहीं की जा सकती है । महिला को आप डेढ़ रुपया और पुरुषों को दो रुपया मजदूरी देते हैं, यह मजदूरी बिल्कुल अपर्याप्त है और आज की मंहगाई को देखते हुए तो यह मजदूरी बहुत ही अपर्याप्त है इसलिए फेमिन कोड में यदि अमेंडमेंट करना आवश्यक हो तो अमेंडमेंट करें । अभी मजदूरी के दो रुपये देकर अकाल राहत कार्यों में जो हम ठोस कार्य कराना चाहते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव कार्य कराना चाहते हैं वह कराना चाहिए, यह भी आवश्यक है, हम यह नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्य करें जिनके द्वारा कोई असेट्स नहीं बनें, जो वास्तव में ठोस कार्य न हों । वास्तव में ठोस कार्य ही कराने चाहिए लेकिन साथ ही आपको मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ानी पड़ेगी । इस सम्बन्ध में भी मंत्रिमण्डल को अभी से सोच लेना चाहिए ? मेरा निवेदन है कि मिनिमम वेजेज में मजदूरी पांच रुपया होती है, अगर आप पांच रुपया मजदूरी कर सकते हों तो ठीक है । यह मजदूरी देकर ठोस कार्य करावें । लेकिन अगर आप पांच रुपया मजदूरी नहीं कर सकते तो कम से कम चार रुपया रोज मजदूरी देनी चाहिए । इसके साथ ही पुरुष और महिला में अन्तर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे भी स्थिति अच्छी पैदा नहीं होती । तो इस सम्बन्ध में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा अकाल के स्थायी हल के बारे में जागरूकता से सोचा नहीं गया है । सोचा गया जरूर, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी सोचा है । डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड और डी.पी.ए.पी. के कार्यक्रम विभिन्न जिलों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में हुए हैं लेकिन उनकी गति तेज नहीं है । वहां पर जो राशि खर्च हो रही है वह ढंग से खर्च नहीं हो रही है । जो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान आ रहा है उस में डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड के अन्तर्गत अधिक से अधिक राशि का प्रोविजन किया जाना चाहिए । मैं देखता हूं कि जो डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड है, जो डी.पी.ए.पी. की योजना

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
सामने आई है, ट्राइबल प्लान के अन्तर्गत फण्ड का प्रोविजन है वह हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं रखते हैं। तो यह स्थिति भी अच्छी नहीं है। जैसे लघु सिंचाई योजना के बारे में डी.पी.ए.पी. के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधान है परन्तु लघु सिंचाई योजना हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्लान के अन्तर्गत नहीं है। इसका सही हल ढूंढना चाहते हैं तो अधिक खर्चा करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ड्रिंकिंग वाटर प्राब्लम है, एनीमल हस्बेंड्री है, ट्यूब-वैल को बढ़ाने का कार्यक्रम है, राजस्थान कैनाल को इन क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी लाने का कार्यक्रम है, नर्मदा का प्रश्न है, इन सब प्राब्लम को हल करने के लिए ये सब काम सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में लेने होंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो अकाल राहत कार्यों पर लोग लगाये गये थे उनकी मजदूरी बकाया है। 1974-75 की मजदूरी लोगों की बकाया है और उनकी वसूली के लिए बराबर हमको परेशान करते हैं। इसलिए विकास अधिकारी या जिसे भी आप उचित समझें, उनको आप इंस्ट्रक्शन दे दें कि जो पुरानी बकाया है और जिनकी बकाया है, उनको अदा कर दी जाय।

अब मैं फोरेस्ट के बारे में दो मिनट बोलूगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास भी समय का अकाल है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के भयंकर प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना पड़ा।

फोरेस्ट के बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ चरागाहों को, पहाड़ी क्षेत्रों को फोरेस्ट एरिया में लाया गया है। मेरा यह कहना है कि चरागाह विकास के लिये लिए गए है, जब कि वहां पर चरागाह बहुत कम है। मेरा यह निवेदन है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट के इन चरागाहों से कोई लाभ नहीं हो रहा है। मेरा यह अनुभव मेरे क्षेत्र का है। इन चरागाहों का विकास कतई नहीं हो रहा है फोरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और किसान भी इन चरागाहों के विकास से वंचित हो रहे हैं। अगर उनके कोई मवेशी चले जाते हैं, जैसे ऊंट, गाय तो ज्यादा पैनल्टी लगाई जाती है। इसलिए इन चरागाहों को फोरेस्ट एरिया से निकाल दिया जाना चाहिए। फारेस्ट एरिया के जो क्षेत्र हैं, उनमें रोटेशनल ग्रेजिंग का कार्य किया जाना चाहिए। फेमिन कन्डीशन में रोटेशनल ग्रेजिंग करवाया जाए और जो चार्जेज हैं, वह कम लिए जाएं।

हमारे यहां पर जलाऊ लकड़ी का बहुत अभाव है। 35/-, 30/- रुपये क्विन्टल लकड़ी का भाव है। हमारे क्षेत्र में वन नहीं हैं। वैसे ही दरख्तों की कमी है। अगर लकड़ी काटी जाएगी तो रेगिस्तान बन जाएगा। मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों में सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे, जैसे 42 प्लेसेज में सरकार की ओर से व्यवस्था की जाती है। सरकार द्वारा बाहर से लकड़ी मंगाकर, यहां पर लकड़ी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जो हमारी वन सम्पदा है उसको लोग नहीं काटें। हमारे यहां पर वन जरूरी है वरना डेजर्ट आगे बढ़ेगा और राजस्थान को नुकसान पहुंचाएगा। आज रेगिस्तान यू. पी. की ओर बढ़ रहा है।

(53)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आशा है, मंत्री महोदय जलाऊ लकड़ी हमारे क्षेत्र में भिजवाए जाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अतिवृष्टि और बाढ़ से हमारे जिले में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है। मंत्री जी ने जो आंकड़े मंगाये, उनसे भी मालूम होगा कि बहुत से खेत नष्ट हो गये हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ फसल थी, खरीफ की फसल तो कीड़ा लग जाने की वजह से, रोग लग जाने की वजह से नष्ट हो गई है। आज वहां पर रबी की फसल के लिए सीमेन्ट उपलब्ध नहीं है। इस बारे में राज्य सरकार भी व्यवस्था करने में असमर्थ रहेगी, यह मेरा विश्वास है क्योंकि एक महीने से मैं इस बारे में प्रयत्न कर रहा हूं फिर भी सीमेन्ट उपलब्ध नहीं हो रही है। इसकी उपलब्धि में क्या कठिनाई है, यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। सीमेन्ट उपलब्ध करा दें। क्योंकि सीमेन्ट कंकरी से कुएं बनते हैं। यह व्यवस्था नहीं की गई तो जो रबी की फसल है, उसमें कमी होने के आसार हैं। यह सरकार किस तरह से बीज और फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएगी, इसके बारे में भी मंत्री महोदय कहेंगे तब मालूम होगा।

फेमिन वर्क्स के रूप में जो सोइल कन्जरवेशन का कार्य है, फोरेस्ट वर्क है, अधूरी सड़कों का काम है, जो यूटिलिटी वर्क है, उनके बारे में जो रिपोर्ट आई है उसके पहले ही आप तकनीकी विभाग को आगाह कर दें कि वह इस वर्क का तखमीना बना कर तैयार रखें ताकि ये वर्क जल्दी शुरू हो सकें वरना दूसरे वर्क करना संभव नहीं होगा, वर्क स्टार्ट नहीं किए जा सकेंगे। ऐसी हालत में मजदूर पेशा जो लोग हैं, वे गुजरात, अहमदाबाद चले जाएंगे। काफी लोग अभी से चले गए हैं क्योंकि वहां पर कोई मजदूरी उपलब्ध नहीं है और अनाज भी नहीं है। बहुत से लोग माइग्रेट हो चुके हैं। तो मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि इस बारे में कुछ कदम उठावें। जो रिकवरी है, उसको स्थगित करें। चार, पांच साल की बेरहमी से वसूली की जा रही है। विधान सभा जब शुरू हुई थी तो रिकवरी को स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। उसके पांच दिन बाद ही फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से यह सर्क्यूलर, आदेश चला गया कि रिकवरी सख्ती से की जाए। यह क्या तमाशा है। एक आॅर्डर गया उसके बाद ही दूसरा आॅर्डर चला गया। फसलें नहीं हुई तो रिकवरी कैसे कर रहे हैं। जो स्थिति है, उसको आप और भी खराब कर रहे हैं। लोग दूसरे इलाके में जा रहे हैं। लोगों की परिस्थिति खराब है। 150/-, 100/- रुपये जो आपने दिए थे, वे खत्म हो गए हैं। जो रुपया आपने दिया है, वह खर्च हो गया है। उनको मजदूरी की तलाश में जाना पड़ेगा। मैं अकाल राहत मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे इस बारे में सक्रिय कदम उठावें। जो माइनर इरिगेशन वर्क हैं, फोरेस्ट वर्क हैं, उनको शुरू करावें।

इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूंगा, रण खार का एक बड़ा एरिया है। रण खार को डवलप कराना फोरेस्ट का काम है। वहां पर ग्रास का प्रोग्राम शुरू किया जाए। पहले कुछ वर्क लिया गया था। जिससे वह एरिया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सुधरा है। अगर यह काम हाथ में लिया गया तो वह एरिया और सुधर जाएगा और वहां के मवेशी को भी ग्रास उपलब्ध हो जाएगी। फोरेस्ट के एन्कलोजर के बाद, तारबन्दी के बावजूद वहां पर ग्रास उपलब्ध नहीं है। फेमिन होता है तो फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ग्रास उपलब्ध नहीं कराता है। इतना लम्बा-चौड़ा एरिया फोरेस्ट विभाग ने रिजर्व कर रखा है फिर भी ग्रास नहीं है। फिर क्यों एरिया रिजर्व रखते हैं ? रिजर्व एरिया रखने के बावजूद आप ऐसे संकट के समय लोगों को राहत नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर जिस एरिया पर मवेशी चरते इससे उनको क्यों महरूम करते हैं ? क्यों ग्रास का स्टॉक नहीं रखते हैं ? ग्रास का स्टॉक करना चाहिए। जो इतने लम्बे-चौड़े, एन्कलोजर हैं, उनको बारी-बारी से खोलना चाहिए। एक एन्क्लोजर को खोलें और दो को बंद रखें। कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। नियमानुसार कार्य नहीं होता है इसकी वजह से भ्रष्टाचार होता है। चाहे कोई पैसा देकर अन्दर चला जाता है, आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। एक योजनाबद्ध विकास के रूप में आपका काम होना चाहिए। ताकि संकट के समय लोगों को राहत मिल सके।

दूसरे वहां पर अतिवृष्टि और फ्लड के कारण मलेरिया इतना फैला है कि काश्तकार की पूरी की पूरी फेमिली बुखार से पीड़ित है। ऐसी हालत में रबी की फसल पर, कुए से खेती वह कैसे कर पाएगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के आदेश गये, डॉक्टर जायें, दवा बांटें, मल्टी विटामिन की गोलियां बांटी जाएं परन्तु कुछ भी कार्य नहीं हुआ। आप इसकी इन्क्वायरी करावें। कुछ भी कार्य नहीं किया गया। इस संकट के समय में भी राज्य सरकार के आदेश का असर कम हो रहा है क्योंकि आफिसर बिल्कुल आजाद हो गये हैं, लोग भय रहित हो गये हैं। आज कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। ऐसी हालत में मंत्रीजी को, केबिनेट को मिल कर इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि गरीबों को राहत देने के लिए आफिसर कार्य करें। आज कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप लोगों को परेशानी से बचावें वरना आपकी सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आप कोई सक्रिय कदम उठावें और लोगों को राहत दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमन्, धरती का सौन्दर्य वृक्षों पर निर्भर है। हरा-भरा पेड़ और हरी-भरी पहाड़ी हो और वह भी राजस्थान में ? यह हो भी नहीं सकता क्योंकि जो कानून लेकर आप बैठे हैं, वह कानून 1953 का है और यह है 1977, आप 1953 के कानून से 1977 में काम चला रहे हैं। मंत्री जी आप बहुत बड़े विद्वान हैं। कृषि आयोग ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है। उसके चेयरमेन हमारे नाथूरामजी मिर्धा थे। उन्होंने अपनी 200 पृष्ठों की रिपोर्ट में फोरेस्ट का बड़ा सुन्दर विवेचन किया है। आप सब इसको पढ़ेंगे तो मालूम होगा। आप भी इसको शीघ्र ही पढ़िये। यह कानून 1953 में बनाया है और यह कौनसा वर्ष है 1977। आप देखिये, इसमें

(श्री मूलचन्द डागा)

क्या लिखा है, पुरुषोत्तमजी मंत्री इसकी आलोचना करेंगे। इसमें सजा क्या लिखी है shall be punishable for imprisonment for a term which may extend to six months.

एक हरा-भरा पेड़, सुन्दर पेड़ खड़ा है उसको कोई काट दे तो वह जुर्म करता है, पेड़ की हत्या करता है। प्रकृति के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है वह हमारी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करता है। यह कानून सरकार लेकर बैठी है। जनता पार्टी की सरकार आई है, नयी सरकार आयी है लेकिन यह पुरानी पद्धति पर ही चल रहे हैं। अफसोस है। अगर क्रान्तिकारी कदम उठाने हैं तो उठा लो जल्दी से। जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम रहेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आपस में लड़ेंगे। लड़ो। लेकिन काम करके बताओ। जनता पार्टी की हालत देख कर मैं कह रहा हूं, इस एक्ट को लेकर हमारे वन मन्त्रीजी आयें नहीं तो जनता पार्टी में जो उभार आया है, जो जोश आया है, वह ठंडा हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : अरे बाप रे।

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो आप ही जानते हैं कि यह गलत बनाया है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कभी मिनाय से आगे तो जाना ही नहीं सीखा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कम से कम सदन के समय का ध्यान रखें।

श्री मूलचन्द डागा : आपने सैक्शन 28 में लिखा है कि हम विलेज और फोरेस्ट का डवलपमेण्ट करेंगे। तो विलेज और फोरेस्ट का यह कानून लागू होगा। विलेज पर वही कानून लागू होगा जो फोरेस्ट पर लागू होगा। आप यह तो सोचिए, जब से यह कानून बना है तब से कितनी जमीन एलाट की गई है। कितना कुछ हो गया है। आप जंगल की जमीन दे रहे हैं। जंगल की जमीन मेहरबानी करके थोड़ी निकालें वरना जंगल की जमीन एक इंच नहीं बचेगी। जंगल की जमीन 33 प्र. श. होनी चाहिए वह 10 प्र. श. भी नहीं है। क्या हम गर्दन ऊंची करके चलेंगे जब सभी अखबारों में यह आएगा कि राजस्थान में 10 प्र. श. भी जमीन नहीं है। राजस्व मंत्री जी बैठे हैं। पुराना कोड और नया चेहरा। यह कोड है या कोढ़ है? आप क्या राहत देंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार गरीब जनता को मोहताज बनायेगी।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं उनकी भावना का सहर्ष स्वागत करूंगा लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि यह कोड कब से पुराना हो गया है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस कोड के पीछे ही रामप्रसाद लड्ढा, जो कि मिनिस्टर थे, करोड़पति हुए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, यह शब्द हटाये जायें। जो सदन में मौजूद नहीं हैं उनके लिये कहा गया है कि रामप्रसाद लड्ढा इस कोड के कारण करोड़पति हुए हैं।

श्री उमरावसिंह डाबरिया : छापा मारा जाये तो सब निकलेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : यह नियमों की अवहेलना कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात निवेदन करूंगा । यह फेमिन कोड है । 5-7 साल के बाद अकाल पड़ गया तो रेवेन्यू की वसूली माफ करने के लिये क्या किया गया ? रेवेन्यू एक्ट में संशोधन किया जाय । कोई काश्तकार रेवेन्यू देने की हालत में नहीं है, तो मेहरबानी करके माफ किया जाये ।

एक माननीय सदस्य : आपने 30 साल तक क्या किया है ?

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या 30 साल की बात कहते हैं । सीधी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में फेमिन कोड को और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को पेश करना पड़ेगा ।

मैंने जो सुझाव दिया था कि अकाल राहत में रास्ता बनाते हैं और फेमिन के नाम पर काम शुरू कराते हैं लेकिन जिस काश्तकार को मेढबन्दी के लिये पैसा देते हैं उसकी वसूली वर्षों के बाद आप करते हैं, उससे काश्तकार दब जाता है । मैंने यह बार-बार कहा है कि 5-7 साल के बाद वसूली होती है उसका सैकड़ों रुपया, हजारों रुपया ब्याज का हो जाता है इस सम्बन्ध में आप आवश्यक कार्यवाही करें ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । जंगल के मामले में पाली की मानपुरा की एक छोटी सी पहाड़ी है । उसके बिल्कुल किनारे पर मानपुरा गांव लगा हुआ है । अपनी जगह से सभी को बड़ा प्रेम होता है । अपनी जमीन से और घर से भी सभी को प्यार होता है । तो श्रीमान, उस पहाड़ के किनारे गांव है । उस गांव के मवेशी पहाड़ पर चरते जाते थे । चरने का कोई दूसरा स्थान नहीं है । उधर पहाड़ और उधर गांव । अब जानवर की तो जिन्दगी का सवाल है । वह पहाड़ पर चरने के लिए चला जाता है.....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किन्तु आप पहाड़ को हरा-भरा बनाना चाहते हैं । आप हरा-भरा बनायें, इसका तो स्वागत है । लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा हिस्सा जंगल में ले लिया जाये और कुछ हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ दें । सारा पहाड़ हरा-भरा नहीं हो सकता है । इससे सारे गांव वाले तकलीफ पाते हैं । यह दरख्वास्त गांव वालों की ओर से है । आपने क्या किया है ? आपने जो चराई की दरें रखी हैं, वह किस प्रकार की हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह तो आपने रखी हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : हां, मैंने रखी हैं ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि फोरेस्ट के मामले में अन्याय नहीं होना चाहिए । अकाल के मामले में फेमिन कोड मेरे ख्याल में अगले सैशन में नये रूप में पेश करना चाहिए ताकि सभी माननीय सदस्य उस पर अपने सुझाव दे सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सेपऊ सब-तहसील के बारे में दिया है। मैं उसकी ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूं इससे पूर्व माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आपने बहुत जोर-शोर से एलान किया कि राजस्थान के अन्दर एक स्टडी टीम आयेगी, फ्लड का जायजा लेने के लिये, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि स्टडी टीम लाने में आपकी सरकार बिल्कुल असफल रही है। आप पूरी तरह से फेल हुए हैं इस मामले में, न तो यहां स्टडी टीम आई और न बाढ़ का जायजा लिया और न भारत सरकार से कोई सहायता ही आपको मिलने वाली है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। श्रीमन्, इनके पास...

श्री सम्पतराम (अकाल राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह ऐसा मामला है जिस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री सम्पतराम : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, हर जिले में, हर जगह उसका एक मेमोरेन्डम बनाकर भारत सरकार के पास भेज दिया है स्टडी टीम के लिए भी हम भारत सरकार को परस्यू कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टडी टीम हमारे यहां आये और सारी स्थिति को देखकर रिपोर्ट करे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नुकसान तो होना ही था, जहां-जहां पैर पड़े सन्तन के...

श्री रतनलाल वर्मा : हम तो ठोस काम करने वाले हैं, हम बंटाधार करने वाले नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, यह समय मेरे समय में मत जोड़िये।

माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि स्टडी टीम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वह टीम यहां नहीं आई, इसलिए मैं इसको इस सरकार की असफलता मानता हूं। राजस्थान की जनता जानती है कि वे इसमें सफल हुए हैं या असफल!

श्रीमन, दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर इस बात की घोषणा की गई थी कि जिन लोगों के, जिन काश्तकारों के बाढ़ के कारण और अतिवृष्टि के कारण मकान नष्ट हो गये हैं, उनको तीन सौ रुपये सहायता के रूप में दिये जायेंगे, लेकिन माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी घोषणा, घोषणा मात्र ही रह गई है? क्या आपने उस पर कोई अमल किया? मैं ऐसे मामले भी जानता हूं जहां पर लोगों को सिर्फ पच्चीस रुपये और पचास रुपये ही दिये गये हैं। मैं भरतपुर के अन्दर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गया था, वहां पर विशेषाधिकारी, वहाँ के राजस्व अधिकारी और कलेक्टर से मेरी बात हुई। उनके पास इस मामले में कोई इन्स्ट्रक्शन्स नहीं पहुंचे हैं कि जिनके मकान नष्ट हुए हैं उनको तीन सौ रुपये दिये जायं या नहीं दिये जायं। वे इस मामले में क्लियर नहीं हैं और आपकी सरकार इन्स्ट्रक्शन इश्यू करने में भी असफल रही है।

श्रीमन्, सेपऊ सब-तहसील के सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था और उसका उत्तर मुझे लिखित रूप में प्राप्त हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि सेपऊ सब-तहसील में दो हजार मकान नष्ट हुए थे। आपने रुपया कितना बांटा? केवल 35 हजार।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

मैं कहना चाहता हूं कि दो हजार नहीं इससे भी ज्यादा मकान नष्ट हुए। आपके अधिकारियों ने पूरी तरह इस सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन दो हजार तो आप स्वीकार कर चुके हैं और उनको रुपया बांटते हैं 35 हजार। दो हजार को तीन सौ से गुणा करें तो 6 लाख रुपया बनता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी इस तरफ तवज्जोह जानी चाहिए। इसके साथ-साथ जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, उनको एक पैसे की भी सहायता नहीं दी गई। क्या यह अनुचित नहीं है? राजस्थान मे कई जगह बाढ़ से फसल का नुकसान हुआ है। पिछले साल भी सेपऊ सब-तहसील में बाढ़ आई थी और पिछली सरकार ने साढ़े चार-पांच लाख रुपया उस तहसील में बांटा था। आप उससे कम बांटते। लेकिन इस साल दो दफा बाढ़ आयी, आपकी तरफ से घोषणा भी की गई कि तीन सौ रुपया देंगे लेकिन कोई सहायता नहीं दी गई। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले साल बाढ़ आयी थी और इस साल भी बाढ़ आयी है। पिछले साल जब बाढ़ आयी थी तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कुछ कार्यक्रम हाथ में लिया था लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। कुछ नाले और ड्रेन्स बनवाने की बात हुई थी लेकिन नहीं बनवाये गये। माननीय मंत्री महोदय, आप सोचेंगे कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, यह मेरा ही निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, इसमें चार पंचायतें शामिल हैं। आपकी जनता पार्टी के विधायक भी वहाँ से आते हैं। आप अगर राजनैतिक आधार पर कोई काम करना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं तो वहाँ के लोगों को हाथ जोड़ लूंगा, भई मेरे वस की बात नहीं है, लेकिन आपके जनता पार्टी के विधायक भी तो वहाँ से आते हैं। मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पर तो भगवान की कृपा होगी, पहले भी रही और आज भी रही है। आपके भेदभाव करने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आपने अलवर में कितना रुपया बांटा वहाँ भी बाढ़ आयी है।

श्री सम्पतराम (अकाल राहत मंत्री): मैं इसका जवाब समय पर दूंगा, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, अकाल से सम्बन्धित विषय पर ही बोलना चाहिए, बाढ़ का विषय अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे विचार से अति-वृष्टि को अकाल सहायता में न जोड़ा जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : विधि मंत्री, अकाल राहत मंत्रीजी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इसका मतलब है आप बाढ़ पर अपनी तवज्जोह नहीं देंगे। हम बैठ जायं? आप यह कहेंगे कि यह मेरा विषय नहीं है तो मैं इसको विडंबना ही कहूंगा। मेरा निवेदन है कि आप वहाँ पर नालों का निर्माण करें, ड्रेनेज की व्यवस्था करें और जो नहरें टूट गई हैं, उनकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। पार्वती डैम से 35 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होती है, आप उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको तुरन्त मदद करनी चाहिए।

अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वनों के

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में वन मंत्रीजी से.....

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटौती प्रस्ताव वन के बारे में नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लेकिन आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल करना चाहूंगा, सबसे बड़ा सवाल है ।

श्रीमन्, वन मंत्रीजी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, और उनकी सज्जनता का लाभ मैं भी उठाना चाहता हूं । मैं कहता हूं कि आप वन विभाग और पर्यटन विभाग को एक कर दें । वन विभाग इसकी ओर कोई तवज्जोह नहीं दे रहा है । वहाँ पर गेम सैंचुरी है और कई दर्शनीय स्थान हैं, आप उसकी ओर तवज्जोह दें, बिजली पहुंचा दें, कुछ इन्तजाम कर दें तो वहाँ पर डवलपमेन्ट होगा, और टूरिस्टों के लिये एक आकर्षण का केन्द्र होगा । आपका वन विभाग इसको नहीं संभाल सके तो इसको टूरिस्ट डिपार्टमेन्ट में ट्रान्सफर कर दें । इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह ।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा फोरेस्ट और अकाल दोनों पर कटौती प्रस्ताव है । मैं प्रथम अकाल और बाढ़ वाली बात अर्ज करना चाहूंगा । कल अकाल राहत मंत्रीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि अकाल को रोकने की कोई परमानेन्ट स्कीम नहीं हो सकती । लेकिन आज मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में आजादी के पश्चात् इतना समय गुजर जाने के पश्चात् भी अकाल को रोकने के बारे में कोई परमानेन्ट स्कीम नहीं बन पायी है । यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हर साल अकाल पड़ता है । यह कहा जाता है कि इसको रोकने की कोई परमानेन्ट स्कीम नहीं है । हमारे देश में थार का डेजर्ट है । उसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी आता है, वहाँ अकाल सदा से पड़ता आया है । वहाँ की ज्योग्राफिकल कन्डीशन ही ऐसी है । लेकिन उससे भी ज्यादा खराब हिस्सा पाकिस्तान का है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग से जुड़ा हुआ है । उस इलाके को आप देखें, गंगानगर और दूसरे इलाके के साथ ही 6 सौ मील की बाउण्ड्री को देखें तो वहाँ के लोगों ने और वहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने उस इलाके को सरसब्ज करने में कामयाबी हासिल की है । किन्तु हमारी सरकार कहती है कि कोई परमानेन्ट स्कीम नहीं हो सकती । फेमिन कोड आपका इस तरह का बना हुआ है कि पालिटिकली काम करने की फेमिन कोड में बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है । मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा वरना मेरी बात सुनेगा कौन ? फेमिन कोड में कुछ लेकूनाज हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं जब चाहें जहां पोलिटिकल फेमिन क्रिएट करवा सकते हैं क्योंकि अकाल घोषित करना पटवारी की रिपोर्ट पर आधारित है वह चाहे तो 100 प्रतिशत खराबा लिख दें । अगर 40 पर्सेंट लिख दें तो अकाल की तारीफ में नहीं आता है । आप पोलिटिकल फेमिन क्रिएट कैसे करवा सकेंगे ? आप पटवारियों को हिदायत कर दें और फर्जी खराबा लिखवायें, और जहाँ-जहाँ से जनता पार्टी के सदस्य जीतकर आए हैं, वहाँ फर्जी फेमिन दिखवायें । फिर स्टडी टीम को बुलायें और उनकी अच्छी खातिर करें, उनको अच्छी प्रजेंट्स देकर जितना चाहें उतना फल ले लें । आप यही करने वाले हैं और क्या करेंगे । कृपया आप पुरानी बातों की पुनरावृत्ति न करें । पुराने जमाने में फेमिन के बारे में जो होता था, आपके जवाब से उसी बात की झलक मिलती है, इसलिए

(श्री शिवचरणसिंह)

मुझे अंदेशा हुआ कि जैसे पुराने जमाने में हुआ, आप उसी तरीके पर चलेंगे। पुराने जमाने में जितने अकाल घोषित हुए सारे पोलिटिकली मोटीवेटेड थे। मैं फेमिन के इलाके में 15 साल रहा हूं-बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का टरीन। सारे एरिया में परमानेन्ट फेमिन है। लेकिन वहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ। इसलिये जो भी फेमिन को रोकने की योजना बनायी जाए, वह स्थायी हो।

अब बाढ़ के बारे में मैं निवेदन करूंगा। भरतपुर जिला है। पुराने जमाने में बाढ़ आया करती थी। मंत्री महोदय मेरी बात की ओर ध्यान दें क्योंकि यह आपसे संबंधित है। जब 1924 में बाढ़ आई आपको याद होगा कैसे आई। आपका जन्म 1924 में हुआ या नहीं लेकिन मेरा नहीं हुआ। 1924 में अलवर का जयसमंद बाँध टूटा था, रियासतों के आपस में समझौते थे, भरतपुर के अंदर बाढ़ आई। दूसरी बाढ़ आई 1942 में। अब तो लगातार कई वर्षों से बाढ़ आ रही है। आप इंजीनियर्स की कमेटी बैठाइये और पता लगाइये कि क्या कारण है-1924 में आई फिर 1942 में आई। अब यहाँ पर रेगुलर बाढ़ आने लगी। जयसमंद का पानी आना बंद हो गया। छोटी शाखायें बंद हो गई। उसके बाद मुझे विश्वास होता है जैसे आर्टीफिशियल फेमिन क्रिएट किया जाता है, आर्टीफिशियल फ्लड क्रिएट नहीं किया जाता है। आज हरियाणा का पानी जबरदस्ती राजस्थान में भेजते हैं। मैं आज मुख्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं था। यदि राज्य सरकार चाहे कि पानी को न तोड़ा जाए, तो वह ऐसा कर सकती है। यदि हरियाणा की पुलिस की मौजूदगी में गलत काम होता है, तो इससे बढ़कर राजस्थान सरकार के लिए लज्जा की कोई बात नहीं। हरियाणा में आपके दल की सरकार है, आपके दल का मुख्य मंत्री है, वहाँ की सरकार आपकी जनता पर रहम न करे तो यह दुर्भाग्य की बात है। मुख्य मंत्री ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में वहाँ के नालों को तोड़ दिया, तो हमने हरियाणा सरकार के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यहाँ के किसानों का नुकसान हो रहा है, जन-धन की हानि हो रही है। पानी आया, गोली चली, कामा-डीग के पास बंध टूटा, जन-धन की हानि हुई। आप परमानेन्ट मेजर्स बाढ़ रोकने के लिए लें। बाण गंगा नदी वगैरह के लिए मैंने इरिगेशन की माँग पर बोलते हुए बताया था कि बाणगंगा का बंध बनना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गंभीरी नदी के लिए आपने 30 लाख रुपये दिए। क्यों रुपये वेस्ट करते हैं ? अगर बाढ़ को चैक करना है तो चारों जगह टेप करें। 21 पर्सेंट पानी काम में आता है बाकी सारा यू. पी. में जाता है। तो आप टेप करें, इरिगेशन से लोगों को फायदा दें और जन-धन की जो हानि होती है उससे लोगों को बचाएं।

अब मैं जंगलात के बारे में कहूंगा। मैं जंगलात के इलाके का रहने वाला हूं। आज जो जंगलात की दुर्दशा है, पिछले तीस साल में जितनी दुर्दशा जंगलात की हुई वह कभी नहीं हुई। पुराने जमाने में राजा-महाराजाओं ने शौक व ऐशो आराम के लिए जंगल बनाये। वे शिकार खेलते थे, अब शिकार खत्म हो गया। विभाग की अकर्मण्यता से हुआ या किस कारण से हुआ पता नहीं। मैंने उस इलाके में 20·25 शेर

(श्री शिवचरणसिंह)
देखे थे । अब शेर का निशान भी नहीं, बल्कि गीदड़ भी नहीं रहा । काफी भारी जंगल थे लेकिन अब वहाँ जंगलों में पेड़ों के निशान नहीं । इसमें जंगलात विभाग के लोग मिले हुए हैं । वहाँ यू. पी. का बोर्डर है भरतपुर इलाके से लगा हुआ । कुछ लोगों ने गलत काम किए । करोड़ों मन लकड़ी निकाली, भरतपुर में घुसते-घुसते आपने उस इलाके में अपना डिपो बनाया और रेट 20 रुपया क्विंटल रखी, लेकिन वास्तव में 20 रुपये क्विंटल में नहीं मिलती, 30 रुपये क्विंटल लकड़ी के चार्ज किए जा रहे हैं । आपने भी वही पुरानी घिसी-पिटी डवलपमेंट स्कीम रखी, इस कारण इस रुपये का दुरुपयोग होगा । पिछली सरकार ने 30 साल में कितने जंगल लगाये ? जितना रुपया खर्च किया, उतने पेड़ अगर हों, एक हजार रुपये पर एक पेड़ गिन लें, एक लाख रुपये पर एक पेड़ गिन लें फिर भी हर जगह पत्थर की बाउण्ड्री मिलेगी, पेड़ एक नहीं । रुपया कहाँ गया ? गींदाली के पास जंगल है, मडरायल के पास है । सब जगह यही स्थिति है । मुझे आशा है मंत्री महोदय इन बातों की ओर ध्यान देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम सिंह विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनन्दन व्यास !

(अनुपस्थित)

श्री कौशल किशोर जैन !

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, इस बार अतिवृष्टि के कारण चारों ओर जो बाढ़ का दृश्य उपस्थित हुआ है, इसलिये मैं चाहूंगा कि सभी जगह जहाँ-जहाँ वर्षा के कारण फसलें नष्ट हुई हैं, वहाँ करों की वसूलियाँ स्थगित की जायं, अकाल सहायता या अकाल राहत काम चलाए जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 5 करोड़, 90 लाख रुपये का प्रावधान इसमें रखा भी है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य के अकाल राहत मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज तक अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत भ्रष्टाचार हुआ है उसी प्रकार का भ्रष्टाचार अब हमारी सरकार में नहीं होना चाहिये । मेरा सुझाव है, अकाल राहत मंत्रीजी, आप ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के यह ध्यान में लाऊंगा कि पहले की सरकार के समय अकाल राहत के नाम पर जब सड़कें बनायी जाती थीं तो सिर्फ मिट्टी डाल देते थे और उसे सड़क कह देते थे । इस प्रकार लाखों-करोड़ों रुपयों का गबन घोटाला सड़कों के नाम पर हुआ था । मैं यह स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम अब नहीं चलाये जाने चाहियें । मैं साथ में यह भी निवेदन कर दूं कि हम अब इस प्रकार के कार्यक्रम चलने भी नहीं देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय के सामने दो छोटे उदाहरण अकाल राहत कार्य में किस प्रकार से गड़बड़ियां हुई हैं, उसके रखना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में सन् 1967 से 69 के बीच में अकाल राहत कार्य चल रहे थे उस वक्त हुटड़ा गांव

(श्री कौशलकिशोर जैन)

के पास कुछ अकाल राहत काम हुए, कुछ कुछ एनीकट बने । गुलाबपुरा में सिंचाई के असिस्टेन्ट इन्जीनियर का जो आफिस और मकान है और जो वहां पर सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस है वह सभी उसी पैसे से बना है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो रेस्ट हाउस और ए.ई.एन. सहाब का आफिस और मकान बना है वह किस तखमीने से बना, यह मुझे बताया जाना चाहिये । उसके लिये किस मद से पैसा आया ? मैं मंत्री महोदय को यह जानकारी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दे रहा हूं । गुलाबपुरा में जो सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस है और ए.ई.एन. साहब का आफिस है वह अकाल राहत कार्यों के पैसे से बने हैं । इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1967 से 75 तक जितने भी अकाल राहत के कार्य खोले गये हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में राहत काम में आने वाले टूल्स और प्लान्ट की खरीददारी उस वक्त की गयी तो, हजारों की तादाद में गैंती, फावड़े, आदि खरीदे गये थे । यह तो छोटी चीजें हैं । इसके अलावा बहुत बड़ी चीजें भी खरीदी गयी थीं, मोटर, जीपें, ट्रक वगैरह भी खरीदे गये थे । इसके अलावा जनरेटर्स वगैरह भी खरीदे गये थे । और भी वस्तुएं व मेटीरियल खरीदा गया था । मैं यह जानना चाहूंगा कि कितना सामान सन् 1967 से लेकर 75 तक खरीदा गया ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने औजार और छोटी मोटी चीजों की खरीद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की गयी ? चाहे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे और कोई विभाग हो, इसका हिसाब लगाया जाय और देखा जाय कि वह माल अब कहां है ? और वह माल कितने रुपयों का था ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह करोड़ों रुपये का सामान था । सन् 1967 से लेकर 75 के बीच में कई नये-नये सैकड़ों की तादाद में ओवरसियर और इंजीनियर्स अपाइन्ट किये गये थे । उनमें बहुत अधिक मात्रा अस्थायी ओवरसियर और इंजीनियर्स की थी । अकाल राहत काम समाप्त होने के बाद वह तो अपने-अपने घर गये पर जो उनके पास सामान था वह अब किसके पास है, उन्होंने कहां जमा कराया, इसकी सूचना सदन को दी जानी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे भीलवाड़ा में एक आसीन्द जगह है, जो गुलाबपुरा सब-डिवीजन जिला भीलवाड़ा में है, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वहां पर दस लाख रुपये का ऐसा सामान पड़ा है जो कि अकाल राहत कार्यों के लिये खरीदा गया था । उस सामान की सील तक नहीं खुली । जो कि 1969-70 में खरीदा गया था वह सीलबन्द वहां पर पड़ा है । दस लाख रुपये के सामान में गैंती फावड़े वगैरह हैं जो कि सीलबन्द हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार से कई लाख रुपये का सामान राजस्थान में और भी जगह पड़ा होगा । आप अकाल राहत के कार्य चलाना चाहते हैं तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कहां-कहां पर कितना-कितना माल अकाल राहत के नाम पर खरीदा गया उसका हिसाब आप पहले ले लें उसके बाद में आप कोई खरीद करें ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री कौशल किशोर जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे कटौती प्रस्ताव वन विभाग के ऊपर भी दे रखे हैं। मैं आपके माध्यम से वन विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान उनकी ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर 35,891 वर्ग किलोमीटर्स में वन सम्पदा फैली हुई है। आपने हमें जो रिपोर्ट दी है अगर वह सच है तो राजस्थान में पिछले तीस सालों में वन सम्पदा का दो तिहाई भाग तो नष्ट कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में ही पानरवा काण्ड के बारे में काफी चर्चा हुई थी। पानरवा के जंगलों को किस तरह से नृशंसता से काटा गया और किस तरह से उदयपुर के एक ठेकेदार मोहम्मद अब्बास को करोड़पति बनवाया गया था, यह सभी जानते हैं। और यह एक दसवां करिश्मा है किसी को करोड़पति बनाने का। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इन जंगलों को काटने से हमारे यहां बहुत भारी चिन्ता हो रही है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो अन्धाधुन्ध कटाई हमारे जंगलों की हो रही है उसको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। हमारे भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ के अन्दर भारी मात्रा में जंगल थे और उनमें आदिवासी लोग रहा करते थे। आदिवासी लोग जंगलों की लकड़ी काट कर बेचते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। दूसरे यह आदिवासी लोग हाली का काम करते हैं किसी ठेकेदार के नीचे। पर कांग्रेस के राज्य में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान, बड़े-बड़े नेता और दूसरे वन विभाग के अधिकारी लोगों ने जंगलातों को बुरी तरह काटकर लकड़ी बिकवा दी और पैसा हजम कर गये तथा जो आदिवासी लोग थे उन्होंने उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। जंगल कटने से जो जमीनें खाली हुई उन पर उन्होंने खेती करना आरम्भ कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कार्यवाहियां जिनके द्वारा हुई हैं उनके खिलाफ में एक्शन राज्य सरकार को लेना चाहिये. मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वन विभाग के मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस प्रकार की जमीनों पर जो लोग अवैध कब्जा किये बैठे हैं उनको राज्य सरकार अधिकृत करके रेवेन्यू विभाग को वह जमीन दे दें और जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है उस नुकसान को बचाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि आदिवासी लोग रात को जंगलात की वर्षों से लकड़िया काटते हैं और उसको बेचते हैं। वहां पर भयंकर रूप से भ्रष्टाचार पनप रहा है, मैं यह स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं कि यह आदिवासी और वन विभाग के अधिकारी लोग मिलकर सारे वन की लकड़ियां बेच बेच कर खा गये हैं, और खा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उनके अलावा पुराने कांग्रेसी नेता और बड़े-बड़े लोगों का हाथ भी है।

एक माननीय सदस्य : आदिवासी नहीं काटते हैं। यह झूठ है।

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों ने उन जंगल को काट-काट कर बेच दिया है और अब उस जमीन पर कब्जा किये हुए बैठे हैं। मेरा यह सुझाव है कि उस सारी जमीन को आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दें और बाद में जो आदिवासी लोग

(श्री कौशल किशोर जैन)

उस पर कब्जा किये बैठे हैं उनको अलॉट कर दीजिये ताकि राज्य सरकार को आज जो रेवेन्यू नहीं मिल रहा है वह मिलना शुरू हो जाय और जो अवैध कब्जे हैं वह रेगुलेराइज हो जायं। यह जमीन उन्हीं को दी जाय जो कि वास्तव में भूमिहीन हैं। इसके अलावा जो वहां पर वनों की लकड़ी को काटकर बेचने का भ्रष्टाचार पनप रहा है उसको तुरन्त रोका जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन विभाग के मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने वनों के विकास के लिये 1 करोड़ 59 लाख रुपये की राशि रखी है। 1 करोड़ की राशि सरकार ने नये वृक्ष लगाने के लिये रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप निरीक्षण करें तो राजस्थान में वृक्षारोपण आज तक पूरा कभी नहीं हुआ, उसमें बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। होता क्या है कि कुछ चित्र अखबारों में छपवा देते हैं, दस पांच जगह वृक्षारोपण का काम कर देते हैं और फिर बाकी पैसा हजम कर जाते हैं। अगर वास्तव में वृक्षारोपण का कार्य होता तो यहां पर बहुत भारी मात्रा में जंगल मिलते। पर हुआ यह है कि हमारे जो पुराने जंगल थे उनमें से दो तिहाई जंगल उल्टे नष्ट हो गये हैं। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से यह स्पष्ट निवेदन है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जावे। वन विभाग में ऐसा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाय कि जिससे वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगें और हमारे यहां पर वन सम्पदा की रक्षा हो सके।

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह !

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल राहत विभाग की मांगों पर बहस चल रही है उस पर मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण आज भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है। करीब 40 इंच बरसात होने के कारण वहां पर फसलों की बुवाई नहीं हो सकी है और बुवाई नहीं होने के कारण फसल पैदा नहीं हुई। इसके अलावा जिन लोगों ने बुवाई कर भी दी थी पहले, वहां पर बरसात अधिक होने से वह फसल नष्ट हो गयी है। इसके अलावा थोड़ी बहुत कहीं पर फसल बच पाई थी तो उसे कातरा ने नष्ट कर दी। अरगट की बीमारी के कारण अब वह बची खुची फसल भी नष्ट हो रही है। इससे हमारे यहां किसानों की बहुत ही खराब हालत है। बेचारे काश्तकारों की हालत खराब हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक गांव कोमता है उसमें 60 घर बह गये हैं और आपने 300-300 रुपये प्रति व्यक्ति, जिनका बाढ़ से नुकसान हुआ है, को देने की घोषणा सदन में की थी। आपकी घोषणा के अनुसार 60 परिवारों में 18,000 रुपये वितरित होने चाहिए थे मगर 6,275 रुपये ही वितरित किये हैं। अभी तक कई लोगों को नहीं मिले हैं। इसके अलावा नरसाड़ा गांव में बाढ़ के कारण 11 घर बह गये पर उनको एक पैसा भी नहीं मिला है। इसी प्रकार एक दूसरे ही गांव वाली में बाढ़ के कारण 6 घर बह गये पर कोई राहत उन गरीब लोगों को अभी तक नहीं मिली है। इसलिये मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित

(श्री सूरजपालसिंह)

करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय और उन्हें राहत दिलाई जाय। अतिवृष्टि एवम् बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार ने औषधियां वितरण करने का आश्वासन दिया। अगर औषधियां वितरण नहीं कीं तो आने वाले समय में भयंकर स्थिति हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब सिंचाई विभाग की मांग सदन में चल रही थी उस दिन भी राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित किया था और कृषि विभाग की मांग चल रही थी उस वक्त भी मैंने आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। पर अब मैं आपसे स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वहां की जनता को भूमि कटाव से भारी नुकसान हो जायेगा। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, दुसाड़ियां गांव है वहां घर बह गये हैं, बाली में लोगों के घर बह गये है। इस तरह काश्त की भूमि व मकान बहते गये तो काफी काश्तकार बरबाद हो जायेंगे। अभी तो, उपाध्यक्ष महोदय, बाली के क्षेत्र में सिर्फ एक हजार से लेकर चार हजार बीघा जमीन खेती की बरबाद हुई लेकिन अब अगर इसी तरह की गफलत चलती रही तो मैं समझता हूं कि जो थोड़े समय पहले राजस्थान का एक बहुत सरसब्ज इलाका था वह अब धीरे-धीरे पूरा ही रेगिस्तान बन जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें उन कर्मचारियों की भी ढिलाई है जिनसे आप रिपोर्ट मांगते हैं। वह या तो रिपोर्ट देते नहीं या देते हैं तो सही नहीं देते। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत योजना बनाकर, चाहे सोइल कंजर्वेशन के अन्तर्गत कोई योजना बना कर या डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड के अन्तर्गत कोई योजना का सर्वे करा कर उसे कार्यान्वित करें ताकि इस क्षेत्र में जो भूमि कटाव से नुकसान हो रहा है वह बचे, उसे रोका जा सके वरना जो कृषि उत्पादक क्षेत्र हैं, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हैं, उनको आप रेगिस्तान बना देंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है, अगर वास्तव में जनता सरकार अकाल ग्रस्त क्षेत्र को राहत देना चाहती है तो मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में खरीफ की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। लोग रबी की फसल से उत्पादन लेना चाहते हैं। लोग भीनमाल में आकर सीमेन्ट के लिये चक्कर काटते हैं मगर सीमेंट नहीं मिलती। आज भी वहां पर चार सौ एप्लीकेशन्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 8 हजार बोरी सीमेन्ट की आवश्यकता है इस माह लेकिन मिलती नहीं है। कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप वहां पर सीमेंट उपलब्ध कराइये जिससे किसान कृषि उत्पादन कर सकें और प्रदेश को अन्न का उत्पादन करके दे सकें। कृषि उत्पादन के लिये आप सीमेन्ट नहीं देते हैं जब मकान बनाने के लिये आप देते हैं और अनेक घोटाले होते रहते हैं। इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अन्न की स्थिति देश में खराब हो जावेगी। मेरा सुझाव है कि इस माह में कुल उपलब्ध सीमेन्ट में से 80% सीमेन्ट नये बेरे खुदाने वालों को दें।

दूसरा मेरा सुझाव है कि किसानों को राहत देना चाहते हैं तो जितनी भी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनायें हैं, उन योजनाओं में, जितने भी प्रार्थना-पत्र बिजली के कनेक्शन हेतु पेन्डिंग पड़े हैं प्राथमिकता के आधार पर उनको कनेक्शन रिलीज कराइये ताकि]

(श्री सूरजपालसिंह)
हरएक काश्तकार को चार-पांच हजार का लाभ मिल सके। स्वस्थ योजनायें जनता सरकार देगी तो जनता सरकार की वाहवाही होगी वरना कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर बैठे रहे तो प्रदेश का विकास आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिये मेरे विचार में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सही मायने में काश्तकारों को राहत देना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो ठोस सुझाव हैं, उन पर विचार कीजिये ताकि किसानों को आप सहायता दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से मलेरिया का प्रकोप हो रहा है। बाढ़ ग्रस्त व अतिवृष्टि के क्षेत्रों में आपने चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा भी की लेकिन मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है।

मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहूंगा। जितने भी युटिलिटी के कार्य हैं चाहे डी.पी.ए.पी. में हों, टूटी हुई सड़कें हों, टूटे हुए बांध हों उनका यथाशीघ्र सर्वे करवा कर अविलम्ब कार्य करावें ताकि गरीब लोगों को मजदूरी मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि अकाल का किस प्रकार से विवेचन करें। मैं समझता हूं, वर्तमान काल में आशा यह थी कि अच्छी वर्षा होगी, अच्छी फसल होगी, प्रकृति का वातावरण अच्छा होगा लेकिन उसके विपरीत हो गया, इस कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई। जिस काल के अन्दर सब कुछ नष्ट हो जाता है वह अकाल ही है।

इसी तरह की सिरोही जिले की हालत बनी हुई है। बड़े-बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ वह क्षेत्र है। आबू जाते हैं, रहुआ, साड़े, ये तीन चार गांव हैं जो तीन तीन हजार, चार चार हजार फीट ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए हैं। सैकड़ों नदी नाले हैं। वहां पर 55 इंच वर्षा की औसत है। नाले पानी से 9 महीने उफनते रहते हैं। रेनफाल ज्यादा हो जाने से आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। और सब ग्राम एक दूसरे से कट जाते हैं। इस वर्ष 60 इंच रेनफाल हुआ है। इस कारण जो अकाल की स्थिति पैदा हुई उसका सब माननीय सदस्यों को अफसोस है और आपको भी दर्द है। लेकिन हर साल अधिक वर्षा के कारण सब कुछ नष्ट होता रहता है उसका स्थायी हल करने के लिय ध्यान देना बहुत जरूरी है। खरीफ की फसल पांच साल में कभी-कभी होती है क्योंकि कृषि के लिय कुओं के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। 20-25 प्रतिशत लोग कुओं से काश्त करते हैं, 5 पर्सेन्ट व्यापार करते हैं और 75 पर्सेन्ट लोगों को मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा खत्म हुई और राहत कार्य उनको नजर नहीं आये तो मजदूरी के लिये वे अहमदाबाद गुजरात में निकल जाते हैं। प्रजातंत्र में आज भी उनको यदि अपना परिवार आदि सब कुछ को छोड़कर मजदूरी के लिये दूसरे प्रदेश में जाना पड़े तो यह अच्छी बात नहीं है।

इस बार लगातार वर्षा होती रही और इतना पानी पड़ा कि 80 प्रतिशत काश्तकार खेतों में नहीं पहुंच सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90 प्रतिशत खेत खाली रहे, खेती नहीं कर सके। 10 पर्सेन्ट रामी-

(श्री माधोसिंह)
वाड़ा, सांचोर में और जो रेगिस्तानी एरिया है, उसमें 25 पर्सेन्ट बाजरा बोया गया, वह भी एरंट बीमारी से नष्ट हो गया। 100 पर्सेन्ट खरीफ की फसल नष्ट हो गयी। इसको अकाल नहीं कहा जाय तो क्या कहा जाय ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सब के पास छोटी छोटी होल्डिंग हैं। पांच पर्सेन्ट के पास बड़ी होल्डिंग हैं वरना दस पन्द्रह बीस बीघा की छोटी छोटी होल्डिंग हैं। खरीफ की फसल छोटी होल्डिंग में बोता है और वह खराब हो जाय तो उसकी दशा कैसी शोचनीय होगी आप अन्दाज लगा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि राजनैतिक तरीके से ऐसे मामलों में निर्णय नहीं लेने चाहियें। अलवर और भरतपुर का दौरा तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया होगा और स्थिति देखी होगी। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि सिरोही रेवदर क्षेत्र की ओर पधारें तो हालात देखकर उन्हें मालूम होगा कि वहां क्या स्थिति है ?

मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम सत्र में ही एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था और वक्तव्य में भी कहा था कि वहां पर एक ग्राम है रहुआ। वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अतिवृष्टि से चारों तरफ, वे नाले इस तरीके से उफन कर आये कि उस ग्राम के मकान, भूमि को पूरी तरह से जल-मग्न कर दिया। आज न उनके पास रहने को मकान हैं और न ही कुछ। आज भी 200 परिवार उस बाढ़ से जूझ रहे हैं, लेकिन उस ओर सरकार की ओर से अब तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है।

मैंने वक्तव्य भी दिया था। माननीय मंत्री महोदय ने नोट भी किया था। कलम भी चली थी। मैंने यह समझा कि माननीय मंत्री महोदय ने ध्यान दे दिया है जिससे राहत मिल जावेगी। कलम चलती रही, नोट करते रहे लेकिन 200 परिवारों को किसी तरीके की आज भी राहत नहीं मिली है जब कि कलेक्टर ने मौके पर जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह गांव....

श्री सम्पतराम : कौनसा ग्राम।

श्री माधोसिंह : रहुआ ग्राम है। चार चार हजार, पांच पांच हजार फीट ऊंचे पहाड़ से पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है। ग्राम में झील बनी हुई है। इसका कोई ठोस हल हमेशा के लिये नहीं सोचा गया है और न पम्प आदि से पानी निकालने की व्यवस्था की गयी है। आज भी 200 परिवारों के मकान, कुए आदि पानी में डूबे हुए हैं और वे लोग इधर उधर गुफाओं में रह रहे हैं, झोंपड़े बना कर पड़े हैं। उनके पास खाने को अनाज नहीं, रहने को मकान नहीं, सब कुछ पानी के नीचे चला गया है। यह शोभा की बात नहीं है। दो महीने पहले सत्र में मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था उस पर सरकार ने कुछ तो विचार किया होगा। यदि उस पर आज तक सरकार का ध्यान नहीं गया तो यह अफसोस की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री रघुनन्दनजी व्यास ने मुझे यह कहा था कि जब मैं वन के मुतल्लिक बोलूं तो उनकी बात भी कह दूं। इसलिए उनका समय मुझे दिया जाये, वह आज चले गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लीजिए संक्षेप में।

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खुम्रा गांव के पीछे इतिहास है। सन् 1857 के गदर के अन्दर वहां के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और इस कारण वहां के ठाकुर को काला पानी हुआ था। तो वहां के ठाकुर ने काला पानी भुगता हुआ है फिर भी आप उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं यह बड़े गम की बात है। स्थाई हल के लिए अनुरोध है कि अगर आप दो शक्तिशाली पम्प लगा दें तो 20-25 रोज में वह पानी बाहर निकल सकता है और लोग वापस अपनी जमीन के ऊपर जा सकते हैं।

दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा रेवदर और सम्पूर्ण जिला अकाल ग्रस्त है। गरीबों की खरीफ फसल बिल्कुल नहीं हो रही है इसलिये वह महमदाबाद और बम्बई भाग रहे हैं। उनको आप रोकिये और उनको काम दीजिए ताकि उनमें विश्वास पैदा हो जाय कि राजस्थान सरकार हमें मजदूरी देती है। इससे लोगों के दिलों में सरकार के प्रति आस्था पैदा होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं वन विभाग के संबंध में कहना चाहूंगा। वन राष्ट्र की अमूल्य सम्पदा है। आज वन का ह्रास हो रहा है इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे यहां बड़े-बड़े जंगल हैं और बड़े-बड़े पहाड़ हैं इसलिए मैं महसूस करता हूं कि जितना ह्रास हो रहा है वह ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। आप इस मिली भगत को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक वनों का सत्यानाश नहीं रुकेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो वन हैं वह कटे नहीं। आपने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से कृषि विस्तार, नगरीय फैलाव, औद्योगिक विकास व अन्य कारणों से वनों में निरन्तर कमी होती जा रही है। मैं यह नहीं मानता। आप बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्थान में ऐसे कौन से एरिया हैं जहां कि नगरों का इतना सारा फैलाव हो गया जिससे कि वन नष्ट हो गये हैं, ऐसे कौन से औद्योगिक धंधे हो गये हैं जिससे कि वनों को हानि हुई? वनों के नष्ट होने का यह कारण नहीं है। आज जब कोई....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदमी पाप करता है तो वह अपने पाप को छिपाने के लिए कुछ न कुछ कारण ढूंढता है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आदिवासी और भील लोग अपने सिरों पर भारा उठाकर बेच कर अपना गुजर बसर करते हैं.........

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया है। अपना भाषण समाप्त करें।

श्री माधोसिंह : इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो पशु हैं वह आज तक वनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, हजारों सालों से उनको वनों में चराया जाता है। पशुओं के संबंध में कहते हैं कि पशुओं के चरने से वन नष्ट हो जाते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूर्व वक्ताओं ने इस संबंध में विचार रख दिये हैं।

श्री माधोसिंह : मैं यह बात कैसे मान लूं। जंगल इससे बिल्कुल नष्ट नहीं होते। बारिश के दिनों में उनको छूट दी जाती है और जब बारिश खतम हो जाती है, पतझड़ आने लगता है और पत्तियां गिरती हैं तो पशुओं को चराने

(श्री . माधोसिंह)
की छूट दी जाती है। क्या मैं यह मान लूं कि वनों की सुरक्षा के लिए पशुपालकों को हैरान किया जाये, आदिवासी और भीलों को हैरान किया जाये जो कि उनके ऊपर गुजर बसर करते हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि कि सिरोही जिले में इस तरह के केसेज हुए हैं, मेरे पास उनकी शिकायतें आई हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप देखिये और सोचिये कि इस तरीके से पशुपालकों को हैरान नहीं किया जाये ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत कह चुके हैं।

श्री माधोसिंह : क्या उनकी आड़ में यह कहा जायेगा कि वनों का नुकसान होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वनों की सुरक्षा तो की जाये। जो वनों को नष्ट कराते हैं उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाये और उनके लिए खिलाफ कदम उठाये जायें ताकि वनों का नुकसान न हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री माधोसिंह : एक निवेदन और है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समय नहीं दूंगा। विवश हूं बिल्कुल।

श्री माधोसिंह : थोड़ा सा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अब और समय नहीं दूंगा। श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं निवेदन करूंगा कि लीडर आफ अपोजीशन नहीं बोलेंगे इसलिए उनका समय भी मुझे दे दें ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूं इस परम्परा का सब लोग उपयोग करना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसमें नुकसान इसलिए नहीं है कि आज 5 बजे तक डिबेट खतम हो जायेगी और रिप्लाई भी जल्दी ही दे दिया जायेगा। आज दस बजे तक नहीं बैठना है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप आश्वस्त हैं कि 5 बजे ही खतम हो जायेगी तो आप बाद में भी बोल सकते हैं। पर निश्चित नहीं है कि 5 बजे खतम हो जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वनों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वन और वन्य-जीव की रक्षा अत्यन्त आवश्यक है। यदि हमने यह सन्तुलन बिगाड़ दिया तो निश्चित मानिये कि मानव का सारा सन्तुलन बिगड़ जायेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि वनों की हमें रक्षा करनी चाहिए और उसके साथ ही साथ हमें वन्य प्राणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। जिन राष्ट्रों के अन्दर वन नष्ट हुए हैं वहां के हालात यदि आप पढ़ेंगे अथवा वहां जाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको मालूम होगा कि वहां के हालात बहुत बिगड़ गये हैं। जापान जो आज विश्व के बहुत ही समृद्ध राष्ट्रों में से एक है वहां वनों की कमी होने की वजह से आक्सीजन की कमी हो गयी और उसका नतीजा यह हुआ कि आज जापान के अन्दर जगह-जगह आक्सीजन के बूथ कायम करने पड़े हैं। फैक्ट्रियों और मिलों में काम करने वाले मजदूर भाग कर उन बूथों पर आक्सीजन लेते हैं। यही हाल वनों का हमारे देश में हुआ तो हमारे यहां भी यही समस्या आ सकती है। आज वन्य प्राणियों की भी इतनी ही

(श्री खेतसिंह राठौड़)

आवश्यकता है। हमारे यहां पक्षी इतने ज्यादा हैं कि कई तरह के कीड़ों को वह खा जाते हैं, इस कारण मनुष्य कई बीमारियों से बचे हुए हैं। यदि हम पक्षियों को मार देंगे और जो जानवर आज हमारी सेंचुरीज में हैं उनको खतम कर देंगे तो निश्चित मानिये कि सारा मानव सन्तुलन ही धीरे-धीरे बिगड़ जायेगा। मुझे मालूम नहीं हमारे नये वन मंत्री महोदय इस बारे में क्या सोचते हैं लेकिन आम तौर पर यह सुना जाता है कि गेम सेंचुरीज की बड़ी शिकायतें हैं। उनके अन्दर जो वन्य प्राणी हैं वह काफी तादाद मे बढ़ गये हैं और ज्यादा बढ़ने के फलस्वरूप वह पास के खेत खलिहानों में जाकर नुकसान करते हैं। इन शिकायतों के कारण वन मंत्री जी भी परेशान हैं, गेम सेंचुरीज वाले भी परेशान हैं और जहां तक मुझे मालूम है सी. सी. एफ. भी उससे परेशान हैं। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आप इन गेम सेंचुरीज को रखना इसलिये आवश्यक समझते हैं क्योंकि इनको देखने के लिए विदेशों से हजारों और लाखों पर्यटक आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप यह महसूस करते हैं कि आपके यहां पर बहुत शेर बढ़ गये हैं तो बिग गेम के नाम से ऐसा प्रबन्ध कर सकते हैं कि कुछ विदेशी पर्यटक जो आते हैं उनको लाइसेन्स देकर शिकार करवा लें। इससे आपको पैसा मिल जायेगा और आपके जानवर भी कम हो जायेंगे। इसी तरह से पुराने जमाने में शिकार हुआ करता था। अगर आप यह कार्यक्रम रखें तो यह बहुत आकर्षक होगा, शेरों की कमी भी हो जायेगी, साथ में आपको पैसा भी मिल जायेगा और जो समस्या आपके सामने आज है वह कम हो जायेगी। आप निश्चित मानिये यदि आपने थोड़ी भी राहत नहीं दी तो गांव वालों की यह शिकायत रहेगी कि आम तौर पर जंगल में रहने वाले जानवर मांसाहारी हुआ करते हैं। वे किसी बहाने से आपके जो जानवर हैं बारहसिंगा, सूअर, चीता, शेर उनको मारना शुरू कर देंगे और गेम सेंचुरी खतम हो जायगी। इसलिये आपसे खास तौर से निवेदन करूंगा कि भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने गेम सेन्चुरी को तैयार किया था तो आप कृपा पूर्वक इन गेम सेन्चुरीज को खतम मत करिये। जितना आप इनको बढ़ायेंगे उतनी ही राजस्थान की बहबूदी बढ़ेगी, फारिन एक्स-चेन्ज बढ़ेगा। इसलिय मैंने खास तौर से यह निवेदन किया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं विश्व के अन्य राष्ट्रों में वन लगाने की एक परम्परा है। जब बच्चा पैदा होता है तो एक वृक्ष लगाया जाता है। वेदों में भी एक कहावत है जितना धर्म वृक्ष लगाने से होता है उतना गंगा स्नान से भी नहीं होता........

(1.30 म. प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

श्री रतन लाल वर्मा : आपने कितने वृक्ष लगाये ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने तो बहुत लगाये हैं। मेरी इच्छा तो वन लगाने की हमेशा रही है, क्योंकि मैं तो डेजर्ट एरिया का रहने वाला हूं और वृक्षों की अहमियत को अच्छी तरह जानता हूं। वृक्षों की अहमियत को जितना मैं समझ सकता हूं, उतना आप शहर के रहने वाले नहीं समझ सकते हैं। इसलिये मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं आप महर-बानी करके वृक्षारोपण को महत्व दीजिये,

Page No 71

(71)

(श्री खेतसिंह राठौड़)
हमारे समय में प्रति वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता था लेकिन इस वर्ष वन महोत्सव का नाम सुना नहीं है। आपके पास चार्ज आने से वन महोत्सव बन्द हो गया.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे समय दीजिये, कृपा-पूर्वक वे कह कर गये थे। इसी हिसाब से मैंने डिबेट शुरू की है। इसलिये थोड़ा समय दीजिये।

मैं खास तौर से निवेदन करूंगा आप वन महोत्सव के साथ पंचायत समितियों को, स्कूलों को और जितने भी वाटर वर्क्स के डिपार्टमेन्ट हैं, इन सारे डिपार्टमेन्ट्स को हिदायत दे दीजिये और बन्दिश लगायें कि जो वृक्ष लगाया है, उसका पालन करें बच्चे की तरह तभी जाकर वनों को बढ़ा सकेंगे।

मैं अब चूंकि सभापति महोदय का इशारा आ गया है, इसलिये फेमिन पर आ जाता हूं। अकाल राहत खास तौर से हमारे राज्य में स्थायी चीज है। एक कवि ने कहा है यदि अकाल मनुष्य है तो वह कहाँ रहा करता है। उसके लिये उन्होंने कहा है —

पग पूंगल, धड़ कोरड़े बाहों बाड़मेर
जोयो लाधों जोधपुर ठावो जैसलमेर।

कहने का मतलब है यदि अकाल इंसान है तो वह कहाँ रहता है और किस तरह सोता है। उसका पैर पूंगल तहसील में रहता है जहाँ अब राजस्थान नहर आ गई इसलिये पैर तो अब कटेंगे, कोटड़ा बाड़मेर में है वहाँ उसका धड़ रहता है, बाहें बाड़मेर में रहती हैं और कभी-कभी जोधपुर में आराम फर्माता है। लेकिन, सभापति महोदय, आम तौर से जैसलमेर उसका घर है इसलिये वह जैसलमेर में आराम फर्माता है। जोधपुर के पड़ोस में मेरा क्षेत्र आता है इसलिये अकाल की छाया पड़ने से वह क्षेत्र बरबाद हो रहा है। इसलिये मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पिछली बार भी मैंने डिबेट में इसके बारे में निवेदन किया था और मैंने आपसे यह कहा था शेरगढ़ के 36 गाँव बहुत भयंकर फेमिन में हैं। आपने मुस्करा दिया था, बात टल गई थी और मेरा बोलना खतम हो गया था लेकिन वहाँ के इंसान मरते जा रहे हैं। इस कारण मेरी तो मौत है ही लेकिन आपकी भी मिनिस्ट्री ज्यादा चलने वाली नहीं है। हमने इस प्रकार का पक्षपात 30 वर्षों में कभी नहीं किया। हमेशा सब को एक दृष्टि से देखा है चाहे वह अजमेर की कान्स्टीट्यूएन्सी हो और चाहे खैरथल की हो। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा, आप कृपा पूर्वक जहाँ फेमिन है, वहाँ न तो इसमें कोई खेतसिंह का सवाल है और न किसी और की कोई मोनोपोली है, यदि आप अकाल ग्रस्त लोगों की सेवा करेंगे तो अगले चुनाव में आप जीतकर आयेंगे। यदि आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो अगली बार आपका चुनाव में जीतना मुश्किल हो जायगा। मैं इसलिये कह रहा हूं जब से जनता पार्टी में गये हैं, एक पक्षीय हो गये हैं, इसलिये मैं कहता हूं आपका दिमाग खुला रहना चाहिये और खुले दिमाग से आप को काम करना चाहिये . . .

श्री बाऊदयाल जोशी : यह आपका प्रवचन है या क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहाँ 37 गाँव हैं जहां इस वर्ष फेमिन है। फेमिन का मुख्य कारण यह है कि शुरू में तो बरसात अच्छी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हुई थी लेकिन बाद में बरसात न होने के कारण फेमिन हो गया। आप जानना चाहेंगे कि क्या काम शुरू किया जाय ? आमतौर से जब फेमिन रिलीफ का काम करते हैं तो सड़कों का काम करते हैं। वह टेम्प्रेरी फेज का काम होता है। फेमिन की सड़क गाँवों के कच्चे रास्तों से भी बुरी होती है, क्योंकि आप लेबर ओरियन्टेड वर्क्स लेते हैं, उस में सड़क आती है, और आपके इंजीनियर भी सड़क के काम के लिये अपने सुझाव भेज देते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तहसील के कुछ भाग में फेमिन पड़ता है तो वहाँ परमानेन्ट वर्क्स हाथ में ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा इस तहसील में अण्डर-ग्राउन्ड वाटर सर्वे हो चुका है और जिन 37 गाँवों में फेमिन है वहाँ की डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट अन्डर-ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के पास आ गई है। उन गाँवों में जमीन के अन्दर खूब पानी है इसलिये चाहे ट्यूब-वैल्स के जरिये या अन्य साधनों के जरिये और चाहे इंडिविजुअल काश्तकार को सब्सिडी देकर जमीन में से पानी निकालने का काम करायें तो अकाल की समस्या हल हो सकती है। जब फेमिन पड़ेगा तो ट्यूब-वैल्स से पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा आप कोई परमानेन्ट सोल्यूशन दीजिये ताकि आने वाले वर्षों में कभी भी फेमिन पड़ जाय तो दिक्कत न पड़े और फेमिन का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति, गुरुजी तो गुड़ खायें और चेलों को कहें......

श्री सभापति : इस तरह बीच में बाधा न डालें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चेला बादाम खा रहा है आज तो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं इस तरह बीच में हस्तक्षेप पसन्द नहीं करूंगा।

श्री सूरजपालसिंह : आप तो यह बतायें कि वर्मा साहब को क्या खिला रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : 'कोटा में क्या किया', 'कोटा में क्या किया' कहते हैं। कोटा को तो 30 साल में जो मिला है वह किसी को नहीं मिला है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में तो चम्बल थी इसलिये उसका विकास उससे हुआ है। आपने क्या दिया था ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अणु बिजली घर दिया है। आप तो अहसान फरामोश हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह क्या हो रहा है। हमको याद रखना चाहिये यह राजस्थान की विधान सभा है। यह आम बाजार में होने वाली साधारण सभा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा ।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

श्री शीश राम ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल ।

(अनुपस्थित)

श्री समरथ लाल ।

श्री समरथ लाल (राजगढ) : माननीय सभापतिजी, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा। सभापतिजी, जब आज के कार्यक्रम मैंने देखा कि अकाल राहत की मांग पर विधान सभा में चर्चा होगी तो उसे देखकर आज सुबह का खाना मैंने नहीं खाया। खाना इसलिये नहीं खाया, सभापति महोदय, अलवर जिले के अन्दर अतिवृष्टि हुई है और अलवर की राजगढ़ तहसील में अतिवृष्टि से जितना नुकसान इस वर्ष हुआ है शायद कभी नहीं हुआ हो। मैंने बराबर इस नुकसान की तरफ जिला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है, और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया लेकिन आज तक वहां पर कोई राहत का कार्य शुरु नहीं किया गया। अतिवृष्टि के कारण, इलाके के जन-जीवन के अन्दर बड़ी अशांति फैली हुई है। सड़कें खराब हो गईं, यातायात बन्द हो गया, मीलों तक सड़कों का पता नहीं, कहां चली गईं। कुछ बांध भी टूट गये, नहरें खराब हो गईं, मौजूदा जो फसलें हैं वह नष्ट हो गईं। पशुओं के अन्दर भयंकर बीमारियां फैल गईं, मनुष्यों के अन्दर भयंकर बीमारियां फैल गईं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से राजगढ़ तहसील के अन्दर कुछ भी इन्तजाम नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अलवर जिले के रहने वाले हैं, मेरे ख्याल में उनको जानकारी है लेकिन जानकारी होते हुए भी उन्होंने राजगढ़ तहसील को इगनोर किया है, जान-बूझकर इगनोर किया है यह क्यों किया है यह मैं समझ नहीं पाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़ तहसील में 70 पर्सेंट जनता शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के इलाके को इस प्रकार राज्य सरकार इगनोर करके चलती है तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती।

अब मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, फोरेस्ट की मांग पर मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। राजगढ़ एरिया के आसपास और राजगढ़ तहसील के अन्दर अच्छा फोरेस्ट है, अच्छा जंगल है। मैं चाहता हूं कि जंगलों की सुरक्षा हो, वे जंगल बढ़ें। मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे इलाकों के अन्दर हरे-भरे जंगल रहें। वनों से लोगों को फायदा होगा, राजस्थान को फायदा होगा और देश को फायदा होगा। लेकिन उन जंगलों के होने से जन-जीवन में जो परेशानी होती है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। गेम सेन्चुरी क्षेत्र सिरस्का के आसपास थानागाजी के जितने गांव हैं, अलवर के जितने गांव हैं और आसपास राजगढ़ तहसील के जो गांव हैं, वह इसलिये बसे हैं कि वहां के लोग पशुपालन का काम करते हैं। वह भैंसें, गायें और बकरियां रखते हैं लेकिन अब वह ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कई भैंसें, गायें और बकरियां

(श्री समरथ लाल)

नहीं रखें और गांवों से निकल कर दूसरी जगह जाकर बस जायें। वे इसलिये परेशान होते हैं कि फोरेस्ट के जो अधिकारी हैं वे उनको परेशान करते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि राजगढ़ तहसील के कुछ गांव-नया गांव, परतापपुरा, अनावड़ा, दिगोता हैं और भी कई गांव हैं इन गांवों के लोग वहां पशु चराने के लिये जायें, उनको चराई नहीं होती। वह एरिया ऐसा है जहां घास नहीं उगता, कोई पेड़-पौधे नहीं उगते। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गेम सेंचुरी सिरस्का है उसके सम्बन्ध में राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक से मिला था, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने सहानुभूति-पूर्वक मेरे विचार सुने। उन्होंने यह बताया कि वहां पर दो प्रकार के एरियाज हैं, एक एरिया इस प्रकार का एरिया है जिसके अन्दर पशु जा नहीं सकते, एक एरिया ऐसा है जिसके अन्दर जितने भी आसपास के गांव बसे हुए हैं उन गांवों के पशु जा कर चर सकते हैं। लेकिन चराई के लिये घास न होने के कारण आसपास के गांव के लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर पशु चरने चले जाते हैं तो पशुपालक पर दण्ड किया जाता है। लेकिन जो दण्ड दिया जाता है उसका $\frac{1}{4}$ हिस्सा राजकोष में जमा होता है और $\frac{3}{4}$ हिस्सा जो वहां के अधिकारी हैं और फोरेस्ट गार्ड हैं उनकी जेबों के अन्दर जमा होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अलवर जिले की बड़ी समस्यायें हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सिवाय चक जमीन, चरागाह जमीन पिछले वर्ष बन्द कर दी। पशुओं के चराने के लिये जगह नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें, गम सैन्चुरी के आसपास जितने भी गांव हैं जिनमें रहने वालों को पशुओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इन लोगों को परेशान नहीं होने दें, उनकी मदद करें। मैं चाहता हूं, गेम सैन्चुरी एरिया भी रहे लेकिन उसके आसपास जो गांव हैं उनके पशु वहां चरें और उनको दंडित न किया जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री एच. एन. शर्मा।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वन मंत्री तो सदन में नहीं हैं, वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, उनका ध्यान मैं कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ....

श्री सभापति : आप अधिकारियों को सम्बोधित न करिये।

श्री एच. एन. शर्मा : मैं यह बता दे चाहता हूं कि वन विभाग में हजारों की संख्या में केटल गार्ड और फोरेस्ट गार्ड के कर्मचारी हैं वे बहुत दुखी हैं। वे अधिकारियों द्वारा सताये जाते हैं। नौकरी से निकाले जाते हैं। उनको प्रोटेक्शन किसी भी प्रकार का नहीं मिल रहा है। उनके ऊपर इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार रूल्स बनायें और विक्टीमाइजेशन को रोके।

साथ ही साथ वन मंत्री महोदय का ध्यान वन पौधशाला की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वन पौधशाला कोटा में है, इर

(श्री एच. एन. शर्मा)

जगह है। यह एक प्रकार से इण्डस्ट्री है, उद्योग है। It is an industry. उनमें बीज डाले जाते हैं, क्यारियां बनाई जाती हैं और पौधों को लगाया जाता है। पौधे धीरे-धीरे बड़े होते हैं। पौधे बड़े होने के बाद उनकी बिक्री की जाती है। यह एक उद्योग है लेकिन इसको इण्डस्ट्री में नहीं माना गया है। इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उन कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया है। उनको आखरी दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है। 10-12 साल मस्टर रोल में रखा जाता है। वन पौधशाला इण्डस्ट्री है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे इण्डस्ट्री घोषित किया जाना चाहिये, और उस प इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू किया जाना चाहिये।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा आती है, जहां बाउन्ड्री है वहां के लोगों के ऊपर फोरेस्ट के कर्मचारी अत्याचार करते हैं। मेरा निवेदन है कि बाउन्ड्री पर पांच मील की सीमा तक चराई के लिये छूट दी जानी चाहिये। अगर एम. पी. का पशु राजस्थान में आ जाता है तो उसको चराई के लिये छूट होनी चाहिये। कभी-कभी मैं देखता हूं कि राजस्थान और एम. पी. की सीमा पर किसी प्रकार से छूट नहीं है जानवर अगर आ जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जानवरों की जो पकड़ धकड़ की जाती है वह रोकी जानी चाहियें।

साथ ही निवेदन करूं वन विभाग के अधिकारी कोयले के ठेकेदारों से मिलकर धांधली मचाते हैं। कोयले के ठेकेदारों से मिल जाते हैं और ठेकेदारों से मिलकर जंगल के जंगल साफ करा देते हैं। रावतभाटा और चित्तौड़ के रास्ते पर अगर जायें तो देखेंगे सड़क के किनारे पांच मील के अन्दर जंगल साफ कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से लोग राष्ट्रीय वन सम्पदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिये ठेकेदारों से मिलकर वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। केस हाई कोर्ट में पेन्डिग न रहें इसलिये जुर्माना 90 रुपये के हिसाब से न लेकर पेड़ों के हिसाब से वसूल किया जाना चाहियें।

साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, रावतभाटा में एक नया बाजार बनाने की योजना थी जो वन विभाग और सिंचाई विभाग के बीच में पिछले दो साल से अधर-झूल में लटकी चली आ रही है। मैं वन विभाग के अधिकारियों से मिल चुका हूं और माननीय वन मंत्री महोदय से भी पर्सनली रिक्वेस्ट की है। वहां के व्यापारियों से किसी से चार सौ, किसी से आठ सौ रुपये तक जमा करवा लिए गये हैं, उसके बावजूद भी इस नये बाजार की योजना को कम्पलीट नहीं किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, दो मिनट का समय और दिया जाय। मुझे आशा है कि श्रीमान् के द्वारा मुझे निराश नहीं किया जाएगा।

मेरा निवेदन है कि जो बाजार की योजना अधर झूल में लटकाई जा रही है उसके बारे में तुरन्त वन मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्री महोदय मिल कर निर्णय करें। सिंचाई मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं

(श्री एच. एन. शर्मा)
जो अकाल राहत मंत्री भी हैं। मेरा उनसे निवेदन है इस योजना के बारे में तुरन्त कार्यवाही करके इस योजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

अब मैं अकाल सहायता के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अकाल राहत के रूप में ग्रामीण अंचलों में जो रोड्स बनाई जाती हैं उनको अधूरा छोड़ दिया जाता है। मेरे क्षेत्र में दो रोड्स हैं, एक बेगूं से चेची और दूसरी बेगूं से नदवई, वह कमी से अधूरी पड़ी हुई हैं। मेरा निवेदन है कि जो पुराने अकाल राहत कार्यों के तहत अधूरी पड़ी हुई हैं उनको तुरन्त पूरा करवाया जाना चाहिए।

साथ ही नीमड़ी जावदा का इलाका ऐसा है जिसके चारों ओर पानी भरा रहता है। बिल्कुल टापू की तरह है जिसको कालेपानी की संज्ञा पहले भी मैंने दी थी। उस इलाके के ग्रामीणों को आने-जाने की भारी दिक्कत रहती है। इस बार भी अतिवृष्टि के कारण आने-जाने की भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। पांच-सात हजार ग्रामीण वहां रहते हैं, चालीस-पचास मीलों के अन्दर गांव हैं, इसलिए पैराफरी बंध रोड का सिचाई विभाग द्वारा सर्वे कराया जा चुका है। श्रीमान् सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पैराफरी रोड का अकाल राहत कार्य के तहत निर्माण कराया जाय जिससे चालीस-पचास मील के इलाके में जो पिछड़े गांव हैं, उन गांवों के लोगों को आने-जाने का रास्ता सुलभ कराया जा सके और कृषि उपज के जो गांव हैं–सिंगोली, रतनगढ़, गांधीसागर, रावतभाटा उनसे जोड़ा जा सके। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा मैंने आपसे वन पौधशाला के कर्मचारियों के बारे में निवेदन किया है कि वन पौधशाला इंडस्ट्री मान कर इस पर इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू किया जाना चाहिए। वन पौधशाला के कर्मचारियों को राहत दी जाये इस दृष्टि से मुझे पूरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता सरकार द्वारा वन पौधशाला को इंडस्ट्री घोषित किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, कहिये।

माननीय श्री किशनसिंह ?

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय सभापतिजी, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने कहा है जैसलमेर वह क्षेत्र है जो अकाल का एक स्थायी क्षेत्र है। जो कहावत मैं कहना चाहता था, वह कह चुके हैं, इसलिए पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जैसलमेर में अकाल स्थायी है। वर्षा कभी पांच-सात वर्ष में एक बार हो जाती है और औसत वर्षा पांच-छः इंच से ज्यादा नहीं होती है। जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि दो इंच बरसात होने से ही सेवल नामक ग्रास पैदा होती है जो कि संसार की सबसे ज्यादा प्रोटीनाइज्ड ग्रास है। यह हाइएस्ट प्रोटीनयुक्त घास है जो वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसलमेर में पानी की कमी है, जमीन की कमी नहीं है वहां आदमी

(श्री किशनसिंह भाटी)

पुरुषार्थी हैं। जैसलमेर में अकाल के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया है मैं उस उत्तर मे बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हूं और इसे मानने को तैयार नहीं हूं कि अकाल प्राकृति प्रकोप है। प्राकृतिक प्रकोप से अकाल पड़ते हैं, दुर्भिक्ष भी होते हैं लेकिन राजस्थान में जो अकाल हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़, फलौदी का जो अकाल है उसमें प्रकृति के कोप से ज्यादा मनुष्य की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी प्रकृति की है। इसके पड़ौस में ही सिंध की क्लाइमेट, सिंध की बरसात का औसत जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़, फलौदी सब का एक-सा है लेकिन सिंध में शक्खर बांध योजना से अकाल का नाम नहीं रहा है। हरियाणा और पंजाब से ज्यादा प्रोडक्शन पाकिस्तान में है। जैसलमेर में एवरेज रेनफाल हमेशा कम रहता है लेकिन मनुष्य ने अकाल पर नियंत्रण पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हमारे यहां पर पिछली कांग्रेस सरकार के समय में तीस वर्षों में फेमिन के नाम पर करोड़ों रुपया बरबाद किया गया है। जो सौ डेढ़ सौ करोड़ रुपया अब तक अकाल में खर्च किया गया है, उससे प्राप्त होने वाले रिटर्न को देखें तो रिटर्न कुछ भी नहीं है। फेमिन रिलीफ के लिये जितना फण्ड अलॉट हुआ तीस वर्षों में उसका मुश्किल से तीन-चौथाई हिस्सा वहां पर खर्च हुआ। बाकी रुपयों का क्या उपयोग हुआ इसका नमूना तो 23 अफसरों के सस्पेंशन की जो लिस्ट निकली है उससे ही साफ है। छः सात लाख की सड़क पर केवल साठ हजार का काम कराने वाले भी इसमें आए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं। अगर आप जांच करवायें तो फेमिन में जहां तीस सड़कें बनाई होंगी वहां मुश्किल से आज की तारीख में तीन या चार सड़कें नजर आयेंगी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मैं गढ़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता लेकिन जिस तरह से पैसे की बरबादी की गई है उसको बताते हुए कहना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल के लिए मनुष्य भी उतना ही जिम्मेदार है। आज आप दूसरे देशों को देखें, इजराइल का उदाहरण लें, फिलिस्तीन का उदाहरण लें, सन् 1947-48 में वहां पर ऐसी ही हालत थी जैसी आज जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़, फलौदी में है, लेकिन आज वहां का क्या वातावरण है। मैंने कल अर्ज किया था कि स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री के वक्त इजराइल ने एक योजना डेजर्ट रिमूवल के लिए, अकाल से हमेशा के लिए राहत देने के लिए और अकाल का स्थायी समाधान करने के लिए दी थी आप उस फाइल को निकलवा कर देखें, उसमें इसके सारे सुझाव हैं। मैं अपनी तरफ से यही सुझाव दूंगा कि फेमिन में करोड़ों रुपया बरबाद किया गया। एक ट्यूब-वैल को बनाने में 70 हजार से एक लाख रुपया अपेरेट्स वगैरह मिला कर लगता है। कार्य अकाल राहत कार्य के नाम से किये गए और जितना रुपया उसमें बरबाद किया गया उसकी जगह अगर स्थायी समाधान ढूंढा जाता तो उस पैसे का तीसरा, चौथा हिस्सा खर्च करके जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़, फलौदी को दूसरा इजराइल, डैनमार्क, पंजाब या हरियाणा बना सकते थे। एक ही जिले में रकबा इतना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जिला है। गंगानगर जैसे दो-तीन जिले इसमें बन सकते हैं। अकाल का स्थायी समाधान ढूंढते तो खाद्य समस्या हमेशा के

(श्री किशनसिंह भाटी)

लिए हल हो सकती है। श्रीमान्, दिक्कत यह है कि बजट का जो बंटवारा होता है वह बंटवारा क्षेत्रीयता के आधार पर होता है। अकाल में, दुर्भिक्ष से क्या हालत होती है इसे माननीय मंत्रीजी भी भलीभांति जानते हैं। इस साल तो माननीय मंत्रीजी भी इसके भुक्तभोगी हैं। अलवर एवं भरतपुर जिले अतिवृष्टि से पीड़ित हैं और वे स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं, हमारी भी उनके साथ हमदर्दी है। जिस तरह से वहां पर अतिवृष्टि से बरबादी हुई है उसी तरह से हमारे इलाके में अनावृष्टि से बरबादी होती है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इनका स्थायी हल आप कीजिए। सैकड़ों ट्यूब-वैलों का जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़, फलौदी के क्षेत्रों में आप जाल बिछायें और जल-विद्युत् यानी हाइडल पावर ज्यादा से ज्यादा पैदा करके, उससे नल-कूपों को जोड़ कर उन्हें चलावें, जल विद्युत् का उपयोग करें ताकि डीजल और क्रूड आयल से चलने वाली मोटरों से सस्ती दर पर उन नल-कूपों का उपयोग किया जा सके और वे बेकार न पड़े रहें। साथ ही डेजर्ट डवलपमेंट के लिए पॉंड फार्मिंग करके और दूसरे तरीकों से सूखी खेती करके उपज बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषज्ञ समिति ने इस एरिया का सर्वे किया था और उनकी यह राय थी कि जैसलमेर इतना ही ज्यादा खजूर के लिए माफिक है जितना कि अरब खजूर के लिये है। जितना खजूर अरब में होता है उससे ज्यादा खजूर जैसलमेर में पैदा किया जा सकता है। अनार भी जैसलमेर में बहुत ज्यादा पैदा किया जा सकता है। रिपोर्ट अंगूर के बारे में भी ऐसी ही है। अनार और मूंगफली के लिए भी यह एरिया बहुत माफिक है। इसलिए ट्यूब-वैल का जाल बिछा कर उन्हें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जल-विद्युत् से जोड़ करके, हाइडल पावर पैदा करके इस काम को किया जा सकता है। मंत्रीजी का ध्यान नहीं है मेरी तरफ वन मंत्रीजी विराज रहे हैं, लेकिन सिंचाई मंत्रीजी, अकाल राहत मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, इसलिए आप मेरी बात को नोट कर लें और उनको बतायें। क्योंकि इस समय मंत्रीजी, अकाल राहत मंत्रीजी नहीं हैं, इसलिए मैं उनके आने पर बोलूंगा आप मेरे समय को कट करके नोट कर लें।

श्री सभापति : डिबेट की समाप्ति के बाद क्रोस एग्जामिन कर लें।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरे सुझावों को नोट करने वाले फेमिन मंत्रीजी नहीं हैं।

श्री सभापति : आप भी समझ लें, सरकार की कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सरकार विराजमान है।

श्री किशनसिंह भाटी : यह वन सुरक्षा से संबंधित है तो वन मंत्रीजी नोट करें।

फेमिन के बारे में आपको स्थायी हल ढूंढना चाहिए। फेमिन को टाल नहीं सकते, करोड़ों रुपया बरबाद किया है तीस वर्षों में। अब भी अगर आप इस ओर ध्यान देंगे तो जैसलमेर को दूसरा पंजाब, दूसरा गंगानगर, दूसरा हरियाणा, दूसरा डैनमार्क और दूसरा इजराइल बना सकते हैं। फेमिन के स्थायी हल के लिए ट्यूब-वैल्स का जाल बिछायें,

Page No 79

(79)

(श्री किशनसिंह भाटी)
जल-विद्युतीकरण करें और राजस्थान नहर को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए दूसरे छोर से कार्य प्रारम्भ करें। कल-परसों भी मैंने यह कहा था लेकिन मेरी बात मानी नहीं गई। इसमें कोई प्रावधिक, कोई टैक्निकल कठिनाई नहीं है। दोनों तरफ धोरे हैं कुदरती, ढलान है प्राकृतिक रूप से, इसलिए उस छोर से कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो फेमिन का स्थायी हल हो सकता है हमेशा-हमेशा के लिए। साथ ही अब जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करें, जैसलमेर में अभी भी पचास प्रतिशत अकाल है, करीब 250 गांव अकाल से जूझ रहे हैं। पांच इंच वर्षा भी इन गांवों में नहीं हो सकी है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अकाल से हजारों लोग पीड़ित हैं। इसलिए आपको वहां पर पानी की सुविधा, मजदूरी की सुविधा देनने पड़ेगी, जल्दी से जल्दी काम शुरू करने पड़ेंगे।

इसी तरह से अकाल में जो सड़कें बनें उनके बारे में भी आपको देखना होगा कि उन पर पूरा रुपया खर्च हो....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य। There should be no repetition.

श्री किशनसिंह भाटी : फलसन-शेरगढ़ तक डामर की 50 मील सड़क बनाई गई, लेकिन आज आप मौके पर 12 मील सड़क ही नहीं पायेंगे। इसकी इन्क्वायरी की जाय और पता लगाया जाय कि बाकी पैसे का उपयोग कहां किया गया ? कहां गई वह सड़क ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। बहुत हो गया।

श्री किशनसिंह भाटी : अन्त में यही निवेदन करूंगा कि अनुपयोगी कार्य नहीं करें और जो मानवीय समस्यायें हैं उनको अहमियत देते हुए फेमिन का स्थायी हल ढूंढें।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : सभापति महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है, जहां कभी अतिवृष्टि और कभी सूखे से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए समय-समय पर सरकार अकाल राहत कार्य प्रारंभ करती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो पैसा अकाल राहत कार्यों पर खर्च होना चाहिए था, वह खर्च नहीं करके कर्मचारी आपस में मिलकर बांट लेते हैं और लोगों को वास्तविक राहत नहीं मिल पाती है। मेरे क्षेत्र पीपलदा में राहत कार्य के अन्तर्गत पीपलदा से खातौली तथा पीपलदा से अयाना सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था। इस सड़क पर जितना पैसा खर्च होना चाहिए था, वह पैसा खर्च नहीं हुआ। कार्य के नाम पर केवल मिट्टी डाल दी गई, जो नहीं के बराबर है। वहां पैसा किस तरह से खर्च किया गया, यह मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि अधिकारियों ने आपस में मिलकर उस पैसे को अपने हित में खर्च किया है। जो सड़कें बनी हैं, वे अधूरी हैं। मैं चाहूंगा कि राहत कार्यों में जो कार्य हुए हैं, उनकी जांच हो। साथ ही जो अधूरी

(80)

(श्री हीरालाल आर्य)
सड़कें बनी हुई हैं, उनको पूरा करवाया जाए ।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव वन विभाग के संबंध में है । मेरे क्षेत्र में जो वन हैं, उनकी स्थिति अजीब प्रकार की है । अलग-अलग स्थान पर वन विभाग हैं । वन विभाग ने जो बाउण्ड्री वाल खींची है, वह इस प्रकार खींची गयी है जिससे किसानों के पशु आदि का नदी पर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है । जो पशु बाउन्ड्री वाल में पहुंच जाते हैं, अधिकारीगण, कर्मचारीगण उनको किसानों से अनाप शनाप पैसा चार्ज कर छोड़ते हैं । मेरे क्षेत्र में, इस प्रकार की समस्या से किसान परेशान हैं । वन मंत्री महोदय, इन कर्मचारियों को आदेश दें कि किसी प्रकार से वे पशुओं को तंग न करें ।

मैं आपका ध्यान इन्द्रगढ़ की नायब-तहसील के बलवन गांव की ओर भी दिलाना चाहता हूं । खसरा नम्बर 406 की जमीन के लिये राजस्व और वन विभाग के बीच में एक समझौता हुआ था और 1230 बीघा एक बिस्वा जमीन राजस्व विभाग को दी गई थी । एस० डी० ओ०, कोटा ने उसका आबंटन 51 कृषकों को कर दिया था । लेकिन यहां के वन अधिकारी ने उन कृषकों को जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जब कि कृषकों के नाम पर कब्जा दिया गया है, पास-बुकें हैं । परन्तु एक वन अधिकारी ने 51 कृषकों के ऊपर केस चला रखा है । किसान बड़े परेशान हैं । किसान गरीब हैं, भोले हैं । वे केस लड़ नहीं सकते हैं । वन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे इस प्रकार के आदेश दें कि वन अधिकारी इन भोले-भाले किसानों के साथ खिलवाड़ न करें ।

सभापति महोदय, एक ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं । भू-संरक्षण के अन्तर्गत इटावा में कुछ जमीन समतल की गई थी । जमीन समतल हुई लेकिन इतना रुपया खर्च हो गया है कि किसान उसे देने में असमर्थ है । अनाप-शनाप पैसा किसान चाहते हैं विभाग वाले...

श्री सभापति : पर्याप्त है ।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय किसान डर के मारे बाजार नहीं आ रहे हैं । उन्होंने बाजार में आना बंद कर दिया है । विभाग वाले लोगों को परेशान करते हैं । मैं चाहूंगा कि किसानों को ऋण से मुक्ति मिले, इसके लिए सरकार कुछ सोचे ताकि किसानों को राहत मिल सके ।

श्री सभापति : श्री ओम प्रकाश ।

(अनुपस्थित)

श्री निर्मल कुमार ।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : माननीय सभापतिजी, अकाल सहायता में पिछले तीस वर्षों में कांग्रेसी शासन ने और उसके मंत्रियों ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसके सम्बन्ध में जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, आप के माध्यम से मैं उनकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्रीमान्, इन तीस वर्षों के अन्दर राजस्थान की सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपया अकाल राहत के नाम पर लोगों को सहायता के लिए व्यय किया परन्तु य

(श्री निर्मल कुमार)

भी अकाल की समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है बल्कि उससे भी अधिक विषम बनती जा रही है। कांग्रेस के लोगों ने, मंत्रियों ने उसमें अपने लोगों का हित चिन्तन किया और अपने लोगों को ऊंचा उठाया। इसलिये जो घोटाले हुए उसके अन्दर, उनकी जांच की जानी चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कुछ लोगों को सस्पेन्ड किया है परन्तु उनको जो पनाह देने वाले थे, उनकी अभी तक जांच नहीं हुई है। संरक्षण के बिना, पनाह के बिना, कोई भी अधिकारी इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकता है। आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व राजनेताओं और जो प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों ने मिल कर के यह षड्यन्त्र किया है और राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय किया है। जो लाखों रुपया लोगों को सहूलियतें देने के लिए उत्पादक कार्य पर खर्च किया जाना चाहिए था और उसके द्वारा लोगों की समस्याएं हल की जानी चाहिये थीं वह पैसा उस पर खर्च न करके अनुत्पादक कार्यों पर खर्च किया गया। ऐसी मशीनें खरीदी गईं जो आज तक बेकार पड़ी हैं और जिनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। अतः मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि वे इस मामले में शीघ्रातिशीघ्र जांच करें। इसके लिए एक विशेष जांच अधिकारी नियुक्त किया जाए। अकाल राहत घोटाले के लिए जो तमाम अधिकारी दोषी हैं, उनको दंडित किया जाए और जो मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाय . . .

श्री सभापति : मंत्रियों को तो जनता ने डिसमिस कर दिया है।

श्री निर्मल कुमार : जनता ने कर दिया है परन्तु उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : बदले की भावना रखते हो।

श्री निर्मल कुमार : सभापति महोदय, यह जो अकाल पड़ता है, यह अधिक वर्षा से भी होता है और कम वर्षा से भी होता है। अधिक वर्षा होती है तब भी फसलें चौपट हो जाती हैं। नहरें बनाने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सारे राजस्थान में नहरों का जाल बिछाया जा सके। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि राजस्थान में जितने नदी-नाले हैं, उन सब को एक कर दिया जाए. . . .

श्री सभापति : आप किस कट मोशन पर बोल रहे हैं ?

श्री निर्मल कुमार : इसी सम्बन्ध में . . .

श्री सभापति : मंत्रियों की जांच और ये नदी-नाले कहां से आ गये। जो कट मोशन है, उस पर पहले बोल दीजिए।

श्री निर्मल कुमार : सभापतिजी, यदि ये नदी-नाले एक कर दिए जाएं तो जो अकाल की समस्या है, इसका कुछ हद तक समाधान करने में हम सफल हो सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं जंगलों के सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आपके जरिए आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जंगल आवश्यक हैं। एक पेड़ को बढ़ने के लिए कम से कम दस, बीस साल चाहिएं और उसको समाप्त करने में कुछ चंद मिनट लगते हैं। यह जो समस्या

(श्री निर्मल कुमार)

है, जंगलों के काटने की इसका सारा दोष, भार किसान पर डालेंगे, इसका काश्तकारों पर उत्तरदायित्व डालेंगे तो यह किसानों के साथ अन्याय होगा। जो वन कटे हैं, वे सरकारी नीति के कारण, कांग्रेस के मंत्रियों और अधिकारियों की सांठगांठ के कारण कटे हैं। आज भी वन लगातार कट रहे हैं। आज देहातों में रोटी बनाने के लिए कोई वकल्पिक ईंधन नहीं है, साधन नहीं है। इसलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है कि पंचायत स्तर पर ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था हो, कोयले की व्यवस्था हो, तब ही वन कटना रुक सकेंगे अन्यथा वन कटना नहीं रुकेंगे। देहात के आदमी को भोजन बनाने के लिए कुछ न कुछ तो साधन चाहिएं, ईंधन चाहिए। गरीब आदमी इतना खर्चा नहीं कर सकता इसलिए कोयला आपको लकड़ी के भाव गांव को देना होगा तभी आपकी यह वन नीति सफल हो सकेगी।

वन में पेड़ लगाने की योजना है। पेड़ लगाते हैं। जहां पर पेड़ लगाये गये हैं, वहां पर आप फेंन्सिग देख सकते हैं परन्तु पेड़ का नामो निशान नहीं है, वन नहीं है। फर्जी काम होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि वन लगाए जाएं, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। परन्तु वन वहीं लगाये जायें जहां सिंचाई का साधन हो और उतने ही क्षेत्र में लगाऐ जाएं जितने में कारगर हो सकें ताकि पेड़ लग सकें। इस प्रकार का प्रोपेगन्डा करते हैं कि एक करोड़ पेड़ लगाये जायेंगे। इससे पैसे की बरबादी होती है आधिकारी उस पैसे को हजम कर जाते हैं और पेड़ नहीं लगते हैं। मेरा निवेदन है कि वन लगाए जाएं इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, परन्तु ऐसी जगह पर लगाए जाएं जहां पर कि वन पनप सकें और उनकी उचित देखभाल हो सके। एक निवेदन मुझे और करना है, जो औरतें सिर पर लकड़ियों की भारियां लाती हैं, उनको फोरेस्ट के लोग परेशान करते हैं। उनके साथ जंगलों में दुर्व्यवहार करते हैं। छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए जो औरतें सिर पर लकड़ियों की भारियां लाती हैं, उनको नहीं छेड़ा जाये।

इसी प्रकार से पशुओं की सुविधा के बारे में सवाल है। उनको चराने की सुविधा आप दें। आशा है, मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापतिजी, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा नाम बाद में था लेकिन मुझे जाना है इसलिए मैं पहले बोलना चाहता हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : कभी मेरा भी ध्यान रखना।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं यह निवदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जंगल बरबाद हुए हैं, उससे अकाल सभी जगह होंगे। इसलिए कृपा करके जहां-जहां खुले जंगल हैं, उनमें पैडत्र्स लगाइये और उन को लगाकर उनकी देख-रेख का काम पंचायत समितियों को सौंपिये। उतरमाल और बिजालिया के क्षेत्र में इतने जंगल थे कि शेर की शिकार के लिए लोग वहां आते थे। आज दूर-दूर तक पेड़ देखने में नहीं आते हैं। वहां के पेड़ों को काटा जा रहा है। आगे जाकर यह होगा कि

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए कृपा करके जितनी सख्ती से फोरेस्ट को बचाया जा सके बचाइये। अगर जंगलों की सुरक्षा के लिये यह नहीं करेंगे तो अभी जहां अकाल नहीं पड़ता है वहां भी अकाल पड़ेंगे। मेरे क्षेत्र सिघोली, श्यामपुर, घनवाड़ा और मांडलगढ़ सभी जगह खुले जंगल हैं। सभापति महोदय, वह क्षेत्र वनों के लिये धनी है। माण्डलगढ़ किला उजड़ गया है उसे अब वन के लिये लिया जा सकता है। वहां पर आप हरिणों के लिये वन बना सकते हैं। मेरा निवेदन है कि 30 साल तक जंगल बरबाद हो गये अब जंगलों को बचायें।

काट लिया सब रुखड़ा, वन का सेपट पाट।
काजा केबर सात की, जदी जीवड़ा वाट ॥

इसलिए अकाल बढ़ाने का काम नहीं करें। वनों से भारी लाभ होता है। वन सम्पदा ही हमारी असली सम्पदा है।

श्री सभापति : माननीय श्री ताराचन्द।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शिवराजसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री विजयसिंह नदेरा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान में भयंकर अकाल पड़े हैं। लेकिन अभी जो पिछले साल अकाल पड़ा, वह उससे भी ज्यादा भयंकर है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पिछली सरकार ने अकाल के लिए कार्य किया है लेकिन जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए था, उस योजना बद्ध तरीके से नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र में पिछले अकाल में 2000 कुए बने। कुएं बन गये लेकिन काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिले। नतीजा यह है कि कुआ बन गया परन्तु साधनों के अभाव में काश्तकार कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। आज उनके पीछे-पीछे पुलिस के सिपाही डोलते हैं। काश्तकार से कर्जे की वसूली तब ही कर सकते हैं जब कि उसको कुछ फायदा हो। नहीं तो खेतों में कुआ बनाकर काश्तकार बरबाद हो जाते हैं। तो सरकार की योजना फेल हो जाती है। इस अकाल में कम से कम 25000 कुए बनाये जायें। लोन के रूप में रुपया उन लोगों को आप दीजिए तो अकाल का स्थायी हल हो सकता है।

इसी प्रकार से सड़कों का भी अकाल राहत में काम हो सकता है। मैं आपको निवेदन करूं कि पिछले अकाल में जो सड़कों पर काम किया गया था उसके लिए जो पत्थर और दूसरा मैटीरियल आया था, वह लोग उठा कर ले गये। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है, कितना ही कार्य चलाया जाये लेकिन जो पिछला अधूरा काम है, वह पूरा किया जाये। गांव की जो रोड हैं जिन रोड्स का पहले अकाल राहत में कार्य चलाया गया था, उन्हीं सड़कों को पूरा किया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है। अकाल और वर्षा से अनाज महंगा हो गया है। अगली फसल चना, गेहूं की होगी, इसके लिए बीज की आवश्यकता होगी। अकाल के

Page No 84

(84)

(श्री नवरंगसिंह)

कारण से दो ढाई रुपये किलो चना मिल रहा है वह और ज्यादा महंगा हो जाएगा। इस लिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि बीज स्टोर बनायें और काश्तकारों को सस्ते मूल्य पर बीज मुहैया करायें। आज बीज उचित भाव में नहीं मिलता है, इस स्थिति में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि काश्तकारों को बीज खरीदने के लिये सब्सिडी दिलायी जाये।

इसी प्रकार से जो तकाबी और ऋण के बारे में घोषणा की गई है, वह ऋण झुंझुनूं जिले में भी दिया जाएगा। कई आदमियों से फार्म भराये गये हैं वह आज टकटकी लगाये बैठे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं जिले में 70 लाख रुपया ऋण के रूप में दिया जाये। इसके अलावा जो छोटी-छोटी योजनाएं हैं, उनके बारे में तय करने के लिए एक कमेटी हो। वह कमेटी राज्य सरकार से अप्रूवल लेकर उस योजनाओं को चलाये।

इसी तरह से अकाल के टाइम पर पशुओं के लिए चारे की समस्या बड़ी गम्भीर हो जाती है। मेरे जिले झुंझुनूं में करीब दस लाख क्विन्टल चारे की आवश्यकता है। अगर इसकी पूर्ति नहीं कर सके तो बड़ी परेशानी पैदा हो जायेगी। साथ ही जो धनराशि झुंझुनूं जिला पैदा करके राजस्थान को देता है उससे राज्य सरकार वंचित हो जायेगी, इसलिए तुरन्त ही चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि यह निश्चय हो चुका है कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही अवस्थाओं में राजस्थान में अकाल पड़ता है। झुंझुनूं जिले की भी यही स्थिति है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिला अधिकारियों से यह रिपोर्ट आ चुकी है कि जिले की 80 से 90 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो चुकी है, इसलिए मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही वहां पर अकाल घोषित किया जाय।

मैं थोड़ा-सा कातरे के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, कातरे की दवा जो जिला कृषि अधिकारी, सीकर थे उन्होंने तब बांटी, जब कातरा खत्म हो गया था। वह दवा उसके बाद ब्लॉक में दी गई। जैसा कि मुझे प्रसार अधिकारी ने बताया जो एग्रीकल्चर आफिसर, सीकर हैं वह उससे बहुत पैसा कमाते हैं। कातरे का टाइम निकल गया, कातरा मर गया तब तक उसका स्टाक बनाये रखा। उसके बाद पंचायत समितियों को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि कातरे की दवा बांटी जाय।

इसी तरह से खाद के मामले में और बीज के मामले में सुनाई देता है कि ब्लॉक से दिया जाता है और अधिकारी लोग इसमें शामिल होते हैं। बाजरे में चेपे की बीमारी लग गई, उसके कारण वह जहरीला हो गया। लोग उसके खाने से मर जाते हैं। यह चेपे की बीमारी दो-तीन साल से है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बीमारी का प्रयोगशाला में अनुसंधान कराया जाय कि यह क्या बीमारी है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। यह बीमारी हर साल होती है और इससे फसल नष्ट हो जाती है, बाजरा बरबाद हो जाता है।

(श्री नवरंगसिंह)

वनों के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि पेड़-पौधों की रक्षा की जाय और सड़कों के किनारे पेड़ लगवाये जायं । साथ ही विद्यालयों में भी वनों की शिक्षा दी जाय, वन सम्पत्ति के बारे में जानकारी दी जाय और वनों की रक्षा करने के उपाय बताये जायं । ऐसा नहीं हुआ तो वनों की रक्षा नहीं कर सकेंगे और राजस्थान में बढ़ते हुए रेगिस्तान को नहीं रोका जा सकेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि वन मंत्रीजी शिक्षा मंत्रीजी से मिलकर बच्चों को वनों के बारे में शिक्षा दिलाये जाने की व्यवस्था करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप सात मिनट बोल चुके हैं ।

श्री नवरंगसिंह : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

माननीय सभापति महोदय, अतिवृष्टि से झुंझुनूं जिले में पांच हजार मकान गिर गये हैं । यह सब नालों और छोटी-मोटी नदियों के कारण हुआ है, परन्तु आप उसको बाढ़ नहीं कहते हैं । खास तौर से हरिजन वर्ग पर इसका असर पड़ा है, इसलिए पांच हजार लोगों को सहायता देने के लिए आप विचार करें और उनको अनुदान दिया जावे । जय भारत ।

श्री सभापति : श्री मनीराम आर्य ।

श्री मनीराम आर्य (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में वैसे अकाल तो ज्यादा पड़ता ही है किन्तु अकाल के वक्त में जितनी गड़बड़ियां वहां हुई हैं वह शायद और जगह नहीं हुई हों । मैं पूरी तरह से डिटेल में तो आपको नहीं बता सकता लेकिन ऐसा हुआ था कि जो काम पहले हो गये थे, वहां पर जो कंकर और पत्थर वगैरह पड़ा हुआ था, उसको दुबारा खरीदा हुआ बताया गया और उसकी रकम फिर उठा ली गई । लोगों ने इसकी शिकायत भी की । शिकायत करने वाले जो लोग थे, 12 महीने के बाद वह शिकायत लेकर मेरे पास आये । उस बात को 12 महीने, एक साल हो गया, ओवरसीयर कहीं गया, जो दूसरे लोग थे वे कहीं और चले गये, जिन्होंने पत्थर और कंकरों का पेमेन्ट उठाया वे कहीं चले गये, अब क्या हो सकता है ? तो यह हाल हुआ, मस्टर रोल जो बनाये गये बगैर लोगों के बनाये गये, फर्जी मस्टर रोल बने व एक्स.ई.एन. और ए.ई.एन. अटेचियां भर कर नोट ले गये, अकाल राहत के पैसे से नेताओं की कोठियां बनीं और दूसरे छोटे-मोटे लोग उस पैसे को अपने घरों में ले गये । फेमिन के पैसे का यह हाल हुआ उस क्षेत्र में, यह हमने देखा । इसलिए मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल तो पड़ता ही है लेकिन पैसे का दुरुपयोग न हो जैसा कि पिछली बार हुआ, पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए । इस पर नियंत्रण होना चाहिए । वह पैसा गरीबों के नाम से उठाया गया लेकिन गरीबों के पेट में नहीं जा सका । उनको दो आने, चार आने और छः आने भी नहीं मिले । उनके नाम पर मस्टर रोल बनाकर अधिकारी लोग अपनी अटेचियां भर कर ले गये, यह हमने देखा है । यह हाल हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि कोई भी कार्य खोला जाय, वह कार्य ऐसा हो कि अकाल का हमेशा के

(श्री मनीराम आर्य)

लिए समाधान हो जाय। मेरे क्षेत्र में अकाल से पीछा छुड़ाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कार्य ऐसा किया जाय जिससे उस क्षेत्र में हमेशा-हमेशा के लिए अकाल की समस्या मिट जाय, वहां अकाल का नाम भी नहीं रहे ऐसी कार्यवाही की जाय। इसके लिए नहरें बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सिद्धमुख नहर लायें, चाहे और किसी तरीके से आप पानी दें इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान करिये। मैं तो यहां तक अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में आप सारे विकास रोक दीजिये लेकिन अकाल की समस्या को मिटा दीजिये ताकि वहां पर इसका दुबारा दर्शन नहीं हो और किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाय वरना यह होगा कि अकाल का जो पैसा बांटेंगे वह गरीबों को नहीं मिलेगा, वे नेताओं के पीछे चक्कर लगाते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। मेरा तो यह निवेदन है कि अगर हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता कि इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाय, तो यह जाने वाली चीज है नहीं क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप है, अकाल आ ही जाता है। इसलिए ऐसे कार्य करें जिनसे समस्या हमेशा-हमेशा के लिए खतम हो सके और अकाल के हमारे यहां पर दुबारा दर्शन न ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा डिबेट की सीरियसनेस को समझें ।

आप चालू रखें।

श्री मनीराम आर्य : मैं तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भी अकाल राहत के कार्य खोले जायं। कहीं पर ऐसी सड़कें पड़ी हैं जो थोड़ी-थोड़ी नीची हो रही है, यदि उन सड़कों का कार्य पूरा हो जाता तो यातायात के लिए आवागमन का रास्ता तो खुलता। लेकिन वह भी नहीं खुल सका। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 2 मील, 4 मील, 5 मील जितनी भी दूर तक कोई चीज बने वह हमेशा के लिए बने और ठोस हो। बाकी थोड़ा रेता गिरा देते हैं तो हवा में उड़ जाता है या पानी में बह जाता है और पैसा बिना काम के बरबाद हो जाता है। वह पैसा न उस क्षेत्र के काम में आता है, न उससे उस इलाके की समस्या का समाधान होता है। तो जो भी कार्य हो वह ठोस हो और हमेशा के लिए वह चीज बने। इसके लिए सरकार कोशिश करे। यही निवेदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथू राम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले में इस समय भयंकर अकाल है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण से अकाल है। वहां पर लगभग 80 इंच पानी बरसा। बांसवाड़ा जिले में आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए मक्का पैदा होता है। अतिवृष्टि के कारण वह फसल नष्ट हो गई और कोई फसल नहीं रही। आज लोगों के पास में कोई धंधा नहीं। मैंने बजट पर सामान्य वाद विवाद के समय भी निवेदन किया था। अब भी आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस भयंकर भुखमरी के समय में आप वसूली स्थगित करें और उन गरीब लोगों के लिए अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी आरम्भ करायें, उनको मजदूरी दें। आदिवासी लोग अपनी

(श्री नाथू राम)

मेहनत करके जिंदा रहना चाहते हैं, कभी भी ऐसे ही पैसा नहीं मांगते हैं। अगर फसल अच्छी होती है तो धंधा नहीं मांगते हैं। पिछले अकाल के समय से आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों पर कंकर, पत्थर व मलबा पड़ा हुआ है। उसका ठेकेदार फायदा उठाते हैं। अकाल राहत कार्यों में इस सामान का उपभोग करें तो आधी रकम से प्लान की सड़कें बन जायेंगी और लोगों को धंधा भी मिल जाएगा।

बांसवाड़ा जिले में सरकार की तरफ से जिन व्यापारियों को अकाल में दुकानें खुली थीं, वह केटल फीड गुजरात में नीलाम किया, उसे बांसवाड़ा में लाये। उस माइलो को गरीब लोगों को खिलाया। उससे कई लोग बीमार पड़ गए। जगह-जगह दवाइयों का इंतजाम हुआ फिर भी पिछले साल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सड़ा हुआ माइलो था, वह मैंने सदन की मेज पर रखा था लेकिन सरकार की तरफ से जांच नहीं हुई। उसकी जांच होनी चाहिए। आदिवासियों के पास कोई खाने की चीज नहीं है इसलिए सरकार को अनाज की व्यवस्था करनी चाहिए। मक्का चाहे महंगा मिले, वह लेकर उन लोगों को देना चाहिए। लाखों टन मक्का बांसवाड़ा से बाहर जाता था। इस साल डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर डिवीजन्स में कहीं मक्का नजर नहीं आता है। पहाड़ी क्षेत्र में जहां भयंकर अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलें नष्ट हो गई हैं, वहां खाने के लिए मक्के की व्यवस्था करनी चाहिए और अकाल राहत कार्य के लिए ज्यादा से ज्यादा मजदूरी दिलानी चाहिए तभी लोग जिंदा रहेंगे। अब तो पशुधन भी खतम हो गया है।

रिलीफ एक्ट बहुत वर्ष पहले, आजादी से भी पहले का बना हुआ है। वहां की जो आदिवासी महिलायें हैं, वे आदमियों से ज्यादा मेहनत करती हैं लेकिन उनको मजदूरी पुरुषों से कम मिलती है। इसलिए आप उस एक्ट में संशोधन करें ताकि पुरुषों व महिलाओं दोनों को बराबर मज़दूरी मिले।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा में टिनेन्सी एक्ट के कारण से हजारों लोगों ने महुए के वृक्ष काट दिए। महुए का वृक्ष ऐसा होता है जिसके फल से दुष्काल में लोग जिंदा रहते हैं। उसकी लकड़ी काम में आती है। लेकिन एक्ट में इस तरह से संशोधन हुआ कि जमीन भी लोगों ने कब्जे में ले ली और जिनका व्यक्तिगत महुआ था, वह भी नष्ट कर दिया। दुष्काल के समय महुए का बीज ज्यादा राहत पहुंचाता है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा महुए के वृक्ष लगा कर आदिवासियों को राहत पहुंचानी चाहिए।

वनों की सुरक्षा के बारे में मेरा एक प्रस्ताव है। मैंने हमेशा वनों की सुरक्षा के बारे में निवेदन किया है। आज जहां छोटी-मोटी पहाड़ियां हैं वहां तमाम जंगलों को नष्ट कर दिया। आज एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आदिवासियों ने जंगल नष्ट किए, मैं कहता हूं सरकार ने जंगल नष्ट किए। आजादी के बाद पिछली सरकार ने ठेकेदारी प्रथा शुरू की। ठेकेदारों को जंगल का ठेका दिया। उन ठेकेदारों ने चोरी करके दूसरे रिजर्व्ड जंगल से सफाई कर दी। ठेकेदार को जो एरिया दिया जाता है, उस एरिया से वह लकड़ी को इकट्ठा करता है और बाहर बेचता है। आदिवासी मजदूरी जरूर करते हैं, जहां उनके झोंपड़े हैं वहां वनों की सुरक्षा रहती है। पिछली बार मैंने सुझाव दिया था, अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज

(श्री माथुराम)

आदिवासी नवयुवक मैट्रिक, बी. ए. तक पढ़े हुए बैठे हैं लेकिन किसी नवयुवक को फोरेस्टर या डी. एफ. ओ. की ट्रेनिंग नहीं दी। फोरेस्ट गार्ड, रेंजर और डी. एफ. ओ. के पद उन आदिवासी नवयुवकों को दिये जायं। क्योंकि जंगलों में उनका जन्म हुआ है, इसलिये वे जंगलों की सुरक्षा कर सकेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा आदिवासी नवयुवकों को ट्रेनिंग दिलाकर वन विभाग में नौकरी दें तो वे बचे हुए वनों की सुरक्षा करेंगे।

हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर डिवीजन में तमाम पहाड़ियां नंगी हो गई, यह सब ठेकेदारी प्रथा के कारण हुआ है। अब सरकार ने यह प्रथा बंद कर दी है लेकिन वनों की सुरक्षा करनी चाहिए। प्लांटेशन के कार्य के अलावा बांस के जंगल भी खतम हो गए हैं। जहां उनकी जड़ें हैं, उनकी रक्षा करके, कल्चर कराकर तेंदु और बांस के वनों की सुरक्षा करवानी चाहिए। मैंने पिछली बार सरकार से मांग की थी कि उदयपुर डिवीजन में और राजस्थान में जगह-जगह तेंदु के पत्ते का सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। काफी वनसंपदा ऐसी है जिससे इकानामिक कन्डीशन अच्छी हो सकती है। इसलिए जहां पहाड़ियां नंगी हैं उनको आबाद करना चाहिए और आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना चाहिए। गुजरात सरकार ने प्लान बनाया लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जंगलों को सरकार की नीति के कारण नष्ट किया गया। सरकार की नीति में इसलिये परिवर्तन करना चाहिए। आप मंत्रिमंडल में निर्णय लीजिए। जहां काबिल-काश्त भूमि है, पहाड़ियां नहीं हैं, वहां रेवेन्यू और वन विभाग के नक्शों के आधार पर जंगलों से भूमि निकाल कर भूमिहीनों को देनी चाहिए। पहाड़ी वालों को आबाद करना चाहिए। कडाना बांध से प्रभावित लोगों का पुनर्वास कहां हुआ ? जंगलों को नष्ट करके पुनर्वास हुआ। जहां भी पुनर्वास होता है वहां पहाड़ियों से कमांड एरिया में बसाना चाहिए।

तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप कहीं देख लें चाहे भाखरा के अन्दर देख लें जिन लोगों को बेदखल किया गया था उनको कमान्ड एरिया में नहीं बसाया गया है, उनको तलहटी एरिया में बसाया गया है। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप केबीनट में इस बारे में डिसीजन लीजिये कि आप उन लोगों को तलहटी एरिया में नहीं बसायेंगे बल्कि कमान्ड एरिया में ही बसायेंगे। ऐसा मेरा आपको सुझाव है। इससे तलहटी एरिया में जंगलों का विकास होगा और वह लोग कमान्ड एरिया में अच्छी तरह से खेती भी कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्योपत सिंह।

श्री श्योपत सिंह (मकासर हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, आज सदन में अकाल की मांग पर और वन विभाग की मांग पर बहस चल रही है। उन पर मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। सभापति महोदय, अकाल की बात एक बहुत ही अजीबो गरीब बात हमारे युग की है। आज जब मनुष्य चांद पर जा रहा है उस वक्त अगर हमारे यहां अकाल हो तो हमारे लिये यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यह

Page No 89

(89)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

हमारे लिये कोई गर्व की बात नहीं है बल्कि एक शर्म की बात है। आज, सभापति महोदय, हमने अकाल के नाम पर अरबों रुपये खर्च किये हैं। स्थिति यह है कि हालत वही की वही है। इसका मतलब यह है कि हमने अकाल की समस्या को सन्जीदगी से नहीं देखा। हमारा अनुभव यह कहता है कि हमारे यहां पर अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी हर साल अकाल पड़ रहा है। कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। आज होना तो यह चाहिये था कि रेगिस्तान के इलाके में अगर वर्षा की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण अकाल पड़ता है तो अगर वहां पर पानी पाताल में भी हो तो भी उसे निकालकर वहां के लोगों की पानी की जो समस्या है उसका हल निकालना चाहिये। अगर वहां कोई पास में दरिया है तो उस दरिया से हमें नहरें निकाल कर उन लोगों के पास पानी पहुंचाना चाहिये। इसके साथ ही वहां पर जो आवागमन के रास्ते हैं वह अगर अच्छे नहीं हैं तो हमें वहां पर पक्की सड़कें बनानी चाहियें और उनके जरिये से लोगों को पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये। रेलवे लाइन से जोड़ कर उन जगहों पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। बीकानेर एक ऐसा इलाका है इसको आप कोलायत से जैसलमेर की रेलवे लाइन से आराम से कम खर्च में जोड़ सकते हैं और वहां पर पानी पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार कोई नहर है तो उसके द्वारा ऐसे इलाके में पानी पहुंचा कर उसे भी आप हरा-भरा कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर साल अकाल पड़ता है हम अरबों रुपये खर्च कर के भी आज तक अकाल का कोई स्थायी हल नहीं निकाल सके हैं। हमने अभी तक अपने पिछले अनुभवों से कोई सबक नहीं लिया है। आज तक बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, सीकर, बाड़मेर, जहां हर साल अकाल पड़ता है, कोई व्यवस्था नहीं की है। आज वहां पर वही रेगिस्तान है। मेरा मन्त्री महोदय को सुझाव यह है कि आप जितना भी पैसा खर्च करो, चाहे थोड़ा पैसा खर्च करो लेकिन आप पैसा ऐसे खर्च करो कि अकाल का कुछ स्थायी हल निकले। इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो दूसरा अकाल पड़ता है वह अतिवृष्टि के कारण और ओलावृष्टि के कारण पड़ता है। उसका भी कोई न कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। यह बहुत ही भयंकर बात है कि किसान अपनी फसल की बुवाई करता है, फसल जब तक मेच्योर होती है जब तक वह काफी खर्च कर चुका होता है। इसी बीच में अगर ओलावृष्टि हो जाती है या अतिवृष्टि हो जाती है तो फसल बिल्कुल बरबाद हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी फसल उगते ही ज्यादा बरसात होने से काश्त नष्ट हो जाती है और किसान बेचारे को चूर कर देती है। राजस्थान में आज ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां अतिवृष्टि से हर साल फसल नष्ट हो जाती है और किसानों को बरबाद कर देती है। इससे किसान तबाह हो जाता है। पैसा पूरा पहले ही बीज, खाद वगैरह में खर्च कर देते हैं उसके पास कुछ नहीं रहता है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा जब हर साल होता है तो हमें इस प्रश्न को जरा सन्जीदगी से लेने की आवश्यकता है। अभी, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्रीजी का ध्यान अलवर में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)
वहाँ पर रबी की फसल पूरी तबाह हो चुकी है। अगर हम थोड़ी सी तवज्जोह नहीं देंगे तो खरीफ की फसल भी नष्ट हो जायेगी। अगर थोड़ा ध्यान दें तो चाहे रबी की फसल नष्ट हो गयी लेकिन हमारी खरीफ की फसल बहुत अच्छी हो सकती है। आज किसान की कमर टूटी हुई है वह चूर-चूर हो चुका है इसलिए इस इलाके में उसे आप किसानों को तकावी दीजिये। उन्हें आप बीज दीजिये, अच्छी खाद मुहैया कीजिये। मुझे, सभापति महोदय, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार काश्तकार को राहत देने के लिए अभी तक कोई कार्य-वाही करने के लिये तैयार नहीं हो रही है। वह बिल्कुल चुपचाप बैठी है। मौन है। साबी नदी में बाढ़ आ जाने से अलवर में फसल तबाह हो गयी है, गाँवों में मलेरिया फैल गया है, लोगों के पशु मर चुके हैं। और मर रहे हैं। मैंने कई बार सदन में इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया कि किसान तबाह हो रहा है आप उसके लिये कुछ कीजिये। मैंने उन्हें बार-बार कहा कि किसान की हालत खराब हो रही है लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं आप क्यों चुपचाप बैठे हैं। आपको चाहिये कि उनकी जो हालत गिर रही है उसे आप सम्भालें। अतिवृष्टि से वह बरबाद हो रहा है आपको उसे सम्भालना चाहिये। आपको युद्ध स्तर पर उसको ऊपर उठाने के लिये कुछ करना चाहिये। रबी की फसल नष्ट हो गयी है। अब आप ऐसे उपाय करें जिससे कि खरीफ की फसल अच्छी हो सके। दो महीने रह गये हैं सिर्फ अक्टूबर–नवम्बर का महीना रहा है सितम्बर तो जा रहा है इन दो महीनों में आपको किसानों को युद्ध स्तर पर बीज, खाद की सप्लाई करनी चाहिये। आपको जल्दी तकावी बाँटनी चाहिये। ऐसा करने पर खरीफ की फसल अच्छी करके आप रबी की फसल के नुकसान को बराबर कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, वन विभाग पर मेरे कटौती प्रस्ताव दिये हुए हैं। आज वन विभाग में एक अजीबो-गरीब तमाशा है। वहाँ पर हर साल वृक्षारोपण के नाम पर पेड़ लगाने में लाखों रुपये का घोटाला हो जाता है। मालूम नहीं, हर साल जितने पेड़ लगाये जाते हैं वह कहाँ चले जाते हैं? पेड़ मर जाते हैं या पता नही उनका क्या होता है? मैं वन मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने आज तक पेड़ लगाने के लिये कितने रुपये खर्च किये और वह पेड़ कहाँ-कहाँ पर कब-कब लगाये। मुझे तो आपके पेड़ दिखायी नहीं देते हैं। सिर्फ आँकड़े दे देते हैं आप। इसके अलावा एक बात और आप करते हैं कि फोरेस्ट के रिजर्वेशन भी करते हैं। आप जरा सोचिये, मेरे इलाके में बीकानेर डिवीजन, जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर रिजर्व फोरेस्ट के नाम पर काँटेदार तार की बाड़ लगा दी है। वह काफी दूर तक चलती रहती है। आपने यह भी व्यवस्था कर रखी है। कैनाल एरिया में आपने दो मुरब्बों में नर्सरीज की पौध तैयार करने के लिये व्यवस्था की है। जहाँ पर हर साल सूखा पड़ता है वहाँ पर क्या पेड़ उगेंगे? आप ऐसे एरिया में पेड़ लगायें जहाँ वे उग सकें। आप इस ओर ध्यान से काम कीजिये।

आज आपके वन विभाग में कोई कोर्डिनेशन नहीं है। मैं आपको कहता हूं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कि आप को खुद को पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं। आप किसानों को पैसा दे दो वह अपने आप पेड़ लगा लेंगे। इसके अलावा वहाँ पर काबिल काश्त जगह है वह भूमिहीनों को खेती करने के लिये देनी चाहिये। कई लाखों एकड़ जमीन पड़ी है। कैनाल के दोनों तरफ आप पेड़ लगाइये, सड़कों के दोनों तरफ आप पेड़ लगाइये, रेल्वे ट्रैक के दोनों तरफ। बल्कि काबिल काश्त जमीन पर खेती कराइये, उपज बढ़ाइये। इसके अलावा जैसा कि मैंने निवेदन किया है, वृक्ष लगाने का काम आप किसानों को दीजिये उनको सब्सिडी दीजिये। पाँच-दस रुपया दीजिये। उन्हें आप पेड़ भी सप्लाई कीजिये। वह आपके पेड़ों की रक्षा भी करेंगे। लेकिन होता क्या है कि आज आपके वन विभाग वाले वहाँ पर, खास तौर से मैं मेरे एरिया की बात करना चाहता हूं, पेड़ लगाते हैं कीकर के। यह एक ऐसा पेड़ है जो कि वास्तव में खेती के लिये बहुत ही खतरनाक है। कीकर के पेड़ आसपास की फसल को नष्ट कर देते हैं। इसलिये आप को पेड़ लगाने चाहियें झाटी के जिससे आपकी फसल बढ़ेगी, लकड़ी मिलेगी। उन से काफी फायदा होगा। बम्पर क्राप होगी। आप झाटी के पेड़ लगाकर देखिये। लेकिन आप पेड़ लगा रहे हैं सपेट के जो कि बहुत लम्बे होते हैं लेकिन उनकी छाया नहीं होती। यह बहुत ही खराब बात है। इसलिए सभी बातों पर विचार करके आप को पेड़ लगाने चाहियें। जैसा कि मैंने सुझाव पेड़ों के बारे में दिया है उस पर अगर आप अमल करेंगे तो वास्तव में आपको फायदा होगा। आज मेरे एरिया में करीब 9 हजार एकड़ जमीन का जंगल है लेकिन बिल्कुल फालतू है। वहाँ पर ऐसे जंगल हैं कि पशुओं को चरने नहीं देते हैं लोग चोरी करके लकड़ी काट-काट कर ले जा रहे हैं। फोरेस्ट गार्ड भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हजारों रुपये रिश्वत खा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप फोरेस्ट में पशुओं को चरने दीजिये। क्यों नहीं चरने देते हैं आप पशुओं को? उनसे चुंगी ले लीजिये, पाँच, सात, दस रुपये साल के। आपको नुकसान नहीं फायदा होने वाला है। वहाँ पर जो घास होती है उसको चरने देने से तो आपको फायदा होगा। घास में एक खासियत होती है। घास तो बरसात के बाद जब थोड़ी बड़ी हो जावे तो आप उसको चरने दें पशुओं को तो घास और अधिक बढ़ेगी। दूसरे गाय, भैंस वगैरह ऐसे पशु हैं जो कि आपके वनों को नुकसान नहीं पहुंचायेंगे। भेड़ नुकसान पहुंचा सकती है, बकरी नुकसान पहुंचा सकती है पर गाय-भैंस आपके पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचायेगी। मैं समझता हूं कि अगर आप पैसा लेकर गाय-भैंस वगैरह को चराने देंगे तो आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी और जो भ्रष्टाचार फोरेस्ट विभाग वाले करते हैं चोरी छिपे चुरा कर वह भी समाप्त हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें.....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बस इतना ही कह कर मैं निवेदन करूंगा अकाल की समस्या को हमें सन्जीदगी से लेना चाहिये। इसलिये मैंने जो सुझाव दिये हैं अकाल के बारे में उन पर विचार कर अकाल का स्थाई हल निकालना चाहिये। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे अकाल की समस्या का हल निकल जावे।

श्री रतनलाल वर्मा (मिनाय): माननीय सभापति महोदय, आज का विषय बहुत भयंकर विषय है। इस विषय को भयंकर इसलिये बताया है क्योंकि किसान की स्थिति का आज तक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

यह फेमिन कोड है। मैं इसको कह दूं कि यह फेमिन कोढ़ है तो ज्यादा अच्छा होगा। सभापति महोदय, फेमिन से वे ही लोग प्रभावित होते हैं जिनको सरकार ने जलील किया है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी किसानों को जलील किया और 30 साल के कांग्रेस के शासन काल में भी सरकार ने यही किया। आज भी राजस्थान में फेमिन कोड किसान की छाती पर लागू है। उसके अन्तर्गत सही काम हुआ या नहीं इसकी कोई परवाह नहीं। आज भी लैंड रेवेन्यू एक्ट किसान की छाती पर लागू है। इस एक्ट के अन्तर्गत सही काम हुआ या नहीं इसकी परवाह नहीं। उसमें इतने अमेन्डमेन्ट हो गये, अमेन्डमेन्ट पर अमेन्डमेन्ट करते चले गये और उसके परिणाम स्वरूप किसान अदालतों में जाकर बरबाद हो गया। सरकार के पास यह रिकार्ड है कि इतना उत्पादन हुआ, पांच लाख टन हो गया, पचास लाख टन हो गया, साठ लाख टन हो गया, इतना क्विन्टल हो गया लेकिन सरकार के पास यह रिकार्ड नहीं है कि उसके उत्पादन के पीछे लागत कितनी लगी है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं, आप सरकार पर दबाव डालें कि सरकार यह मूल्यांकन करे कि जो अनाज पैदा हुआ है उस पर लागत कितनी लगी है। इस फसल की छः महीने की लागत मैं आपको बताता हूं। एक परिवार में चार भाई हैं और चार औरतें, उनके आठ बच्चे हैं जिनमें से चार छोटे हैं। एक आदमी की मजदूरी 4.20 रुपया है तो छः महीने के अन्दर मजदूरी के 80.28 रुपये होते हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को सिर्फ यह जानकारी देना चाहता हूं कि समय कम है इसलिये आप अपने कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रहें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : एक किसान . . .

श्री सभापति : सुनिये तो सही। कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रहेंगे तो उचित होगा।

श्री रतनलाल वर्मा : तो सभापति महोदय . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : 80.28 रुपये केवल मजदूरी के होते हैं गवर्नमेन्ट की रेट के अनुसार।

किसान 500 रुपए का बीज डाले, 200 रुपये का खाद डाले और 80.28 रुपये की मजदूरी करे, उसके बाद . . .

श्री सभापति : किस कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : सीधा उसी पर ही आ रहा हूं।

(श्री रतनलाल वर्मा)

अतिवृष्टि से उसकी फसल नष्ट हो गयी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। वह कहीं और इतनी मजदूरी करता तो पैसा उसको मिल जाता, छः महीने के बाद करम पर हाथ रख कर खेत पर बैठता है। उसकी एक फसल पैदा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वह अगली फसल का इन्तजार करता है। लेकिन उसके पास बीज नहीं हैं, बोने के लिये चना नहीं, गेहूं नहीं, सरसों नहीं है। वह बीज के इन्तजार में बैठा रहता है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री से निवेदन करूं कि आपने उसको बीज दिया नहीं, वह कर्जदार है, उसने लैंड मोर्टगेज बैंक से कर्जा लिया है उसने सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक से कर्जा लिया है, इसकी फसल हुई नहीं इसलिये कर्ज चुका नहीं सका, तो उसको बीज भी नहीं मिल सकेगा। तो उसकी जमीन भी यों की यों ही रहेगी। आपने, सरकार ने उस किसान के लिये क्या किया? क्या फेमिन के अन्दर ऐसे गरीब किसान का कर्जा माफ हो जावेगा? 30 साल के कांग्रेसी राज्य में जब अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, सरकार ने किसान की जमीन का लगान नहीं छोड़ा, वह वसूल किया। कुर्कियां लेकर गये और वसूल किया। ठीकरे नीलाम करके आपने कर्जा वसूल किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि झगड़े हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, इतना बड़ा अन्याय किसान के साथ किया, इन महानुभावों ने।

आज अतिवृष्टि के समाचार हैं। जो भी फसल थी वह भी नष्ट हो गई। जिस किसान ने, सभापति महोदय, 8-10 किलो मूंगफली दो सौ, तीन सौ रुपया खर्च करके ली और उसको बोया, अतिवृष्टि से एक दाना मूंगफली का पैदा नहीं हुआ। आप उसके सब्र को तो देखिये। जिन लोगों को 500 रुपया तनख्वाह मिलती थी, जिन लोगों को 800 रुपया तनख्वाह मिलती थी, उन्होंने विधान सभा के आगे आकर डेरे लगाकर दुकानें खोल ली हैं, 30 साल नौकरी कर ली फिर भी नौकरी चाहिये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किस किसान ने विधान सभा के आगे आकर धरना लगाया, डेरा लगाया? मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी बार किसान ने यहां डेरा लगाया? किसान दातार है, सभापति महोदय। लेकिन इस सरकार ने आज उनको बिल्कुल भिखमंगा बना दिया। पढ़े-लिखे समाज ने उसके लिये सोचा तक नहीं, उस गरीब के लिये सोचा तक नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

3 मिनट हो गये।

आज वह किसान विचलित है। क्योंकि फेमिन के समय खेत में बीज डालना चाहिये, वह बीज डाल दे तो 6 महीने किस पर रहेगा? आगे भविष्य में क्या करेगा?

जंगलात के लिये अर्ज करूं कि यह डाकू डिपार्टमेन्ट है। भ्रष्ट और निकम्मा डिपार्टमेन्ट है। इस डिपार्टमेन्ट के लिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूं कि इस जंगलात विभाग के लोगों को राजस्थान नहर पर भेज दिया जाय। जिन लोगों ने फेमिन में लाखों रुपया बरबाद कर दिया, इन सब को राजस्थान नहर पर भेज दिया जाय और अकाल में उनसे वहां पर काम लिया जाय। उनके लिये वहां झोपड़ियां डाल दी जायं। तब

(श्री रतनलाल वर्मा)

पता चलेगा कि किसान किस प्रकार से अन्न पैदा करता है । समापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जंगलात विभाग को पंचायत राज के सुपुर्द कर दिया जाय । समापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि जंगलात में नौकरशाही बढ़ती जा रही है । जंगल कटते जा रहे हैं। मैं निवेदन करूं, समापति महोदय, जब राव साहब मसूदा वन मंत्री थे, उन्होंने मीटिंग की । समापति महोदय, आप परिचित हैं इससे । हमने हाथ जोड़ कर उनसे विनती की कि वन डिपार्टमेन्ट किसानों को लूट रहा है, अधिकारी भ्रष्ट हैं, शराब पीते हैं, जंगल कटवा रहे है । कोई हाथ से तोड़ कर जंगल से लकड़ी ले जा रहो हैं तो उस पर जुर्माना कर देत हैं लेकिन दूसरी ओर हमने देखा है और देखते हैं कि ट्रक के ट्रक लकड़ी से लोड करके ले जा रहे हैं । उनको कोई पूछने वाला नहीं । हमारे वन मंत्री सर्वोदयी नेता हैं । शीतल इनका स्वभाव है । आप डाकू डिपार्टमेन्ट को क्या सुधार सकेंगे ? आपके सरल और भोले स्वभाव का अधिकारी लोग नाजायज फायदा उठायेंगे। जंगल के जंगल कटवा करके आपके दस्तखत करवा लेंगे, जैसे वन मंत्री राव साहब मसूदा से करवा लिया करते थे। मेरा यह निवेदन है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समाप्त करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ।।

श्री रतन लाल वर्मा : आज जंगलात के अन्दर एक लकड़ी नहीं है । कांग्रेसियों ने हरे-भरे वृक्षों को कटवा डाला, जंगलों को चौपट कर दिया । जंगल नंगे हो गये, जंगलों को लज्जाहीन बना दिया ।

श्री सभापति : आप राजस्थान की विधान सभा में बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं गांव से आया हूं । प्रकान्ड पंडित तो हूं नहीं।

श्री सभापति : आपकी भावना की मैं कद्र करता हूं ।

श्री रतनलाल वर्मा : वास्तविक स्थिति किसान की रख रहा हूं ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि जंगलात को आप पंचायत राज के सुपुर्द कर दीजिये । जिन लोगों ने किसानों को लूटा है उनको राजस्थान नहर पर भेज दीजिये ।

श्री सभापति : पर्याप्त होगा ।

श्री रतन लाल वर्मा : वहां काम करेंगे कुछ पसीना वहेगा तो मालूम होगा कि मेहनत क्या है ? जिन लोगों ने ××× से पैसा कमाया, उनको पता लगेगा कि मेहनत कैसे होती है ।

श्री सभापति : ××× शब्द को एक्सपन्ज किया जाय ।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय सभापति महोदय, अकाल प्राकृतिक

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री रामकिशोर मीणा)

प्रकोप है लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्राकृतिक प्रकोप के साथ-साथ इसमें मानव भी अपना योगदान दे रहा है जिसके कारण से इसकी भयंकरता बढ़ती जा रही है । मेरे क्षेत्र सिकराय में सिंचाई व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा जो कार्य किये गये वह अकाल बढ़ाने के काम किये गये हैं । अकाल राहत कार्यों के द्वारा जितनी सुविधायें लोगों को दी जानी चाहिए उससे ज्यादा नुकसान राहत कार्यों के नाम पर और निर्माण कार्यों के नाम पर किया गया है । जहां सड़कों का निर्माण हुआ है वहां एक भी पुलिया नहीं बनाई गयी है जिसके कारण से पानी इकट्ठा होकर गांवों में घुस जाता है और सारी फसल नष्ट हो जाती है । अकाल राहत मंत्री जी से जब इस बारे में बात हुई कि हमारे क्षेत्र में अकाल राहत कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किये जायें तो उन्होंने कहा कि वहां खाने-पीने के लिए सामान उपलब्ध हो या नहीं हो लेकिन यदि चारा खत्म हो जाता है तब ही वहां अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं ।

(3.01 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पीठासीन)

मेरे क्षेत्र में इस साल फसल बाढ़ से नष्ट हो गयी है और अगली फसल भी कम मात्रा में होने की सम्भावना है इसलिए कि वहां अभी भी पानी भरा हुआ है । अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वहां किसानों का लगान माफ किया जाये और तकावी व ऋण वितरित किया जाये । साथ ही जो 18 से 20 पर्सेन्ट ब्याज की दर है उसको भी कम किया जाय ।

बाढ़ सहायता के काम जितनी जल्दी हो सके प्रारम्भ किये जाने चाहिए । जिस उद्देश्य के लिए सहायता की राशि दी जाती है वह उद्देश्य ही खतम हो जाता है तब कोई सहायता दी जाती है तो मैं समझता हूं कि राशि का जो सदुपयोग होना चाहिए वह न होकर उसका दुरुपयोग होता है और सही मायने में कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाते । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी काम किये जायें वह ठोस काम किये जायें । साथ ही जितना भी पैसा जिस मद में व्यय किया जाना चाहिये उसको उसी मद में लगाया जाये । जो धन आज तक किसानों के नाम पर और राहत कार्यों के नाम पर खर्च होता रहा है उसका अधिकांश भाग अधिकारियों के दौरों पर खर्च होता रहा है और सार्वजनिक निर्माण के जितने भी कार्य किये जाने चाहिए थे उनके ऊपर बहुत कम खर्च हुआ है । जो कार्य किये गये वह इस तरीके से किये गये कि अकाल राहत कार्य कभी बन्द न हों और उनका स्थायित्व न रहे । अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी अधिकारी भी समय को देखकर अपने दृष्टिकोण को बदलें और जन-भावनाओं के अनुरूप योजनाएं बनायें जिससे कि भारत जैसे जनतंत्रीय देश में, जहां गरीब ज्यादा रहते हैं, उनके हितों की उचित रक्षा की जा सके और सरकार जो कल्याणकारी योजना बनाती है उसको सही रूप से कार्य रूप में परिणित कर सके ।

श्री सभापति : श्री करतार सिंह !

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज वन विभाग और अकाल राहत विभाग की मांगों पर चर्चा है । मैंने इन पर पांच कटौती प्रस्ताव दिये हैं । इसके पूर्व कि मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर चर्चा प्रारम्भ करूं, मैं मंत्री जी का आभार,

(श्री करतार सिंह)
प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस वर्ष अति वृष्टि से जो फसलें खराब हुई हैं और जो अकाल का रूप हमारे सामने आया है उसका मुकाबला करने का संकल्प ले रखा है। राज्य सरकार के पास जितने साधन हैं वह साधन सीमित होते हुए भी हमारे पूर्वी क्षेत्र में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर रखे हैं।

सबसे पहले अकाल राहत पर ही आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बजट प्रस्तुत करते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा था कि चार जिलों में ही अकाल से भयंकर नुकसान हुआ है और अकाल की स्थिति से पहले निपटना है। इसमें दो राय नहीं कि आप इससे निपटियें। निश्चित तौर पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार का परम कर्त्तव्य है। इन्होंने जो पूर्वी क्षेत्र की बात कही है यह बहुत स्पष्ट है। वास्तविक स्थिति यह है कि मेरे क्षेत्र किशनगढ़ में ही नहीं बल्कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें बहुत नुकसान हुआ है। वस्तुतः जहां ज्यादा बारिश होने से फसल नष्ट हो चुकी है उसको भी अकाल की सीमा में लेना चाहिए। किशनगढ़ क्षेत्र में पूरी की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। मैं वहां पर अभी दौरे पर गया तो जो वहां के ग्रामवासी हैं उन्होंने मुझसे निवदन किया कि आप राज्य सरकार तक हमारी आवाज पहुंचायें। वहां ज्यादा बारिश से फसल नहीं हुई है और लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप शीघ्रातिशीघ्र ऐसे क्षेत्रों में तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ कीजिए और ऐसे कार्य आरम्भ कीजिए जिससे कि ठोस तरीके से काम हो। जैसे सिंचाई के तालाब हैं उनको आप प्राथमिकता दें। राहत कार्यों का मतलब यह नहीं है कि आप पैसा यों ही लुटा दें। जब तक ठोस काम आप नहीं करेंगे तब तक हम अकाल का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। भविष्य में आप ऐसे कार्य प्रारंभ करें कि जितने भी सिंचाई के तालाब हैं आप उनकी मरम्मत करायें और मोरियों को सही करायें ताकि भविष्य में यदि वर्षा कम हो तो किसान अपना उत्पादन बढ़ा सके।

मेरे क्षेत्र में फसलें नष्ट होने के कारण आज हजारों लोग मजदूरी के लिए दिल्ली और पंजाब जा रहे हैं। दूसरी ओर हमारे यहां हजारों टन अनाज सड़ रहा है। उस अनाज को उन लोगों को, जिनको आप अकाल राहत कार्यों में लगायें, वेतन के रूप में दे दें ताकि वह अपने बच्चों का भरण-पोषण कर सकें।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि जहां एक ओर फसलों का नुकसान हुआ है वहां दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा किसानों से राजस्व की वसूली की जा रही है। जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने बताया कि हमने नवम्बर, 1977 तक की वसूली रोक दी है। जब फसल ही नष्ट हो चुकी है तो आगे आप कैसे वसूल करेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उनका राजस्व माफ कर दें और वसूलियों पर रोक लगा दें। जो सीमान्त किसान हैं और जो गरीब किसान हैं उनको बीज और तकावी उपलब्ध करायें ताकि वह आगे फसल पैदा कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं मेरे फोरेस्ट पर शेष कटौती प्रस्ताव है उनके ऊपर आता हूं। आज जंगलात विभाग की बहुत दुर्दशा हो रही है। मैं तो खुद गांव का रहने वाला हूं। मैंने किसानों को देखा

(श्री करतारसिंह)

है और जानता हूं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। आज उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज जितने जंगलात हैं, मैं मानता हूं कि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है या जंगलों के निरीक्षण की व्यवस्था है वह बहुत ढीली है। किसानों से वन रक्षक पैसा लेते हैं। कई किसान पैसा देने में असमर्थ हैं तो उनके मवेशी जंगल में नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार जो पैसा सरकार के पास आना चाहिए वह सरकार के पास नहीं आता और सीधे कर्मचारियों के पास आता है। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि जितनी भी प्रांत में चरागाह की भूमि है आपको यह चाहिए कि उसे वन विभाग को सौंप दें। तीन साल तक उसको कन्ट्रोल करने के बाद वह पंचायतों को सौंपी जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो चरागाह भूमि है उसका आज सुपरवीजन नहीं होता है। लाखों रुपया राज्य सरकार खर्च करती है लेकिन वह व्यर्थ जाता है। इसका मैं एक उदाहरण दूं। मेरे क्षेत्र में एक डीडवाड़ा गांव है वहां के बीड़ में लाखों रुपया खर्च किया गया। उसमें इतना बढ़िया घास होते हुए किसानों को वह जमीन अलाॅट कर दी गई। चरागाह के लिये पैसा खर्च करते हैं तो उनकी पूर्ण सुरक्षा कीजिये। इसके साथ ही चरागाहों की दुर्गति हो रही है, मैं आपको निवेदन करूं कि कहीं-कहीं गैर कानूनी कटाई हो रही है, उसको रोकिये तथा वनों की रक्षा कीजिये।

इसके साथ वन्य जीवों के लिये निवेदन करूं कि उनके जो बड़े-बड़े आंकड़े दिये हैं वह गलत हैं। मेरे अजमेर जिले में नसीराबाद में ग्रेट इम्पीरियल वर्स्टर्ड नामक पक्षी मिलते हैं। मेरा निवेदन है कि आप एक अभयारण्य बनायें और जो खतम होने वाले जीव हैं, उनको वहां रखने की व्यवस्था करें तथा काले हिरणों को इन वनों में लाकर छोड़ें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह हमारी संस्कृति है और शान है। साथ ही ग्रामवासियों की जो तकलीफें हैं उनको ध्यान में अवश्य रखकर कदम उठायें।

श्री सभापति : माननीय श्री अयूब खां।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरिसिंह यादव।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : सभापति महोदय, अलवर जिले में जो इस वर्ष इतनी अधिक वर्षा हुई है उससे वहां की सारी की सारी फसलों का नुकसान हुआ है। साथ ही आदमियों का नुकसान हुआ है, और पशुओं का भी नुकसान हुआ है। बीमारियों के कारण आज तक लोग पीड़ित हैं, कई गांवों के अन्दर पानी भरा हुआ है। उनकी ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि मंत्री महोदय कुछ बातें नोट करें।

पहली बात तो यह है कि जो राहत कार्य अलवर जिले में सरकार ने किये हैं वे निश्चित रूप से अपर्याप्त हैं। गांवों में तीन-तीन महीनों से पानी भरा है। आज तक गांव वाले बाहर पड़े हैं। सरकार इस बात का इन्तजाम भी नहीं कर पाई है कि उन गांवों से पानी निकाल कर गांव वालों को बसा सकें। नागलिया; सहजादपुर गांव में तीन महीने

(श्री हरिसिंह यादव)

से पानी भरा हुआ है। मंत्री महोदय को कह चुके, एस.डी.ओ. ने रिपोर्ट कर दी, फिर भी बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज की तारीख तक अकाल राहत और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के नाम पर सरकार ने पानी निकालने का काम तक नहीं किया। निरन्तर वहां से एक दो व्यक्ति मंत्रीजी के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं इसलिये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जिस तरह की कार्यवाही अलवर जिले में की जा रही है वह बड़ी शोचनीय है। यही स्थिति अगर बनी रही और बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिये कुछ नहीं हुआ तो जहां हजारों बीघा में पानी भरा हुआ है वहां अगली फसल में भी कोई पैदावार नहीं होगी।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अलवर जिले के नुकसान के बारे में, फसलों के नुकसान के बारे में, मवेशियों की मृत्यु के बारे में और इन्सानों की मृत्यु के बारे में जो आंकड़े भेजे गये हैं वह इन्सानों के बारे में सही हो सकते हैं लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है पशुओं की मृत्यु के बारे में और फसलों के नष्ट होने के बारे में आंकड़े सत्य नहीं हैं। हजारों भैंसों, गायों और ऊंटों की मृत्यु हुई है गलघोटू की बीमारी के कारण जो वहां फैली हुई है। बार-बार कहने के बाद भी सरकार की तरफ से फसलों के नुकसान के बाद जो किसानों के पास पशुओं की पूंजी बची थी उस पशु-पूंजी को बचाने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। बानसूर में 700 भैंसें और इतनी ही गायें मर गईं। जो टीम डाक्टरों की भेजी थी वह किसी भी गांव के अन्दर इस बीमारी को रोकने में कामयाब नहीं हुई। या तो दवाइयां खराब हैं अथवा गांवों में डाक्टर पहुंच नहीं पाये। डाक्टर केवल सैर-सपाटे करते हैं और भत्ता बनाते हैं। ऐसी स्थिति को सरकार समाप्त करने के लिए कदम उठाये।

तीसरी बात, इस समय अलवर जिले में हर परिवार में बुखार की बीमारी, मालूम नहीं मलेरिया है या नहीं, फैली हुई है। गांव खोरी में 20 दिन के अन्दर 14 आदमी मर गये। गोलड़ी में दो आदमी मर गये। फिर भी इस बीमारी का कोई स्थाई हल नहीं निकाला है। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से अलवर जिले के अन्दर यह जो बुखार की महामारी महमान बन रही है और घर से विदा नहीं होना चाहती इसकी रोकथाम के लिये युद्ध स्तर पर कोई कार्यक्रम चलाया जाये। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से इस सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बार अकाल ग्रस्त राजस्थान के जिलों में सरकार ने कुछ नहीं किया है। जो कानून बना रखे हैं अकाल राहत के वह सामान्य परिस्थिति के हैं। उस कानून को लागू कर के अगर आप अलवर जिले की कोई मदद करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में नहीं कर पायेंगे। यह जो फ्लड रिलीफ का कानून है उसके अन्तर्गत फ्लड आपरेशन के द्वारा रिलीफ दिया जाता है। मेरी जानकारी में कलेक्टर, अलवर ने रिपोर्ट दी है कि तिजारा, मण्डावर तहसील के कुछ गांवों में फ्लड है। यह रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है। मैं निवेदन करता हूं कि वहां ऐसी असामान्य वर्षा हुई है, जिसे अतिवृष्टि का नाम देकर पीछा न छुड़ायें। वहां के लोगों की हालत बहुत खराब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप उस कानून को अमेण्ड करिये और जो क्षति वहां के लोगों को हुई है उसके लिये

(श्री हरीसिंह यादव)

उन्हें मुग्रावजा दीजिये, उनको राहत दीजिये। मेरा ग्रनुरोध है कि जिस तरह का फ्लड का कानून है उसके ग्रनुसार नदी के बहाव से फ्लड होता है तो, श्रीमान्, फ्लड है। ग्रब की बार इतना पानी गिरा है कि हर क्षेत्र में फ्लड है। हर क्षेत्र के ग्रन्दर हजारों लोग बिना घर के हैं। इसलिये राहत के नाम पर सरकार को उस कानून को बदल कर राहत देनी होगी ग्रौर उन बेघर लोगों को, जो हजारों की तादाद में हैं, रिलीफ देने के लिये ग्रभी से कोई न कोई इन्तजाम करना होगा। उनके पास इस समय कुछ नहीं है जिससे घर बना सकें, ग्रौर ग्रपना जीवन बिता सकें।

श्रीमान, मैं एक मांग ग्रापके माध्यम से इस जिले के लिये ग्रौर करना चाहता हूं। जो सम्बन्धित मंत्री हैं ग्रकाल राहत के वे सदन में नहीं हैं। बिजली का मकहमा है वह भी उन्हीं के पास हैं मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं कि ग्रब दीपावली के पास रबी की फसल ग्राने वाली है। उस फसल में कुछ नहीं होगा, ग्रगर किसान को राहत देनी है तो जो कनेक्शन देना चाहते हैं, जो काम कराना चाहते हैं, वह दीपावली तक करा कर किसानों को बिजली देनी चाहिये। मैं ग्रापके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि बिजली के बारे में यदि इन्होंने सुस्ती बरती तो मैं एक किसान के नाते निश्चित रूप से कहता हूं कि इसका ग्रच्छा ग्रसर नहीं पड़ेगा। मैं सुझाव देना चाहता हूं यह सरकार नोट कर ले कि जो राहत देने वाली बात है ग्रब तक जो रेगिस्तानी इलाके को देने वाली बात है, ग्रब की बार ग्रलवर जिले में कुग्रों की हालत बहुत खराब है। एक कुए पर 20-25 हजार रुपये की लागत ग्राती है। इस बार सब कुए पानी में डूब गये हैं या मिट्टी से भर गये हैं। नदी ने बहाव बदल दिया इस कारण नाले बन गये खेतों में उनको क्या सरकार कम्पेन-सेशन देने का विचार रखती है? जिन किसानों का सर्वनाश हुग्रा है, सारी फसल तहस-नहस हुई उन्हें निश्चित रूप से मुग्रावजा देना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्रापको कानून में ग्रमेन्डमेंट करना चाहिये ग्रौर तुरन्त राहत पहुंचानी चाहिये।

मैं श्रीमान् के माध्यम से एक बात ग्रौर ग्रर्ज करना चाहता हूं सेन्ट्रल कोग्रापरेटिव बैंक, ग्रलवर के ग्रन्दर काफी गड़बड़ियां हैं। वह डिफाल्टर है, डिफाल्टर होने के नाते रिजर्व बैंक से उसे उतना पैसा नहीं मिला जिससे ऋण किसानों को दिया जावे। सरकार किसी प्रकार किसानों के ऋण की व्यवस्था करे, क्योंकि जो लोग गलत थे वे ही लोग इस बैंक को घाटे में ले गये हैं, उन्होंने ही डिफाल्टर बनाया है ग्रौर लाखों किसान कर्ज के बिना रहे है, इसलिये मेरा विशेष ग्रनुरोध है कि सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये। उस जिले की स्थिति देखते हुये ग्रौर मांग को देखते हुये सरकार को खाद ग्रौर बीज के लिए कर्ज की व्यवस्था करनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं ग्रपना भाषण समाप्त करता हूं। जो ग्रापने समय दिया उसके लिये ग्रापका ग्राभारी हूं।

श्री सभापति : श्री नन्द लाल।

(ग्रनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव राहत कार्यों के ग्रन्तर्गत बनी सड़कों व जोहड़ों पर होने वाले

(श्री बहादुरसिंह)

...य के बारे में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक राहत कार्य के अन्दर, अकाल राहत कार्य के नाम पर जिस तरह सड़कों व जोहड़ों के बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया गया है वह किसी तरह से अकाल राहत के लिये खर्च नहीं किया गया है। उससे किसी प्रकार की अकाल ग्रस्त लोगों को सहायता नहीं मिली है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वह गंगानगर में पड़ता है लेकिन वह चारों तरफ बीकानेर से चिपटा हुआ है, और चूरू जिले से घिरा हुआ है। बीकानेर जिले में अकाल स्थायी रहता है। बीकानेर डिवीजन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां साल में किसी न किसी क्षेत्र में अकाल न रहता हो। उस जिले में पिछले साल भी अकाल राहत का पैसा खर्च किया गया है लेकिन आज उन राहत कार्यों को देखें तो उनका कोई नाम निशान भी नहीं मिलेगा कि कोई पैसा वहां खर्च किया गया है। इतना पैसा खर्च करने के बाद अकाल की विभीषिका को, अकाल को कम करने में किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है। यह निर्विवाद सत्य है कि किसी क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से इसलिये जोड़ा जाता है जिससे जहां अनाज लाकर सप्लाई किया जा सके। यदि पुनः अकाल पड़ता है तो सड़कें अकाल राहत में काम आती हैं लेकिन जो सड़कें अकाल में बनाई गई हैं, वे किसी भी प्रकार के उपयोग की नहीं हैं। उनको बनाने का उद्देश्य एक गांव को दूसरे गांव से या एक सड़क से दूसरी सड़क को जोड़ने का नहीं होता है। वे केवल आदमियों को काम देने के ही लिहाज से बनाई जाती हैं। मेरा निवेदन है कि इसके साथ-साथ योजना को भी ध्यान में रखना चाहिये। हमारे क्षेत्र में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई है कि क्षेत्र के नेताओं का और सरकार के कर्मचारियों का अकाल के अन्दर जमाना होता है। पैसा खर्च करने की खुली छूट होती है। जनता का पैसा कोई योजनाबद्ध तरीके से खर्च नहीं किया जाता है, इसी कारण आज तक इतना पैसा खर्च होने के बावजूद अकाल से हमारा पीछा नहीं छूटा है। माननीय सभापतिजी, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्य पर जो पैसा खर्च किया जाय वह योजनाबद्ध तरीके से किया जाय। अगर जोहड़ों का काम किया जाता है तो उसकी मिट्टी निकलवाई जाय और उसको और गहरा किया जाय। उसमें भी मजदूरों को मजदूरी तो मिलती ही है, यह कहा जा सकता है कि अकाल सहायता कार्य किया है और जोहड़ों से लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन आप तो ऐसा काम करवाते हैं कि न तो जोहड़ों का ही कोई काम होता है और न पीने के पानी का स्थायी प्रबन्ध हो पाता है। अतः ऐसे कामों को मत करिये जिनसे कोई लाभ न हो और न आगे आने वाले अकाल के समय सहायता मिले।

ऐसी सड़कें बनाई गई हैं, सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो रास्ते पहले थे, वे भी खराब कर दिये गये हैं। कहीं खड्डे बना दिये गये हैं और कहीं रास्ते में ही पत्थर डलवा दिये गये हैं। न कोई नाप है, न कोई चीज है। आपको कम से कम इस ढंग से तो पत्थर डलवाना चाहिये जिससे रास्ते साफ रहें। आज रास्ते ज्यादा खराब हो गये हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो सड़कें बनाई जायं, जो जोहड़ के काम किये जायं वे सब योजनाबद्ध तरीके से किये जायं। सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को मिलाने वाली हों,

(श्री बहादुरसिंह)

एक सड़क से दूसरी सड़क को मिलाने वाली हो तो उससे कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन, सभापति महोदय, ऐसी सड़कें आज तक नहीं बनाई गईं । मैंने किसी गांव में ऐसी सड़क बनती नहीं देखी जो दूसरी सड़क से मिलती हो या एक गांव से दूसरे गांव को मिलाती हो । तो इस तरह पैसा खर्च करने से अकाल से राहत नहीं मिलती है । इस तरह पैसा खर्च करने के बजाय . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और लूंगा, सभापति महोदय ।

मेरा निवेदन है ऐसा काम तो कराया जाय जिससे अकाल से राहत मिले । सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करवाना चाहिये हमारे क्षेत्र में नहरें हैं और घग्घर का फ्लड भी आता है, तो मेरा निवेदन है वहां से नहरों को लिन्क करके और नहरों की केपेसिटी बढ़ाकर उस क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाय तो उस क्षेत्र में अकाल का स्थायी हल हो सकता है । इसमें ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा । जितना पैसा उस क्षेत्र में खर्च किया गया है अगर वही पैसा योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाता तो उस क्षेत्र में एक-एक खेत पर पानी पहुंचाया जा सकता था । इसलिये मेरा निवेदन है कि अकाल राहत में भ्रष्टाचार को रोका जाय, पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से काम कराया जाय और सारे अकाल राहत के पैसे को योजनाबद्ध तरीके से ही खर्च किया जाय ।

श्री सभापति : श्री भैरूं ।

(अनुपस्थित)

श्री मदन सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लाल शंकर ।

श्री लालशंकर (सागवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में अतिवृष्टि होने से तमाम फसलें नष्ट हो गई हैं । हमारे क्षेत्र में मक्का की फसल, जो आदिवासियों के खाने के लिए अति आवश्यक थी, बिल्कुल समाप्त हो गई है । लोग-बाग रोजी-रोटी के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं । इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि लोगों को रोजी-रोटी देने के लिए राहत कार्य प्रारम्भ करके लोगों को तुरन्त धन्धा दिलाया जाय । साथ ही जो कृषक गरीब आदिवासी इधर-उधर पड़ोसी राज्यों में अपनी मजदूरी के लिए भटक रहे हैं मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी तरफ ध्यान दें । जिला डूंगरपुर में सागवाड़ा क्षेत्र में अतिवृष्टि से बाढ़ होने से नदी के किनारे की फसलें थीं वो डूब गईं, बरबाद हो गई हैं । चिखली क्षेत्र, गलियाकोट क्षेत्र, कुआं क्षेत्र, ओबरी क्षेत्र की फसलें बरबाद हो गई हैं, उसकी ओर ध्यान देकर राहत कार्य तत्काल चालू किये जायें ।

सभापति महोदय, फोरेस्ट विभाग के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में काफी जंगल थे । उन जंगलों को पिछली सरकार ने बरबाद कर दिया । डांहालो डूंगर शारण शिशोद, अम्बाग के जो छोटे-छोटे जंगल थे, वे नक्शे में तो अब पाये जाते हैं लेकिन वास्तव में वे बिल्कुल खतम हो गए हैं । वहां पर नंगी पहाड़ियां रह गई हैं । मेरा निवेदन है कि इन जंगलों को वापस पनपाया जावे । हमारे आदिवासी क्षेत्र

(श्री लालशंकर)

(लाकर) में जंगल हैं । हम आदिवासी लोग जंगलों में रहने वाले हैं हमारी रोजी-रोटी के साधन जंगल हैं । इसलिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि जंगलों के लिए बजट में प्रावधान अधिक रखा जाय । पहले जंगलों से बढ़िया से बढ़िया जड़ी बूटियां व अच्छी इमारती लकड़ियां मिलती थीं और आदिवासी लोगों की रोजी-रोटी का आधार था । वे सब अब खतम हो गए हैं इस पर भी सरकार गौर करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, वह भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र रहता आया है । आज से दो वर्ष पूर्व बारां नगर की स्थिति वैसी ही थी जैसी आज भरतपुर और कामां की स्थिति सुनाई दे रही है । सारे शहर में छः छः-सात सात फीट पानी था, मकान डूब गए थे, लोग मकानों की छतों पर चले गए थे । जन हानि हुई, धन हानि हुई, बड़ा हल्ला मचा सारे शहर में । राजस्थान में हल्ला हो गया । बड़े-बड़े एक्सपर्ट पहुंचे तत्कालीन मुख्य मंत्री पहुंचे, इंजीनियर पहुंचे इसके बाद एक कमेटी बना दी गई । जहां लाखों रुपयों की हानि हुई हो, जहां जानों के साथ खिलवाड़ हुआ हो, उस समस्या को हल करने के लिए कमेटी बनी । लेकिन आज तक पता नहीं कि उसने क्या रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई । जब भी वर्षा होती है तो एक दो घण्टे तक लगातार वर्षा हो जाती है । सारे नगर के लोगों को रात में नींद नहीं आती । बेचैनी बढ़ जाती है । किन्तु आज भी उस कमेटी की रिपोर्ट का पता नहीं है । वहां के अधिकारियों से पूछा गया कि कितनी हानि हुई, कितनी धन हानि हुई और कितनी जन हानि हुई, फिर भी हमारे सरकार के अधिकारी दो वर्षों में भी यह अनुमान नहीं लगा पाये कि बारां की बाढ़ में क्षति कितनी हुई । मेरा निवेदन है, मान्यवर, इस प्रकार की बाढ़ जब बारां में आयी और जन की हानि हुई है, धन की हानि हुई उसके बारे में अधिकारियों का यह रवैया है तो फिर गंभीर मसला किस को कहा जाएगा ? बाढ़ के नाम पर चन्दा हुआ । जिलाधीश महोदय ने लाखों रुपया चन्दे के नाम पर इकट्ठा किया । आज उस चन्दे का पता नहीं है कि क्या हुआ ? चन्दा इकट्ठा हुआ बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए और उस पैसे से आज जनरेटर खरीदे जाते हैं, जीपें खरीदी जाती हैं । इस बात की चिन्ता नहीं है कि उस नगर में बसने वालों की जो समस्या है उसको हल कैसे किया जाय । सरकार का पैसा गया अधिकारियों ने पैसे का उपयोग तक नहीं किया । दस लाख रुपया गया जिसमें से तीन लाख का उपयोग या दुरुपयोग किया गया और सात लाख रुपया वापस लौटा दिया गया । मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो है, जहां लोगों की जानों के साथ प्रकृति खिलवाड़ करती है, वहां बाढ़ की समस्या हल की जा सकती है, उसके बारे में उदासीनता क्या विभाग के निकम्मेपन का द्योतक नहीं है । सरकार रुपया भेज रही है किन्तु अधिकारी उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं । तो मेरा निवेदन है कि आए दिन हम सहानुभूति भरतपुर, कामां के लिए व्यक्त करते हैं, बाढ़ आ जाएगी,

(श्री रघुबिरसिंह कौशल)

लोग बह जायेंगे। लाखों रुपये बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के नाम पर भले ही स्वीकृत हों लेकिन हम तो केवल सहानुभूति ही बता सकते हैं। इसके उपरांत पैसे का उपयोग न हो, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आये और रिपोर्ट आ भी जाय तो कई वर्षों तक उनकी क्रियान्विति नहीं हो, यह विभाग का निकम्मापन है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव वनों के सम्बन्ध में है। वन विभाग के घोटाले राजस्थान में प्रसिद्ध हैं और यह सदन उससे विशेष रूप से परिचित है। इस सदन में कई काण्डों पर चर्चा होती रही है। यह विभाग इतना एक्सपर्ट है कि कितने ही काण्ड इस सदन में आए हों, उनको बड़े ढंग से दबा दिया जाता है। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि वह काण्ड इसलिए दबे हैं क्योंकि अधिकारियों और मंत्रियों की सांठ-गांठ थी। हमारा सौभाग्य है कि हमें ईमानदार मंत्री मिले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में घोषणा की थी कि सदन में जितने आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के उन आरोपों पर कार्यवाही की जायगी। इस सदन में जितने आरोप लगे हैं वन विभाग पर उनमें पानरवा काण्ड प्रसिद्ध रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस विभाग के अधिकारियों को पकड़ा गया लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। उनके खिलाफ कार्यवाही यह हुई कि जितने रुपयों का गबन किया है उसको किश्तों में वसूल कर लिया जावे। यह परिपाटी इतनी सुन्दर है कि अधिकारी घोटाले करेंगे, गबन करेंगे और पकड़े भी जायेंगे तो किश्तों में पैसा वसूल हो जाएगा। अधिकारी को यदि आपने दण्डित नहीं किया तो यह गबन घोटाले चलते रहेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण सन् 1969 से लागू हुआ। आप कहते हैं कि बणिया पैसे ज्यादा लेता है, भाव बढ़ाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किन्तु जब हमने राष्ट्रीयकरण किया, माननीय सभापति महोदय, तो क्या कारण है कि सन् 1969 के राष्ट्रीयकरण के पहले लकड़ी का भाव सात रुपये क्विन्टल था और आज 22), 25) रु. क्विन्टल है। कोयले का भाव 25) रुपया क्विन्टल था और आज 65) रुपया क्विन्टल है। तीन गुने भाव बढ़े हैं। क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि विभाग ठीक तौर पर काम नहीं कर रहा है। इस विभाग के बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी गड़बड़ियां हैं। अभी भी वन विभाग में 1949 के नियम चालू हैं। दुनियां बदल गई लेकिन इस विभाग के नियम नहीं बदले। कहीं वन कटे, कहीं चराई की अनुमति दी, कहीं छोटे-छोटे पेड़ नष्ट हो गए। औद्योगिकरण के कारण भी जंगलों पर प्रसार बढ़ा है किन्तु स्टाफ वही चल रहा है, स्टाफ नहीं बढ़ा। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि ट्रांजिट पास की सुविधा तुरन्त दी जानी चाहिए। इन सब सुविधाओं के लिए आपके 1949 के नियमों को बदला जाना चाहिए। दुनियां बदल गई है तो समय के अनुसार इस विभाग का भी परिवर्तन

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

होना चाहिए । हजारों एकड़ ऐसी जमीन वन विभाग के नीचे है जिसमें पत्थर ही पत्थर हैं, जिसमें पेड़ उगे नहीं है । उसको इसलिए रोक रखा है कि जब खनिज विभाग को, उसके ठेकेदारों को जरूरत पड़े तब उसे पैसा लेकर रिलीज किया जावे । क्या आवश्यकता है इसकी ? मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि कोटा से झालावाड़ जाते समय आप देखिए कितने हजार एकड़ जमीन पर वन विभाग ने फेंसिंग किया है । क्या जरूरत है इसको ? वह पथरीला एरिया है, माइन्स का एरिया है किन्तु लाखों रुपया खर्च करके इसलिए रोक रखा है कि जब खनिज विभाग को जरूरत पड़े, ठेकेदारों को जरूरत पड़े तब रुपये पैसे लेकर भ्रष्टाचार के माध्यम से उसको रिलीज किया जाय । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह यह देखें कि कहां गड़बड़ हो रही हैं, कहां पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और फिर जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे ।

श्री **सभापति** : श्री बत्तीलाल ।

श्री **बत्तीलाल** (टोडाभीम): सभापति महोदय, अकाल की कहानी हमें प्राचीन काल से सुनने को मिलती है । आए दिन अकाल पड़ते रहते हैं लेकिन इतने सालों के बाद भी इसका समाधान नहीं हो सका है । अकाल की बात बुजुर्गों से सुनते हैं और आज भी देखते हैं कि अकाल दो तरह का होता है । एक अकाल, अधिक बरसात, अतिवृष्टि से होता है और दूसरा अनावृष्टि से होता है । अकाल हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा पड़ते हैं । राजस्थान में यह बड़ी अजीब स्थिति है, जब मंत्रिमण्डल में पश्चिमी राजस्थान के लोग आए तो वहां पर अनावृष्टि से अकाल पड़ते रहे अकाल के नाम पर अनाप-शनाप खर्च होता रहा लेकिन न जाने अकाल पीड़ितों को राहत मिली या नहीं परन्तु अकाल राहत मंत्री तो राहत पा गये ।

सभापति महोदय, जब हम विद्यार्थी थे तो यह सुना करते थे कि अकाल सहायता फन्ड में काफी पैसा हुआ करता था । जब हम पूछते थे कि उस पैसे का क्या किया जा रहा है, तो हमें यह सुनने को मिलता था कि मंत्री महोदय दौरे पर गये हैं और इतना पैसा खर्च हुआ है । आखिर में यह देखने को मिला कि लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला इसमें है । यही स्थिति वर्तमान टाइम में है । जब शासन में पूर्वी राजस्थान के शक्तिशाली लोग आये तो भरतपुर में बाढ़ आई भरतपुर में बाढ़ आई है इसलिए वहां पर भी अनाप-शनाप पैसा खर्च हो रहा है । भरतपुर जिले के पास ही सवाई माधोपुर जिला है । वहां पर समतल भूमि है । वहां पर चारों ओर पानी ही पानी देखने को मिलता है । आपको मैं यहां पर टोडाभीम का उदाहरण दूं । आप वहां पर जाकर देखें तो पता लगेगा कि बाढ़ आ रही है परन्तु वास्तव में वहां पर बाढ़ नहीं है । इस बात में सत्यांश भी नहीं है । शत प्रतिशत यह सही नहीं है । कि बाढ़ आ रही है, फलां बांध की मोरी टूट गई है । सरकारी अधिकारी उधर दौड़ रहे हैं । यह सब इसलिए किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके ।

(श्री बसीलाल)

अतिवृष्टि से बीमारी फैल रही है। क्या पूर्वी जिलों में बीमारी फैल रही है। भरतपुर में ही यह बीमारी फैली है और दूसरे जिलों में नहीं? और भी कई जिले हैं। भरतपुर के पास ही सवाई माधोपुर जिला है जहां बीमारी फैली है।

सभापतिजी,जो बाणगंगा के जरिए बाढ़ आती है। यदि सरकार चाहे तो इसका परमानेन्ट इलाज हो सकता है। घाटा पर बांध बनाया जाए तो बाढ़ नहीं आ सकती है। अधिकारियों को, मंत्रियों को कहां से पैसा मिलता था? बाढ़ के नाम पर पैसा मिलता था। मैं न्यायमूर्ति अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे पिछली गलतियों को न दुहरावें और इस घाटा पर बांध बना दें ताकि बाढ़ का परमानेन्ट इलाज हो जावे। और बाणगंगा, जो विनाशकारी सन्देश लेकर भरतपुर पहुंचती है; रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य का सन्देश ले कर जाए इस प्रकार का आप प्रयास करें। जो भाखरा बांध है वह व्यास नदी पर बना है। इस बांध ने व्यास नदी की विनाश लीला को सृजानात्मक रूप दिया है। यह आज हमें एक चमत्कारिक काम दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार टोडा के घाटा पर बांध बना दिया जाए तो मेरी ऐसी धारणा है कि इस बाढ़ का परमानेन्ट इलाज हो सकता है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पाजित ग्राम में पानी ऊपर आ गया है। मैंने मौके पर जाकर एस. डी. ओ को दिखाया है। लेकिन हम जनप्रतिनिधियों की आवाज को महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस गांव की इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि गांव जमीन में धसता जा रहा है। यह गांव मेंहदीपुर से तीन मील की दूरी पर है। परन्तु कौन जाकर देखे। फेमिन हुआ, उसकी आवाज आई और फौरन कार्य शुरू हो जाते हैं। इस गांव में पानी का सोर्स ज्यादा हो गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अकाल और अतिवृष्टि के परमानेन्ट जिले हैं उनको छोड़ कर इस जिले को राहत देने का कार्य करें। यहां पर हजारों बीघा जमीन पानी से आप्लावित हो गई है। अकाल राहत कार्यों पर पैसा जरूर खर्च किया जाए। परन्तु अतिवृष्टि सब जगह पर होती है। इसलिये पैसे का सन्तुलित ढंग से उपयोग किया जाए ताकि उसका सभी लोग फायदा उठा सकें।

दूसरा मेरा कट मोशन वन की मांग पर है। वन हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हमें विरासत में मिले हैं। हमारे वेद, वेदान्त और सहित्य में वनों का जो विवरण मिलता है वह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज कितने प्रकृति प्रेमी थे। भारत जगत का गुरु कहलाता था। लेकिन भारत में प्रजातन्त्र आया और पुरानी सरकार की उपेक्षा की नीति के कारण वन नष्ट हो गये। बढ़ती हुई आबादी से भी हमारे वन नष्ट हो गये। सरकार की उपेक्षा, कर्मचारियों के क्षणिक स्वार्थ ने हमारे राष्ट्रीय हित का बलिदान कर दिया। छोटे से गांव गुढ़ाचंद का उदाहरण देना चाहता हूं। इसके पहाड़ पर विशाल वन था। सरकार ने एक फोरेस्ट गार्ड लालसोट रेन्ज लगा रखी थी। उसके जिम्मे वन की रक्षा का इन्तजाम करना था। बाड़ भी लगाई गई लेकिन अधिकारियों, जिन्होंने कभी उस क्षेत्र का दौरा नहीं किया, सिर्फ कागजी दौरा दिखाया करते थे, की लापरवाही के कारण वह वन समूल नष्ट हो गया। दो

(श्री सतीलाल)
दो रुपये में उसकी लकड़ी को कटने दिया गया, उस लकड़ी की बाजार में सैकड़ों, हजारों रुपये की कीमत थी। हजारों रुपये के पेड़ दस, पांच रुपये के लालच में गांव वालों को काटने की इजाजत दे देते थे। इस प्रकार ये वन नष्ट हो रहे हैं। उस एरिया में सारे ग्रामीणों की जीविका कृषि पर आधारित है और कृषि यंत्र अधिकतर लकड़ी से बनते हैं जैसे हल इत्यादि। कृषि यंत्रों के लिए वहां पर लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रही है। एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। कृषक लोगों का जीवन दुष्कर हो गया है। मूल्यवान लकड़ी सागवान, चीड़ को गांव वाले जलाने के काम में लेते हैं। वन मंत्री कृपया ध्यान दें।

एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूं। वन मंत्री महोदय ध्यान दें, इस इलाके के हित में किसानों को ज्यादा परमिट नहीं देवें। गुढ़ाचंदजी के पार पर वृक्षारोपण किया जाए। करीब 200 एकड़ जमीन वहां है, जिस पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। उसकी रक्षा के लिए फोरेस्ट गार्ड नियुक्त की जाए ताकि किसानों का आर्थिक जीवन सुदृढ़ हो सके। मैं निवेदन करूंगा कि अकाल क्षेत्र के सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव दिए हैं, अकाल राहत मंत्री महोदय उन पर गंभीरता से विचार करें। वन मंत्री महोदय भी, वन जिस प्रकार नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त हिदायत दें।

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : सभापति महोदय, इसके पहले कि मैं वन विभाग और अकाल राहत विभाग के बारे में कुछ बातें निवेदन करूं मैं अकाल राहत मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक यही ऐसा विभाग है, जिसने मुख्य मंत्री को यह मौका दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान के श्रीगणेश करने का। जिन 23 अधिकारियों को निलम्बित किया गया वे अकाल राहत कामों में लगे हुए कर्मचारी थे। इससे अपने आप यह साफ जाहिर है कि राजस्थान में सब से ज्यादा भ्रष्टाचार विभाग यह है। सब से पहले जनता सरकार के मंत्रिमण्डल की निगाह पड़ी तो अकाल राहत विभाग पर पड़ी। इसलिए मैं माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि वे इस विभाग को अच्छी तरह से जांचें, अच्छी तरह से परखें और अच्छी तरह से छानें तो पाएंगे कि कितनी गंदगी इस विभाग में है इतनी शायद दूसरे विभागों में नहीं है।

सभापति महोदय, अकाल की परिभाषा के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया था। अकाल की परिभाषा क्या हो? जैसे कभी-कभी हमारे अकाल राहत मंत्रीजी सदन से गैर हाजिर हो जाया करते हैं, तो हम कहते हैं मंत्री का सदन में अकाल हो गया। जो कभी-कभी हो, जिसका कोई काल निश्चित न हो, उसको अकाल कहा जाता है। जो घटना या बात कभी दो वर्ष में हो, कभी पांच वर्ष में हो, उसको अकाल कहा जाएगा। परन्तु प्रति वर्ष यह बात हो, सदा सर्वदा यह हो तो इसको कैसे अकाल कहा जा सकता है? पिछले वर्षों में प्रति वर्ष करोड़ों रुपया अकाल के कामों पर खर्च किया जाता रहा जिससे प्रतीत होता है कि राजस्थान में

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

अकाल एक शाश्वत विडम्बना है, शाश्वत अपराध है, ऐसा अपराध है जो कभी मिट नहीं सकता । मैं, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से भारत के प्रधान मंत्री श्रद्धेय मोरारजी देसाई के बयान की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन्होंने यह कहा है कि कोई वन सिंगल बिगेस्ट स्केन्डल है तो आपको राजस्थान के अकाल राहत कार्यों में, उसके भीतर देखने को मिलेगा । अगर कहीं सब से बड़ा खर्चा हुआ है तो राजस्थान में अकाल राहत के कामों में किया गया खर्चा है । तत्कालीन विरोधी दल के नेता और आज के भारत के प्रधान मंत्री का यह विश्वास है, वे खुले आम यह बात कहते हैं तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं अकाल राहत मंत्रीजी से कि वे एल. डी. सी., ओवरसियर, ए. ई. एन., एक्स. ई. एन., एस. ई. तक तो पहुंच गये, एक आर. ए. एस. को भी सस्पेंड किया है लेकिन जब यह एक वन सिंगल बिगेस्ट स्केन्डल है तो कौन अधिकारी इस स्केन्डल में लिप्त नहीं था ? क्या राजनैतिक लोग इस स्केन्डल में लिप्त नहीं थे ? इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दरअसल जनता सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने सच्चे मन्सूबे को कार्यान्वित करना चाहती है तो उसका यह दायित्व है कि जो अकाल राहत कार्य दो वर्ष तक राजस्थान में हुये हैं उनकी जांच करायें । यह हो सकता है कि कई ऐसे आफिसर हों जो वर्षों तक साथ–साथ रहे हों । उन्हें मोह माया हो सकती है । लेकिन जब देश का प्रश्न है तो मैं चाहूंगा उससे ऊपर उठकर चला जाये। यह आश्चर्य की बात है कि 23 व्यक्ति निलम्बित हों और उनके हैड पर आंच नहीं आये । वह आयुक्त बनकर चला जाये, उस पर कोई आंच नहीं आये । मैं निवेदन करूंगा अकाल राहत मंत्रीजी से, जो काम आपने शुरू किया है उसे नीचे से लेकर ऊपर तक ले जायें । आप यह देखें कि असल में जिम्मेदार कौन है ? जिस दिन मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, उसके बाद हर दिन मैं उम्मीद करता था ; और आज भी उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी और घोषणा करेंगे । किन्तु आज के दिन तक कोई ऐसा व्यक्ति उनकी पकड़ में नहीं आया जो सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर या उससे ऊपर का अधिकारी हो । ऊपर के अधिकारी उनकी पकड़ में नहीं आते हैं ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत पर जितना पैसा खर्च हुआ है उसके सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं । यह विचार करने की बात है जिस प्रकार से दूसरों के बारे में मास्टर प्लान बनाते हैं, क्या अकाल राहत के लिये कोई योजना नहीं बना सकते हैं ? अकाल राहत पर इतने अधिक लोग लगे हैं, इतना खर्चा हुआ है क्या उसके लिये कोई योजना नहीं बनाई जा सकती है ? बावजूद इतने खर्चे के अकाल का कोई स्थायी हल नहीं कर सके हैं जिससे अकाल राजस्थान से सदा के लिए तिरोहित हो सके । मैं उम्मीद करता हूं कि अकाल राहत मंत्री इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और कोई योजना पेश करेंगे जिससे मालूम हो कि अकाल को धक्का देने की क्या स्कीम रखते हैं और क्या भाव रखते हैं ।

अकाल राहत की बात करते हुए मैं एक बात और निवेदन करूंगा, वह यह है . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप जारी रखें आप उनकी हंसी से प्रभावित नहीं हों।

श्री बजरंगलाल शर्मा : प्रभावित तो नहीं होता हूं लेकिन डिस्टर्ब होता हूं।

मैं निवेदन कर रहा था, माननीय मन्त्री महोदय ने साबी नदी पर पुल बनाया। केन्द्र की ओर से भी रुपया दिया गया इसके लिए मैं उन्हें मुबारक बाद देता हूं। परन्तु उन्होंने जयपुर का ध्यान नहीं रखकर वह रुपया अलवर जिले में ही लगाया है। इसका विरोध मैं जरूर करूंगा। कृषि मन्त्री की हैसियत से उन्होंने अलवर में काम किया है और इस सम्बन्ध में भी अलवर जिला ही उनके ध्यान में रहा है। जयपुर भी इससे प्रभावित होता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कई जगह पुल बनायें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो आपका सुझाव है उससे बाढ़ रुकेगी।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अच्छा, उधर से माननीय सदस्य खड़े हुये हैं।

श्री माधोसिंह : असर तो होता ही है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अच्छा, मैं दूसरे विषय पर आ जाता हूं। सभापति महोदय, आप घण्टी न बजायें।

श्री सभापति : आपने बहुत मौका ले लिया है। मैंने घण्टी देर से बजाई है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अलवर जिले के बारे में सवाल है, आप देर से घण्टी जायें।

तो मैं निवेदन कर रहा था, राजस्थान में वन हैं। फारिन टूरिस्ट के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि अभयारण्य देखने फारिन टूरिस्ट जाते हैं उनके ठहरने की वहाँ जगह नहीं है। शिकायत यह है जब भी टूरिस्ट जाते हैं तो पुस्तक में दर्ज होगा कि कौन-कौन टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। थाना शान्ति कुटीर में कौन–कौन जाकर ठहरे हैं, उनका क्या-क्या प्रयोजन था? शान्ति कुटीर में जाकर ठहरेंगे तो चारों तरफ पशु-पक्षियों के अलावा कोई नहीं है। अभयारण्य शांति कुटीर में पशु-पक्षियों को देखने ही जाते हैं, फिर यह दर्ज कराने का क्या मतलब है कि वहाँ कौन–कौन किस प्रयोजन से जाता है। वन में नाचा मोर किसने देखा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह एक बार वहाँ जाकर देखें, वहाँ मोर ही नहीं मोरनी भी नाचती है। माननीय वन मन्त्री महोदय सर्वोदय के आचार्य विनोबा भावे और जय प्रकाशजी के साथ रहे हैं। आप एक बार शान्ति कुटीर, थाना में शान्ति कुटीर में ठहर कर उसे पवित्र करें। वहाँ आप यह जाकर देखें कि कौन-कौन लोग वहाँ जाकर ठहरे? कौन–कौन से हाकिम वहाँ जाकर ठहरे? उनका क्या उद्देश्य था? वहाँ जाकर क्या करते हैं? उस अभयारण्य में शान्ति कुटीर का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या गलत हो रहा है? अगर आप नहीं जायें तो मैं बताऊंगा। मैं उन नामों को अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप जाकर मालूम करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा। काफी ऐसे लोग हैं जिन लोगों के नकाब उतरने पर उन के चेहरे सामने आयेंगे। मैं वन मन्त्री महोदय को पूरी पेश कर दूंगा। वन मन्त्री

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि शान्ति कुटीर का मैंने यह उदाहरण रखा है। जो यहां के डाक बंगले हैं उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि कौन-कौन से डाक बंगले किस काम में आते हैं। राजस्थान की वन सम्पदा का क्या उपयोग हो रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, गम्भीर आरोप लगा रहे हैं इनको पूर्व सूचना देनी चाहिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, पाकीजा में मीना कुमारी और राजकुमार तांगे में जा रहे थे। सड़क पर मीना कुमारी का एक पुराना ग्राहक मिल गया। राजकुमार ने पूछा, यह कौन था? मीना कुमारी ने कहा, हम से क्या पूछते हो। किस-किस का नाम लूं। मैं निवेदन करूंगा, 90 प्रतिशत अधिकारी हैं मैं किस-किस का नाम लूं। नाम लेने के लिए नोटिस देना जरूरी है। इसीलिए मैं ने नाम नहीं लिये हैं। मैंने निर्माण आयुक्त कहा है। माननीय मन्त्री महोदय चाहेंगे तो मैं सूची पेश कर दूंगा। वह रिकार्ड से जांच करा लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, वन सम्पदा के बारे में जो कमीशन की रिपोर्ट ढेवर भाई ने दी थी हमने उसकी सराहना की थी। मेरा निवेदन है कि वनों का और आदिवासियों का चोली दामन का सम्बन्ध है। वन सम्पदा और वनों पर आदिवासियों का अधिकार रहा है। लेकिन आपने उस वन सम्पदा को आदिवासियों के हाथों से छीन कर अपने हाथों में ले लिया है। तो मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के हाथ से वन सम्पदा छीन कर ठेकेदारों के हाथ में नहीं दें। उसको आप जन-जाति के लोगों के हाथों में दीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे कोटेज इण्डस्ट्री को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा, शनैः शनैः वनों का भी विकास होगा।

श्री सभापति : श्री सुखलाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती मदन कौर।

(अनुपस्थित)

श्री काशीनाथ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन के सम्मुख फेमिन, फ्लड और फोरेस्ट तीनों की मांगों पर चर्चा की जा रही है। माननीय सभापतिजी, सबसे अधिक दुःख और वेदना तो इस बात की है कि राज्य सरकार न तो अकाल से चिन्तित है और न बाढ़ पर काबू पाने के लिए कुछ कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल सहायता मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आज राजस्थान के कई जिलों में और खास तौर से झुन्झुनूं जिले में अकाल की भयंकर स्थिति है। अकाल न केवल खाद्य पदार्थों का है, न केवल अन्न का अकाल है बल्कि चारे के अकाल की भी बहुत भयंकर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अवस्था है। चारे के भाव वैसे भी बहुत बढ़ गये हैं। इन विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार अभी तक उदासीनता बरत रही है, सितम्बर पूरा होने जा रहा है किन्तु अभी तक राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। मैं यह बात तो मानती हूं कि विगत तीस वर्षों में अकाल राहत के कामों में दो सौ तीस करोड़ रुपया खर्च किया गया। दो सौ तीस करोड़ यदि अकाल का स्थायी हल निकालने की कोशिश की जाती तो शायद राजस्थान की जैसी आज हालत है वैसी हालत नहीं होती। मुझे आप यह बताइये कि केवल इन्द्र भगवान के भरोसे इस विशाल मरुस्थल के भू-भाग को छोड़ देना कहाँ तक उचित है? जब अकाल पड़ जाय और पशुओं का पेट भरने के लिए चारे की व्यवस्था न हो तब राजस्थान प्रदेश के लोग अपने पशुओं सहित राजस्थान को छोड़कर मालवा और मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हो जायं, यह व्यवस्था आखिर कब तक चलती रहेगी? तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि आज अकाल की बहुत भयंकर स्थिति है, अब तक अकाल राहत का काम शुरू हो जाना चाहिए था, और साल तो जब अकाल पड़ा तो फसल की गिरदावरी की रिपोर्ट आने पर कि कितना खराबा हुआ और कितना नहीं हुआ उसके बाद अकाल राहत कार्य शुरू किये गये लेकिन इस बार तो मानसून जिस तरह से भयंकर रूप में आया और जिस तरह से उस का प्रकोप रहा, जिस तरह से घास को अतिवृष्टि ने खतम किया, जिस तरह से बाजरे को अतिवृष्टि एवं अगेट ने खतम किया, जिस प्रकार से कातरे ने मोठ और ग्वार को खतम किया उससे इस तरह के हालात जुलाई के खतम होते-होते हो गये थे और 15, 20 अगस्त के आसपास यह पता लग गया था कि प्रदेश में इस बार भयंकर अकाल पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में राज्य सरकार क्यों इतनी उदासीन रही है? क्यों नहीं इसके बारे में सोच रही है? जिन इलाकों में पानी देखने को नहीं मिलता उन में आज भी खेत पानी से भरे हुए हैं। अलवर और भरतपुर की तो बात नहीं कहती, अकाल राहत मन्त्रीजी और वित्त मंत्रीजी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहती। यह बात सही है कि कामां की बाढ़ का नजारा बहुत ही भयंकर था। सरकार घोषणा करती है और कहती है कि हमने इस तरह का बन्दोबस्त किया है। पिछली बार विधान सभा के अन्दर बड़े जोश और बड़े उत्साह के साथ मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की कि हमने केन्द्रीय सरकार को अवगत करा दिया है और जिनके मकान गिर गये हैं उनको तीन सौ रुपये देकर उनकी सहायता हमने कर दी है। मैं तो खुद भी भरतपुर जाकर आई हूं, मैंने वहाँ पर किसी से भी नहीं सुना कि तीन सौ रुपये मिले हैं। जिस समय हम वहाँ गये थे, उस समय न नावों की व्यवस्था थी, न भोजन की व्यवस्था थी, न वहाँ पहुंचने की कोई व्यवस्था थी। इतनी खराब हालत थी कि गाँव के गाँव बाढ़ से घिरे हुए थे। किसी तरह लोग टीबे पर मवेशियों और अपने बच्चों के साथ शरण लिये हुए थे। माननीय सभापतिजी, इस बात को चूंकि और भी लोग कह चुके हैं इसलिये ज्यादा न कह कर मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वहाँ तुरन्त

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अकाल राहत के काम खोले जाने चाहिएं। यह निवेदन भी करना चाहूंगी, यह मेरा सुझाव है कि जो कुछ गलतियां पूर्व की सरकार से हुई अनजाने में, वह गलतियां न दोहराई जाय, इस बात का ध्यान रखना चाहिए लेकिन 1973 में अकाल से राहत पाने के लिए झुन्झुनूं जिले में एक व्यवस्था की गई थी, सड़कें वगैरह के काम खोलने की बजाय, यानी अस्थाई कार्य खोलने की बजाय एक स्थाई योजना बैंक आॅफ बड़ौदा से मिलकर बनाई गई थी कि कुए की लागत 6 हजार रुपया आती है तो तीन हजार रुपया सरकार सब्सिडी के रूप में दे और तीन हजार रुपया बैंक में लोन के रूप में उस योजना के तहत झुन्झुनूं जिले में करीब दो हजार कुओं का निर्माण हुआ था....

श्री सम्पतराम : अकाल राहत कार्यों के तहत दिये गये थे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जी हां, इसलिए निवेदन कर रही हूं।

इस तरह से अकाल का स्थाई हल खोजने के लिए 1973 में यह योजना बनाई गई थी, जिस समय स्वर्गीय बरकतुल्लाजी मुख्य मंत्री थे उस समय इस योजना को प्रारम्भ किया गया था। झुन्झुनूं और सीकर दोनों जिलों के लिए यह योजना बनायी गई थी। सीकर में पंजाब नेशनल बैंक से सहायता ली गई और झुन्झुनूं में बैंक आॅफ बड़ौदा से सहायता ली गई थी। इस प्रकार से दो हजार कुए बनाये गये थे। उन कुओं में से जहां तक मेरी जानकारी है 50 या 60 पर्सेन्ट कुए ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और लोग इस हालत में हैं कि चाहे कितना ही भयंकर अकाल पड़े वे अपने मवेशियों को जिन्दा रख सकते हैं और खुद भी अपना पेट भर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इस अकाल का स्थाई हल खोजने के लिये झुन्झुनूं जिले के लिए फिर से इस प्रकार की कोई योजना बनावें कि जो कुए की लागत हो, उसका आधा सरकार सब्सिडी के रूप में दे और बैंक से लोन दिलाया जाए, इस प्रकार से अकाल का एक स्थाई हल कर सकेंगे, हम वहां पानी का सोर्स पैदा कर सकेंगे और जब भी भयंकर से भयंकर अकाल आए तो वहां के निवासी अपने दिन बिता सकेंगे। आज न केवल अकाल की समस्या है बल्कि अतिवृष्टि से गांवों में लाखों की तादाद में लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। गलघोंटू की बीमारी से हजारों की तादाद में प्रदेश का सर्वोत्तम पशुधन नष्ट हो गया। चारे के भाव आसमान को छू रहे हैं, आखिर क्या होगा इस बद किस्मत प्रदेश वासियों का?

वनों के बारे में इस सदन में काफी सदस्यों ने बताया है कि किस प्रकार हमारे प्रदेश में वनों का ह्रास होता जा रहा है। इसी प्रकार इकोलोजीकल बेलेंस, प्राकृतिक संतुलन नहीं रह सकेगा तो देश और प्रांत की इकानामी पर कितना असर पड़ता है, इस बारे में लोगों ने कहा है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि मरु प्रदेश में खास तौर से जो 8 या 10 रेगिस्तानी जिले हैं उनमें से बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर इन तीनों जिलों में धामन और सेवन अच्छी घास है। उसमें न केवल प्रोटीन होती है बल्कि, उसके खाने पर मवेशियों के दूध और घी में अच्छा फ्लेवर भी होता

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हैं। बद किस्मती यह है कि झुन्झुनूं, सीकर और नागौर में यह घास नहीं होती हैं। हमारे चरागाहों की आज स्थिति यह हो गई है, चरागाहों की जमीन पर पानी पड़ते-पड़ते ऐसी स्थिति हो गयी है कि उस जमीन पर घास उगना तो दूर, एक तिनका भी नहीं उगता है। केवल एक घास जिसे वासा कहते हैं, जो केवल ऊंटों के खाने के काम में आती है, चरागाहों में होती है। लेकिन बरसात के दिनों में मवेशियों को चरागाह में ले जाते हैं। चरागाह में ऐसी घास होती है ऊंट का पेट भरते हैं। बाकी चरागाह की भूमि पर कुछ भी नहीं होता है। एक तिनका भी नहीं होता है। तो मेरा सुझाव है, हालांकि इस सुझाव से लोगों की मानसिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि लोग डर गए हैं, इस बात को वे समझते हैं कि चरागाह को जोत दिया, हल चला दिया तो उनकी जमीन तोड़ दी जाएगी, वह सरकारी हो जायेगी, तो उनकी मानसिक भावना को ठेस लगेगी, लेकिन जितने चरागाह हैं, जिनके नाम तो पाश्चर लैंड है, लेकिन पशुओं को चराने के नाम पर कुछ नहीं, क्योंकि उनकी जमीन इतनी कठोर हो गई है कि उस पर उगता कुछ नहीं है, कुछ पैदा नहीं होता है इसलिये उस पर ट्रेक्टर चलाकर धामन और सेवन और नई–नई हाइब्रिड घास, तरह–तरह की घास पैदा की जाये। उन घासों का बीज उसमें डालना चाहिए और पाश्चर लैंड के अलग–अलग टुकड़े करके तारबंदी करके उनको डवलप करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक उसको डवलप किया जाए तब तक बाकी हिस्से में लोग अपने मवेशी खड़े करें। जब दो तीन साल बाद घास बड़ी होकर बीज गिर जाए तब उस हिस्से को खोलकर दूसरे हिस्से में डवलपमेन्ट का काम करना चाहिए। लोग मानते हैं और यह सही है कि हमारे चरागाह की भूमि, हमारी गोचर भूमि बिल्कुल बेकार हो गई है। उसे किसी प्रकार से डवलप किए बिना गोचर भूमि कहना भी गलत होगा। केवल गाय खड़ी करने की भूमि कह सकते हैं लेकिन उसमें गायों के चरने के लिये कहीं तिनका मात्र भी नहीं है। तो मैं अपनी ओर से सुझाव देती हूं कि जितनी गोचर भूमि है, गांव वालों को समझाया करें कि इस गोचर भूमि को सरकार का तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, यह गोचर भूमि गांवों के कब्जे में रहेगी, पंचायत के पास रहेगी, उस पर अपने मवेशियों की चराई कर सकेंगे। सरकार केवल उसका डवलपमेन्ट करना चाहती है। मेरा सुझाव है कि गोचर भूमि को डवलप करने के बारे में यह प्रक्रिया बननी चाहिए।

दूसरा मेरा वन विभाग से निवेदन है कि राजस्थान में खास तौर से रेगिस्तानी इलाके में रैबरी जाति होती है, रैबरी जाति के लोगों को देज नामक टैक्स देना पड़ता है, बाकी राजस्थान की किसी जाति को नहीं देना पड़ता। यह कैसी विचित्र बात है, राजस्थान में जब हम एक तरफ कहते हैं, जाति के आधार पर किसी तरह की कोई विषमता नहीं है, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि कानून में यह विसंगति कैसे आ गई? हो सकता है कि कोई आपके ध्यान में यह बात नहीं लाया हो इसलिए यह बात आज दिन तक चल रही है। इसका कारण, जहां तक मेरी जानकारी है, यह है कि जब जागीरदारी एबालिशन नहीं हुआ था उस समय जागीरदार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
रैबरी जाति से यह देज टैक्स लिया करते थे। जागीरदारी एबालिशन के बाद भी गलती से यह टैक्स आज भी न केवल रैबरी जाति के लोगों से लिया जाता है बल्कि जो पहाड़ों पर बसे हुए हैं या चराने के लिए मवेशी ले जाते हैं-बकरी या दूसरा कोई भी पशु अपने साथ रखते हैं गाय या भैंस, तो उन पर यह टैक्स लगता है। यह बड़ी एनामली है। आप अपने विभाग से पूछ कर इस असंगति को दूर करें। खास तौर से यह टैक्स और इलाकों में नहीं लिया जाता, केवल सिरोही और जालौर इन दो जिलों में ही यह टैक्स रैबरी जाति से लिया जाता है। मंत्रीजी, आपने तो मेरी बात नोट भी नहीं की....

श्री सभापति : आपकी बात नोट की जा रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो इस विसंगति को दूर करें और किसी जाति या धर्म के आधार पर टैक्स न लें। हमारी सेक्यूलर स्टेट है, इसको ध्यान में रखते हुए इस विसंगति को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

अंत में अकाल राहत और बाढ़ सहायता मंत्री से यह निवेदन करती हूं कि आज राजस्थान में आधा राजस्थान बाढ़ से पीड़ित है, लोगों को सब तरह की परेशानियां हो रही हैं, अकाल की भयंकर छाया है इसलिये, अकाल राहत मंत्रीजी, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, आपकी पार्टी ने जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को जिस कदर जगाया है, जिस कदर उभारा है, मैं समझती हूं यदि आप उसके अनुरूप अकाल राहत कार्यों को नहीं खोल सके, उचित समय पर सहायता नहीं पहुंचा सके तो उस का परिणाम आपकी पार्टी को किस तरह से क्या भुगतना पड़ेगा, यह आपके सोचने की बात है।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवर लाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री कुंजीलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शिव नारायण।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री जिथिंग।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री दिग्विजय सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नरेन्द्रपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय, श्री चिरंजीलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : सभापति महोदय, अकाल मानव कृत न होकर प्राकृतिक है। इसका स्थायी निदान किस प्रकार हो इसमें कितने ही वर्ष लग सकते हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मगर जब अकाल पड़े, लोगों को राहत देने की जरूरत पड़े, उस समय ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है। मगर गत तीस वर्षों में कांग्रेस सरकार में अनेकों स्थानों पर अकाल नहीं होने पर भी अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करवाये इसलिये नहीं कि क्षेत्र में काम हो पर इसलिये कि खुद के घर कैसे बनें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीस साल के कांग्रेस शासन में अकाल राहत के कामों में भारी लूट खसोट हुई है। मैं समझता हूं जिस गति से पैसा लुटाया गया वह पैसा लुटाया न जाकर सही योजना में लगता तो आज चारों तरफ से सड़कों, तालाबों की जो मांग आती है वह नहीं आती। किन्तु उन्होंने राहत के नाम पर खुद के भवन खड़े किये हैं।

सबसे पहले मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, पिछली सरकार के समय के सब अकाल राहत कार्यों की खुली जांच हो और उसके लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनायी जाय या जो भी जांच समिति हो उसमें विधान सभा सदस्यों को भी शामिल किया जाय। साथ ही जो भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, भूत, वर्तमान में जितने भी अकाल राहत के कामों में घोटाले हुए उनमें जो भी सरकारी अधिकारी शामिल हों, कोई मंत्री शामिल हो, वह चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों नहीं हो उसके खिलाफ खुली जांच करा कर दोषी लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्री महोदय को अकाल राहत कार्य के लिये सुझाव दूंगा। सबसे पहले तो मैं लघु सिंचाई योजना पर विशेष जोर देने के लिये कहूंगा ताकि जो पानी बरसे वह गांव का गांव में ही रहे। जहां का पानी हो वहां ही काम आवे। इससे यह फायदा होगा कि वहां के जो पशु हैं, वहां के जो लोग हैं उनको अकाल के वक्त पानी मिल सकेगा। गत तीस वर्षों में, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसे कोई काम नहीं किये जिससे अकाल के समय में पशु मरे नहीं। ऐसी योजनाओं का निर्माण नहीं किया जिससे कि अकाल का स्थायी हल हो व लोगों को राहत मिल सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि लघु सिंचाई योजना पर विशेष जोर दिया जाय।

(श्री सभापति, पदासीन)

इसके अलावा मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्री जी से यह निवेदन भी है कि अकाल के जमाने में जहां कहीं भी चाहे किन्हीं कारणों से, चाहे राजनैतिक कारणों से भी हो, कोई काम शुरू किया गया हो अगर वह भी अभी तक अधूरा पड़ा है तो उसको पूरा कराया जाना चाहिये। आज लाखों रुपये अकाल के अधूरे कामों में लगे हुए हैं वह कार्य थोड़े रुपये और लग जाने से पूरे हो जावेंगे और उनसे लाखों बीघा जमीन में सिंचाई हो सकेगी। इससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और जो पहले अकाल के समय जिन कामों पर पैसा खर्च किया और जो अधूरे कार्य हैं वह पूरे हो जायेंगे। नये कार्य शुरू होने पर ज्यादा पैसा खर्च होगा इसलिये जैसा कि मैंने सुझाव दिया, अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाय।

इसके साथ ही अकाल के स्थायी हल के लिये स्थायी योजनायें हों जिससे अकाल की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्थिति में भी लोगों को अकाल का अहसास न हो। इसके लिये मेरा सुझाव है, अगर कहीं कितना ही नीचा पानी हो, पाताल तोड़ कुओं से भी अगर पानी निकलना सम्भव हो तो ऐसे कुओं का निर्माण किया जाना चाहिये जिससे कि अकाल की जब विभीषिका हो तब उन कुओं से वहां की जनता व पशु भी पानी पी सकें और जो अकाल के समय पशुओं को बाहर ले जाना पड़ता है उन्हें बाहर नहीं ले जाना पड़े।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत क्षेत्र में आज जो चुकारा होता है उसके लिये मेरा सुझाव है कि वह चौथे या तीसरे दिन होना चाहिये। इसके साथ ही अकाल राहत क्षेत्र में जहां पेमेन्ट होता है वहां अनाज, घास, आवश्यक वस्तुएं जो भी हों, चुकारे के दिन ही जुटाई जायें। मेरा यह भी निवेदन है कि आन दी स्पोट चुकारा होना चाहिये और चुकारा समय पर होना चाहिये।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गत तीस सालों में अकाल राहत के धन का कांग्रेस के नेताओं ने और सरकारी अधिकारियों ने जो बन्दर बांट किया है उसकी जांच करें। अभी थोड़े दिन पहले एक छोटी सी लिस्ट 23 अधिकारियों के सस्पेन्शन की मुख्यमन्त्री महोदय ने निकाली थी। मेरा निवेदन है कि इसमें और कई अधिकारी हों या कांग्रेस के बड़े नेता और मिनिस्टर हों उनके खिलाफ भी तुरन्त कार्यवाही करके उन्हें जेल के सींकचों में बन्द किया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उस सारे पैसे की वसूली भी उन भ्रष्ट लोगों से की जायें।

मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो भी अकाल राहत कार्य खुलें वह राजनैतिक आधार पर न खोले जाकर वास्तविक आधार पर खोले जाने चाहियें।

इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव अधिक हैं इसलिये मुझे अधिक समय दिया जाय। मैं अच्छे सुझाव दूंगा जो कि उपयोगी सिद्ध होंगे। अब मेरा सुझाव है कि जो दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने अकाल राहत के कार्य में भ्रष्टाचार किया है उनको निलम्बित कर उनके खिलाफ में जांच कर उनसे वह राशि वसूल हो, और बड़े-बड़े भवन जिन लोगों ने चुना रखे हैं भ्रष्टाचार के पैसे से वह उनसे वापस लिये जायं।

(घन्टी)

सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव वन विभाग के बारे में भी हैं। मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वन सम्पदा राष्ट्र की धरोहर है बहुत बड़ी धरोहर है। जीवन की अधिकांश वस्तुएं वनों से ही प्राप्त होती हैं। देश का दुर्भाग्य रहा कि गत तीस सालों में वन का खातमा सा हुआ है। इसलिये आज लकड़ी बहुत

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

महंगी हो गई है। आज लकड़ी 30 रुपये क्विन्टल हो गयी है फिर भी नहीं मिलती है। मैं जनता सरकार के मन्त्री महोदय से यह निवेदन सुझाव के रूप में करना चाहूंगा, आज हमारी सड़कों व मार्गों के दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगाये जायं जिससे जो उस पर खर्च लगे उससे आमद प्राप्त होती रहे। इसमें ऐसा है कि जो फलदार पेड़ हैं वह आज नहीं तो दस साल बाद फल देगा और हमारी सरकार उससे इनकम प्राप्त कर सकेगी। इसके अलावा सरकारी भूमि पर भी लोगों को व्यक्तिगत वृक्ष लगाने के लिये प्रेरित किया जाये और उनको स्वामित्व के अधिकार भी उन पेड़ों के दिये जायं। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वनों के अन्दर उन वृक्षों को लगाया जाय जिनसे उपभोग या उत्पादन के लिये सामग्री उपलब्ध हो सके। इससे हमारे वनों की सम्पदा बढ़ेगी और जनता व सरकार दोनों को ही लाभ होगा।

इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वनों के अधिकारी व कर्मचारी जिस ढंग से वनों की बरबादी कर रहे हैं उसे रोका जाय। जो नाजायज लाभ आज उठाया जा रहा है उसे तुरन्त रोका जाना चाहिये। इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नये वन निर्मित किये जाने चाहियें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनट में दो बात कह कर समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि माण्डल में नये वनों का निर्माण किया जाये। वहां नये वनों के निर्माण होने की काफी गुन्जाइश है। हमने हमारे यहां की जो पंचायत समिति है उसके माध्यम से समय-समय पर संबंधित मन्त्रीजी को निवेदन किया है। जो बटेरा के जंगल हैं वहां नये वन निर्माण किये जा सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं वन मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज किडीमाल पंचायत के चेनपुरा जंगलात में लच्छु पिता पोखर गूजर के ऊपर वन विभाग ने भयंकर ज्यादती की है उसको तुरन्त रोका जाना चाहिये। उस व्यक्ति का, सभापति महोदय, सन् 68 से भूमि पर कब्जा है, उसका पक्का कुआ बना हुवा है, करीब तीस हजार रुपये खर्च कर चुका है। मैं खुद मौके पर जाकर देख कर आया हूं। लेकिन वन विभाग के अधिकारी उसे परेशान कर रहे हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि उसको रोका जाना चाहिये। और जो अधिकारी वन विभाग के इस मामले में लिप्त हैं उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, सिर्फ एक बात और निवेदन करके समाप्त करता हूं।

हमारे यहां पंचायत थाणा है जो पंचायत समिति माण्डल के पास है वहां पर नये वन में जो धन खर्च किया गया है उसमें भारी घोटाला हुआ है। वहां पर कुछ खड्डों को खोदने व कुछ पौधे लगाने में हजारों रुपये का गोलमाल

(श्री रामप्रसाद लड्ढा) ...

हुआ है। मैं वन-विभाग के मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

बस इतना ही कह कर मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर विचार करें। इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं एक दो बात निवेदन कर दूं। अकाल राहत में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनके बारे में अकाल राहत मन्त्रीजी को तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसमें 1 लाख 70 हजार का भुगतान 19 सहायक अभियन्ता द्वारा गलत तरीकों से किया गया है। इसकी आप जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कार्यवाही करें।

इसके अलावा एक बात और निवेदन कर दूं। 29 ठेकेदारों को 1.11 लाख का चुकारा, सभापति महोदय, किया गया है कअेसर के होलों को लेकर।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनट और मैं अकाल राहत मन्त्रीजी को निवेदन करूंगा कि 0.17 लाख का भुगतान ठेकेदारों को किया गया जब कि मजदूरों के माध्यम से पत्थर, मिट्टी, रेत लेनी चाहिये। वह चुकारा भी बिना तोल के किया। मजदूरों को दी गयी मिट्टी का रिकार्ड नहीं है और पैसे लिये गये हैं। मस्टर रोल फर्जी हाजरियों से पेमेन्ट लिया गया है। 4.37 लाख रुपये के औजार की खरीद की, बिना प्रदत शक्तियों की यह राशि भी गई है। इसलिये इनके खिलाफ में कार्यवाही की जावे।

जय जय भारत।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अब तक 30 वर्ष में अकाल राहत के नाम पर जो कुछ हुआ है वह कम से कम अब न हो। अकाल राहत के नाम पर, जैसा कि कांग्रेस के सदस्यों ने भी स्वीकार किया है, 350 करोड़ रुपया अब तक खर्च कर चुके हैं। आज की मनी वेल्यू की दृष्टि से उसको देखा जाय तो वह 700 करोड़ से कम नहीं होता है। इतनी धनराशि खर्च करने के बावजूद भी अकाल रहता है तो बड़े शर्म की बात है। अकाल के प्रति जो संकीर्ण वृत्ति है उसको बदलना पड़ेगा। आज के युग में जहां लोग चान्द पर पहुंच चुके हैं हम अकाल को जीत नहीं सकते हैं यह मानने योग्य बात नहीं है। हम अकाल को जीत सकते हैं।

जहां अकाल होता है, बाढ़ आ जाती है, अथवा पानी इकट्ठा हो जाता है अतिवृष्टि के कारण, भविष्य में वहां के लिये स्थायी व्यवस्था की जा सकती है ताकि वहां पर पानी न भरे। वहां पर नदी नाले की व्यवस्था कर सकते हैं। जहां पर सूखा पड़ता है अनावृष्टि के कारण वहां पर भी भविष्य में अकाल न हो उसकी व्यवस्था की जा सकती है।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 40 में गंगानगर क्षेत्र में अकाल होता था। जब से वहां पर गंगनहर आयी है वह सरसब्ज इलाका हो गया है। यदि हम सारा का सारा राजस्थान कैनाल की ओर ध्यान लगा देते तो काफी काम हो जाता। हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास साधन नहीं हैं, दूसरी ओर अकाल

(श्री बिरदमल सिंघवी)

के नाम पर इतना पैसा खर्च किया जाता है। क्यों नहीं जहां अकाल पड़ता है वहां के मजदूरों को राजस्थान कैनाल पर ले जाकर उसको पूरा करायें ताकि इस प्रकार की समस्या भविष्य में नहीं हो।

अकाल के समय में पैसा खर्च होता है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अकाल आता है तो अफसरशाही समझती है कि हमारे लिये सुकाल आ गया, हमारे कमाने का मौका आ गया और अच्छा कमाने को मौका मिलेगा। इसलिये अधिकांश पैसा अकाल के नाम पर खर्च करने की व्यवस्था की गयी। 30 वर्ष में कांग्रेस के शासन में क्या हुआ? यह कहा जा सकता है कि अधिकांश पैसा जो अकाल पर खर्च हुआ वह लोगों को नहीं मिला, अकाल राहत के कार्यों पर खर्च नहीं हुआ और गलत हाथों में चला गया, गलत अफसरों के पास गया और अधिकांश पैसा खर्च न होकर उसका गबन हुआ, गड़बड़ घोटाले हुए। जब जांच होगी तो अवश्य ही गबन व घोटाले प्रमाणित हो सकेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि जो भी अकाल में पैसा खर्च हो वह लोगों के पास पहुंचे और उसका स्थायी लाभ हो। उस पैसे से कुए खोद सकते हैं, नल-कूप खोद सकते हैं और ट्यूब-वैल लगवा सकते हैं। उनसे अकाल का स्थायी हल निकलेगा।

जो सड़कें बनी हैं अकाल के नाम पर उनका सर्वेक्षण...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करवा कर देख लीजिये, बहुत कम सड़कें बनी हैं जब कि सड़कों के नाम पर पैसा उठा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने भाषण में बताया था कि सड़कों पर थोड़ासा काम भी नहीं हुआ और सारा पैसा भ्रष्टाचार में गया। मेरा निवेदन है कि सड़कें ऐसी बनें जो परमानेन्ट हों। ऐसा न हो कि अकाल गया तो सड़कें भी गयीं। इसके अलावा स्थायी कार्यों को आप हाथ में लें। ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में अकाल न हो। अकाल के समय घास की व्यवस्था आवश्यक होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा।

अकाल में केवल मनुष्यों के लिये ही नहीं किन्तु जानवरों के लिये विकट समस्या होती है। अकाल के समय पश्चिमी इलाके से पशुधन मालवा की ओर जाता है। रास्ते में चारे का प्रबन्ध नहीं होता है। लोग पशुधन को निकालते हैं और रास्ते में वे पशु चरते हुए निकलते हैं। जो कुछ भी खेतों में होता है उसको खाने की कोशिश करते हैं। इसलिये चारे की व्यवस्था होनी चाहिये। आज पशुधन जावे तो उनके लिये कोई घास की व्यवस्था नहीं है। वहां पर उनके लिये घास की व्यवस्था हो जिससे खेतों को चरते हुए न जायं और वे अकाल में अधिक योगदान न करें।

श्री सभापति : माननीय श्री सूर्यप्रकाश।

(अनुपस्थित)

माननीया सुश्री पुष्पा जैन!

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण!

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आदरणीय सभापतिजी, मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा झुंझुनू और सीकर जिले में इस

(श्री रामनारायण चौधरी)

वर्ष अधिक वृष्टि से जो भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने निवेदन किया कि यह अकाल अब की बार वैसा अकाल नहीं है जो अनावृष्टि से अकाल होता था। अब की बार पानी भरने और बाढ़ आने से फसल नष्ट हो गयी। कुछ गांवों में बाजरा हुआ, पकने लगा कि ऐसा कीड़ा लगा जिसको हमारे यहां कातरा कहते हैं, उस कीड़े ने सारे बाजरे को नष्ट कर दिया। बाजरे की फसल सीकर, झुंझुनूं में बिल्कुल नष्ट हो गयी। मोठ और बाजरे की फसल को कातरा खा गया। बाढ़ में जिसने फसल बोई, वह कमजोर है, वैसी फसल नहीं हो सकती जो साधारणतया होती है। मंत्री महोदय से उम्मीद की थी, जैसी पहले घोषणा की थी उसके अनुसार बरसात बरस रही थी, गरीबों के मकान धराशायी हो रहे थे उस वक्त ही उसका सर्वे हो जाना चाहिये था और अकाल ग्रस्त घोषित करके अकाल राहत कार्य शुरू हो जाने चाहिये थे। मंत्री महोदय ने बड़े ही उत्साह से यह घोषणा की थी कि पहले सरकार 100 की सहायता देती थी मकान के लिये अब हमारी सरकार 300 रुपये की सहायता देगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं जिले में 700 मकान गिरे हैं, 100 रुपये की जगह 300 रुपये मिलने की घोषणा की थी, लेकिन 300 तो दूर रहे 100 रुपये की सहायता भी उनको नहीं मिली है। कलेक्टर साहब से पूछ लीजिये। यही नहीं जो लोग गरीब हैं, उनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स में आते हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उन लोगों के मकान वर्षा में गिर-गिर कर नष्ट हो गये। हमारे यहां पर कई मौतें हुई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो आदमी मर गये। ऐसे समय में 1000 रुपये की मदद दी जाती थी। आज के दिन पांच-पांच सौ की मदद की जब कि सन् 1967-68 में 1000 रुपया दिया था। यह अनुदान किस बात का है? यह इसलिये दिया जाता है कि परिवार का कमाने वाला चला गया। सरकार ने यह तय किया था कि ऐसे परिवार को एक हजार का अनुदान दिया जाय। सन् 1967-68 में 1000 रु. का अनुदान देने के बावजूद आपने 5 हजार देने की घोषणा की। लेकिन पांच हजार तो देना दूर रहा पांच सौ मिले हैं। मेरा निवेदन है, ऐसे परिवार को कम से कम 2 हजार का अनुदान देना चाहिये और तकावी देनी चाहिये। आज वे बहुत मुसीबत में हैं। माननीय मंत्रीजी, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मैंने कहा है उसके अनुसार उनको सहायता दिलायें। साथ ही सीकर और झुंझुनूं को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें और वहां पर अकाल राहत के कार्य चलायें।

मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि अकाल का स्थायी हल होना चाहिये। स्थायी हल के लिये समय लगेगा और वर्ष बीत जायेंगे। इस वक्त क्या करना है यह देखना है न कि स्थायी हल करना है। राजस्थान कैनाल बनाने के लिये उनको माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपने घरों में बसे हुए हैं, उनके मवेशी हैं, उनके बाल-बच्चे हैं। वे अपने परिवार को, बच्चों को, घर को और जायदाद को, सब कुछ छोड़ कर राजस्थान कैनाल पर नहीं जा सकते। मैं इस बात की उम्मीद तो करूंगा कि वहां पर लोग जायें लेकिन आप सारी पापुलेशन को माइग्रेट नहीं कर सकते। आपको स्थानीय स्तर पर लोगों को

(श्री रामनारायण चौधरी)

काम देना पड़ेगा और वह काम आपको तलाश करना पड़ेगा। वह काम ऐसा होना चाहिए जो स्थायी महत्व का हो। मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया था कि 1973-74 में कुए बनाये गये थे। उस समय यह हालत थी कि जो सम्पन्न आदमी थे उनको कुए के लिए सब्सिडी दी गयी। राहत तो मिली लेकिन उन्हीं परिवारों को राहत मिली जिन्होंने यह अनुदान लिया था। उनके घर वालों ने मिलकर कुए बना लिये। निश्चित रूप से रुपया उनके पास पहुंचा लेकिन गरीब आदमी को इतना फायदा नहीं मिला। मैं आप से निवेदन करूंगा कि स्माल फार्मर्स व मार्जिनल फार्मर्स हैं और गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन है आप उनके कुए बनवायें और सारे गांवों को प्राथमिकता दें। जिन गांवों में बिजली आई हुई है या जिन गांवों के लिए आर. एस. ई. बी. की स्कीम बन चुकी है, ऐसे गांवों में कुए खुदवाये जायं। इस प्रकार से आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस काम को प्रारम्भ करवायें।

आपको एक बात कह कर, माननीय सभापतिजी, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वन मंत्रीजी आपकी वन की परिभाषा बहुत व्यापक है। आपने काश्तकारों पर वन कानून लागू कर रखा है। कोई अपने घर के काम के लिए पेड़ काटकर ले जाता है तो उसको भी आपने वन सम्पत्ति मान ली है और जो सूखी लकड़ी जलाने के लिए ले जाते हैं उसको भी वन सम्पत्ति मान रखा है। कोई सूखी लकड़ी को बाजार में लेकर आता है तो वन अधिकारी उससे पैसा ले लेते हैं। उसका चालान कर देते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रक्रिया को देखें खजड़ी शेखावाटी, सीकर, चूरू और नागौर आदि जिलों में बहुतायत से होती है वह वहां के काश्तकारों की कमाई का जरिया भी है और उपयोग का भी है। इसकी सूखी लकड़ी को जलाते हैं। इसको भी आपने वन सम्पदा में ले लिया है। इसके ऊपर आप गौर करें।

मैं, माननीय सभापतिजी, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा अधिक समय बोलने को दिया। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि सीकर, झुंझुनूं जिले को आप अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें और वहां शीघ्र ही अकाल राहत कार्य आरम्भ करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री अब्दुल अजीज!

(अनुपस्थित)

श्री नवल राय!

(अनुपस्थित)

श्री हजारीमल सारण!

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल शर्मा!

(अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल!

(अनुपस्थित)

श्रीमती नारंगी देवी!

(अनुपस्थित)

श्री अंगार सिंह चौधरी!

श्री आलम अली खां!

Page No 121

(121)

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान अकाल राहत की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा कटौती प्रस्ताव भी इस पर है, लेकिन इससे पहले सदन का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आपस में खींचातानी और बदनीयति से किसी को देखना अच्छी बात नहीं है। सम्माननीय सभापतिजी, चाहे अधिकारी हो, चाहे माननीय सदस्य हो, चाहे कोई मंत्री हो, सबको अपना ईमान मुकम्मिल करना पड़ेगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य लिखने में सुविधा रहेगी अगर आप हिन्दी में बोलें। राजस्थानी में नहीं बोलें।

श्री आलम अली खां : मैं हमेशा इसी तरह बोलता हूं।

श्री सभापति : इनको शार्टहैंड में लिखने में सुविधा होगी।

श्री आलम अली खां: मैं हमेशा ही राजस्थानी में बोला हूं।

श्री सभापति : यह लिख नहीं सकेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : सब राजस्थानी ही हैं, लिख लेंगे। आप राजस्थानी में बोलने दीजिए।

श्री सभापति : हिन्दी में ही बोलें तो उचित रहेगा।

श्री आलम अली खां : माननीय सभापतिजी, मरने वाले पर चाहे एक कस्सी गेरो या सौ कस्सी गेरो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले का जो राज है वह तो मर चुका है, इसलिए अब इनको कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। इनको जो सजा मिलनी थी वह मिल चुकी। अब बार-बार इनसे ऐसी बात नहीं कही जाये जिससे इनको दुःख हो।

सभापतिजी, आफिसर घोड़े के समान है। जैसे घोड़े को सवार चलाये उसी तरह घोड़ा चलता है। इनका राज था तो इन्होंने चलाया और अब जिनका राज है वह चलायेंगे। इसलिए घोड़े का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर चलाने वाले का है। हम यह ख्याल करें कि जिस तरह से इनको पहले वाली सरकार ने चलाया उसी तरह हम भी चलायेंगे तो हमारी भी उनसे बुरी हालत होगी। घोड़ा तो लगाम के साथ चलता है। काम करने की जो व्यवस्था उनकी थी वह उनके साथ गयी और अब तो हमें अपनी व्यवस्था देखनी है। इसलिए मैं सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने व्यवहार को सही करो और हृदय परिवर्तन करने की बात करो। हमारा व्यवहार सही होगा तो अपने आप लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। किसी को बुरा-भला कहने से अच्छाई नहीं आ सकती। हम अच्छे होंगे तो सब अच्छे हो जायेंगे। जब हृदय परिवर्तन होगा तो अपने आप सुधार आ जायेगा।

माननीय सभापतिजी, बड़े-बड़े राजा-महाराजा हुए हैं उन्होंने लाठी के जोर से काम लिया और बड़े-बड़े धार्मिक विचारों के आदमी हुए हैं, उन्होंने लाठी के जोर से काम नहीं लिया। राजा-महाराजा जो थे उनका आज कहीं नाम नहीं है और जो धार्मिक विचारों के लोग थे उनको आज लोग पूजते हैं।

सभापतिजी, अब मैं अकाल राहत कार्य के लिए दो-तीन बातें बताऊंगा। अकाल राहत के कार्यों में हमेशा पक्की चीजें बनानी चाहिएं। राजस्थान में टीबे और रेतीली जमीन बहुत है तो इन कार्यों में धूल के टीबे बनाने

Page No 122

(122)

(श्री आलम अली खां)
से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सड़कें चाहे चार हाथ बनायें या दस हाथ बनायें वह पक्की ही बननी चाहिए।

सीकर जिले में पहले पांच हजार कुए बने हैं उनमें अगर बिजली पहुंचती तो अकाल की हालत में काफी फर्क पड़ता। लोग काश्त करते और अनाज पैदा करते सिंचाई करके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्यों में और ज्यादा कुए बनवाये जायें और पक्के जोहड़ बनवायें जायें। जितना रुपया खर्च होता है उसका सही-सही उपयोग हो। मेरा अनुरोध है कि आप जो पैसा अकाल राहत पर खर्च करते हैं उसमें से ज्यादा पैसे बिजली पर खर्च करेंगे तो आइन्दा आने वाले वक्त में फसल भी अच्छी होगी और कभी अकाल की हालत पैदा नहीं होगी।

माननीय सभापतिजी, मैं वन विभाग के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं ...

श्री सभापति : वन विभाग के बारे में आपका कोई कटमोशन नहीं है।

श्री आलम अली खां : कटौती प्रस्ताव नहीं है तो भी एक मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : आप सात मिनट बोल चुके हैं, कृपया आप भाषण समाप्त करें। आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री आलम अली खां : फतेहपुर का जंगल है काफी बड़ा है वह भेड़ व ऊन विभाग को दे दिया गया है। इससे चरागाह की कमी हो गई और जो जानवर चरते हैं उनसे सब परेशान हैं। इतना बड़ा जंगल केवल 500 भेड़ों के लिये दे दिया। कानून में भेड़, ऊंट और बकरी को पशु नहीं माना है और इनके लिये कोई जमीन चरागाह के लिये नहीं रखी हुई है। इसलिये 500 भेड़ों के लिए आधा बीघा जमीन होती है। इनको ज्यादा से ज्यादा एक बीघा दे दें और बाकी चरागाह के लिए छोड़ी जाये ताकि वहां के लोग परेशान न हों और उनके पशु उसमें चर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आप भाषण समाप्त करें।

श्री आलम अली खां : थोड़ा-सा निवेदन करना है। हमारे यहां बाजरे की फसल में पहले तो गोंद लग गया और मोठ-ज्वार में कातरा लग गया। इसलिये झुंझुनूं, चूरू और नागौर को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये। इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।†

श्री सभापति : माननीय श्री प्रेमसिंह !

(अनुपस्थित)

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय विचाराधीन मांगों के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि विचाराधीन मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह आदतन करने लगे।

श्री सभापति : ठीक है, समय बढ़ाया गया।

---

† राजस्थानी भाषा का हिन्दी रूपान्तरण।

(श्री सभापति)

माननीय श्री मोहम्मद जहूर !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रतनाराम !

मांग संख्या 33 व 9 पर अग्रेतर विचार

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभापतिजी, जालोर जिले में पहले तो अतिवृष्टि हुई, ज्यादा वर्षा हुई, अब बिल्कुल वर्षा नहीं है इसके कारण वहां बड़े भयंकर अकाल की स्थिति है। अकाल दो बातों से पड़ता है या तो ज्यादा वर्षा हो या बिल्कुल कम वर्षा हो। इस समय जालोर में बड़ा भयंकर अकाल छाया हुआ है। इसलिये मैं अकाल मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जालोर जिले को अकालग्रस्त घोषित किया जाये और अकाल राहत कार्य जारी किये जायें। माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि पहले सत्र में मंत्री महोदय ने फर्माया था कि अतिवृष्टि के कारण जिन गरीब के घर वर्षा से ढह गये हैं या बह गये हैं उनको हम 300 रुपये प्रति घर देंगे। माननीय मंत्री महोदय, हमारे क्षेत्र में करीब 5-10 को तो रुपये जरूर मिल गये हैं लेकिन जो गरीब हरिजन, भील, वाम्भी लोग थे उनको कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह भी घोषणा की थी कि जिस जिले में बाढ़ आई है और अतिवृष्टि हुई है उस जिले की रेवेन्यू वसूली रोक दी जायेगी। परन्तु हमारे जिले में और हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में लोगों को वसूली के लिये पटवारी लोग इतना तंग कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं मेरे क्षेत्र में गया, रानीवाड़ा के हरिजन भाई, वाम्भी भाई हैं, अतिवृष्टि के कारण उनके पास खाने के लिये कुछ अन्न भी नहीं है, उनसे वसूली करें यह कहां तक न्यायसंगत है ? कृपा करके वसूली के कार्यक्रम को हाल फिलहाल रोका जावे।

हमारे जिले में अतिवृष्टि के कारण मलेरिया की भयंकर बीमारी फैल गई है। लोग ज्यादातर मलेरिया से पीड़ित हैं। पशुधन में भी ऐसी बीमारी फैली है। ऊंट, बकरी, भैंस व गाय के लिये जो इंजेक्शन्स हैं, ब्लैक में एक इंजेक्शन की कीमत 25 रुपये और 30 रुपये हो गई है। समय पर इंजेक्शन शफाखाने में नहीं मिलता है। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पशुओं की बीमारी का ऊंट को लगने वाला इंजेक्शन हर पशु शफाखाने के अन्दर होना जरूरी है, साथ ही फिक्स रेट लेकर इंजेक्शन लगाने चाहिएं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में डी.पी.ए.पी. की स्कीम लागू की गई है लेकिन डी.पी.ए.पी. के द्वारा कोई ट्यूब वैल हमारे क्षेत्र में नहीं खोदे गये। 150 काश्तकारों ने ट्यूब वैल के लिये अर्जी दे रखी है। ट्यूब वैल अधिकारी ने गांव में आकर के लोगों को आगाह किया था कि ट्यूब वैल के लिये फार्म भरो। हमारे लोगों ने फार्म भर कर दिये,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन अभी तक उन पर कार्यवाही नहीं की गई है। अगर ट्यूब वैल समय पर खुद जायें तो अकाल के समय लाभदायक होंगे।

हमारा जिला धान के उत्पादन में बहुत ही अच्छा जिला है। उत्पादन के लिय ट्यूब वैल अच्छा सोर्स होगा, कृपया ट्यूब वैल का .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रतना राम चौधरी)
जल्दी से जल्दी इन्तजाम करवाने की ओर ध्यान दें।

मैं अब वन विभाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वन विभाग के जो जोहड़ हैं रानीवाड़ा क्षेत्र के गांव गोलवाड़ा, जालेरी खुर्द, तावदिर के गोचर की जो जोहड़ हैं उनमें जमीन ले रखी है। जो पशुओं के लिये काफी कम जमीन छोड़ी गई है, जंगलात द्वारा उन जोहड़ों में पशुओं को चराने के लिये मनाही है। इस कारण पशुपालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जसवंतपुरा, राजकवास इन दोनों गांवों में अभी भी जोहड़ों में चरने की छूट नहीं दे रखी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस जंगल में आप अपना वृक्षारोपण कर रहे हो उसमें आधे हिस्से में वृक्षारोपण करें और आधा हिस्सा पशु चराने के लिये छोड़ दें। पूरे जोहड़ में वृक्षारोपण कर जोहड़ में चराना बन्द कर दिया तो यह पशुपालक कहां जायेंगे? अपने पशु कहां चरायेंगे, इसलिये यह निवेदन करूंगा कि आधे हिस्से में पशु चराने दीजिये और आधे को रोक दीजिये। गाय, भैंस वैसे ही पौधों को खाती नहीं हैं। गाय भैंस को चरने की छूट दे दें तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पौधे जंगलात में जो लगायें जा रहे हैं वे नकली बबल के आज लगाते हैं इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। इनकी पत्ती भी पशु नहीं खाते हैं। नुकसानकारक होता है। इस बबूल की छाया में कोई घास नहीं होती है। जो बबूल का कांटा होता है वह किसी पशु के लग जाय तो उसका पैर खराब हो जाता है। इसकी लकड़ी भी उपयोगी नहीं है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रतना राम चौधरी : जब भी वृक्षारोपण का कार्य करें तो नकली बबूल इस्तेमाल न करें। वन विभाग की ओर से सड़क के किनारे-किनारे दरख्त लगाये जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। तनख्वाह लेने वाले तो हैं लेकिन सम्भाल करने वाला कोई नहीं है। हमारे क्षेत्र में ····

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अपना भाषण समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रतना राम चौधरी : ऐसे आदमी को देख-रेख में लगा दिया जो अपने क्षेत्र में जाकर काम करता है, उन वृक्षों की कोई सम्भाल नहीं करता है और सरकार से पैसे ले लेता है·····

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रतना राम चौधरी : एक मिनट में समाप्त करता हूं साहब।

(व्यवधान)

इसलिये चौकीदार उस आदमी को रखा जाय जिसके पास कम जमीन हो, हरिजन, भील, गाम्भी को रखा जाय ताकि गरीब को मजदूरी भी मिल जाय और काम

(श्री रतना राम चौधरी)
भी सरकार का ठीक हो। अच्छे लोग चौकीदारी में लग जाते हैं तो वृक्ष सड़कों पर पनप सकेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपा पूर्वक अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, कूलर चलवा दीजिये, गर्मी लग रही है।

श्री सभापति : श्री नत्थी सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रिढ़मल सिंह।

श्री रिढ़मल सिंह (सीकर) : सभापति महोदय, मैं उस जिले से आया हूं जिस जिले से मुख्य मंत्रीजी आये हैं। वे खुद ही उस जिले की पैरवी कर सकते हैं लेकिन मन से रहा नहीं गया इसलिये बोलने के लिये खड़ा हो गया हूं। राजस्थानी में बोलने का इरादा था लेकिन एक भाई ने बोल दिया राजस्थानी में लिखा नहीं जाता है। अफसोस है इंगलिश का भाषण तो लिखा जाता है लेकिन राजस्थान की राजस्थानी भाषा का भाषण लिखा नहीं जाता है और ऊपर पेशी हो जाती है। इसलिये मैं हिन्दी में बोल रहा हूं।

श्री सभापति : अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलिये।

एक माननीय सदस्य : अकाल पर बोलें।

श्री रिढ़मल सिंह : अकाल की बात नहीं है, मुझे तो एक बात याद आ गई। मैं लक्ष्मणगढ़ तहसील में गया वहां एक जोगी गा रहा था तो एक बच्चे ने कहा, वाह जी नाथजी वाह! मैंने उससे पूछा, तू क्या समझा? तब बच्चे ने बताया, मैं समझा समझाया तो कुछ नहीं और दिन हमारे पिताजी वाह-वाह कहा करते थे, आज हमने भी वाह-वाह कह दिया। सन् 1949 में राजस्थान बना तो उस समय प्रजा मण्डल था। अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग पार्टी थी। फिर भी आपने यहां एक 30 साल वाली बात की रट पकड़ ली। 30 साल पहले क्या कोई भण्डार भरा हुआ था? माणक, मणिया, मोती, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी के भण्डार छोड़ गये थे क्या? और अगर छोड़ कर गये थे तो क्या आप वह पुराना राज जो राजाओं का था, वापस लाना चाहते हैं?

श्री टीकम चन्द कान्त : जमाने की रफतार में पीछे रहे हैं।

श्री रिढ़मल सिंह : हर बार कह देते हो इस देश को लूट लिया कांग्रेसियों ने। यहां कांग्रेसियों के पास कोई फैक्ट्री है क्या? कांग्रेस ने कोई लूटने वालों को मेन्युफैक्चर किया है क्या? आज आपके, जो प्रधान मंत्री हैं, वे भी उसी फैक्ट्री से निकले हुए हैं, आज आपके जो होम मिनिस्टर हैं, वे भी उसी फैक्ट्री से निकले हैं। और जो आपके रक्षा मंत्री हैं वे भी उसी कांग्रेस फैक्ट्री से निकले हैं। सब उसी फैक्ट्री में से निकल कर आये हैं तो फिर ऐसी कौनसी बात हो गई जिसे आप बार-बार दोहराते हैं? जो आपके पास आ गये हैं उनका शुद्धिकरण आपने कर लिया है क्या?

श्री सभापति : अपने कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री रिढ़मल सिंह : दुःख तो यह है कि इमिजियेट आज ही उनके ऊपर छापे क्यों

(श्री रिड़मल सिंह)

नहीं मारे जाते जिन्होंने गड़बड़ की है ? उन पर धड़ाधड़ छापे मार दिये जायें और 10-20-50 को जरूर फांसी पर लटका दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप न्याय तो कर दें। आप राजस्थान के अन्दर एक सप्ताह इसके लिये मना लें जैसे स्वास्थ्य सप्ताह होता है, सफाई सप्ताह होता है, वृक्ष लगाने का सप्ताह मनाया जाता है उसी प्रकार कांग्रेसियों के खिलाफ निन्दा सप्ताह मना लें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलें। आपको चार मिनट हो गये हैं।

श्री रिड़मल सिंह : सभापतिजी, सप्ताह मना लें तो इनका रोज-रोज का यह कहना तो खतम हो जायेगा कि 30 साल हो गये क्या किया ?

मुझे तो केवल यह निवेदन करना है कि अकाल राहत के काम के अन्दर चार हजार कुओं के लिये दो करोड़ रुपया, एक करोड़ सब्सिडी से और एक करोड़ ऋण के रूप में कलेक्टर भंडारी साहब के जमाने में दिये गये थे। आज कहते हैं कि एक-एक कुआ 13 हजार व 17 हजार में बनता है, लेकिन उस समय पांच हजार में कुए बने। आज हमारे यहां बिजली नहीं है, और बिजली नहीं है तो नहीं है लेकिन हमारे यहां कोई गंगा की नहर भी नहीं है, न कोई कावेरी की नहर है और न कोई दूसरी नहर है। इसलिये बिजली की मांग की है अगर बिजली के कनेक्शन दे दें तो हमको बड़ी भारी राहत मिल सकती है।

दूसरा हमारा झुंझुनू जिला फौजी भाइयों की दृष्टि से प्रसिद्ध है। हम उनके पड़ौसी हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे जवानों को फौज में भर्ती होने का मौका दिया जाय।

तीसरी बात जब बाहर से पास-पोर्ट खुला हुआ है, बीज प्राप्त करने के लिए ढाई हजार रुपये से बढ़कर पांच हजार रुपये तक पहुंच गया है। खुली लूट मची हुई है। लाखों का घोटाला हुआ है। गांवों में बीज प्राप्त करने के नाम से एजेन्ट हजारों व्यक्तियों से पांच हजार प्रति व्यक्ति के हिसाब से खा गये हैं। खुली चीटिंग हो रही है। भारी लूट मची हुई है। यदि जांच की जावे तो मालूम हो जावेगा कि लाखों की लूट हुई है। गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जोह देनी चाहिये और सेन्ट्रल से तय करके पालिसी बनानी चाहिये। बीज मिल जाय तो लोगों को जगह-जगह मजदूरी भी अच्छी मिल जायेगी। आज अकाल के कारण लोगों पर डबल मार पड़ रही है। उनका रुपया भी मारा गया और उनको बीज भी नहीं मिल रहा है। मंत्री महोदय से इतना निवेदन और करना है कि हमारे यहां 6 तहसीलें हैं, आधे हिस्से का एरिया तो डबल क्राप एरिया आता है अरावली पहाड़ बीच में है, बाकी अर्द्ध रेगिस्तानी इलाका है। पहाड़ी क्षेत्र के वनों को तो वन विभाग के पास रहने दिया जाय और मैदानी इलाके के जंगलात की भूमि ग्राम पंचायतों को सम्भला दी जावे ताकि उनकी देख रेख अच्छी तरह से हो सके। सब चरागाहों की पत्थर गढ़ी करवा दी जावे ताकि लोग गोचर भूमि को जबरदस्ती दबा कर काश्त न कर सकें। जिला हैडक्वार्टर पर बैठा वन अधिकारी दूर दराज से छोटे छोटे जंगलात की देखभाल अच्छी तरह नहीं कर सकता है। बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री नूरा।

श्री मूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, कुछ कार्य फेमिन के ऐसे हैं जब अकाल आता है, जब अकाल पड़ता है तब वह काम शुरू होते हैं और अकाल का समय नहीं होता है तो उस काम का कोई मालिक नहीं रहता है। जो सड़कें फेमिन में बनीं, उन पर अकाल के समय मिट्टी, पत्थर जमाये हैं। फेमिन के बाद में वैसे तो उस काम को पूरा करने की पी.-डब्ल्यू.डी. की जिम्मेदारी है लेकिन किसी महकमे ने उस काम को नहीं देखा। सड़क चाहे बरसात से टूट गई, चाहे बरसात से बह गई, चाहे सम्पर्क टूट गया और बैल गाड़ी जाने की समस्या पैदा हो गई लेकिन कोई भी इस काम को नहीं छेड़ते हैं। उनको दुबारा सुधारने की बात तो दूर रही, अकाल राहत के जमाने में बनी सारी सड़कें या तो टूटी पड़ी हैं, या अधूरी पड़ी हैं। तालाब ऐसे हैं छोटे मोटे जिनको फेमिन के बाद किसी ने नहीं छेड़ा। बहुत सारे तालाब टूटे पड़े हैं। पंचायत समिति से जो सम्बन्धित तालाब हैं वे टूटे पड़े हैं। पंचायत समिति के पास फन्ड्स नहीं हैं इसलिये वे अधूरे पड़े हैं। अधूरे पड़े कामों को भी दुबारा नहीं छेड़ा गया जिन पर हजारों रुपया खर्च हुआ है। वे सड़क बुरी हालत में हैं उनसे फायदा पहुंचने के बजाय नुकसान पहुंचता है। फेमिन में जितना रुपया खर्च हुआ है उसको बेकार करने वाले कई दोषी हैं। दुर्भाग्य की बात है ये सारे काम फेमिन के नीचे हुए हैं। जितने पैसे से मिट्टी के कच्चे काम किये हैं उतने पैसे से सड़कों को पक्का करने का काम होता तो हमारा पैसा बरबाद नहीं होता। आपके फेमिन के ऐसे नियम बने हुये होते तो इतने रुपयों में पक्का काम हो जाता और हमारा विकास भी हो जाता। मेरी ऐसी मान्यता है कि इस फेमिन एक्ट में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि अभी जो पैसा लगने वाला है वह कम से कम पक्के कामों पर लगाया जाय। मेरा निवेदन है फेमिन में जो काम हो वह कम से कम पक्के हों, पूरे हों ताकि बाद में उनका लाभ मिल पाये।

मेरे कटौती प्रस्ताव हालांकि वन की मांग पर नहीं हैं फिर भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में दो मिनट में कुछ बात कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, सब को इजाजत दी है। तो मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

सैटलमेंट के समय जो सैटलमेंट हुआ था उस समय बहुत सारी चरागाह की जमीन, सरकारी जमीन फोरेस्ट के तहत चली गई। ऐसा मैंने पंचायत समिति मसूदा में भी देखा है कि एक तरफ खुदकाश्त की जमीन है और दूसरी तरफ जंगलात की ज़मीन। जानवरों के चरने के लिए जमीन नहीं है। पंचायत समिति मसूदा की ग्राम पंचायत खरवा और ग्राम पंचायत मौराना में ऐसे गांव हैं, जहां पर जानवरों को एक तरफ तो जंगल वाले नहीं घुसने देते और दूसरी तरफ खेत वाले नहीं घुसने देते। इस कारण जानवरों की बड़ी मुश्किल है। इसलिए जो जमीन चरागाह की वन विभाग में गई है वह जमीन वापस लौटाई जानी चाहिए। सम्बन्धित गांव वालों ने मुख्य मंत्रीजी को लिखा भी है और उनकी तरफ से जवाब मिला है कि डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। गांव वालों को लिखा गया है आपकी जो शिकायत है वह वन विभाग को भेज दी गई है जिसके द्वारा समस्या हल हो जायेगी। इसके बारे में कार्यवाही हो रही होगी और मैं समझता हूं कि समस्या हल होने की बात आगे बढ़ेगी लेकिन अभी तक भी गांव वालों

(श्री मूरा)

को जंगलात वाले परेशान कर रहे हैं ! जानवरों के चराने की जगह नहीं है, ऐसी स्थिति में जंगलात वालों को·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदेश दिया जाय कि जंगलात की जमीन पर जानवरों को चराने दिया जाय और चरागाह की जमीन रिलीज की जाय ।

मेरा निवेदन है कि बरसात न होने की वजह से जिन इलाकों में इस साल अकाल है, वैसे अकाल की समस्या हर साल आती रहती है, इसलिये हमेशा के लिए अकाल को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित योजना बनाई जावे ताकि अकाल की वजह से हमारे राजस्थान पर दबाव न पड़े । कोई योजना बना कर हमेशा-हमेशा के लिए राजस्थान से अकाल का काला मुंह कर दिया जावे, ऐसा मेरा अर्ज करना है । मैं आशा करूंगा कि ऐसी योजना अकाल के बारे में बनेगी जिससे हमेशा-हमेशा के लिए राजस्थान से अकाल का काला मुंह हो जायगा और राजस्थान में अकाल का नामोनिशान नहीं रहेगा । कभी अकाल की चर्चा चले तो कहानी किस्से के रूप में गांव वालों को सुनने को मिले । ऐसी योजना सरकार लायेगी तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा । इस काम को युद्धस्तर पर सरकार करे, ऐसा मेरा निवेदन है ।

श्री सभापति : माननीय श्री रामेश्वर ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं): माननीय सभापति महोदय मांग संख्या 33 और 9 में मेरे दिए गए कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । प्रथम जो जयपुर जिले के अन्दर बाढ़ के कारण से मकानों, फसलों, कुओं आदि का भारी नुकसान हुआ है उसके बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा । जयपुर जिले के अन्दर जितने बाढ़ की चपेट में खेत आये हैं उनमें कोई फसल नहीं बची है । जो कुए चपेट में आए हैं उन कुओं के ऊपर से पानी गया तो कुओं में मिट्टी भर गई । उनकी बिजली की मोटरें वगैरह नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं, जिनके मकान बाढ़ से ध्वस्त हो गए हैं उनके पास घर तक आज नहीं हैं । लेकिन जब राहत देने की बात कही जाती है तो फेमिन कोड में जो राहत के नियम बने हुए हैं उसमें तीन सौ रुपये प्रति परिवार हिसाब से देने का प्रावधान है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सरकार ने आदेश दिए तीन सौ रूपये प्रति परिवार के हिसाब से देने के, लेकिन मौके पर जो बाढ़ की चपेट में आए हैं उनको 33) रुपये, 25) रुपये और सौ सौ रुपये तक भी दिये हैं । उन्होंने यह किस प्रणाली के आधार पर तय किया इसके बारे में भगवान ही जान सकता है । मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस बात को मद्देनजर नहीं रखा कि उनके पास रहने को मकान नहीं है, खाने पीने का उनका सामान बह गया है । उनको सरकार की तरफ से केवल 33) रुपये सहायता दी गई है । सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मकान, फसलों आदि के बारे में राहत देने का प्रावधान है लेकिन मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि भूतपूर्व सरकार में किसानों के प्रतिनिधि के रूप में विरोधी दल के माननीय नेता काफी लम्बे अर्से तक मंत्री पद पर रहे लेकिन उस समय भी

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

किसानों के हित में ऐसा कोई प्रावधान गत सरकार ने नहीं बनाया। जब इस मांग संख्या 33 का हैडिंग हम देखते हैं तो उसमें लिखा है–प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बाढ़ की चपेट में आने से जो मकान ढह गए हैं, बह गए हैं, क्या वह प्राकृतिक आपदाओं की तारीफ में नहीं आते? बाढ़ से फसलें नष्ट हो गईं, किसान की एक लाख की फसल नष्ट हो गई, उसके पास खाने-पीने को नहीं रहा, रोजगार नहीं रहा लेकिन उसको राहत देने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी की बाढ़ में मौत हो जाती है तो मुख्य मंत्री सहायता कोष से पांच सौ, हजार रुपये की मदद दी जाती है। किसान का सब से कमाऊ पूत होता है उसकी जमीन और फसल लेकिन न तो भूतपूर्व सरकार ने इस तरह का प्रावधान रखा और न वर्तमान सरकार, जो जनता सरकार है, ने कोई भी राहत देने की बात कही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिन किसानों के कुओं को नुकसान हुआ है, फसलें बरबाद हो गई हैं उनको भी राहत देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नहीं तो यह फसल तो गई, अगली फसल भी नहीं बोयेगा तो वह क्या करेगा, मेरी समझ में नहीं आता है।

दूसरा मेरा निवेदन, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह है कि मेरे चौमू विधान सभाई क्षेत्र में कुछ एक अकाल राहत के कार्य हुए थ जिनमें तीन सड़कें ऐसी हैं, एक गेंहूई सड़क, दूसरी मंडानाका और तीसरी साभोद थब सड़क जिन पर हजारों की तादाद में रुपया खर्च किया गया है। लेकिन या तो मैटीरियल डाला नहीं गया और अगर डाला है तो मौके पर नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि अकाल राहत के तहत अगर कोई कार्य चालू किए जावें तो जो अधूरे कार्य हैं उनको प्रथम प्रायोरिटी के आधार पर किया जावे। द्वितीय मेरा निवेदन है कि जो पहले के अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनका पहले एस्टीमेट बनाया जाय। वहां पर मौके पर जो मैटीरियल पड़ा हुआ है कागजों में जो उसके आंकड़े हैं उन आंकड़ों की तुलना में वह है या नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी समाप्त करता हूं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अकाल राहत का जो कार्य हुआ था उसमें एक काम उदयपुरिया गल्ला का काम हुआ था जिस पर पचास हजार का खर्चा किया गया। वह अकाल राहत के तहत बना था। इस बार बाढ़ की चपेट में आकर वह खराब हो गया और 250 परिवार बेघरबार हो गए हैं। जिनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस नाले को, उदयपुरिया और टांकरडा के नाले को पक्का बनाया जाय ताकि भविष्य में अगर गांव बाढ़ की चपेट में आए तो उससे पांच पंचायतों के ग्रामों को नुकसान नहीं हो। अमरपुरा, फतेहगढ़ का बांध है, टांकरडा का नाला है जिसमें ढाई सौ परिवार हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, रेगर कौम के हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे खेद के साथ

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)
कहना पड़ता है कि माननीय अकाल राहत मंत्रीजी.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैंने उनसे कई बार निवेदन किया लेकिन न उन्होंने कुछ किया और न मौके पर जाकर देखा। आज की तारीख में सिवाय सौ पचास रुपये की सहायता देने के उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ तक कि पीने के पानी का कुआ भी नहीं बचा है, पीने के पानी का कुआं भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। आज उनको एक किलोमीटर दूरी से पानी लाना पड़ता है।

एक निवेदन वन के बारे में भी है। चौमूं क्षेत्र में जो भी वन हैं उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे इलाके हस्तेड़ा में भूतपूर्व राज्यपाल, श्री सम्पूर्णानन्दजी वन महोत्सव का उद्घाटन करने पधारे थे। उस इलाके के अन्दर एक लाख से भी ज्यादा वृक्ष हैं। आज उनकी स्थिति यह है कि जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं उनकी कोई सम्भाल नहीं है। डी. एफ. ओ. या अन्य वन अधिकारी हैं, वे उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सरकार की तरफ से लाखों रुपया....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस विदइन हाफ एन ऑवर, हाफ ए मिनट।

उनकी तरफ वन अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। रोजमर्रा पेड़ काटे जाते हैं वन विभाग के अधिकारी, गार्ड, फोरेस्ट गार्ड जो हैं उनके माध्यम से बेचे जाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि वन-सम्पदा को डवलप करना है, वन-सम्पदा की वृद्धि करनी है और दूसरी तरफ हमारे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनको नष्टभ्रष्ट कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि चौमूं क्षेत्र में सामोद हस्तेडा जो वन क्षेत्र घोषित हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करवाई जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री अशीलसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : सभापति महोदय, यह कोई दूसरा भैरवलाल तो नहीं है......

श्री सभापति : विभाजन संख्या 98.

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : सभापति महोदय, मेरा वन की मांग पर कट मोशन है। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय मैं बोलने लगता हूं तो चेयर पर सभापति महोदय कोटा के ही बिराजमान होते हैं।

श्री सभापति : आप कृपा कर के अपनी बात कहिये। विभाजन संख्या 98 ही है ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : हां जी।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

अब मैं शुरू कर रहा हूं।

सभापति महोदय, वन राष्ट्र की अमूल्य निधि है और राजस्थान का स्थाई खजाना भी है। यदि वनों की सुरक्षा के लिए हमारी राजस्थान की सरकार और राजस्थान के वन अधिकारी ध्यान देते तो, सभापति महोदय, राजस्थान का बजट घाटे का नहीं होता और हमारे कई काम अधूरे भी नहीं रहते। मगर आपको मालूम है कि मैं जब इस सदन में आया था तब मैंने कहा था कि पहले भी मैं सदस्य था। सभापति महोदय, यह वन विभाग जिस वन मंत्री के पास रहा, उन्होंने वनों को खूब चूंटा। इस चूंटा-चूंटी के कारण वनों के हरे वृक्ष केवल ठूंठ ही ठूंठ रह गये। पेड़ तो नजर नहीं आते हैं। वन उत्पादन के नाम पर, वृक्षारोपण के नाम पर, हमारी भूतपूर्व सरकार के एक मंत्री महोदय ने हवाई जहाज में बैठ कर के सैकड़ों बोरी बीज वृक्षों के हवाई जहाज से हवा में उड़ाए थे। मंत्री महोदय से हमने पूछा यह क्या कर रहे हो, तो कहा गया, राजस्थान में वन उजड़ गए हैं इसलिए ऊपर से बीज उड़ा रहे हैं ताकि राजस्थान की धरती पर वृक्ष ही वृक्ष हो जाएं। तो हवाई जहाज से बीज फेंके गये। उनकी अक्ल का दिवाला निकल गया था। राजस्थान में बीज पड़े नहीं पता नहीं वे कहां पर गिरे होंगे। मध्य प्रदेश में सागवान के जंगल बन गये, शायद राजस्थान का बीज मध्य प्रदेश में पहुंचा। इमारती लकड़ी का वृक्ष मध्य प्रदेश के जंगलों में फैला। उड़ाया गया राजस्थान के लिए वन बढ़े मध्य प्रदेश में। लाखों-करोड़ों रुपयों का खर्चा किया वृक्षारोपण के नाम पर। राजस्थान के इन वन अधिकारियों ने वृक्षारोपण के नाम पर हमारे मंत्री महोदयों की आंखों में धूल झोंकी है। वृक्षारोपण के नाम पर कागजी आंकड़ों को दिखा रखा है। और वृक्ष लगाए तो ऐसे लगाए, ये वृक्ष हैं बबूल के, जिसकी लकड़ी कोई काम नहीं आती है। जगह-जगह हरे-भरे दिखने के लिए सड़क के सहारे लगा दिए, गांव के किनारे लगा दिए ताकि मंत्री महोदय सड़क पर से. . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गुजरें तो वन अधिकारी उनको यह दिखा दें कि यह सारा जंगल हरा-भरा है, वनों का विकास हो रहा है। हमारे वनों में इमारती लकड़ी नहीं, काम की लकड़ी नहीं। आंकड़े दिखा दिए कि वन उत्पादन के नाम पर ऐसा कर रहे हैं। सभापति महोदय, किसानों के लिए वन बहुत ही उपयोगी हैं।

थोड़े मिनट का समय है, इसलिए मैं इसकी भूमिका न बांध कर (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)....यह दूसरी घंटी है।

सभापति महोदय, किसान के खेत में काम आने वाली इमारती लकड़ी किसानों को नहीं मिलती है। किसानों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती। वन विभाग ने यह ढोंग बना रखा है कि किसानों को जलाऊ लकड़ी के लिए सूखी लकड़ी की चिट्ठी काट दी जाती है। मगर जंगल में सूखी लकड़ी नहीं है, यह स्वयं अधिकारी जानते हैं। सूखी लकड़ी का परमिट काट दिया। किसान गीली लकड़ी काट कर लाता है। वे जानते हैं कि शाम को गाड़ी पर सूखी लकड़ी नहीं होगी, गीली काट कर लाएगा। वे रास्ता रोक कर बैठ जाते हैं। उनको मालूम है कि सूखी लकड़ी लेकर किसान नहीं आया है क्योंकि जंगल में सूखी

(श्री भैरवलाल कालाबादल)
लकड़ी नहीं है। वे किसान की गाड़ी को पकड़ लेते हैं। दस रुपया लेते हैं और सूखी लकड़ी काट कर ले जाने का परमिट दे देते हैं .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : पांच मिनट हो गये। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : एक मिनट ही सही।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर दूं समय बहुत कम है। बोलने वाले माननीय सदस्य बहुत अधिक हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा नम्बर नहीं है। इसलिए मेरा नम्बर आ गया।

तो, सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि सूखी लकड़ी के नाम पर किसान से 150/- रुपये ले लिये जाते हैं। दस रुपये की सरकारी चिट्ठी काट दी जाती है और 140/- रुपये अधिकारी, कर्मचारी अपनी जेब में रखते हैं। तो वन में चोरियां हो रही हैं। सुरक्षा के नाम पर वन उजड़ रहे हैं। इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वन–सम्पदा राष्ट्र का अमूल्य खजाना है, इसकी रक्षा कीजिए, इसको बरबाद होने से बचाइये ताकि किसानों को लाभ मिले और राष्ट्र को लाभ मिले। इमारती लकड़ी के पेड़ वन में लगाइये। यह बबूल के पेड़, नकली अंग्रेजी बबूल के पेड़ लगाकर उनके आंकड़े देकर हमारे मंत्रियों को चकमा देना वन अधिकारी छोड़ें। वनों में इमारती लकड़ी के वृक्ष लगावें, शीशम लगावें, बांस लगावें, सागवान लगावें। काम के पेड़ लगावें। यही मेरा इस कट मोशन पर कहना है।

श्री सभापति : श्री विट्ठल प्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेश कुमार।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : सभापति जी, मैं शेरगढ़ से आये माननीय सदस्य, श्री खेतसिंह राठौड़ के इस वक्तव्य की सराहना करता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि वन-सम्पदा और वन्य जीव की सुरक्षा और उसमें सन्तुलन बनाए रखना मानव जीवन के लिए हितकारी है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी आड़ लेकर मानव को उस आवश्यक लाभ से वंचित करना भी ठीक नहीं है जो उसको मिलना चाहिये।

सभापतिजी, भरतपुर के अन्दर एक वन है, जो घना के नाम से प्रसिद्ध है। बर्ड सैंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके चारों तरफ एक पक्की दीवार बनायी जा रही है, इस विचार से कि वन की सुरक्षा हो, पशु-पक्षियों की सुरक्षा हो। इसके साथ-साथ यह भी पाबंदी लगाई जा रही है कि आस-पास के जो 40–50 गांव हैं, उनके पशुधन को इसमें चरने से रोका जाए। उनको उसमें नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि वे वनों की बरबादी करते हैं और वन्य पक्षी हैं, उनकी शांति नष्ट होती है। श्रीमान्, यह वन आदिम काल से चला आ रहा है। इसके पक्षी भी

(श्री सुरेश कुमार)

आदिम काल से चले आ रहे हैं। और उसी काल से आस-पास के गांवों के पशु भी उसमें चरते आ रहे हैं लेकिन कोई सन्तुलन नहीं बिगड़ा। राजाशाही के जमाने में चार हजार चिड़ियाएं शिकार में मारी जाती थीं, दक्षिणा की पाली जाती थीं, कभी कोई सन्तुलन नहीं बिगड़ा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि पशुओं की चराई पर पाबन्दी लगाने से क्या असर पड़ेगा? केवल चार महीने ही ऐसे होते हैं कि जब विदेशी पक्षी वहां रहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि पक्षियों की आड़ लेकर भरतपुर के पशुओं को चराने से रोकना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि चार महीनों को छोड़कर अन्य महीनों में पशुओं को चराने की इजाजत दें। डा. सालिम अली, जो विश्व के महान पक्षी विशेषज्ञ हैं, की यह रिपोर्ट है कि यदि ऐसे स्थानों पर पशुओं को चराने से रोका गया तो उनके गोबर से जो प्राकृतिक खाद मिलती है उसका लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। इसके अलावा वहां पर घास है जो पानी में होती है वह इतनी बड़ी हो जाएगी कि उससे झील का पानी ढक जायगा। डा. सालिम अली का कहना है कि पानी नहीं दिखेगा तो पक्षियों का आना बन्द हो जाएगा। इसलिए उन पशुओं को चरने के लिए इजाजत दे दी जाये। जब से यह वन है और जब से मानव फैलाव हुआ है, तब से जंगल से लकड़ी की टहनियों को तोड़कर गरीब लोग शहर में लाते रहे हैं और उनको बेचते रहे हैं। इससे उनका रोजगार होता रहा है और उनकी कमाई होती रही है। लेकिन उन पर भी पाबन्दी इसलिए लगाई गई है कि उन टहनियों से पक्षी घोंसला बनाते हैं। अगर सूखी लकड़ी ले जाने देंगे तो वह घोंसला कहां से बनायेंगे? मेरा निवेदन है कि पक्षी घोंसला बनाने के लिए बहुत छोटी टहनी उठाते हैं इसलिये हाथ से जो मोटी लकड़ी टूट सके उसको एकत्रित करने की इजाजत होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

कुछ गरीब विस्थापित, जो पाकिस्तान से आये हैं, का धन्धा ही यह है। मेरा निवेदन है उन 50 परिवारों को रोजगार से वंचित नहीं किया जाये। उनको इजाजत दीजिए कि वह मोटी लकड़ी लाकर बेच सकें।

श्रीमान्, मैं नहीं समझता हूं कि सड़कों के किनारे वृक्षारोपण जंगलात विभाग द्वारा क्यों नहीं कराया जाता है? भरतपुर में ऐसा हुआ है। यह काम जंगलात विभाग को सौंपा जाये। सड़क के दोनों तरफ वृक्ष हैं वह जंगलात विभाग को सौंपे जायें।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीश सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ईश्वरचन्द्र।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अब्दुल हादी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गंगासहाय।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री चुन्नीलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गणेश लाल।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

माननीय श्री हरिश कुमार ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री दाऊ दयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय सभापतिजी, सुजलां सुफलां, शस्य श्यामलां हमारी यह धरती है। चम्बल की यह धरती है जो वास्तव में अन्नपूर्णा के रूप में है। चम्बल के खाले और नदियों के कारण उसका रूप विकृत होता चला जा रहा है। मेरे चुनावी दौरों के दिनों में मैंने अनेक जगह देखा कि उन बीहड़ों के कारण, दरड़ों के कारण एक समस्या खड़ी हो गई है। गांव वाले बार-बार कोटा जिलाधीश से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 6 महीनों में भू-संक्षरण के कारण विषम स्थिति हो जाएगी। इसलिए अन्य स्थानों पर जमीन अलॉट की जाये जिससे कि हम शहरों से कट नहीं जायें। श्रीमान्, राज्य सरकार ने चम्बल के बीहड़ों को ठीक करने के लिए 6 जगह योजना बनाई है 8 लाख 975 रुपये की। इस वर्ष योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सहायता से कार्य कराया जाएगा। लेकिन इस तेजगति से बीहड़ होते जा रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में 5 हजार गांव एक साथ कट ऑफ हो जाएंगे, अलग हो जायेंगे। ये योजनाएं तीन-चार जगह पर अलग-अलग चल रही हैं। भू-संरक्षण अधिकारी के द्वारा इन योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। आने वाले समय में इस कार्य को कौन संभालेगा ? जब वह क्षेत्र वृक्षों से हरा-भरा हो जायेगा तो उसको हरा-भरा रखने की गारन्टी देने वाला कौन होगा ? कोटा में भू-संरक्षण हो रहा है। कोटा के अधिकारी से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि हम को किसी ने पैसा ही नहीं दिया है। वह नाम के भू-संरक्षण अधिकारी हैं लेकिन बजट में भू-संरक्षण के नाम पर कुछ भी प्रावधान नहीं है। केवल तनख्वाह मात्र के लिये ही धनराशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि हम भी भू-संरक्षण का कार्य करना चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरी है। हम पी० डब्ल्यू० डी० से यह निवेदन करते हैं कि आप के पास बहुत बजट है इसलिये आप पेड़ लगाओ पी० डब्ल्यू० डी० ने कुछ क्षेत्रों में पेड़ जरूर लगाये हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में आवश्यकता इस बात की है कि तेजी से चम्बल के बीहड़ों में पेड़ लगाये जायें। जिस तेजी से भू-संरक्षण को रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वह नहीं की गई है। यदि युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वह योजना सफल होगी। श्रीमान्, भू-संरक्षण की जमीन का जो लेवलिंग करते हैं उसका सेण्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है कई जगह ऐसा तय किया गया है कि दीवारों को खड़ा करके भू-संरक्षण करें। लेकिन उसकी कीमत 3 हजार रुपया प्रति एकड़ पड़ती है जब कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट से 1,600 रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा रुपया नहीं मिल सकता है। जमीन को उपजाऊ बनाये रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने मदद की है वह मदद मिलती रहे, इस लालच में रुपया खर्च नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस कार्य के लिए बड़ी मशीनें भेजी जावें। गांव वाले कहते हैं कि मशीनें बहुत महंगी हैं। 3 हजार में कैसे ले सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वह मशीन किश्तों में किसानों और गांव वालों को दी जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री बाळदयाल जोशी)

राजस्थान में चराई की बड़ी असुविधा है। कई माननीय सदस्यों ने वनों में चराई के बारे में कहा है। इसका कारण है कि अलग-अलग जगह अलग-अलग चराई है।

कोटा में एक गाड़ी लकड़ी की कीमत तीन रुपया है। परमिट गांव के लोगों को नहीं मिलते, किसानों को नहीं मिलते, परमिट ठेकेदारों को मिलते हैं। तीन रुपये गाड़ी के हिसाब से वे सरकार को देते हैं, वे बेरहमी से जंगल को काटते हैं और एक गाड़ी में बीस-बीस मन तक लकड़ी ले जाते हैं। उसको बाजार में बेचकर सौ रुपया कमाते हैं जब कि सरकार के खजाने में केवल तीन रुपया जमा होते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ठेकेदारों की जेब में सौ रुपये जमा होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कोटा और झालावाड़ जिलों के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं, वहाँ के गांवों में अधिकतर भील लोग रहते हैं एक श्योपुर विलेज है वहाँ पर भी भील लोग रहते हैं। उनका काम यही है, जंगल से लकड़ी काटकर लाते हैं और अपना काम चलाते हैं, लेकिन जंगलात के लोग उनको पकड़ लेते हैं। वे बेचारे सुबह जल्दी जाकर लकड़ी काटते हैं और अपने माथे पर ऊंचाकर लकड़ी लाते हैं, उनको जो अधिकारी लोग हैं वे पकड़ लेते हैं। वे लोग उनको बहुत बददुआ देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मेरा एक निवेदन और है कि चम्बल के जो दरड़े हैं उनमें भारी मात्रा में पेड़ लगाने की योजना बनायी जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और मैं दरा गेम सेंचुरी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वन विभाग ने वहाँ पर खाने खोदने के लिए स्वीकृति दे दी है जिससे जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। एक तरफ तो हम जंगलों की रक्षा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करना चाहते हैं दूसरी तरफ इस तरह जंगल नष्ट हो रहे हैं। वहाँ पर रेस्ट हाउस भी जंगलात वालों का बना हुआ है,..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाळदयाल जोशी : श्रीमानजी, अगर आप दरा गेम सेन्चुरी को बनाये रखना चाहते हैं और वहां पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खानों के जो पट्टे दिये गये हैं, उनको केन्सिल करके गेम सेंचुरी को विकसित करने की कृपा करें......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तभी वहां पर जंगल पनप सकते हैं। वह बहुत सुन्दर स्थान है।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (डूंगरपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं वन-सम्पदा के विषय में अर्ज करूंगा। वैसे डूंगरपुर के अन्दर जंगलों का अभाव तो नहीं था, लेकिन कुछ समय से

(श्री अमृतलाल)

सारी लकड़ी जहां पर जंगल खड़े थे वहां से ठेकेदारों को देकर सारे जंगल नष्ट करा दिये गये। ठेकेदार लोग पेड़ों को जड़ों तक से उखाड़कर ले गये। आज स्थिति यह है कि जंगलात की पिछली सरकार ने पत्थर की बाउन्ड्री बनाई थी, उसमें यह तय किया था कि गांवों के छोर से, गांव के गोयरे से लाइन डाली गई है उस पर पत्थर की डोली बना दी जाय। डोली बना दी गई जिसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि गांवों के मवेशी जो चरने जाया करते थे, वह अब नहीं जा सकते। आज वे लोग क्या करें? उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, डूंगरपुर पंचायत समिति में आंतरी एक बहुत बड़ा गांव है, उस गांव की बाउन्ड्री बनाई, इस कारण वहां के जो मवेशी हैं उनको मारा-मारा फिरना पड़ता है। अब वे पहाड़ पर खड़े रहते हैं। मैंने खुद देखा, डूंगरपुर जिलाधीश को भी मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया कि इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करें। मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की भारी दिक्कत किसानों के सामने है, मवेशियों के चरने के लिए जमीन नहीं है। जो जगह उनके चरने के लिए थी उस पर वन विभाग ने कब्जा कर लिया और बाउन्ड्री बना दी। आज किसानों के मवेशी मारे-मारे फिर रहे हैं और उनको परेशान किया जाता है। उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है। उनका सारा पैसा जंगलात के लोग हजम कर जाते हैं। जंगलात विभाग में अच्छे-अच्छे जंगल हैं, डूंगरपुर पहाड़ी क्षेत्र है, सागवान के बल्ले के बल्ले खड़े थे, आप देखें आंतरी गांव के पास पूरी तरह से बल्ले के बल्ले खड़े थे, वे सब भ्रष्टाचार के कारण बरबाद हो गये। इसका मतलब यह है कि जंगलात अधिकारियों ने लापरवाही बरती। वे रास्ते काट-काट कर इधर-उधर करते गये। इसके सबूत की आवश्यकता पड़े तो मैं निश्चित रूप से मन्त्री महोदय को दूंगा। इस प्रकार से जंगलों को बरबाद करने की जिम्मेदारी जंगलात के अधिकारियों की है। मन्त्री महोदय क्या करेंगे और दूसरे लोग क्या करेंगे? यह एक साफ सवाल है, इसके लिये केवल मात्र वे लोग जिम्मेदार हैं। मैंने आंखों से देखा है, कुछ लोग हल में जो चौड़वे डालते हैं वह लेकर आ रहे थे, जंगलात के अधिकारी ने उनसे वह चौड़वे ले लिये और 20/- लेकर ले जाने दिया। उनसे जो रुपये लिये उनकी कोई रसीद भी नहीं दी, वे पुराने चौड़वे थे, वे अपने सगे-सम्बन्धियों से लाये थे। इसलिए सबसे मूल बात यह है कि जंगल तब ही पनप सकते हैं जब कि जंगलों के अधिकारी सही ढंग से काम करें.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब तक वे लोग सही ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक जंगल नहीं पनप सकते। उनके अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे सख्ती से कदम उठायें, तभी जंगल पनप सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम असेम्बली में आयेंगे, भाषण दे देंगे, उसको लिखा दिया जायगा लेकिन होगा कुछ नहीं। जंगल बरबाद होते जायेंगे, कहीं भी हरियाली और लकड़ी व जंगल वगैरह दिखाई नहीं देंगे, यह स्थिति साफ है। मैं स्पष्ट भाषा में कहूंगा कि ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिनसे लकड़ी कटवाने के सारे रास्ते बन्द हों ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तभी काम चलेगा और वर्षा भी समय पर आयेगी। मैं मन्त्रीजी को आगाह करना

(श्री अमृतलाल)

करना चाहता हूं कि वे इस ओर विशेष ध्यान दें और जितनी कमियां हैं उनको दूर करें। जो भी काम हो, चाहे थोड़ा हो, अच्छा हो, सख्ती से हो, अगर कोई लापरवाही करता है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिये तभी जाकर जंगलात का विकास होगा।

श्री सभापति : माननीय श्री माणक लाल।

श्री माणक लाल (नैनवा) : सभापति महोदय, मैंने वन की मांग पर अपना कटौती प्रस्ताव वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों के दुर्व्यवहार के संबंध में दिया है। क्योंकि समय अधिक नहीं है इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में जो असाधारण घटनायें हैं उनकी ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नैनवा में एक जंगल है वह देवपुरा, देवलिया और अर्जुनपुरा आदि गांवों की तरफ है। पिछली सरकार ने वहां के काश्तकारों को रहने के लिए वन भूमि में कुछ पट्टे एस. डी. ओ. के द्वारा दे दिए। उन पट्टों को प्राप्त करने के बाद पट्टों के नियमन में यह खामी नजर आई वह वन भूमि है उसको राजस्व में परिवर्तित किया गया तो उस समय चूंकि एस. डी. ओ. को, संबंधित परगना अधिकारियों को यह अख्तियार दिया गया था, वन भूमि के जिनको प्लाट्स दे दिए गए उस वन भूमि को राजस्व में परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए वहां के एस. डी. ओ. ने जिस वन भूमि के जो पट्टे दिए गये थे उसको राजस्व में परिवर्तित कर दिया। इस बात से वन विभाग के बूंदी जिले के अधिकारी नाराज हुए। उन्होंने इस बात का कोई ख्याल नहीं किया कि काश्तकारों को पट्टे दे दिए गए हैं, उस भूमि पर वर्षों से वे निवास कर रहे हैं और एस. डी. ओ. ने उस भूमि को राजस्व में परिवर्तित कर दिया है। वे वहां गये और उनकी पट्टियों को उखाड़ ही नहीं दिया बल्कि उनमें आग लगा दी। एक नृशंस अत्याचार, जो राक्षस भी नहीं करते हैं, उन्होंने वहां किया।

दूसरा उदाहरण यह है कि उसी तहसील में एक बांसी गांव है वहां लगभग 7 वर्ष से काश्तकार खेती करते आ रहे हैं। वह वन भूमि है लेकिन जंगल नहीं है। किसी प्रकार से वन के विकास में वह खेती आड़े नहीं आती। इसी कारण 7 साल तक वे लगातार खेती करते आए। 7 वर्ष से उनके खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई चाहे कांग्रेस सरकार के छोटे-मोटे कर्मचारियों रेंजर्स को खुश करके काश्तकार लोग खेती करते रहे। उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन जनता सरकार बन जाने के बाद काश्तकारों के हृदय में कुछ लोगों द्वारा प्रोत्साहित करने पर यह भावना पैदा हुई कि सरकार हमारी है इसलिए हमें भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। उनको इस बात की शपथ दिलाई कि रिश्वत देना बन्द कर देंगे। उन्होंने रिश्वत देना बंद कर दिया। अगर आप जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका फल उनको भुगतना पड़ा, उनकी फसल कुर्क की गई, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे दायर किये गए, धारा 91 के मुकदमे, उनकी फसल को नष्ट करने की योजना बनाई गई। यह निकला रिश्वत न देने का नतीजा। इस संबंध में मैं राजस्व मंत्री, श्री आदित्येंद्र, के पास गया। उन्होंने वन मंत्री से सिफारिश की कि चूंकि आपका यह जंगल है इसलिए कृपया आप इस फसल की नीलामी होने से रोक दें। जो भी नियमित करने की, भूमि को राजस्व में परिवर्तित करने

(श्री माणकलाल)

की नैनवा के एस. डी. ओ. के पास कार्यवाही चल रही है, उसका नतीजा बाद में निकल जाएगा । तो मैं वन मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र पर गौर करके इस बात का आदेश दे दिया कि फसल को नष्ट होने से बचाया जाए और स्थगन आदेश जारी कर दिया । इसके बाद वे काश्तकार वहां के उच्च अधिकारी के पास गये, चूंकि मुझे समय नहीं था, वहां जाने पर उस उच्च अधिकारी ने काश्तकारों से बुरा सलूक किया । गांधीवादी, समाजवादी, जे. पी. के अनुयायी की बदनामी करने की नीयत थी या नहीं, यह मैं नहीं कहता लेकिन उन्होंने कहा, "ले जाओ, तुम्हारे आर्डर को, क्या ऐसा हुक्म दिया जा सकता है ? कह दो वन मंत्री से कि यह हुक्म नहीं माना जाएगा ।" उसके बाद वह अधिकारी मुझे यहां जलेबी चौक में मिल गये । मैंने उनको सलाह दी कि छोटी-छोटी बातों में वन मंत्री को दखल देने की जरूरत नहीं है । मैं उनके साथ गया और सोचा कि वन मंत्री के पास जाऊंगा । अगर अधिकारी ने रोड़ा अटका दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है । विधायक बनने के बाद मैंने अनुभव किया है कि अगर नीचे के अधिकारियों ने रोड़ा अटका दिया तो चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री, चाहे वन मंत्री, सब धरे रह जाते हैं । अधिकारी काम होने नहीं देते हैं । तो मैंने सोचा काम बिगड़ जाएगा, मिन्नतें करने गया तो उन्होंने वैसे का वैसा व्यवहार किया । मैंने सुना था कि ईमानदार और अच्छे व्यक्ति वहां पर हैं लेकिन मां भवानी के वाहन पर भैरव वाहन भी भभकाया । वह हमें भभकाने लग गया । मेरे काश्तकार के स्वाभिमान को ठेस लगी । मैंने अपने स्वाभिमान की चिंता नहीं की । उन्होंने कहा, भाई कलेक्टर साहब के पास जाओ । वहां दूसरे जो सहायक वन संरक्षक थे, मैं उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ । उन्होंने अनुकरणीय व्यवहार किया । उन्होंने जो उनका अधिकार था उसका प्रयोग करते हुए वन मंत्री महोदय के जो आदेश थे, उनका पालन किया । पुरानी सरकार के जमाने में आपातकाल में इन्हीं अधिकारियों ने नाजायज आदेश दिए और डंडे के बल पर उनका पालन कराया, गरीबों के ऊपर अत्याचार किया । उन्होंने यह नहीं सोचा कि आदेश कानून के अनुसार है या नहीं । आज जो काश्तकारों के फायदे के लिए, मजदूरों के फायदे के लिए जब हमारे मंत्री गण आदेश देते हैं तो उनको रद्दी की टोकरी में डालने की अधिकारीगण कोशिश करते हैं । इस पर सरकार के मंत्रियों को सोचने की आवश्यकता है । जो उनकी विचारधारा है, जो उनके अंदर मनोवृत्ति पैदा हो रही है, उसको बदलने की जरूरत है । वन विभाग के उच्च अधिकारी से आशा की जाती है कि वे छोटे लोगों से भी मिलें, जंगली लोगों से भी मिलें लेकिन उन्होंने नियम बना रखा है कि वह डी. एफ. ओ. के नीचे के स्तर के किसी अधिकारी से मिलेंगे ही नहीं ।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चीफ कन्जरवेटर साहब साफ कह देते हैं कि मैं आपसे भेंट नहीं करूंगा । सभापति महोदय, हमारे मुख्य मन्त्री मिल सकते हैं, वन मन्त्री मिल सकते हैं, हमारे गृह मन्त्री, प्रोफेसर केदार मिल सकते हैं, हमारे कैलाश मेघवालजी कभी किसी भी हरिजन बच्चे तक से मिलने को तैयार रहते हैं, वह हरिजन और भीलों के बच्चे को गले से लगाने को तैयार रहते हैं पर हमारे यह चीफ कन्जरवेटर साहब डी. एफ. ओ. के नीचे अधिकारी से नहीं मिलते हैं ।

Page No 139

(139)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री माणकलाल : सभापति महोदय, यह आई. ए. एस. और चीफ कन्जरवेटर साहब ऐसे अधिकारी होते हैं जो कि अपने नीचे के छोटे अधिकारियों से तो मिलना ही नहीं चाहते हैं। आज कई ऐसे रेन्जर्स और फारेस्टर वगैरह हैं जो कि उनसे मिल नहीं सकते हैं, अपनी बात उनसे कह नहीं सकते हैं, डरते हैं कि कहीं उनके खिलाफ में डिसिप्लीनरी एक्शन नहीं ले लिया जाय। आज कई लोगों की दरख्वास्तें हैं हमारे पास में। मैं आपसे निवेदन करूं कि आखिर क्या बात है? आज सरकार जो नियम बनाती है वह काश्तकारों के भले के लिये बनाती है, मजदूरों को फायदा पहुंचाने के लिये बनाती है। आखिर, सभापति महोदय, उनकी बात तो सुनी जानी चाहिये।

श्री सभापति: आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आपको 11 मिनट हो गये हैं।

श्री माणकलाल : अच्छा धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरचन्द सिंह।

श्री गणेशलाल : सभापति महोदय, मेरा नाम नहीं आया।

श्री सभापति : जिस वक्त आपका नाम पुकारा उस वक्त आप उपस्थित नहीं थे।

श्री हरचन्द सिंह।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, वनों के महत्व से कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। किसी भी देश के मानव जीवन के इतिहास में वनों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। लेकिन वनों के नाम पर ज्यादतियां किया जाना कहां तक उचित है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वह सारा का सारा रेगिस्तानी एरिया है, वहां पर वनों की बहुत कमी है। वहां पर कहीं-कहीं पर छोटी-छोटी घास है या कहीं-कहीं पर कंटीली झाड़ियां हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में कुछ नहीं है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, कि वहां लाखों एकड़ जमीन वनों के नाम पर घेर रखी है। चारों तरफ तार की लाइन से उसे घेरा हुआ है। सभापति महोदय, उस इलाके में वनों के नाम पर एक तो कंटीली झाड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है और दूसरे रेगिस्तानी इलाके में जो पैदा होता है वह है फोग। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इमर्जेन्सी में फोग को पेड़ की परिभाषा में शामिल कर दिया और इसको वनों की श्रेणी में रख दिया। सभापति महोदय, यह फोग की लकड़ी ईंधन के काम आती है। उसका किसी भी दूसरी चीज या काम में इस्तेमाल नहीं होता है। सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में जब जब भी अकाल पड़ा है तब वहां के लोग बेचारे इस फोग की लकड़ी को काट कर बेच देते थे और अपना जीवन यापन करते थे। पर अब इसकी कटाई पर पाबन्दी लगा दी गयी है और इसको पेड़ मान लिया गया है। वहां के लोगों का एक यही रोजगार है। लकड़ी काटकर बेचकर अपना पेट पालना, उस इलाके में यह एक आजीविका का साधन है पर इमर्जेन्सी का भयंकर दुरुपयोग पश्चिमी

(140)

(श्री हरबन्स सिंह)

राजस्थान के अन्दर फोग की लकड़ी काटने वाले लोगों पर हुआ। वहां की जनता उससे बहुत ही परेशान हुई। फोग की लकड़ी काटने पर पाबन्दी लगा दी गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इन्सपैक्टर आफ स्कूल्स, मिस्टर रंगा बीकानेर की मृत्यु हो गयी तो उनकी लाश लकड़ी नहीं मिलने के कारण 9 घन्टे तक श्मशान में बिना जले पड़ी रही। उनके मृत शरीर को फूंकने के लिये लकड़ी तक नसीब नहीं हुई। तो मेरा निवेदन है वन मन्त्री महोदय को कि इस फोग की लकड़ी को वनों में पेड़ की परिभाषा में से आप कृपया हटाइये ताकि पश्चिमी राजस्थान में लोगों को एक रोजगार का साधन मिले। यह एक बड़ी प्राब्लम फोग की लकड़ी वन के पेड़ की परिभाषा में शामिल कर देने से हुई है। वहां पर लाखों एकड़ जमीन आपने घेर रखी है, उसमें छोटी-छोटी घास के सिवाय कुछ नहीं होता। फोग की लकड़ी जरूर मिलती है, बाकी दूर-दूर तक रेत के टीले के सिवाय उस वन विभाग के रिजर्व फोरेस्ट में कुछ नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है इसकी ओर आप ध्यान दें।

दूसरे वहां पर रास्ते नम्बरों पर जाते हैं वह आपस में एक दूसरे गांवों को मिलाने वाले हैं। अब ऐसा हो गया है कि वहां पर कुछ वन विभाग ने तार बन्दी कर दी है। तारबन्दी कर एक दूसरे गांव को मिलाने वाले रास्ते बन्द कर दिये गये हैं। पशुओं का आना जाना, लोगों का आना जाना बन्द कर दिया गया है। इस परेशानी को तो आप कृपा कर मिटाइये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इलाके सूरतगढ़ में आपने सारी की सारी आबादी भूमि वन विभाग के कब्जे में दे दी है या यों कहिये कि वन विभाग ने आबादी की सारी की सारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। वहां पर ऐसी हालत कर दी है कि लोगों को निकलने की जगह नहीं है, पशु तक नहीं निकल सकते हैं। अगर कोई पशु निकलता है तो उसको फाटक में बन्द कर देते हैं। इससे गांव वाले सारे परेशान हो रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे वहां पर पीलीबंगा मण्डी के वार्ड नम्बर 9 को पूरा का पूरा वन विभाग ने घेर रखा है, तारों के बैरियर खड़े कर दिये हैं जिससे लोगों को भयंकर परेशानी हो रही है। इस प्रकार आप वनों की रक्षा के नाम पर जनता को परेशान कर रहे हैं, यह कहां तक उचित है? इस तरह से आपने घेराबन्दी कर रखी है, यह कहां तक उचित है? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह जो रास्ते बन्द कर दिये हैं उसको आप खुलवायें उनको बन्द कर देने के कारण जनता को परेशानी हो रही है। उन पर तरह-तरह की ज्यादतियां हो रही हैं, पशुओं को फाटक में बन्द किया जा रहा है और कह रहे हैं कि वनों की रक्षा हो रही है। मैं, सभापति महोदय, वन मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि फोग के वनों के पेड़ों की जो परिभाषा है उसमें से निकलवा दीजिये। उसको तब्दील करिये। फोग की लकड़ी का नाम उस में से निकलवा दें तो पश्चिमी राजस्थान के लोगों को काफी राहत मिलेगी। दूसरा निवेदन मेरा यह है, श्रीमान्, लोगों के निकलने की जगह नहीं है। इसलिये रास्ते खुलवायें।

(श्री हरचन्द सिंह)
बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री राम कृष्ण दास गुप्ता !

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): सभापति महोदय, आज मुख्य मन्त्रीजी सदन में नहीं हैं और उनकी सीट पर वन मन्त्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनको यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर से 18 मील दूर एक जगह गजनेर है। वहां पर एक फोरेस्ट सैंचुरी है, 12 हजार बीघा जमीन पर तारबन्दी फोरेस्ट सैंचुरी के नाम पर की हुई है। सभापति महोदय, उस 6 हजार बीघा जमीन तो इतनी अच्छी है और इतनी समतल है कि जिसमें काफी अच्छी खती हो सकती है। इसके अलावा 6 हजार बीघा दूसरी जमीन है उसमें बहुत ही अच्छी माइन्स हैं। यह वह क्षेत्र है जो कि कोलायत के क्षेत्र में पड़ता है। माइन्स से खनिज पदार्थ निकाल कर हम हमारे प्रदेश की आय बढ़ा सकते हैं। जो 6 हजार बीघा जमीन समतल है उसके लिये वन मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस जमीन को एक्वायर करके वहां पर जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको वह जमीन अलॉट कर दी जानी चाहिये जिससे लोगों को रोजगार मिले वहां और हमारे यहां का उत्पादन बढ़े। सभापति महोदय, इस 12 हजार बीघा जमीन में स्टेट के समय में ही गेम्स सैंचुरी राजा-महाराजाओं ने बना रखी थी जहां पर तत्कालीन राजा लोग अपने मित्रों के साथ जाकर शिकार खेलते थे। आज भी वही स्टेट के जमाने वाला हाल है। अब वहां पर हंटिंग तो नहीं होती होगी पर वह बिना काम आये ही जमीन घिरी हुई है। आज दिन तक उस फोरेस्ट सैंचुरी का विकास नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस गम सैंचुरी के कारण एक तरफ तो खनिज का उपयोग नहीं हो रहा है दूसरी तरफ उत्पादन कम होता जा रहा है। अगर वह छः हजार बीघा जमीन एक्वायर कर भूमिहीनों में बांट देते हैं तो गरीब लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आप का उत्पादन बढ़ेगा, और आपको रेवेन्यू भी मिलेगी। सभापति महोदय, यह एक क्रिमीनल नैग्लीजेंन्स है। आज तक उसकी उपेक्षा की गयी है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस फोरेस्ट सैंचुरी को, जो कि सही मायने में फोरेस्ट सैंचुरी नहीं है, इस नाम से मुक्त कर उसकी जमीन भूमिहीनों को आवंटित की जाय। उस क्षेत्र में जो माइन्स हैं उन माइन्स के प्लाट बना कर गरीब मजदूरों को लीज पर दिये जायं जिससे कि बेरोजगारी मिटे और उत्पादन बढ़े। आज वह 12 हजार बीघा जमीन है उसके कारण 10-20 गांवों के पशुधन के मालिक परेशान हो रहे हैं। सभापति महोदय, वहां पर स्ट्रे एनीमल चले जाते हैं तो वन विभाग के लोग पशुओं के मालिकों से फाइन के रूप में पांच रुपया प्रति पशु लेते हैं। जब वहां पर हर साल अकाल पड़ता है, उन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता उन अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लोगों से 5-5 रुपया फाइन लेना कहां तक उचित है ? इसके साथ ही मैं यह और निवेदन करना चाहूंगा कि वन विभाग वाले जो पैसा लेते हैं वह लोग पैसा ऊपर का ऊपर बिना

Page No 142

(142)

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)

सरकारी कोष में जमा कराये हजम कर जाते हैं और दण्ड ग्रामीण क्षेत्र के बेचारे गरीब लोगों को मिलता है, यह कहां तक उचित है ? इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दें ।

तीसरी बात इस क्षेत्र के पशुओं को भी उस क्षेत्र में जाने के लिये आज्ञा दी जाय । उसमें घास खड़ी है । बीकानेर इलाकों के पशुधन को उसमें चराने की सुविधा उपलब्ध हो जाय तो हजारों मन दूध बाहर जा सकता है और गांव वालों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है । घास नजदीक में है लेकिन पशुओं को चराने के लिये उपलब्ध नहीं है । 12–12, 30–30 मील की दूरी पर पशुओं को चराने के लिये जाना पड़ता है ।

इसके साथ-साथ मनुष्यों की भी दयनीय स्थिति है उस इलाके में, वहां इन्सान मर रहा है ।

श्री सभापति : आपका इस पर कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : है, साहब वहां पर इन्सान मर रहा है । कांग्रेस के शासन में यही स्थिति रही और आज भी यही स्थिति हम देख रहे हैं । जनता पार्टी के शासन में भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । सुअर वन से निकल कर आस-पास की हजारों बीघा जमीन की खेती को नष्ट कर देते हैं, उन सुअरों को मारने की कोई व्यवस्था नहीं है जब कि मंत्री महोदय ने सूचना दी थी कि सुअरों को मारने की इजाजत दे दी है । मैं चाहूंगा कि वन अधिकारी ही उसको मारे । गांव का किसान कभी इतना समर्थ नहीं हो सकता कि सुअरों को मार दे । जिसके पास कोई साधन नहीं इसलिये सुअर जैसे खूंख्वार जानवर को मारना किसान के वश की बात नहीं । किसान के लिये बड़ा मुश्किल है । उसके पास न कोई हथियार है और न ही उसके पास बन्दूक और कारतूस है । आपने सुअरों को मारने का प्रावधान रख दिया । लेकिन उनको कौन मारेगा ? गांव वालों के वश की बात नहीं । यदि गांव वाले मार भी दें तो that is the property of the Forest Department. उसको आर्थिक लाभ मिले वह भी नहीं.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सम्भव नहीं है । मानवीय दृष्टिकोण आपका नहीं है । मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सुअर डिपार्टमेन्ट के अन्डर में हैं इसलिये जो सुअर बाहर निकलें उसको वे मारें । यह डिपार्टमेन्ट की ड्यूटी है गांव वालों की नहीं । आप सुअरों को पाल रहे हैं इन्सान की कोस्ट पर । उसके दांत आदि का आप व्यापार करें । यह प्रश्न उठा रहा हूं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव नहीं है ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : इसमें है साहब । मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, अविलम्ब जल्दी से जल्दी कानून में अमेन्डमेन्ट करें । गांव वालों को मारने की इजाजत देते हैं तो मरा हुआ सुअर उनकी सम्पत्ति

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)

हैं न कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की। गांव वाले चाहें किसी दूसरे को अपोइन्ट करके उन सुअरों को मरवायें। आप कहेंगे कि जनता पार्टी के होकर इस प्रकार की बात कह रहा हूं लेकिन जनता पार्टी के होते हुए भी यदि जनता सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी और मानवीय दृष्टिकोण से इसको नहीं सोचा तो हम अवश्य कहेंगे क्योंकि यह जनता की आवाज है। जनता की आवाज फाइनल है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सहाय।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल ऐरन।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि वन विभाग की उत्पत्ति वन सम्पदा की रक्षा के लिये हुई है। परन्तु खेद का विषय यह है कि शनैः शनैः यह वन विभाग वन-सम्पदा की सुरक्षा करने वाला विभाग न रह कर, वन-सम्पदा को नष्ट करने वाला विभाग बन गया है। अभयारण्य की सैंकड़ों बीघा जमीन वन संरक्षक नहीं, वन भक्षकों ने वन क्षेत्र के विकास के नाम पर अपने कब्जे में कर ली है। पशुधन के लिये, चरागाह के लिये जमीन निकालना तो दूर रहा उनके चरने के लिये गांव में, एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी। नतीजा यह हुआ कि बीड़ या चरागाह के लिये कोई जमीन उनको उपलब्ध नहीं है। यदि कोई मवेशी वन क्षेत्र में चला जाय तो वह वन संरक्षक एक-एक मवेशी के 21 रुपये से लेकर 100 रुपये तक वसूल करते हैं। वह रुपया कहां जाता है, इसका पता नहीं।

(6.17 म. प.)

(श्री रामचन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, वनों में, बीहड़ जंगलों में सैंकड़ों ऐसे बसेरे बने हुए हैं, ऐसे भवन बने हुए हैं जिनमें आधुनिक सुख-सुविधायें उपलब्ध हैं, जो सुसज्जित हैं, बड़े-बड़े अधिकारीगण वहां जो वन लीलायें करते हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं। यह स्थिति सब माननीय सदस्यों को विदित है।

सैंकड़ों लाखों करोड़ों रुपया पेड़ लगाने पर व्यय किया गया है लेकिन मेरे क्षेत्र में आज यदि मंत्री महोदय पधारें तो मैं उन्हें ऐसे वन बताऊंगा जहां पर एक भी पेड़ मौजूद नहीं है। या तो पेड़ लगाये ही नहीं गये। और यदि लगाये तो उसकी सुरक्षा नहीं की गयी। उनकी सुरक्षा भी हुई तो धीरे-धीरे काट करके या कटवा करके उनका पैसा उन अधिकारियों ने हड़प लिया। आज भी पेड़ लगाने पर लाखों रुपया व्यय किया जाता है। पुराने पेड़ खत्म होते जा रहे हैं और नये पेड़ लगाते जा रहे हैं। मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वाकई वन सम्पदा की रक्षा करनी है तो इस ओर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।

अकाल राहत के बारे में मेरे क्षेत्र के

(144)

(श्री भंवरलालरैगर)
लिये निवेदन करना चाहता हूं कि न तो वहाँ कोई नदी है और न ही कोई बांध है। केवल तालाबों पर कृषि जीवन निर्भर, रहता है। इस वर्ष अतिवृष्टि से यह फसल तो सम्पूर्ण नष्ट हो गयी इसलिये आने वाली फसल को अच्छा बनाना आवश्यक है। इसलिये वहाँ पर राहत कार्य खोले जायें। जो सड़कें क्षति ग्रस्त हैं उनको दुरुस्त कराया जाय, उनको सुधारा जाय। तालाबों के लिये निवेदन करूंगा कि तीन-चार बड़े तालाब हैं। एक है न्यारी, दूसरा रामसर, तीसरा बाघसूरी, और चौथा फूटिया। यदि इन तालाबों को ठीक कराया जायगा तो अकाल राहत कार्य भी होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और मजदूरी मिलेगी। साथ ही आने वाली फसल भी अच्छी होगी। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतहसिंह।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण कानूनी समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1 अप्रेल, 1938 से पहले आज का वह इलाका, जो अब भीम तहसील के नाम से पुकारा जाता है, तथा रायपुर तहसील का सैंदड़ा क्षेत्र, परगना अजमेर मेरवाड़ा का अंग था। अजमेर मेरवाड़ा में जो यहाँ के ओरीजिनल बाशिन्दे थे वह खेवटदार नाम से पुकारे जाते थे। यह खेवटदार इन जंगलों के और अपनी जमीनों के मालिक थे। श्रीमान्, जंगलों का प्रबंध भी वह लोग ही किया करते थे। जब अंग्रेजी शासन शुरू हुआ तब उनके अधिकार लिपिबद्ध हुए। अंग्रेजों ने जंगलों का प्रबंध अपने हाथ में लिया और जंगलों से जो आय होती थी उसका खर्चा निकालने के बाद जो मुनाफा होता था उसका दो-तिहाई भाग इन खेवटदारों को मिलता था और एक-तिहाई लाभ सरकार अपने पास रखती थी, क्योंकि सरकार को इन जंगलों की व्यवस्था करनी पड़ती थी।

श्रीमान्, 1959 में जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ और वह सन् 1960 में लागू हुआ। 1960 तक जंगलात का प्रॉफिट खेवटदारों को मिलता रहा। उसके बाद इन खेवटदारों को, इन किसानों को यह मुनाफा नहीं मिला। अगर उनको बिस्वेदार की परिभाषा में माना गया था, यह खेवटदार बिस्वेदार की परिभाषा में आते थे, तो जब उनकी बिस्वेदारी खतम हुई तो उस बिस्वेदारी की समाप्ति के बाद जैसे सारी भूमि का कम्पेन्सेशन जागीरदारों को और जमींदारों को मिला उसी तरह से इन जंगलों का कम्पेन्सेशन भी उन खेवटदारों को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न मैंने उठाया है इसके औचित्य को एग्जामिन करें। मैं तो यह चाहूंगा कि इन खेवटदारों को कम्पेन्सेशन इन जंगलों का दिया जाये। यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्रीमान्, दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव बराई के संबंध में है। मैं अभी 9 जुलाई को मेरे क्षेत्र के दौरे पर गया तो वहाँ पर मुझे लोगों से मालूम हुआ, किसानों से

(मेजर श्री फतहसिंह)

मालूम हुआ कि भीम क्षेत्र में जंगलों के अन्दर ऊंटों और बकरियों को चराने की इजाजत नहीं है। उनसे चराई लेने के बाद भी वह नहीं चरा सकते जब कि मुझे यह भी जानकारी दी गयी कि मारवाड़ के इलाके में, रायपुर के इलाके में अथवा देसूरी की तरफ जो जंगल हैं वहां पर अगर ऊंट चरते हैं, जंगल में चराई लेने के बाद वह चर सकते हैं। मैं इसलिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान एक है, एक ही राज्य में एक ही शासन में, नियमों में विषमता क्यों है ? इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए।

श्रीमान्, समय बहुत कम है। और यद्यपि मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है लेकिन आपकी अनुमति से जरा उससे बाहर जाते हुए एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। गरीब किसान हैं उनके खेत की पाल पर कोई दरख्त सूख जाता है और उसको वह काटकर बाजार में ले जाता है तो वह नहीं ले जा सकता। जंगलात के विभाग का यह नियम बना हुआ है कि डिवीजनल फोरेस्ट आफिसर उसके लिए ट्रान्जिट पास देगा। आज रावली से कोई ट्रान्जिट पास लेने के लिए अजमेर जाये और करीब 70 मील दूर एक गरीब किसान को जाना पड़े तो कितना नुकसान होगा, समय लगेगा और पैसा भी लगेगा ? तो इसका कोई उचित रास्ता निकाला जाना चाहिए। मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस पर सोचे कि जो सरपंच बहुत जिम्मेदार व्यक्ति माना गया है और जिसको हम लोग और भी ज्यादा जिम्मेदारियों के काम सौंपने वाले हैं उस सरपंच को ट्रान्जिट पास देने के अधिकार क्यों नहीं दे दिये जायें ? या फिर यह अधिकार किसी रेवेन्यू अधिकारी को क्यों नहीं दे दिया जाये। हां, यह बात और है कि कोई ट्रक भर कर ले जाता है तो जंगलात के अधिकारियों को शक हो सकता है कि वह जंगल से लकड़ी काटकर लाया होगा। तो इस पर भी सरकार गौर करे।

अंत में एक बात अपना स्थान ग्रहण करने से पहले कहना चाहता हूं। कुछ काम ब्यावर क्षेत्र में अकाल के दिनों में शुरू किये गये थे। वह अभी तक अधूरे पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर सुनेहघाटा फीडर है उस पर 80 हजार रुपया खर्च किया जा जा चुका है लेकिन वह अधूरी पड़ी है। उसमें यदि 50 हजार और लगा दिये जायें तो राजियासर होकर फूलसागर में पानी जायेगा और ब्यावर की पेयजल की समस्या भी हल होगी। इसी तरह से सारोठ फीडर है वह भी अधूरी पड़ी है उसके ऊपर भी 40 हजार रुपया लगाया जाये तो जवाजा में पानी आ जायेगा और फिर फूलसागर तालाब को भी पानी पहुंच सकता है। इसलिए, श्रीमान् जो अधूरी योजनायें पड़ी हैं उनको भी पूरा किया जाये जिससे कि ब्यावर नगर की पेयजल की समस्या भी हल हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (वनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जिस तरह से खनिज सम्पदा के मामले में सौभाग्यशाली है उसी तरह से फोरेस्ट के मामले में भी राजस्थान में बहुत बड़ी सम्पदा है। अफसोस इस बात का है कि पहले की सरकारो ने जिन बड़े बड़े जंगल से लाखों रुपयों की आमदनी सरकार को हो सकती थी उनकी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया। पानरवा जैसे जंगल का 18 हजार रुपये सालाना में एक आदमी को ठेका दे दिया गया। उस ठेके की मियाद खतम होते हुए भी उस आदमी का ठेका खतम नहीं किया गया और उतने ही रुपये में उसको आगे बढ़ाया गया। इसी सदन में मैंने आधे घन्टे की चर्चा इसी विषय पर उठाकर उस ठेके को खतम करवाया था। उसके बाद आज दिन तक कभी राजस्थान के लोगों को मालूम नहीं हो सका कि उस पानरवा जंगल से इस राज्य सरकार को उस ठेकेदार से सालाना कितनी आमदनी हो रही थी ?

यहाँ पर जो वन सम्पदा है उससे छोटे उद्योग लग सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए और वर्तमान माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि पहले की सरकार ने बांसवाड़ा के जंगल में फैक्ट्री लगाने की और कुछ उद्योग लगाने की कोशिश की थी और ऐलान भी किया था कि हम वहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन आज दिन तक वन-सम्पदा के आधार पर कोई भी उद्योग इस राजस्थान में नहीं चल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय, जो कि उद्योग के भी मंत्री हैं और जंगलात के भी मंत्री हैं, से यह कहना चाहता हूं कि हमारी नान-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो भी हमें उपाय करने पड़ें, चाहे वह जंगलों से हों या दूसरी चीजों से हों तो हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये उपाय करने चाहिए।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो जंगल लगाये जा रहे हैं वह आबादी के बिल्कुल नजदीक न लगायें क्योंकि उससे दो बातों का खतरा है। पहला तो यह कि गाँव के मवेशी कहीं नहीं चर सकते हैं और दूसरा खतरा यह कि जब जंगल गाँव के बहुत नजदीक होते हैं तो वहाँ चराई नहीं करा पाते हैं। वन मंत्रीजी बनेड़ा गये थे तो उनको एक मेमोरेन्डम दिया गया था कि जो फोरेस्टर होते हैं वह रिश्वत लेकर लोगों के मवेशियों को उन जंगलों में छोड़ देते हैं और हजारों रुपया वह भ्रष्टाचार से कमाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल नजदीक जंगल कोई आबादी के हैं तो वहाँ वह इसलिए नहीं रहने चाहिए कि गाँवों से निकलते ही मवेशी वहाँ जाते हैं। ऐसी जगह को छोड़ना चाहिये। यह भ्रष्टाचार का मामला मंत्री महोदय के सामने लाये थे। आपने उस आदमी का वहां से स्थानान्तरण करने की आज्ञा दी थी व आदमी वहां का वहीं है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो आदमी सर्विस में हैं उनके अन्दर बड़ा भारी असन्तोष है। उसका कारण यह है कि आपके विभाग में कोई सीनियोरिटी लिस्ट नहीं है। डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट इतने होते हैं कि जो आदमी सालों से आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है यह बात मुझे आप के विभाग के कुछ लोगों ने बताई है। मैं यह जानना चाहूंगा, आपके यहाँ पर जो छोटे नौकर हैं उनके प्रमोशन करने में कोई बाधा आती है तो मंत्री महोदय सहृदय आदमी है। उनसे निवेदन करूंगा कि आपका जो फारेस्ट एक्ट है उनको देखकर उस कठिनाई को दूर करने में आप उन लोगों की मदद करें।

यही नहीं एक बात और कहूंगा।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आज इस हाल में बैठे हैं, चारों तरफ लाखों रुपयों का लकड़ी का सामान लगा हुआ है। हमारे सामने जो बैन्चें हैं वह भी जिस लकड़ी की बनी हुई हैं वह राजस्थान की लकड़ी नहीं है। लाखों रुपया सरकार को फर्नीचर में खर्च करना पड़ता है मगर अफसोस है इमारती लकड़ी हमारे जंगलों में पैदा नहीं कर सके हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रतलाम के इलाके में, मध्य प्रदेश में और दूसरे भी जो इस तरह के जंगल हैं उसमें जिस तरह की लकड़ी पैदा होती है उसी तरह की लकड़ी का वन हमारे यहां भी लगाया जाये तो मैं समझता हूं लाखों रुपया हम नान-टैक्स रेवेन्यू के रूप में जंगलों से प्राप्त कर सकते हैं।

मंत्री महोदय, और ज्यादा न कहकर एक बात कहूंगा कि वनों से पैदा होने वाली जो चीजें हैं जैसे बांस हैं, बांस से कितनी चीजें बनती हैं, कागज बनाने का कारखाना लग सकता है, यह चीजें बन सकती हैं, और बांस के छिलके से चलने वाले उद्योगों की हरिजनों को और दूसरे आदमियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है इसलिये ऐसे उद्योग खोलकर यह नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में दिलचस्पी लेनी चाहिये। यही आपसे कहना चाहूंगा कि आपके हाथ में फारेस्ट डिपार्टमेंट है, आपके हाथ में इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट है दोनों का समन्वय करके अच्छा उद्योग लगा सकते हैं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज।

एक माननीय सदस्य : श्री ढाबरिया इंगलिश से एतराज करते हैं। इन्होंने नान-टैक्स रेवेन्यू शब्दों का प्रयोग किया है। यह शब्द आप कार्यवाही से निकाल दीजिये

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का मेरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा ग्रामीण क्षेत्र आपके व विभाग से बहुत दुखी है। गांव में चरागाह नहीं हैं और गांव के एक फर्लांग पर वन बाउण्ड्री लगा दी गई है वहां किसानों के जो भी जानवर जाते हैं थोड़ी सी गल्ती से, तो वे पकड़ लिये जाते हैं और बकरी के ऊपर 21 रुपये, गाय, भैंस के ऊपर 25 रुपये और ऊंट के ऊपर 100 रुपये जुर्माना किया जाता है। यह रुपया चुपचाप अधिकारी व कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है। ज्यादा कहते हैं तो जानवर की कीमत वसूल की जाती है। ऐसी शिकायत है कि बहुत से किसानों ने और मजदूरों ने जेवर रखकर वन विभाग में रुपया भरकर अपने जानवर छुड़ाये हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तुरन्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय, जानवरों की रक्षा हेतु चरागाह हेतु जगह छोड़ दी जाये और साल भर की चराई वसूल की जाये।

मैं आपका ध्यान एक बहुत बड़े घोटाले की ओर दिलाना चाहता हूं। राज्य में हो रही वन सम्पदा की अवैध कटाई को लेकर बार-बार इस विधान सभा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपका ध्यान 17-9-68 को पूछे गये प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। उस समय वन मंत्री, राव नारायण सिंह मसूदा थे। उस समय तत्कालीन माननीय

(श्री उगमराज मेहता)
सदस्य, श्री भैरोंसिंह शेखावत, जो अब माननीय नेता हैं, और महारावल लक्ष्मण सिंहजी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, ने शंका व्यक्त की थी कि 38 मामलों में करीब 20 लाख रुपये का घोटाला हुआ था। तत्कालीन वन मंत्री ने कहा कि इन मामलों में आगे जाँच हो रही है। 38 मामलों में लगभग 20 लाख रुपये से अधिक की राशि की हानि आँकी गई थी भूतपूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा मामले को रफा-दफा किया जाकर, दोषी अधिकारी को पदोन्नत कर मुख्य वन संरक्षक बना दिया गया। इसी प्रकार और घोटाला सामने आया है। डी. एफ. ओ. सिरोही गोपीचंद गुप्ता 1974 से सिरोही में हैं। पहले बाँसवाड़ा में थे। उन्होंने मस्टर रोल में गड़बड़ की थी। उनको चार्ज-शीट दी गई थी। लेकिन चार्ज-शीट के ऊपर कुछ नहीं हुआ। 1974–75 में पिण्डवाड़ा जोड़ में हजारों वृक्षों को कटवाया जिसके कारण राज्य सरकार को करीब दो लाख का नुकसान हुआ। 1975–76 में माऊंट आबू में 1॥ लाख बाँस कटवाए जिसकी कीमत 2॥ लाख है....

श्री माधोसिंह (रेवदर): मंत्री महोदय यह बिल्कुल सही कहते हैं।

श्री उगमराज मेहता: 2॥ लाख रुपये थी। उसकी शिकायत होने पर चार-पाँच हजार बाँस के आग लगवा दी ताकि उस घोटाले पर पर्दा डाला जा सके। आपको मालूम होगा माननीय मंत्री महोदय, गोंद के ठेके में सालर के गोंद का ठेका शामिल नहीं होता परन्तु तीन वर्षों में चार-पाँच लाख किलो सालर का गोंद निकलवा कर हजारों वृक्षों को खराब कर दिया। उसकी इन्क्वायरी डाइरेक्टर, विजिलेंस के द्वारा की गई। पिण्डवाड़ा में गोंद जब्त किया गया। आबू रोड में 1 लाख 20 हजार किलो गोंद पकड़ा गया जिस का मूल्य करीब 8 लाख था। इतनी बड़ी चोरी हुई। मेरे ख्याल में उस चोरी में सी. सी. एफ. भी शामिल हो सकता है। लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह जे. पी. कपूर जोधपुर में डी. आर. ओ. था। जालौर में गोंद का ठेका दिया और गूगल निकलवाया। गूगल की कीमत 25 रुपये किलो होती है और गोंद की कीमत पाँच रुपये किलो। इसमें भी लाखों रुपये बटोरे। जून, 1976 में रेंज धरियावद में अवैध बीड़ी पत्ते की कटाई का जुर्माना 2॥ या 3 लाख किया जब कि माल 8 लाख रुपये का था और वह माल छोड़ दिया। माल को भी जब्त करना चाहिये था परन्तु उस माल को छोड़ दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी पूर्ण जाँच की जाये और भूतपूर्व कांग्रेस मंत्री भी शामिल हों तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय मंत्री महोदय अकाल सहायता उत्तर देंगे।

श्री सूर्य प्रकाश: माननीय सभापति महोदय, मेरा कटमोशन पेज नं. 3 पर रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष: कई व्यक्ति बोल गये हैं अन्तिम व्यक्ति उगमराज जी थे।

श्री अब्दुल अजीज: मुझे सेक्रेटेरियट बुलाया गया था, आप इजाजत दें तो बोलूगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपका कोई पाइन्ट रह जाये तो सवाल पूछ लीजियेगा।

श्री सम्पत राम (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सदन में एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, विचार-विमर्श कर रहे हैं, एक ऐसे विषय पर चिन्तन कर रहे हैं जो वास्तव में मानव के लिए घातक होता है। अकाल का पड़ना, बाढ़ का आना यह सब बातें हैं जिन पर अभी सदन में चिन्तन किया गया, विचार किया गया। मैं कुछ अंशों में, पूरी तरह नहीं स्वीकार करता हूं कि यह प्राकृतिक प्रकोप के कारण पैदा होता है। वर्षा अधिक होने से और वर्षा कम होने से अकाल पड़ता है। वर्षा जरूरत के माफिक न हो तो अकाल पड़ जाता है तो वर्षा का आना और वर्षा का न आना, यह राजस्थान जैसे प्रान्त के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब की बार वर्षा ऋतु प्रारम्भ होते ही जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के विभिन्न जिलों में वर्षा का होना प्रारम्भ हुआ, वह एक अभूतपूर्व घटना थी, ऐतिहासिक घटना थी और कई-कई जगह तो 80, 50 और 60 साल के रिकार्ड को तोड़ दिया।

एक माननीय सदस्य : सौ साल का!

श्री सम्पतराम : ऐसी ऐसी जगहें इस प्रान्त में मौजूद हैं। इस वर्षा के कारण इस प्रान्त में काफी नुकसान हुआ। उस नुकसान को देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, यह संभव नहीं हो सकता सरकार के लिए कि उन गरीब किसानों की क्षतिपूर्ति कर सके। जो सबसे गरीब तबका होता है, उसके नुकसान की क्षति पूर्ति करना, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। इसके सम्बन्ध में थोड़े से आंकड़े रखूं तो जाहिर होगा कि अब की दफा किस सीमा तक वर्षा इस प्रान्त में हुई। बांसवाड़ा में साल भर में 36 इंच वर्षा का रिकार्ड था जब कि वहां पर एक दिन में ही, 24 घंटे में करीब 13 इंच वर्षा हो गई। इसी प्रकार से सिरोही में जहां पर साल भर में 20-21 इंच वर्षा का रिकार्ड है, वहां पर एक दिन में सवा-तेरह इंच बरसात हो गई। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि एब्नार्मल और इर्रेगूलर वर्षा हुई इस प्रान्त में, जिसकी वजह से फ्लड की स्थिति बनी और स्थिति भयंकर हो गई। जयपुर के अन्दर पिछले कितने ही वर्षों में, 50-60 वर्षों में इतनी वर्षा नहीं हुई जैसी अब की बार हुई। इसी प्रकार से दूसरे जो इलाके हैं उनमें भी काफी बड़े पैमाने पर वर्षा हुई और वर्षा ने फ्लड की हालत पैदा कर दी। इस फ्लड के प्रकोप को राज्य सरकार और प्रान्त के लोगों ने बड़ी हिम्मत से और बड़े साहस के साथ कन्ट्रोल किया। अभी भरतपुर के लिए मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे, मैं और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां भयंकर घटना हुई है, मेरे ख्याल से भरतपुर के इतिहास में इतना बड़ा फ्लड कभी नहीं आया। इस साल वहां पर फसल का और सरकार का कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी तक पूरा पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वह मानव जीवन का है, 105 व्यक्तियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा अलग-अलग जिलों में, इसके लिए मुझे अफसोस है, सरकार को अफसोस है और माननीय सदस्यों को भी अफसोस होगा। इसके साथ-साथ नुकसान के क्षेत्र में अपन जाते हैं तो निजी क्षेत्र में नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र में नुकसान हुआ। इस तरीके

(श्री सम्पतराम)

से राजस्थान के अन्दर 73 करोड़ 91 लाख और 86 हजार का नुकसान हुआ, यह इस बाढ़ की वजह से अलग-अलग जिलों में हुआ राहत जैसा मैंने पहले कहा हम इतनी नहीं पहुंचा सकेंगे, पहुंचा भी नहीं पाये । जो सरकार के सीमित साधन हैं, उनके अनुसार राहत पहुंचाने का प्रयत्न रहा है, हर स्तर पर कोशिश की गई है । मैं इस बात को मानता हूं सरकार के लिए इतने बड़े काम का करना सम्भव नहीं है । जहाँ प्रकृति का इतना भयंकर प्रकोप हो, वहाँ हर स्तर पर नीचे से लेकर ऊपर तक पटवारी से लेकर कलेक्टर तक हमारे ग्राम सेवक, विकास अधिकारी ने राहत पहुंचाने का प्रयत्न किया और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने और जनता ने पूर्ण सहयोग दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है, कमियाँ रह गई हों । सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है, इसके लिए जो भी संभव था उपाय किये गये, मिलिट्री बुलाई गई, हेलिकोप्टरों से खाना पहुंचाया गया । एक बात की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं फ्लड तो पहले भी आये थे, लेकिन इस साल जो स्थिति पैदा हुई, तो सरकार ने यह फैसला किया, फ्लड कन्ट्रोल के लिये जहाँ हम राहत पहुंचाते हैं, उसके साथ-साथ मेडिकल टीम भी भेजनी चाहिए, उसके साथ वेटरनरी टीम भी भेजनी चाहिए । और यही नहीं जिलाधीशों के जिम्मे यह काम नहीं छोड़ा, कमिश्नर ग्रेड के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया । यह हो सकता है, मवेशी बीमारियों से और नेचुरल तरीके से भी मरते हैं, लेकिन फ्लड की वजह से भी मरे । सरकार ने तुरन्त जो भी हो सकता था फोलो-अप एक्शन लिया और उसके लिये चिन्तन किया । नतीजे के तौर पर जो कुछ भी हुआ हो, भरतपुर में 32 आदमियों की जानें गई, अभी रिपोर्ट पूरी नहीं आई है, मुझे पता नहीं आज शाम तक कितना नुकसान हुआ होगा, कितने आदमी मरे और कितनी फसल का नुकसान हुआ है, लेकिन यह निश्चित है काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की क्षतिपूर्ति करना जैसा मैंने पहले कहा, पूरी तरह से संभव नहीं है फिर भी सरकार के पास जो भी सीमित साधन हैं उनको देखते हुए जितना सरकार को करना चाहिए वह सरकार ने किया । इस दौरान में यह भी अर्ज करना असंगत नहीं होगा कि पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में खास तौर से बारिश की गति काफी बढ़ी है । मैं निवेदन करूं पिछले तीन सालों के बारे में, सन् 1974 में तीन जिले बून्दी, कोटा और सीकर में एवरेज रेनफाल से ज्यादा बरसात हुई, बाकी सब जिलों में कम हुई । उसके बाद 1975 से 77 तक तीन वर्षों में बराबर वर्षा का ट्रेन्ड आगे बढ़ता हुआ चला गया, 1975 में 40 पर्सेन्ट, 1976 में 62 पर्सेन्ट और 1977 में तो 80 पर्सेन्ट हो गया । मैं जब प्रतिशत की बात करता हूं, तो इसका मतलब सारे राजस्थान के 26 जिलों से है । पूरे राजस्थान को देखते हुए इसका केलकुलेशन किया गया है । इससे साफ लक्षित होता है कि जो डेजर्ट एरिया है जिनमें हमेशा अकाल की संभावना रहती है पानी की कमी की वजह से, पानी पश्चिमी राजस्थान में नहीं होता तो अकाल की स्थिति और भी भयंकर हो जाती है, तो कुदरत हमारी मदद करती है । हो सकता है कातरे की वजह से और अधिक वर्षा की वजह से फसल नष्ट हो गई हो लेकिन फिर भी पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा होने से एक बहुत बड़ी उत्साहजनक

(श्री सम्पतराम)

बात हुई है। अगर आने वाले वर्षो में वर्षा बढ़ती रही तो जहां माननीय सदस्य चिन्तित हैं डेजर्ट को कन्ट्रोल करने के लिये ताकि अकाल नहीं आवे और अकाल का कोई हल निकल जाय वहां अधिक वर्षा होने से अकाल का एक स्थायी हल हो सकता है। तो यह जो ट्रेन्ड है, वह काफी बढ़ता चला जायगा तो हम कुछ हद तक अकाल का हल निकाल सकेंगे।

इसी प्रकार से जब हम हिन्दुस्तान के रेनफाल का चित्र देखें तो राजस्थान प्रथम प्रदेश है जहां वर्षा का एवरेज कम है। जैसलमेर के रामगढ गांव में केवल पांच इंच का एवरेज है जो हिन्दुस्तान में सबसे कम एवरेज है। तो ऐसे जैसलमेर के इलाके में भी वर्षा का काफी एवरेज बढ़ गया है। इस प्रकार से ये कुछ आंकड़े वर्षा के मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा अलग से भी कुछ आंकड़े मैंने माननीय सदस्यों को भेजे थे, मुझे पता नहीं, माननीय सदस्यों को मिले या नहीं।

हमने जो सहायता दी उसके बारे में भी कुछ जानकारी मैं इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। अब तक भोजन और मकान आदि के लिए 29,60,500 रुपये की सहायता दी जा चुकी है। अभी पूरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट आने पर मैं और निवेदन कर सकूंगा। उसके बाद ही हम निश्चित तौर से कह सकेंगे कि जिन गरीबों के मकान गिर गये हैं, वह कितने मकान गिरे और उनको कितना रुपया हम दे पायें, पूरे आंकड़े अभी हमारे पास नहीं हैं। भरतपुर के लिए मैं अर्ज करूं कि आज भी वहां पर बाढ़ आई हुई है, थोड़े दिन पहले भी वहां बाढ़ आई थी। अलवर में कितने ही मकान गिर गये, अभी पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है और कितना हमको देना पड़ेगा ?

इसके साथ-साथ बाढ़ का पानी निकालने के लिए जहां-जहां सम्भव हो सकता था हमने प्रयत्न किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में निवेदन करूंगा कि यह हमने ख्याल नहीं किया था, न तो पिछली सरकार ने और न इस सरकार ने ही ख्याल किया था कि राजस्थान में कभी इस तरीके से बारिश होगी जैसी पिछले वर्षो में कभी नहीं हुई है। अगर पहले इस प्रकार की बारिश होती तो अन्दाजा हो सकता था और हम अपने यहां पर पम्पिंग सैट खरीद सकते थे और पम्पिग सैटों से जो लो लेवल एरिया है, बहुत से गांवों में और शहरों में जहां की आबादी पानी भर जाने से परेशान है, जहां बीमारी पैदा हो गई, घरों में पानी घुस गया, मकान गिर गए, उस पानी को निकालने का प्रयास कर सकते थे और उनको सुख सुविधा दे सकते थे। मैं सुजानगढ गया, मैंने वहां पर देखा कि काफी बड़े पैमाने पर पानी भरा हुआ था बहुत नीचे के हिस्से में और वहां पर गन्दा पानी भरा हुआ था, बहता हुआ पानी नहीं था। वहां का वाटर लेवल ऊंचा आ गया। उस पानी को निकालने के लिये सब कुछ करना सरकार के लिए आसान नहीं है फिर भी जितना हो सकता था हमने करने का प्रयत्न किया है। यही स्थिति नगर में हुई। अभी कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही। जैसे ही मेरे को जानकारी हुई मैंने अधिकारियों को आदेश दिया कि आप पम्पिग सैट लाइये, विभाग पैसा देगा। जहां कहीं, जिस जगह से भी

(श्री सम्पतराम)

पम्पिंग सेट्स अवेलेबल हो सकते हों जिस किसी बस्ती के डैमेज होने का खतरा हो, सरकारी अधिकारी वहां पम्पिंग सेट्स को एक्वायर कर लें। उनका रिक्वीजिशन, कर लें और उनका पैसा, उनका पेमेंट सरकार करेगी। इस प्रकार जितना सम्भव हो सकता है, लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, वह किया जाय। इसके साथ-साथ जो फ्लड में मरने वाले भाई हैं उनको 87,100) रुपया मुख्य मंत्री सहायता कोष से दिलवाया गया है। मवेशियों की बीमारी के लिये एक हजार रुपया की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के पानी को निकालने के लिए 80 हजार रुपये की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जितना किया जा सकता था करने की कोशिश की गई। उनके खाने के लिए, पीने के लिए व्यवस्था की गई। जहां शरण देने की बात थी, मकान, धर्मशालाओं में शरण दी, टिन की चद्दरें और सिरकियां डालीं, भोजन की भी व्यवस्था की गई। कोटकासिम में पानी भर गया। मैं और मुख्य मंत्रीजी हैलीकोप्टर से गए थे। हमारे साथ और अधिकारीगण भी थे। सारा एरिया टापू बना हुआ था। कोई मानव उस एरिया में घुस नहीं सकता था। बड़ी विचित्र स्थिति थी, उस समय आर्मी के कई बहादुर नौजवानों ने मजबूती और दिलेरी के साथ काम किया। मैं आज, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के जरिये उन नौजवानों को, हमारी आर्मी के जो नौजवान यहां पर आए थे और जिन्होंने जिस मजबूती से, जिस मेहनत और ईमानदारी से हमारे फ्लड एरिया में काम किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने काफी काम किया, सब जगह राशन पहुंचाया, नावें डालीं। इसके अलावा हमने कितने ही काम किये जो मौके पर करने चाहिए थे। लेकिन किसी वजह से सहायता नहीं पहुंचा सके, उस दौरान में दिक्कत हुई उसके लिए तो मजबूरी थी लेकिन जितना प्रयत्न कर सकते थे, ईमानदारी के साथ उतना करने का प्रयत्न किया है। मुझे याद है कि रात को तीन तीन बजे तक मैं और मुख्य मंत्रीजी इस बारे में चर्चा करते थे, भारत सरकार और हमारे नजदीकी सूत्रों को बराबर ध्यान दिला कर जो कुछ सम्भव हो सकता था हमने किया है। आगे भी जो कुछ काम सामने आयेंगे, हमारे सीमित साधनों के जरिये उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

अभी बहुत से इलाकों में बीमारी की बात माननीय सदस्यों ने कही। हमने आदेश मेज पर रख दिए थे। हो सकता है कि कहीं कोताही रही हो, स्थानीय अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की हो। हमने जिलाधीशों का ध्यान आकर्षित किया कि जहां बीमारी फैली है फ्लड की वजह से वहां पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, मदद करें और जिस स्तर से भी, जहां से भी सहायता मिल सके लेने की कोशिश करें। अभी भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लिए करीब पांच करोड़ रुपयों का प्रावधान हमने बजट में रखा है। इससे भी अधिक फैमिन रिलीफ से जो कुछ भी छोटे मोटे काम, जिनमें कि ज्यादा लेबर इन्वाल्वमेंट होगा, हाथ में लेने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की बात कहने के पश्चात् मैं कुछ राहत कार्यों पर आना चाहूंगा कि राहत कार्यों का इतिहास राजस्थान में क्या है और कैसे कैसे काम हुए हैं। राहत कार्यों के मैंने पिछले दस साल के आंकड़े लेने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सम्पतराम)
राजस्थान में पिछले दस वर्षों में 2,75,55,90,000) रुपया खर्च हुआ । मैं इस बात को कहूं कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उनको स्वीकार कर उनके ऊपर अमल करेंगे, उसके पहले कुछ बातें कहना मुनासिब समझूंगा । बरसात की स्थिति जैसी भी है उससे हमें यह अन्दाजा लगता है कि जैसा चित्र माननीय सदस्यों ने अकाल की भयंकरता का रखा है, मैं समझता हूं कि उतनी भयंकरता नहीं है । पश्चिमी राजस्थान में अगर हम जायं और देखें तो वहां पर अनाज पैदा नहीं होगा लेकिन लोगों का गुजारा हो जाएगा । वहां का पशुधन, वहां के रहने वाले गरीब आदमी कभी नहीं मरेंगे और आम तौर पर पिछला इतिहास इस बात को बतलाता है कि तीन चार वर्ष में एक वर्ष भी अच्छी फसल हो जाती थी तो वहां के लोग, वहां की हालात के मुताबिक अपने आपको एडजस्ट करके चलते हैं । वहां पर पानी और घास काफी मात्रा में होने वाली है । इसलिए मैं समझता हूं कि उस इलाके में अकाल की स्थिति इतनी भयंकर नहीं होगी ।

अभी चारे के बारे में कहा गया । यह सही है कि अलवर, भरतपुर, सीकर और झुंझनूं, इन चार जिलों में अभी से भयंकर चारे की कमी महसूस होने लगी है । मैं आज इस हैसियत में नहीं हूं कि निश्चित तौर से जवाब दे सकूं लेकिन हमारे फोडर बैंक बने हुए हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा, जितना सम्भव हो सकता है, इन इलाकों में चारे की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे ।

अभी-मैं अकाल के बारे में अर्ज कर रहा था इस अकाल के भयंकर भूत को भगाने के कार्य को 15-20 वर्षों से देखता आया हूं । उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस सरकार में इस जगह नहीं बैठता तो शायद मेरी जानकारी अधूरी रह जाती । मैंने कभी कल्पना नहीं कि राजस्थान में जो अकाल का इतना बड़ा हौवा बनाया जाता है और बनाया गया है और वास्तविकता भी है, इसका रिकार्ड कहता है, इसके पीछे स्वार्थी लोगों का हाथ था । स्वार्थी लोगों की वजह से जितना हम मानवता को लाभ पहुंचा सकते थे उतना नहीं पहुंचा पाये । अकाल में जैसा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि ये काम किये जावें, वो काम किये जावें, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत काम इसलिए नहीं किए जाते कि उस इलाके का विकास करना है । अकाल राहत कार्य इसलिए नहीं किए जाते कि उसमें हर काम को हम हाथ में ले लें । अकाल राहत कार्य इसलिए भी नहीं किए जाते हैं कि चन्द हाथों में पैसा दे दें । अकाल जब पैदा होता है तो उस समय सबसे बड़ा बुनियादी सवाल यह होता है कि वहां के लोगों का रोजगार खतम हो जाता है । वहां के लोगों की क्रय शक्ति, पर्चेजिंग शक्ति खतम हो जाती है । उस समय सरकार का फर्ज होता है कि नंगे, भूखे, गरीब आदमी सड़कों पर घूमते हैं और एक आदमी चीज लिए घूमता है लेकिन उसको खरीदने वाला नहीं होता । उसका श्रम, उसकी मेहनत बेकार जाती है, कोई चीज लेने वाला नहीं मिलता । उस वक्त मजबूरन सरकार को राहत कार्य खोलने पड़ते हैं ताकि उन गरीबों को खाना दें, साधन दें, कुछ समय के लिए राहत दें । इसलिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है । मजदूरों का ज्यादा इस्तेमाल हो सके, गरीब आदमियों को रोजगार दे सकें, उनको कुछ राहत दे सकें इसके लिए अकाल राहत

(श्री सम्पतराम)

कार्यक्रम हाथ में लिए जाते है। उसमें अगर स्थायी विकास के काम हो सकें तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, अगर कोई परमानेंट नेचर के काम करा सके, उसमें लेबर का इन्वोल्वमेन्ट ज्यादा हो तो वे काम लिए जा सकते हैं लेकिन इसमें रेस्ट हाउस नहीं बनाए जा सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि हमेशा यह बात कही जाती है और हमेशा गरीबों के नाम पर यह बात कही जाती रही है। मुझे एक बात याद आ गई, उपाध्यक्ष महोदय, जिसे मैं आपके जरिये सदन में कहना चाहूंगा। स्वामी विवेकानन्द विदेश में थे। यहां का आदमी वहां गया और उनसे कहा कि हिन्दुस्तान में आइये हम वहां पर आपका प्रबन्ध कर सकेंगे। उस समय का एक वाल्यूम है "वर्क्स आफ स्वामी विवेकानन्द"। उन्होंने कहा कि मैं अपने मिशन को हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनियां में फैलाना चाहता हूं लेकिन इसके लिए हमें सही और सच्चे ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। फिर उन्होंने कलकत्ता में काम किया। उन्होंने लिखा है कि हिन्दुस्तान इतना बेईमान देश है कि हमारा जहां पर प्रवचन कराया और जो उससे आमदनी हुई उसका साठ प्रतिशत दूसरे लोग खा गए। आज सवाल यह पैदा होता है कि जितना पैसा सरकार देती है उसका उपयोग कितना होता है। सवाल यह पैदा होता है कि आज गरीब का मसीहा कौन है? लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया अकाल के नाम से ले गए। एम. एल. ए. वहां पर मौजूद हैं, जनता के नुमायन्दे मौजूद हैं, मैं कहता हूं कि मुझे शर्म आती है, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब मैं यह कहता हूं कि गरीबों का पैसा खा गए। बड़े शर्म की बात है हमारे लिए कि लोग गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा खा गए और सही मायने में पैसा खर्च नहीं किया गया। यह रिपोर्ट है राजगढ़-चूरू की जिसमें एक करोड़ का घपला है। कहां गया वह रुपया? सरकार रिपोर्ट को लिए बैठी रही, कोई काम नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं की। मैं कहता हूं कि सरकार को अकाल राहत कार्य शुरु करने पड़े तो करेगी लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ करेगी और जितना पैसा लगाना होगा सारा पैसा लगायेगी लेकिन उसकी रखवाली भी करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ताज्जुब की बात है कि जब अकाल पड़ता है समाज का जो बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ तबका है, जो कुछ जानता नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, उसकी तादाद 70-80 प्रतिशत होती है वे दुःखी होते हैं, लेकिन जब अकाल पड़ता है तो एक विशेष तबका ऐसा है जो होली मनाता है। उसके घर में दीवाली मनाई जाती है। उसके घर में दीपक जलता है। इस बात का ठोस सबूत है कि हमारे राजनीति में काम करने वाले सावधान होते तो इस प्रकार का अकाल राहत के रुपये का दुरुपयोग नहीं होता। उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। यह जो रुपया खर्च किया गया है, गरीब के नाम पर, उस पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए थी। यह पैसा आखिर आता कहां से है? किन की जेब से पैसा निकल कर आता है? यह पैसा उन्हीं गरीब काश्तकार की जेब से आता है। यह गलत रास्ते पर जाता है तो दुःख होता है। मैं यह चाहता था कि कोई सही बात की जांच की यहां पर घोषणा करता। मैं चाहता था कि कुछ आदमियों को यहां से ढीला करके भेजता उनकी पेन्ट ढीली होती ताकि उनके बच्चे उनसे पूछते, उनकी पत्नी पूछती आज इतने उदास क्यों हैं? मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ करना चाहता हूं। मैं

(श्री सम्पतराम)
इसमें कोई डिले नहीं करना चाहता । इसके लिए मुझे समय चाहिए । पहले भी फ्लड आये है । उसके दो-चार केस पकड़े हैं । यह सही है कि हमें अकाल का स्थायी हल ढूंढना है । अब तक जो हल ढूंढ़ा उसमें हर जगह पैसे का दुरुपयोग किया गया और गरीब के नाम का इस्तेमाल किया गया । भेड़, बकरी चराने वाला मजदूर पड़ा है । खाना उसको मिलता नहीं है । जो अकाल राहत का रुपया दिया वह किसी ने खा लिया और खतम हो गया । एक जगह की सड़क बीस, पच्चीस हजार में बननी चाहिए थी लेकिन उसमें 1 लाख 32 हजार रुपया खर्च हो गया । चूरू के अन्दर इन्क्वायरी की हुई पड़ी है । उसमें बड़े आफिसर इन्वाल्वड हैं । यह कहने से आप सही स्थिति का अन्दाजा नहीं लगा सकेंगे । यह रिपोर्ट है-छैलबिहारी माथुर की, जो एडीजनल चीफ इन्जीनियर थे-उन्होंने यह रिपोर्ट दी है । 75 आदमी गबन में शामिल हैं । घोटाला किया गया उसमें 75 सरकारी कर्मचारी हैं तो जनता में काम करने वाले कितने होंगे, इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है । राजनैतिक संगठन के सहयोग के बगैर यह काम नहीं हो सकता है । उनके आशीर्वाद से यह काम हुआ होगा । भीलवाड़ा में मैंने देखा है, वे ही आफिसर वहां पर लगाये गये हैं जो यहां पर थे । हम विकास की बात करते हैं । गरीब की बात करते हैं । भाई, किसी बड़े साहूकार का पैसा खा जाते तो ठीक था । भरी हड्डी का गोश्त खाते तो ठीक होता । अरे, यह तो सूखी हड्डी का गोश्त था । बेशर्मो, डूब कर मर जाना चाहिए । मुझे बड़ा दुःख हुआ ।

माननीय सदस्या सुमित्राजी ने कुए के लिए सब्सिडी देने के लिये यहां पर कहा । माननीय सदस्य श्री रामनारायण जी ने उसका जवाब दिया । उनके जवाब को सुन कर मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने सही दिशा में सही बात पकड़ी । क्या कर दिया अगर सब्सिडी दे दी । आज, उपाध्यक्ष महोदय, गांवों की हालत क्या है ? आज गांवों की बात करते हैं लेकिन गांवों में गरीब और अमीर में भारी अन्तर है । अमीर का प्रबल जोर है । हरिजनों को बेदखल कौन करते हैं ? गांव का शक्तिशाली तबका, जिसके पास लाठी होता है, लंड होता है । अकाल पड़ेगा, बाढ़ आयेगी तो सब से ज्यादा कौन मरेगा ? सब से ज्यादा मरेंगे तो मेहतर मरेंगे, हरिजन मरेंगे, जिनकी तादाद काफी है । सरकार ने सब्सिडी दी तो पचास प्रतिशत दी । वह किनको मिली है ? जिन जिलों में यह मिली है, उनमें प्रभावशाली लोगों को मिली थी । फर्जी मस्टर रोल बनाये गये । मैं यह कहता हूं भारत सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया था । मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं । मेरा यह कहना है कि बाढ़ की स्थिति होगी तो राहत कार्य करेंगे, अकाल होगा तो अकाल राहत कार्य करेंगे । परन्तु जो स्थिति होगी उसके अनुसार उन सब मामलों में सरकार को सतर्क होकर काम करना पड़ेगा । इसलिये अकाल ग्रस्त इलाकों की घोषणा अभी तक नहीं की है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोताई नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेन्ट हैं, पी. डब्ल्यू. डी., इरिगेशन, उनमें भी बेईमानी होती है । उनका पर्सेन्टेज बंधा हुआ है । अरे भाई, पर्सेन्टेज बांधा है, वह गुप्त है, कोई पकड़ने वाला नहीं है । इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स की चोरी होती है, तो असेम्बली में कहा जाता है । टैक्स की

(श्री सम्पतराम)

चोरी क्यों होती है ? क्योंकि बड़े लोगों की सांठ-गांठ है ? खाने वाला भी बड़ा है, खिलाने वाला भी बड़ा है। यह इस तरह का जो मसला है, मैं आगाह करना चाहता हूं, चाहे मैं गवर्नमेन्ट में रहूं या न रहूं, मैं ऐसे बेईमानों को निकालने की पूरी कोशिश करूंगा।.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप तो जांच की घोषणा कर दीजिए ।

श्री सम्पतराम : जांच के बारे में तो (विराम) बहुत केसेज हैं जो पेन्डिंग पड़े हैं ।

इसके अतिरिक्त मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बंगले का भूत आपको न लगे। आप भी उसी बंगले में रह रहे हैं जिसमें राम प्रसाद लड्ढा रहा करते थे।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य जब घोषित होते हैं, तो उसके पहले कुछ फेमिन कोड के जरिए कार्यवाही करनी होती है । उसमें समय लगता है । माननीय सदस्यों ने यहां पर चिन्ता व्यक्त की है । बाढ़ की बात हो, अकाल की बात हो। बाढ़ नहीं होती और अकेला अकाल ही होता तो गरीब नहीं पिसता । अभी बाढ़ में गरीब आदमी पिसता है । बाढ़ से उसके मकान ढह गए । उसको कोई मजदूरी नहीं मिलती । अब अकाल आएगा तो स्थिति भयंकर रूप धारण करेगी, इसको सरकार मानती है । इसलिये अकाल राहत कार्यक्रम को जल्द से जल्द वहां चालू करेगी जहां पर कि यह घोषित होगा । सबसे पहले तो खरीफ की गिरदावरी होगी जो अक्टूबर महीने में होती है । उसके बाद कलेक्टर अपनी रिपोर्ट बना कर फेमिन कमिशनर को भेजेगा । फेमिन कमिश्नर की रिपोर्ट आ जाती है तब सरकार अकाल घोषित करती है। तो जहां पर अकाल घोषित करना होगा, वह हम करेंगे । परन्तु अब की बार जहां पर अकाल घोषित होगा, वहां पर मजा नहीं आएगा, यह बात साफ कहे देता हूं । जहां पर अकाल ग्रस्त होने पर काम शुरू किए जाएंगे, वहां पर खुली छूट नहीं होगी । इस अकाल की गाड़ी में गरीब बैठेगा, मेहनतकश ही बैठेगा और जो चोर आदमी होगा, वह बाहर निकल जाएगा । मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो बेईमान हैं, बेईमानी करना चाहते हैं, उनके खिलाफ ईमानदार लोगों को एक संगठन बनाना होगा जो उनको सामाजिक तौर से लज्जित करे और सामाजिक स्तर पर उनका बहिष्कार करे । हिन्दुस्तान का गरीब, हिन्दुस्तान का किसान संगठित नहीं है । जो बिजली कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनसे मेरी सिम्पेथी है । लेकिन किसानों का एक मुस्तकिल संगठन बनना चाहिए । आज जो लोग चाहें वे हड़ताल का फैसला कर लेते हैं । दुनियां भर में हड़ताल होती हैं । हड़ताल का फैसला वे लोग करें जो हमारे गांव के लोग हैं । गांवों में जो 80 प्रतिशत लोग रहते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो हमारे मालिक हैं, जो सरकार है, इसका फैसला वह करें, हम नहीं करेंगे । तो हमें सावधानी से चलना पड़ेगा यदि करप्शन को मिटाना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि करप्शन के खिलाफ कार्यवाही करने से सरकार नहीं चूकेगी । करप्शन एक-दो को जेल भेज देने से नहीं मिटेगा । करप्शन को भगाने के लिए एक आम हवा बनानी

(श्री सम्पतराम)

पड़ेगी। एक सशक्त दल बनाना पड़ेगा। हर स्तर पर, तहसील में, थाने में ऐसे आदमी को, जो चाय की टेबल पर हो, पकड़ कर जमीन पर बिठाना होगा। उसका सामाजिक बहिष्कार करना होगा। एक निश्चित हवा बनानी होगी। पार्टी का यह कार्यक्रम है और वास्तविक रूप से हमें यह काम करना है तो जनता को जाग्रत करना होगा। यही मूलभूत काम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अभी अकाल के बारे में मैंने आपको बताया है कि नवम्बर में सारे कागज आ जाएंगे। जहां पर आवश्यक होगा, वहां पर अकाल घोषित किया जाएगा। हर संभव तरीके से राहत देने का सरकार प्रयत्न करेगी। जो रिपोर्ट हमारे सामने पेन्डिंग हैं, उनके ऊपर विचार करके जिम्मेदारी कायम की जाएगी। जिम्मेदारी कायम होने पर सख्त कार्यवाही उनके ऊपर की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सब बैठे हैं। 75 आदमी हैं। 50-60 जूनियर इंजीनियर, एक्स.ई.एन. सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, यह सब इसमें बैठे हैं....

श्री किशनसिंह भाटी : How many?

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : Who are they ?

श्री सम्पतराम : सब को पकड़ने की कोशिश करेंगे। रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे। जिन-जिन की गलती है, उनकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे और उनको चार्ज-शीट देने के बाद जिनके सम्बन्ध में वेरिफाई हो जाएंगे, उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही होगी और...

श्री किशनसिंह भाटी : Start from top.

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : इसमें चाहे नेता हो, आफिसर हो, चाहे कोई किसी का भी रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, मैं सदन में यह घोषणा करता हूं कि मैं किसी की मानूंगा नहीं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मांगों को पारित करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह विभीषण रावण को जरूर मरवायेगा।

श्री किशनसिंह भाटी : पड़ी हुई जमीन के बारे में सुझाव दिया था...

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था।

श्री अब्दुल अजीज : आपने जो अकाल के लिये प्रावधान रखा है उससे आप उसका स्थायी हल क्या निकालेंगे ?

श्री सम्पतराम : वैसे तो सरकार की जिन्दगी अभी बहुत थोड़े दिनों की है।

श्री किशनसिंह भाटी : आने वाली जिन्दगी ज्यादा है। अभी थोड़े दिन हुए हैं।

Page No 158

(158)

श्री सम्पतराम : मैं निवेदन करूंगा कि जब मैं एग्रीकल्चर डिमाण्ड पर जवाब दे रहा था, तब मैंने कहा था कि पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन और एग्रीकल्चर, इन दोनों कामों की स्कीम बना दी है। वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम चलायेगी। डी.पी.ए.पी. का प्रोग्राम भी चलेगा। वर्ल्ड बैंक और डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का काम चलेगा। इसके अलावा पी.एच.डी. का काम होगा। यह सब काम अकाल को कम करने में मदद करेंगे। पानी की कमी होगी तो अकाल पड़ेगा। पानी नहीं होगा तो हम सारा बजट लगा दें तब भी हम अकाल की सम्भावना नहीं रोक सकेंगे। जो आप सुझाव देंगे, सरकार उनका स्वागत करेगी।

श्री बाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आर.एस.एस. अच्छा कार्य कर रहा है, उसका भी जवाब में उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने हाइडल पावर के बारे में निवेदन किया था। उसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है।

श्री सम्पतराम : जितना पैसा होगा, उस हिसाब से उस इलाके में कोशिश की जाएगी।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरा निवेदन यह था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भाटीजी।

श्री एच.एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पानरवा काण्ड के बारे में निवेदन किया था। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि माननीय मंत्री महोदय ने सूची की बात चार पांच बार दोहराई है। तो सूची के उन 75 नामों में से पांच-सात नाम ही बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप धैर्य रखें।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भाटीजी।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं इतना ही आश्वासन चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री एच.एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। उसमें से 5-7 नाम ही बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं यही जानना चाहता हूं कि अकाल घोषित होगा या नहीं होगा but what is the permanent solution for arresting famine.

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। इन्होंने अभी भाषण में कहा था कि हम पम्प की व्यवस्था कर बाढ़ के पानी को निकालने की कोशिश करेंगे। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्योंकि वह इरिगेशन मिनिस्टर भी हैं, वह पम्पिग सैट कहां पड़े हैं? 80 पम्पिग सैट रामप्रसाद लड्ढा ने अपने

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
बेटे के द्वारा जो मंगवाये थे वह कहां हैं ? क्यों नहीं पानी निकालने में उनका उपयोग करें ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, वह पम्पिग सैट कहां हैं, मैं जानकारी करूंगा ।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं निवेदन कर रहा हूं. . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

श्री किशनसिंह भाटी : यह जानकारी दी जाये कि स्कीम बन गई है या नहीं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इन्होंने कहा है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । आप विराजिये, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री रंगजी : मैं निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं । राजस्थान के अन्दर हर वर्ष अकाल होता रहता है । राज्य सरकार से निवेदन है कि वह ऐसी योजना क्यों नहीं बनाती है कि अकाल नहीं हो । और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये । आप भाषण दे रहे हैं । विराजिए ।

श्री रंगजी : भ्रष्टाचार खतम करने के लिए आपको जल्दी ही कदम उठाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सदन में घोषणा की थी कि मकान के लिये तीन सौ, रुपये प्रति परिवार देंगे, उसके लिये आपने क्या किया है ? इस सम्बन्ध में घोषणा नहीं की है । दूसरा, आपके स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है, यह साबित हो चुका है कि अकाल पड़ चुका है पूर्णतया पड़ चुका है, फिर क्या माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि कलेक्टर झुंझुनूं से रिपोर्ट लेंगे और जो रिपोर्ट आयेगी, उसके अनुसार घोषणा करेंगे ? दूसरी बात आपने बताई है कि 105 आदमी फेमिन से, फ्लड सेमर गये हैं, ऐसे 105 आदमी आपने बताये हैं । उनके परिवारों को आपने कहीं 500 और कहीं 700 रुपये दिये हैं जब कि पूर्व सरकार ने एक हजार रुपये दिये थे । कुल मिलाकर आपने 67 हजार रुपये दिये हैं, इससे जाहिर हो गया कि एक हजार से भी कम दिये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं, क्या मंत्री महोदय उनको कोई दान दे रहे हैं ? जो कमाने वाले लोग थे, वे मकानों के नीचे दब गये, फ्लड में बह गये या और कहीं किसी तरह से फ्लड में मरे हैं ऐसे परिवारों को अधिक धनराशि देने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके अधिक धनराशि दें । आप कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, मानवता का प्रश्न है । इस पर पुनः विचार करने की कृपा करें और इस राशि को बढ़ायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर बहुत विचार रख चुके हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न पूछने का अधिकार है । वाजिब तरीके से मैं पूछ रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई अब तक परम्परा नहीं रही है . . . .

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा रही है लेकिन आप संक्षेप में पूछियेगा । मैं चाहूंगा आप संक्षेप में पूछें ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रख रहा हूं और मुझे अधिकार है . . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसको पब्लिक मीटिंग नहीं बना सकते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं जानता हूं यह सदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह जानते हैं कि सदन है तो उसी तरह प्रश्न पूछिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में पूछिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप परम्परा से परिचित नहीं है . . . .

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा रही है, उससे मैं परिचित हूं । मैं प्रश्न के रूप में पूछने से आपको मना नहीं कर रहा हूं । आप तो भाषण दे रहे हैं . . . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : On a point of order, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, चेअर के लिए रिमार्क किया है वह एक्सपन्ज किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री गोपालसिंह खण्डेला : पाइन्ट ऑफ आर्डर । पाइन्ट ऑफ ऑर्डर । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुंझनूं से आने वाले माननीय सदस्य अपने भाषण के दौरान जिस तरीके के शब्द कहे यह कोई तरीका नहीं । मैं इन शब्दों पर आपत्ति करता हूं और आसन से व्यवस्था चाहूंगा । जिस तरीके के उन्होंने शब्द कहे वह आपत्तिजनक हैं और उनको एक्सपंज किया जाय ।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न पूछने का अधिकार हमें है ....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ये रिमार्क्स एक्सपंज किये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने स्वयं ने कहा था आप प्रश्न पूछिये, लेकिन आप तो विस्तारपूर्वक भाषण देने लग गये । मैं अभी भी कह रहा हूं, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिये, लेकिन प्रश्न के रूप में ही पूछिये, भाषण के रूप में मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आपने कहा, आपको, जानकारी नहीं है' अभी अभी कहा, उसको एक्सपंज कराया जाय, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदनकी कार्यवाही रिकार्ड की जा रही है उसको मैं देख लूंगा । इस तरह के शब्द आये हैं तो मैं जरूर एक्सपंज करूंगा ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा है कि यह कोई तरीका नहीं है आपको जानकारी नहीं है । इन शब्दों को मैं बहुत ही असंसदीय मानता

(श्री गोपाल सिंह)
हूं और इन पर आपसे व्यवस्था चाहता हूं। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले ही कह चुका हूं अगर कार्यवाही में ऐसे शब्द लिखे गये हैं तो मैं एक्सपंज कर दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन प्रश्न किये हैं। एक तो आपने यह रिपोर्ट रखी है और कहा है कि पहले जितनी गड़बड़ी हुई है उसके सम्बन्ध में आप एक्शन लेंगे। जिन्होंने गड़बड़ की है उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। आपके सामने सारा मसला है अगर किसी ने घपला किया है–गवर्नमेन्ट ऑफिसर ने या पालिटिशियन ने तो जरूर एक्शन लीजिये। लेकिन इस सारे माहोल में जो बात रखी है उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या करने जा रही है? बीच में ही व्यवधान कर सारा सदन का ध्यान डाइवर्ट कर दिया।....

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका जवाब देता हूं। अभी माननीय सदस्य ने यह पूछा कि जो बाढ़ के वक्त हमारे भाई-बहिन गुजर गये, उनको आपने एक हजार रुपया क्यों नहीं दिया। एक हजार से कम दें या बसी, उसका कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसका कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है। जिलाधीज ने जो मौके पर हालात देखे हैं और जो रुपया देना चाहिये वह दे दिया। माननीय सदस्य के जिले में दो जनों की मृत्यु का जिक्र किया गया, तो वहां दो नहीं सात की मृत्यु हुई है और कुल मिलाकर पांच हजार रुपये दिये हैं। अभी मेरे पास सूची नहीं है कि कौन-कौन मरे हैं और अलग-अलग कितने कितने रुपये दिये हैं लेकिन उनको पांच हजार रुपये दिये गये हैं। जैसी हालत थी, उसके अनुसार रुपये दे दिये। मेरा यह भी निवेदन है कि पैसे देने से कोई आदमी की पूर्ति नहीं होती है। जो मर गये अगर उनके परिवार को सरकार कोई सहायता भी देना चाहे तो कई उनमें से ऐसे हैं जो स्वीकार भी नहीं करेंगे। मैं अलवर गया था, कुछ लोगों को रुपये दिये तो लोगों ने कहा कि हमने 500 दिये हैं। आपका सुझाव ठीक है और जो नीडी परिवार है, जिनके कमाने वाले मर गये हैं, और जिनका पालन-पोषण करने वाला अब कोई नहीं है उनका सरकार को ध्यान रखना चाहिये। इस विषय को ध्यान में रख रहे हैं।

आपने यह कहा, झुंझुनूं जिले में मदद नहीं दी गई। मैं समझता हूं माननीय रामनारायणजी भी वाकिफ हैं, फ्लड रिलीफ में यह व्यवस्था है कि फ्लड वाटर से जो मकान गिरते हैं उनको सहायता दी जाती है। अति-वृष्टि से मकान गिरे तो कायदे कानून से मदद नहीं मिल सकती है। और कोई माननीय सदस्य पूछते तो उन्हें समझाने की बात होती।

इसके अलावा आपने यह कहा कि झुंझुनूं की हालत है जिसमें गिरदावरी होने की जरूरत नहीं है और वैसे ही अकाल घोषित होना चाहिये। मुझे सुझाव स्वीकार है और जिलाधीश से कहूंगा कि वहां के हालात पेश करे। जो रिपोर्ट मिलेगी, उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री अब्दुल अजीज : राजनैतिक आधार पर राज्य सरकार द्वारा बांटे गये रिलीफ फण्ड के पैसे को क्या मिसएप्रोप्रियेजन में नहीं समझते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : यह कानूनी बात है, कामनसेन्स की है और सब जानते हैं।

श्री अब्दुल अजीज : कामन चीज नहीं है, राज्य सरकार की योजनायें चलती हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। जो मर जाते हैं, उनकी आवाज तो आ नहीं सकती है। यह भी एक करप्शन है तो यह हमारे सिर पर बहुत बड़ा कलंक है।

श्री रतन लाल वर्मा : अगर ऐसी लिस्ट दी जाय .....

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (गेन्दर) : मैंने दोनों तरह के हालात बताये हैं, आपने कहीं मंजूर नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन चाहता....

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसी वक्त रिलीफ कमिश्नर को कह दिया था कि देखकर कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य विराजिये। वन मंत्री महोदय अपना जवाब देंगे।

श्री त्रिलोक चन्द जैन (वन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों द्वारा वन के विकास के लिये जो चिन्ता प्रकट की गई है वह बहुत स्वाभाविक है। सारे प्रदेश के भू-भाग पर वनों को सुरक्षित रखा जाना चाहिये। इस समय राजस्थान प्रदेश में 34,480 किलोमीटर भू-भाग पर ही वन सम्पदा है। चिन्ता का विषय यह है कि केवल 1/3 भाग पर ही वृक्ष खड़े हुये हैं याने 1/3 भाग हरा भरा है। ऐसी परिस्थिति हमारे सारे वन खंड की है। आज यह भी देखा जा सकता है कि जो वन खंड हमारे पास है, वह आगे चलकर रह सकेगा या नहीं क्योंकि इस पर दबाव है, चारों तरफ से दबाव है। आपने देखा होगा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में कहा था कि कैसे सुन्दर हरे भरे पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, तो कैसे वन रह सकेंगे? और दूसरे ही श्वास में कहा और मांग की कि खानपुरा में पहाड़ी है जिस पर वन विभाग ने तीन हजार पेड़ लगाए हैं, उस पहाड़ी का बाकी भाग वन विभाग खाली कर दे और चराई के लिए छोड़ दे। इस तरह से भी यहां के वन खंड पर दबाव पड़ रहा है। एक तरफ अतिक्रमण है, दूसरी तरफ चरागाह की कई समस्यायें हैं। यह मांग की जा रही है कि अतिक्रमण का रेगुलेराइजेशन हो जाए, चरागाह के लिए जमीन छोड़ दी जाए। तो ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे जो अभी हमारे पास भू- भाग है, वह भी कम होता चला जाएगा, यह स्पष्ट है। समस्या यह है कि जो भू- भाग हमारे पास है उसमें वनों के विकास की आवश्यकता प्रकृति में संतुलन रखने के लिए है। क्योंकि प्रकृति में संतुलन नहीं रहता है तो प्रकृति की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए सघन रूप से वनों का विकास करना होगा। माननीय सदस्यों ने मांग की है कि वन नीति घोषित होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जो समस्यायें सामने आई हैं, जिस प्रकार से वन खंड पर दबाव है वन के भू-भाग छीन लेने का और प्रकृति के संतुलन का प्रश्न है-इन सबको ध्यान में रखते हुए राज्य की वन नीति की घोषणा की जाएगी। चूंकि हम लोगों के हाथ में सरकार आए बहुत कम समय हुआ है, इसलिये इन समस्याओं को गहराई से समझा जा रहा है, सारी

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

को समझ लेने पर, सारी वन सम्पदा की जांच कर लेने पर निश्चित रूप से वन नीति निश्चित की जा सकेगी। लेकिन सघन रूप से ही वनों को सुरक्षित रखना होगा, उनका विकास करना होगा, उनको हरा भरा करना होगा और उस सम्पदा को बचाए रखना होगा।

जब से राजस्थान में नई सरकार ने काम संभाला है और मेरे पास विभाग आया है, तब से जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह है चराई का मामला। वन विभाग पर दबाव बढ़ता जा रहा है, कई गांवों के चरागाह धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं, आवंटित हो रहे हैं और सबका ध्यान जो चरागाह वन विभाग के पास हैं उन पर जाता है। राजस्थान में पशुओं की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए उन चरागाह पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। राजस्थान में पशुओं की संख्या करीब 3।। करोड़ है, इसलिए भी यह दबाव बढ़ता जा रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरह से राजस्थान के वन खंडों को चरागाह के लिए दिया जाय जिससे जनता को कष्ट न हो, और चरागाह खोले जा सकें। इस समस्या पर इस दृष्टि से विचार करना है। ज्यों ही मैंने काम संभाला, यह समस्या मेरे सामने आई। जनता के कष्ट और किसानों के कष्ट मेरे सामने आए, वे शिकायत करने आए कि वन विभाग को चरागाह खोलने चाहिए। वैसे कोटा, बूंदी, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में चराई की समस्या है। जहां वन सुरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं, वहां पर भी वह पशु चराई के लिए खोले जाते हैं। उसमें जो अधिकारी रहते हैं वे क्यों नहीं इस बात को समझ पाएं? चरागाह का क्षेत्र पशुओं के लिए है तो क्यों नहीं एक प्रकार का सिस्टम इवाल्व हो पाया कि अमुक समय तक चराई के लिए खोला जाएगा और अमुक समय वह सुरक्षित रहेगा। बीकानेर में विशेष धंधा, गायों का, पशुपालन का धंधा है। यह स्वाभाविक बात थी कि गायें पशुपालक लाते हैं और वहीं चराई कराते हैं फिर भी एक ऐसा सिस्टम, रीति नीति नहीं है जिससे स्वतः अमुक-अमुक समय में वन खंड का चरागाह उनके लिए खोला जाए। इस तरह की समस्या चरागाहों की वन विभाग के पास आती है। इसलिए सोचा गया है कि जो चरागाह हैं उनके बारे में नीति निश्चित की जाए।

जो चरागाहों का प्रोग्राम राज्य सरकार सोचती है यदि पहले पंचायत लेना चाहे चरागाहों को और किसी प्रकार की गड़बड़ न हो, तो पंचायतों को दे दें। जहां पर पशु चरते हुए आ रहे हैं, वहां पशुओं के लिए नियमित रूप से ग्रेडिंग द्वारा एक भाग सुरक्षित करें, दूसरा भाग खोल दिया जाए। इस समय जो अव्यवस्था है, उससे दिक्कत होती है। यदि पशु चरने चले जाते हैं तो जुर्माना हो जाता है, इस प्रकार की अव्यवस्था को दूर किया जाए।

यह भी समस्या है कि राजस्थान में चराई का जो शुल्क है जो रेट्स हैं वे भी विविध प्रकार के हैं। रेशनेलाइज्ड वे में चराई के रेट्स नहीं हैं। राज्य सरकार के सामने जब यह समस्या आई तो राज्य सरकार इस बारे में भी विचार कर रही है कि कोई रेशनेलाइज्ड रेट्स चराई की हो जाएं ताकि इस प्रकार की भिन्नता न रहे। गायों और बैलों के लिए 50 पैसे से लेकर 6 रुपए तक हैं, बछड़ों के लिए 75 पैसे से 87 पैसे तक हैं, भैंसों के लिए

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)
75 पैसे से 12 रुपये तक हैं, गधों के 50 पैसे से 4 रु0 तक हैं, घोड़ों के लिये 50 पैसे से 4 रु0 तक हैं, ऊंटों के लिए 2 रु0 से लेकर 20 रु0 तक हैं, भेड़ों के लिए 6 पैसे से लेकर 2 रु0 तक हैं, बकरियों के लिए 6 पैसे से 2 रु0 तक है–इस तरह से अलग-अलग जगह पर चराई की रेट्स हैं। इनको राज्य सरकार रेशनेलाइज करेगी और यह निश्चित है कि इस प्रकार की भिन्नता नहीं रहेगी। इसके कई कारण रहे हैं, अलग-अलग प्रकार के वन क्षेत्र हैं और दूसरे राज्यों के चराई के रेट्स आए हैं।

सुमित्राजी ने देज की बात कही थी। मेरा निवेदन है कि सिरोही स्टेट के समय से ही यह टैक्स है। पहले राजस्व विभाग लेता था फिर वन विभाग उन सभी व्यक्तियों से, जो वहां पर पशु रखते हैं, वसूल करता है ....

श्री माधव सिंह (सोजत) : यह बिल्कुल गलत बात है। रैबरी जाति के लोगों जो जंगलों में जाते हैं, से भी टैक्स लिया जाता है। बाकी तो 550 गांव हैं उनमें करीब 20-25 गांव जंगल में पड़ते हैं उन्हीं गांवों के जंगल हैं। जैसे आबू पहाड़ है वहां जितने गांव हैं जिन गांवों में जंगल पड़ते थे उन्हीं लोगों से टैक्स लिया जाता है दूसरों से नहीं लिया जाता है। जागीरदारों ने मुआवजा लिया था इसलिए राजस्व विभाग खुद वसूल नहीं कर सका तो वन विभाग को दे दिया। मैं मुआवजा नहीं लेता हूं तो 30 साल तक बीगोड़ी नहीं ली जाएगी और मुआवजा समाप्त हो जाएगा ....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्री माधवसिंह : आपको गलत सूचना दी गई है।

श्री माधव सिंह (रेवदर) : उपाध्यक्ष, सिरोही के एरिया में तो स्थिति दुसरी है। वह स्पष्ट कर रहा हूं। इसके बारे में मन्त्रीजी बतायें तो ठीक रहे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सदस्य, जब मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं आप बीच में प्रश्न मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री माधव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही की स्थिति दुसरी है वहां क्लोजर में जाते हैं और बाद में जंगल आ जाते है। ....

(व्यवधान)

जब जालोर और सिरोही में मवेशी चरने जाते है तो वहां ......

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह होगी पर मैं अब रेशनेलाइजेशन करने की बात कह रहा हूं। इसके अलावा बहुत से कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने चारा, फोडर के बारे में बहुत भारी चिन्ता व्यक्त की,। खास तौर से जो सीकर और झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य हैं। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि करीब 25 हजार क्विन्टल चारा तो हमारे यहां संग्रह किया हुआ है। हमारी योजना है कि करीब 75 हजार क्विन्टल चारा, फोडर और संग्रह किया जाय ताकि अकाल के वक्त में चारा, फोडर की समस्या नहीं रहे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में किसी भी जिले में फोडर की कमी नहीं आने दी जायेगी।

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

राज्य सरकार लगातार चारा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। चारा, फोडर को इकट्ठा करके रख दिया जायेगा।

इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने यहां पर चरागाह के बारे में कठिनाइयां व्यक्त की हैं, उनके बारे में काफी कहा। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इन कठिनाई को दूर करने का राज्य सरकार प्रयत्न करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह जंगलों के चरागाह की प्राब्लम इसलिये क्रियेट हुई कि पहले जंगल ग्राबादी से दूर थे इसलिये गांवों के जानवर चरागाह में चरने जाते थे। ग्रब क्या हुग्रा है कि ज्यों-ज्यों ग्राबादी बढ़ती गयी है, गांवों का विकास हो रहा है, लोगों ने गांवों के बाहर मकान बना लिये हैं ग्रौर जंगल की तरफ ग्राबादी सरक रही है। इससे जंगल जो दूर थे ग्रब ग्राबादी के पास ग्रा गये है ग्रौर गांवों के पशु थोड़ी ही दूर पर इधर-उधर चरने निकल जाते हैं जहां पर वन विभाग की जमीन ग्रा गयी है। इस कारण उनके पशुग्रों को पकड़ लिया जाता है ग्रौर उन लोगों पर जुर्माना कर दिया जाता है। यह वाकई एक विकट समस्या है। इसका हल निकाला जाना बहुत ही ग्रनिवार्य है। राज्य सरकार के सदस्यों की राय लेकर इस समस्या का हल किस प्रकार निकल सकता है इसके लिये वन विभाग के ग्रधिकारियों के साथ मिल कर बात करने की कोशिश की जायेगी। ऐसी व्यवस्था हो ताकि इस कठिनाई से मुक्ति मिल सके। इसके लिये बैठ कर कोई न कोई सामन्जस्य निकालने की कोशिश की जायेगी, कोई बीच का रास्ता निकलाने की ग्रावश्यकता है। इसके साथ ही सभी जगह रेशनल बेसिस पर चरागाह के पैसे लेने की बात के लिये भी राज्य सरकार को सोचने की जरूरत है।

इसके ग्रलावा यहां पर कई माननीय सदस्यों ने वृक्षारोपण के बारे में भी कहा है। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह सन्देह प्रगट किया है कि जितने पेड़ लगाने के लिय कहा है उतने पेड़ नहीं लगाये गये हैं ग्रौर इसमें पैसा लोग खा गये हैं। कई सम्माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि पिछले तीस सालों में जंगलों को बेरहमी से काटा गया है। यह सभी जो जंगल काटे गये हैं वह ठेकेदारों की वजह से काटे गये हैं। यही कारण है कि यहां पर ग्रब वृक्ष कम होते जा रहे हैं। जंगल कम हो गये हैं। इसके साथ ही जितने पेड़ लगाये गये हैं वह पूरे उग नहीं पा रहे हैं। यहां पर वृक्षों के लगाने के बारे में शंका पैदा की गयी है। मेरे पास जो ग्रांकड़े उपलब्ध हैं उन ग्रांकड़ों के ग्रनुसार 1 करोड़ 10 लाख वृक्ष लगाये हैं उनमें से करीब 75 प्रतिशत वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों से यह निवदन करना चाहूंगा कि करीब 79 प्रतिशत पेड़ ग्राज तक जीवित हैं। जो शंका प्रगट की गयी है उसके सम्बन्ध में मैं उपलब्ध ग्रांकड़ों के ग्रनुसार यह निवेदन कर सकता हूं कि वृक्ष लगाये गये हैं, यह बात दूसरी है कि वृक्ष मृत हो गये हैं। यह बात तो बहुत जरूरी है कि वनों की रक्षा की जाय ग्रौर ज्यादा से ज्यादा वन लगाये जायं ताकि सारा राजस्थान हरा भरा हो। इसके लिये सघन ग्रफारेस्टेशन के लिये भी योजना ग्रब चलायी जा रही है। दूसरी मिश्रित प्लान्टेशन के लिये भी योजनायें चालू की जा रही हैं। इसके ग्रलावा डी. पी. ए. पी. के ग्रन्तर्गत भी वन लगाये जाने के कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं। इसी तरह यहां पर एडवान्स फोरेस्ट की स्कीम भी है। इस तरह यह

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

कोशिश की जा रही है कि सारे प्रदेश में वन लगा कर इसको हरा भरा कर दिया जाय। इसके अलावा वन को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ करने की योजना चालू की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल एरिया में जहां रेगिस्तान है उसको कम करने के लिये कई जगह चक के आसपास दो मुरब्बों की जमीन पर जंगल लगाये गये हैं। वहां पर मिश्रित वन खड़े करने की कार्यवाही की जा रही है। नहीं तो वहां पर रेत उड़ उड़ कर रेगिस्तान बढ़ा देती है। इसको रोकने के लिये यह किया जा रहा है। राज्य सरकार राजस्थान को हरा भरा करना चाहती है।

जंगलों की सुरक्षा की दृष्टि से देख रेख के लिये काफी प्रयत्न किया जायेगा। इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। अगर वन सम्पदा बढ़ती है तो हमारी जनता को लाभ होता है। इसके अलावा हम वन सम्पदा के बेसिस पर छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर सकते है। लकड़ी के उद्योग लगा कर हम राजस्थान के करीब 40-50 हजार लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वनों के विकास के लिये एक कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट हमारे मुख्य मन्त्रीजी को पेश कर दी गई है। अब इसके बारे में कई बातों का ध्यान रखा जायेगा जिसमें प्रमुख बात है, वन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाय, वनों का विकास किया जाय, वनों को लगाने के लिये अभियान चलाया जाय। साथ ही वृक्षारोपण में हर व्यक्ति यह महसूस करे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावे। इसके लिये वन विभाग की यह नीति है कि अगर एक पेड़ काटा जाय तो एक पेड़ लगाया जाय। इसके अलावा सरकार यह चाहती है कि गांवों में हर पंचायत क्षेत्र में गांवाई जंगल बनाये जायं। जब तक गांवाई जंगल नहीं बनाये जायेंगे तब तक जंगलों की सुरक्षा पूरी तरह से नहीं हो सकेगी। चरागाह जो हैं वह पंचायत के अधीन हों, वहां पर अधिक पेड़ लगाये जायं। इसके अलावा राज्य सरकार यह भी कर रही है कि सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाये जायं। दूसरे रेलवे लाइन के दोनों तरफ पेड़ लगाये जाने के लिये भी रेलवे से पत्र व्यवहार चल रहा है। आज सड़कों के दोनों किनारे पेड़ काफी संख्या में सुरक्षित हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं कि अजमेर-जयपुर, जयपुर से दिल्ली के बीच में तथा जयपुर से आगरा के बीच में पेड़ सुरक्षित भी हैं। इसी तरह दूसरी जगह भी पेड़ लगाये जा सकते है। पर इसमें जनता का समर्थन पूरा प्राप्त हो तो ज्यादा लाभ हो सकता है। इस प्रकार से हम अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें तो जो पेड़ धीरे धीरे कम हो गये थे वह वापस ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा जो रिवाइन्स हैं वहां पर वृक्षारोपण के लिये कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है। जंगलों के विकास के लिए वृक्षों को लगाने का काम अभियान के रूप में चलाया जाये तभी वनों का विकास हो सकेगा। अगर यह समझें कि पेड़ लगाना हमारा धर्म है और धर्म समझ कर पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया जाय तो हमारा राजस्थान वनों से हरा भरा हो सकेगा और तभी हमारे यहां जो जंगलों की समस्या है वह समाप्त हो सकेगी। अगर ज्यादा वृक्ष लगाकर उनको सुरक्षित नहीं रखा गया तो हमारे यहां पर जो जंगलों की कमी है वह पूरी नहीं हो सकेगी। ईंधन की जो समस्या है उसकी पूर्ति भी अधिक से अधिक वन लगाने से ही की जा सकेगी।

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

ईन्धन की समस्या के निराकरण के लिये अधिक वन लगाना आवश्यक है।

अतिक्रमण की ममस्या भी एक बहुत बड़ी जबरदस्त समस्या है। पिछले दिनों में यह अनुभव हुआ है कि अतिक्रमण के रेगुलेराइजेशन की माँग आती जा रही है, वन विभाग की जमीनों पर लोगों ने जो कब्जे कर लिये हैं, मकान बना लिये हैं, उनको रेगुलेराइज करें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने 1971 तक यह नीति निर्धारित कर ली कि जंगलों की जमीनों पर जिनका कब्जा है, उनके लिये जिले में कमेटी बना दी गई है और वह रेगुलेराइज करेगी। यह नियम होते हुए भी अमली रूप में यह नीति काम में नहीं आयी, इसी कारण से कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। राज्य सरकार का यह निश्चय है कि एक बार में ही सब मामले तय कर देना चाहती है। कई बार शिकायत आती रहती हैं, कई किसान आते रहते हैं और माँग करते हैं कि वन विभाग रेवेन्यू विभाग को उन जमीनों को दे दें जिन पर उसका वर्षों से कब्जा है। किसानों की खास कर जो कठिनाइयाँ हैं उसको समझते हुए यह निश्चय किया है कि 31 मार्च 78 तक यह प्रयत्न किया जायगा कि जितने इस प्रकार के कब्जे हैं, जो रेगुलेराइज नियमानुसार हो सकते हैं, उनको रेगुलेराइज कर दिया जाय और जो अवैध कब्जे कर लिये गये हैं उनसे वन भूमि को मुक्त करा लिया जाय। यह साफ कह दिया है कि 31 मार्च तक किसान को राहत मिल जाय, उसका कब्जा रेगुलेराइज हो जाय और अवैध जो कब्जे हैं जमीनों के उनसे वह खाली करा ली जाय और वन विभाग को सौंप दी जाय, तो 31 मार्च तक इस सब को साफ करने का प्रयत्न किया जावेगा। यह अवश्य ध्यान रखा जायगा कि जिन हरिजनों और आदिवासियों ने अवैध कब्जे कर लिये हैं उनको फिलहाल बेदखल नहीं किया जावेगा उनकी समस्या को समझा जावेगा, इनके साथ उचित व्यवहार किया जायेगा और किसी प्रकार का जुर्माना भी उनसे वसूल नहीं किया जायगा। तो इस तरह से 31 मार्च, 78 तक सब मामलों की सफाई कर देने का निश्चय किया गया है। एक बार मामला साफ हो जाता है तो अतिक्रमण और मूंखडों की समस्या हल होगी। इससे वन विभाग को और जनता को राहत मिलेगी और जो मुकदमें चल रहे हैं, मामले पैन्डिंग हैं वे साफ होंगे।

वन उपज का जहाँ तक सवाल है उसके लिये आवश्यक है पेड़ों का विकास करना। वनों से बहुत बड़ी उपज निकलती है, वन हमारी आय के साधन भी हैं वन उपज को ठीक प्रकार से औद्योगिक दृष्टि से काम में लेना और कुटीर उद्योग खड़े करना भी विकास का एक बहुत अच्छा साधन है। गोंद, कत्था, शहद, मोम, फर्नीचर इस प्रकार के उद्योग पनप सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। कागज का उद्योग विकसित हो सकता है। लकड़ी के कारखाने विकसित हो सकते हैं। कुमड, खाखरा आदि जो वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों की सुरक्षा की बात होती है। उनकी रक्षा की जाय और उनसे आमदनी बढ़ायी जाय। माननीय डागाजी ने संकेत दिया है और सरकार भी सोचती है कि कुछ इण्डस्ट्रीज वन के आधार पर खड़ी की जा सकती हैं। इसके लिये आवश्यक है कि ऐसे वृक्ष लगाये जायं जिसके आधार पर कुटीर उद्योग खड़े किये

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)
जा सकते हैं। इससे लोगों को काम धन्धा मिलेगा और आमदनी का जरिया भी होगा।

वन्य प्राणी संरक्षण के लिये प्रदेश में 9 अभयारण्य हैं। घाना, सिरस्का, रणथम्भौर, ये प्रसिद्ध हैं। घाना के बारे में बात कही गयी वह बात सही है। मैं भी यह मानता हूं और वहां से आये माननीय सदस्य ने भी यह बात कही, माननीय सुरेश कुमारजी ने जो बात कही, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहां पक्षियों के रहने की आवश्यकता है वहां पशु नहीं रह सकते हों। मानव के लिये पशु और पक्षी दोनों ही आवश्यक हैं। लेकिन जो निर्णय है वह भारत सरकार का है। पशुओं को चराने के लिये चरागाह होना चाहिये। जब यह समस्या आयी तो मैंने उसको समझा। भारत सरकार की यह योजना है। इस बारे में भारत सरकार से बात करनी होगी कि बड़ा चरागाह है आज तक उसमें पशु चरते रहे हैं उनको उससे महरूम नहीं किया जाय। माननीय बजरंग लालजी ने जो बात कही वह मेरे ध्यान में है कि शान्ति आश्रम का सही उपयोग हो।

सिरस्का, रणथम्भोर के अभयारण्य के लिये यह कहा गया कि लोगों के खेतों से जुड़े हुए हैं और जानवर उनकी खेती को बरबाद कर देते हैं। गजनेर के बारे में माननीय गुप्ताजी ने प्रश्न उठाया कि वहां पर पशु बढ़ गये है। सुअरों की बात कही। मेरे बैठते ही आपने सुअरों को मारने पर जोर दिया। मुझ से ही यह बात करवानी है। सुअर वन विभाग पालता नहीं है। वे तो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं और वे खेतों को नुकसान करते हैं उस समय उनको मार दिया जाय। यही समस्या रणथम्भोर में है और गजनेर में भी है। ज्यों ही जंगल से बाहर निकलें और खेती को नुकसान पहुंचायें उनको मार दिया जाय। अब सवाल यह रहता है कि मरे हुओं को वन विभाग को नहीं दिया जाय, यह इजाजत दे दी जाय तो इसमें ऐसी आशंका है कि दूसरे पक्षियों को, पशुओं को भी मारा जा सकता है। यह आशंका बनी रहती है। रणथम्भोर में मारने की इजाजत दे दी तो सुअरों को वहां मारा जाता है भेड़ और अन्य पक्षियों को भी मार दिया जाता है इसलिये इसको विथड्रा किया। सुअर भी मार दिये, शेर आया तो उसको भी मार दिया। अब यह देखना है कि मारा या नहीं। दूसरे पक्षियों की, पशुओं की रक्षा हो सके, इस दृष्टि से यह किया गया। आप इस कठिनाई को महसूस करेंगे। जो किसान हैं, जो कार्यकर्ता हैं वे मारें या किसी से सुअरों को मरवायें, उसका लाइसेन्स वे ले लें। उसकी इजाजत दी जा सकती है। हम चाहते है कि गांवों में अच्छे विहार हों। यह नहीं है कि शेर नहीं है। सिरस्का में सुनहरी शेर हैं, रणथम्भोर में भी हैं। जो दिक्कतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, वे धीरे-धीरे दूर हो जायेंगी। कुछ अधिकार ऐसे हो सकते हैं जिनको देने में कठिनाइयां हैं। वन विभाग की निश्चित नीति रहेगी कि चरागाहों की समस्या हल कर दी जाये।

जयपुर के चिड़ियाघर को भी ठीक करने की योजना है ताकि यह आकर्षक केन्द्र बन सके। इसके लिये यह निवेदन करूंगा कि जयपुर के आसपास जो पहाड़ियां है उनको हरा भरा बनाया जा रहा है। जितनी सुन्दर बन सकती हैं उतनी सुन्दर बनाने की योजना है। उसके आधार पर

(श्री त्रिलोक चन्द जैन) :
कार्य किया जा रहा है।

सन् 1959 से स्टेट ट्रेडिंग का कार्य शुरू हुआ। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके विभागीय रूप से लकड़ी और कोयला संग्रहित किया जाता है। 1972 से कत्था और गोंद उसमें आ गया है। ऐसे 42 केन्द्र हैं सारे राज्य के अन्दर लकड़ी के कोयले की व्यवस्था है उसके लिये जिलाधीश को अधिकृत कर रखा है। स्टेट ट्रेडिंग के जरिये लकड़ी का कोयला उपलब्ध कराने के लिये व्यापारी ले जाते हैं। इससे 1 करोड़ 38 लाख रुपये की आय हुई है। स्टेट ट्रेडिंग के कारण वनों का गलत तरीके से कटना रुका है और श्रमिकों का शोषण भी रुका है। इसके अलावा सरकार की आय भी बढ़ी है। इसके आधार पर आगे उद्योगों का भी विकास किया जा सकता है....

श्री उमरावसिंह डाबरिया : कोयला सस्ता हो जाये तो अच्छा है। नीलामी करने की पद्धति को रोका जाये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : तेंदू के पत्तों का व्यवसाय भी स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा चल रहा है। इसमें भी करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिलता है।

यहां पर एक माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि वन विभाग में काफी घोटाले हैं, गड़बड़ियां हैं। उन्होंने काफी नाम भी दिये हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि वन विभाग में एक सतर्कता विंग का गठन किया गया है और डी. आई. जी. की सेवायें तक इस सतर्कता विंग में उपलब्ध हैं। जो भी गड़बड़ियों के मामले बताये हैं और जो भी घोटाले बताये गये हैं उनकी सख्ती से जांच की जायेगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उनको दण्डित किया जायेगा और ऐसे नाम आपके सामने लाये जायेंगे।

श्री उगमराज मेहता : माननीय मंत्री जी, मैंने 17 सितम्बर, 1968 के मामले बताये हैं। काफी घोटाला है 20 लाख का है, 8 लाख का है, 4 लाख का है, इतना घोटाला है करीब 32 से 35 लाख का घोटाला है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : सारी बातों को देखते हुए जिस प्रकार की अनियमितताये होती हैं और गबन होते हैं, जिस प्रकार धीरे धीरे वनों के अन्दर यह काम होता है, जिस प्रकार से यहां की सरकारी आय को नुकसान पहुंचाया जाता है और हमारे यहां की सम्पदा विभाग के पास न रह कर बाहर चली जाती है – इस सब को रोकने के लिए सतर्कता विंग का गठन किया गया है और वह सक्रिय है। वह तुरन्त ही सिरोही क्षेत्र के मामलों को भी हाथ में लेगा। जो आपने संकेत दिये हैं उनकी भी छानबीन कर के सारे मामले उसके हाथ में दिये जायेंगे और जो भी दोषी पाया जायेगा उसको दण्डित किया जायेगा। यह मैं आपको इस बारे में निवेदन कर सकता हूं। मैंने केवल जानकारी के लिए बताया है कि यह काम शुरू हो गया है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इस प्रकार की तैयारियां कर ली गयी हैं कि आगे किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, वनों की कटाई अवैध रूप से नहीं हो और जो वनों के अधिकारी और ठेकेदार लोग मिलकर वनों का दुरुपयोग करते हैं वह नहीं कर सकें।

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

एक बात यहां पर थोर के बारे में बताई। थोर के बारे में एक विवादास्पद स्थिति है। थोर के बारे में ज्यों ही यहां पर बात सामने आई तो दो राय सामने आयीं। एक तो यह राय है कि यह ऐसा पेड़ है कि उस क्षेत्र में केवल यही पेड़ मिलता है, इसी के द्वारा अफारेस्टेशन हो सकता है और इसी से मरुस्थल रोका जा सकता है इसलिए इसको केवल जलाने की दृष्टि से काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिस व्यक्ति के खेत में है वह अपने काम के लिए उसको काट सकता है, ऐसी इजाजत दी गयी है। दूसरी राय जनता के लोगों की है कि यह पेड़ वहां कुछ वर्षों से चले आ रहे हैं और इनको काटने की इजाजत दी जाय। यह विवाद चल रहा है। वहां के रेगिस्तान को रोकने की दृष्टि से, वहां अफारेस्टेशन करने की दृष्टि से इसके बारे में उधर के क्षेत्र के लोगों से बातचीत करके जो भी राय होगी उसके आधार पर तय कर लिया जायगा कि किस तरह से इजाजत दी जाय। आज वस्तुतः वह इजाजत नहीं है।

इस प्रकार से वन विभाग की जो सारी स्थिति है वह मैंने आपके सामने रखी है। मेरा निवेदन है कि वन विभाग का विकास जनता के सहयोग से ही हो सकता है। जनता का प्रेशर है धीरे-धीरे जंगल लगाने का, चरागाह लगाने का और जमीनें छुड़वाने का। 6 हजार बीघा की मांग तो हमारे गुप्ता जी ने ही कर दी है कि 6 हजार बीघा तो खेती के लिये दे ही दो। तो वन तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब कि जनता में इसके लिए भावना जागे कि इन वनों को हमें सुरक्षित रखना है और उनका विकास करना है, हर तरह से हमें इसका बचाव करना है तब जाकर यह वन सम्पदा बच सकती है। इसके आधार पर कई प्रकार के उद्योग भी विकसित किये जा सकते हैं और पशुओं की भी रक्षा की जा सकती है। एक तरह से प्रकृति का भी सन्तुलन कायम किया जा सकता है। इस दृष्टि से निवेदन करूंगा कि आप इस डिमाण्ड को समर्थन देकर पारित करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सीड हाउसेस को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया···

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यहां पर बड़ी असमानता है, कई तरह के स्तर हैं। उन सब को देख रहे हैं और इसके लिए नीति विभाग में निर्धारित हो जायगी कि जो अलग-अलग स्तर हैं वह नहीं रह सकें।

दूसरे सीड हाउसेस को रेस्ट हाउस में कन्वर्ट करने की बात कही गयी तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कहीं नहीं हुआ है। एक दो जगह हुआ होगा तो विशेष रूप से उसका निर्माण किया होगा लेकिन गेस्ट हाउस की ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सुरेशकुमार : मैंने प्रश्न रखा था, मैं यह जानना चाहूंगा कि सूखी लकड़ी जो कि हाथ से टूट जाय उसको इकट्ठा करने की इजाजत देंगे या नहीं ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : आज भी वह इजाजत है लेकिन आपने धाना क्षेत्र की बताई है। यदि उसके बारे में कोई रोक है तो सारी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। आपने बताया है और चिड़ियाओं को घोंसला बनाने के लिए तिनके और सूखी लकड़ी चाहिए, छोटी छोटी टहनियां होती हैं जिससे वह

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

घोंसला बनाती हैं। यदि कोई पक्षियों को इससे नुकसान नहीं होता है तो राज्य सरकार को कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूं।

श्री सुरेशकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होता। उस क्षेत्र में तो कम से कम इजाजत देने की कृपा करें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाही थी कि जिस क्षेत्र में खेजड़ी के वृक्ष हैं और जहां यह पेड़ है वह काश्तकारों की प्रापर्टी है। आपने उसको वन सम्पदा में ले लिया। तो क्या आप इस बात पर सोचेंगे और खेजड़ी जिन जिलों में है उसको आप वन सम्पदा से निकालने के बारे में विचार करेंगे ?

त्रिलोकचन्द जैन : इस प्रश्न को एग्जामिन करके जो भी जनता के हित में होगा कर लिया जायगा।

श्री एच. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह जानकारी कराई थी कि वन पौधशाला के कर्मचारी हैं उनका काफी वनों की आय में सहयोग रहता है। जो वन पौधशाला हैं वह एक प्रकार का उद्योग है उनके कर्मचारियों को समय-समय पर विभाग के अधिकारियों द्वारा विक्टिमाइज किया जाता है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि वन पौधशाला के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत उनको रियायतें दी जायें। यह मेरा मंत्री महोदय को निवेदन है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय सदस्य, मुझे सहानुभूति है। मैं इस सारे को एग्जामिन कर लूंगा। जो बात आप कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है तो निराकरण किया जायगा।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय मंत्री महोदय, आपने स्पष्ट नहीं किया है हर जंगल की कटाई होती है उसके बाद वहां क्लोजर स्थापित किया जाता है वह क्लोजर 12 साल तक रहता है। 12 साल के बाद विभाग को चराई के लिये छोड़ देना चाहिये; लेकिन बड़ी गलत प्रेक्टिस है बार-बार कहने के उपरान्त भी नहीं छोड़ा जाता है, जब पैसा मिलता है तब छोड़ते हैं। जब 12 साल के बाद क्लोजर छोड़ दिया जाता है तो फिर उनको वापस हर साल वर्षा के अन्दर रोकने का क्या तात्पर्य है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यह समस्या कई स्थानों की है। इस प्रकार की गलत प्रेक्टिस है इसको ठीक कर लिया जायेगा।

श्री माधोसिंह : इसमें समस्या तो है नहीं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : गलत प्रेक्टिस कई जगह है।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ उसी जगह बन्द रखें जहां गलत काटने वाले हैं। बाकी सब जगह ओपन कर दें ताकि टंटा ही खतम हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आपके सुझाव नोट कर लिये गये हैं।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 31 मार्च, 1971 को अवैध कब्जे थे उनका सफाया कर दिया जायेगा ....

श्री त्रिलोकचन्द जैन : ऐसी कई समस्याएं आई हैं उनके लिये राज्य सरकार ने सूचना निकाली हुई है। 1-1-71 को अवैध कब्जे थे उनको रेगुलेराईज कर दिया जायेगा। ऐसे मामले कोई पेन्डिंग हैं कलेक्टोरेट में तो उन सब को निपटा दिया जायेगा। राजस्व विभाग का और वन विभाग का रिकार्ड है वह भी ठीक कर दिया जायेगा।

श्री अब्दुल अजीज : मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ के लिये भारत सरकार से कुछ फण्ड्स मिलने वाला है उससे वाइल्ड लाइफ के विकास से काफी टूरिस्ट्स को अट्रेक्ट किया जा सकता है।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : वर्माजी, आपके सुझाव नोट कर लिये हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : भ्रष्टाचार की गली है इसको बन्द करियें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये!

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मंत्री महोदय, हमारे बीकानेर के अन्दर सुअर को मारने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, मंत्री महोदय को मालूम है सीड हाउस के नाम....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगी सीड हाउस..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराजिये। आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी, गृह मंत्री जी बैठे हैं, वहां पर जेल में रह कर आये हैं, मैं खुद रही हूं, गोकल भाई भट्ट को सीड हाउस में रखा गया है, फिर भी कह रहे हैं, सीड हाउस का उपयोग किसी काम के लिये नहीं किया गया। किस नियम के तहत किया वह नियम बता दें। अगर पिछली सरकार ने गलत काम किया है तो उनको छिपाने का क्या मतलब है?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : सरकार रखती कहां?

श्री उपाध्यक्ष : आप की सुविधा के लिये किया गया है।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरी समस्या हल नहीं हुई। मेरे अकेले की ही समस्या नहीं है, सम्पूर्ण राजस्थान की है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री आलम अली : माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे 9 हजार एकड़ भूमि भेड़ विभाग को दी गई। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं जितनी जमीन उचित है उतनी ही जमीन उनको दी जाये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यह बीड़ वन विभाग के पास नहीं है, शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट के पास है।

श्री आलम अली : इसीलिये आपसे चाहता था....

Page No 173

(173)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री आलम अली : जो गड़बड़ हो रही है......

श्री उपाध्यक्ष : वह इस विभाग से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : है तो गवर्नमेंट एक ही।

श्री उपाध्यक्ष : इतना अन्तर तो आप समझिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : पशुपालन कैसे होगा?

श्री रतनलाल वर्मा : जो पशुपालन करते हैं उनको 10 रुपये महीना देना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मंत्री महोदय, समस्या का हल कैसे करेंगे?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वन विभाग जो तार आदि लगाता है गांव के किनारे पर ही लगा देता है। जानवर गांव से निकलते ही उस तार में घुस जाते हैं। वन अधिकारी मवेशी पालने वालों पर काफी जुर्माना करते हैं। गांव से दूर क्यों नहीं प्लान्टेशन करते?

श्री किशनसिंह भाटी : हमारे यहां भी यह समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान रखेंगे

श्री रतनलाल वर्मा : मेरी समस्या बहुत गम्भीर है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं महसूस करता हूं आपकी समस्या मेरे लिये बहुत गम्भीर है।

श्री रतनलाल वर्मा : मैंने चार बार निवेदन किया है, जनता पार्टी का राज्य आने के बाद भी किसान लुटा है। इस समस्या का हल करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह अनुभव कर रहा हूं इस पर काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब माननीय सदस्य विराजें।

अब प्रस्तुत मांग हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरव लाल कालाबादल : वन संपदा बनाने के लिये कहा है...

(व्यवधान)

क्यों नहीं वृक्ष लगाये जाते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आपके सुझाव पर गौर कर रहे हैं। आप बैठिये।

(व्यवधान)

सभी माननीय सदस्य, कृपया विराजें अब।

श्रीमती उर्मिला अरोड़ा : माननीय सदस्य घना घना बोल रहे हैं यह घाना है..

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रस्तुत मांग हैं, उन पर मतदान होगा।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 अकाल सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को

(श्री उपाध्यक्ष)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,23,-15,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 फारेस्ट के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,27,69,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26-9-77 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.22 बजे सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर, 1977 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)।